

तीसरी THIRD

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर) (Excluding Railways)

2016-2017

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपित की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है) (Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

मार्च, March, 2017

परिचायक टिप्पणी

विषय: अनुदानों की पूरक मांगों का तीसरा बैच 2016-2017.

वर्ष 2016-17 की पूरक अनुदान मांगों के तीसरे बैच में 75 अनुदान मांगें तथा 3 विनियोग हैं। ₹11,35,055.69 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹14,786.85 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा ₹11,20,267.44 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए के साथ ₹140 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं:-

INTRODUCTORY NOTE

Subject : Third Batch of Supplementary Demands for Grants, 2016-2017.

The Third batch of Supplementary Demands for Grants for 2016-17 includes 75 Grants and 3 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹11,35,055.69 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹14,786.85 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹11,20,267.44 crore. Besides, token provision of ₹140 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

30.20

22.20

22.20

		(47	RIS 849 Kupees	n Crore,
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नकद व्यय कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय	Cash Outgo MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE			
 कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग (क) अतिरिक्त राशि प्रदान करने के लिए 				

- 1.निम्नलिखित के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) कृषोन्नति योजना के अंतर्गत पौधों की किस्म एवं कृषक अधिकारों का संरक्षण (₹3.30 करोड़) (ii) कृषोन्नति के अंतर्गत राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (₹2.90 करोड़), (iii) कृषोन्नति योजना के तहत पादप संरक्षण और पादम संगरोध उप-मिशन (₹5.20 करोड़), (iv) राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन (₹15 करोड़), (v) कृषोन्नति योजना (सामान्य घटक -₹152.30 करोड़ और अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक आयोजना (₹24.30 करोड़) 2. निम्न के अंतर्गत पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (i) कृषोन्नति योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (₹4.30 करोड़) और (ii) बीज और बागान सामग्री उप-मिशन (₹5.20 करोड़)।
- (ख) कृषोन्नति योजना के अंतर्गत भूमि विकास बैंक को ऋण जारी करने के लिए (₹25 करोड़)।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

8 भेषज विभाग

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक लि., पुणे के लिए मजदूरी, वेतन आदि के लिए व्यय पूरा करने हेतु ऋण

aid General under (i) Protection of Plant Varieties and Farmers Rights under Krishonnati Yojana (₹3.30 crore) (ii) National Institute of Plant Health management under Krishonnati Yojna (₹2.90 crore) (iii) Sub-Mission on Plant Protection and Plant Quarantine under Krishonnati Yojna (₹5.20 crore) (iv) National Mission on Oil-seeds and Oil palm (₹15 crore) (v) Mission for Integrated Development of Horticulture under Krishonnati Yojna (General Component - ₹152.30 crore and for special Component Plant for Scheduled Caste - ₹24.30 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets under (i) National Institute of Plant Health Management under Krishonnati Yojna (₹4.30 crore) and (ii) Sub-Mission on Seeds and Planting Material (₹5.20 crore). 30.20 (b) For release of loans to Land Development Banks under Krishonnati

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

8 Department of Pharmaceuticals

Yojna (₹25 crore).

For providing loan to meet expenditure towards the wages, salaries and other

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
मुहैया कराने के लिए।	immediate expenses for Hindustan Antibiotics Limited (HAL, Pune).	-	100.00	100.00
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
10 कोयला मंत्रालय	10 Ministry of Coal			
कोयला खानों में संरक्षण सुरक्षा और अवसंर				
विकास स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधि				
करने के लिए।	Development in Coal Mines.	195.36	-	195.36
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13 डाक विभाग	13 Department of Posts			
(क) न्यायालयी निर्णय के कारण भुगतान।	(a) For payment arising out of Court Judgements.	_	3.08	3.08
(ख) मजदूरी के कारण अतिरिक्त व्यय पूरा व (₹38.53 करोड़), पेंशन (₹77.80 क	লো (b) For meeting additional expenditure on account wages (₹38.53 crore), Pensions			
और डाक विभाग का कार्यचालन	, , , , ,		60.27	60.07
(₹34.07 करोड़)। 1 4 दूर संचार विभाग	of the Department of Posts (₹34.07 crore). 14 Department of Telecommunications	=	69.27	69.27
(क) न्यायालयी आदेशों के कारण ₹4.27 व				
के भुगतान हेतु।	of court orders.	_	4.27	4.27
(ख) दूरसंचार विभाग के सचिवालय का अति	क्त (b) For meeting additional expenditure			
व्यय पूरा करने के लिए।	of Secretariat of Department of			
() : 0 00) %	Telecommunications.	-	56.81	56.81
(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड में आमे	` ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '			
कर्मचारियों को पेंशन भुगतान के व अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।				
जातारक्त व्यय पूरा करने हतु।	employees abosorbed in Bharat Sanchar Nigam Limited.	_	357.28	357.28
(घ) सी-डॉट (₹८ करोड़)। को सामान्य सह			337.20	337.20
अनुदान के अंतर्गत परिव्यय में परिव्य	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
वृद्धि के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के	North Eastern Region due to increase			
निधि अलग रखने के लिए व्यय पूरा				
हेतु, भारत नेट (₹278.50 करोड़), सार्वभै	S.			
सेवा दायित्व निधि से टेलीकॉम सेवा प्रदा को भुगतान योग्य क्षतिपूर्ति (₹162.58 क	(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
का मुगतान याग्य बातपूर्त (र 162.58 क	payable to telecom service providers from Universal Service Obligation			
	Fund (₹162.58 crore).	449.08	_	449.08
(ङ) निम्नलिखित पूरा करने के लिए (i) सार्वभौ				
सेवा दायित्व निधि को अतिरिक्त अंतरप				
व्यय ((₹1470.79 करोड़), भारतनेट				
कार्यान्वयन (₹5040 करोड़), (ii) टेलीमेर्ी	•			
विकास केन्द्र को अतिरिक्त सामान्य सह	, , ,			
अनुदान (₹87 करोड़)।	General to Centre for Development of Telematics (₹87 crore).	1,083.34		1,083.34
15 इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	15 Department of Electronics and	1,005.54	-	1,005.54
4	Information Technology			
निम्नलिखित प्रदान करने हेतु (i) राष्ट्रीय स्				
विज्ञान केन्द्र के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य (₹19				
करोड़) और (ii) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधि	•	00.11		00.44
(₹120 करोड़)॥	Authority of India (UIDAI) (₹120 crore).	90.11	-	90.11
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्र				
16 उपभोक्ता मामले विभाग	FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 16 Department of Consumer Affairs			
करने हेतु।	'Price Stabilisation Fund'.	3,500.00	- (3,500.00
मूल्य स्थिरीकरण निधि के अंतर्गत मूल्य प्रच प्रकोष्ठ के कार्यचालन हेतु अतिरिक्त निधि प्र करने हेतु।	সন For providing additional fund for operation of Price Operation Cell under the scheme	3,500.00	- ;	3,500

					रोड़ रुपए Rupee	
अनुव	दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	-
रक्षा	। मंत्रालय	MI	NISTRY OF DEFENCE			
20			Ministry of Defence (Misc)			
	(क) वेतन के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु		(a) For meeting additional expenditure on			
	(₹59.18 करोड़), आपूर्ति और सामग्रियां		account of salaries (₹59.18 crore),			
	(₹15.05 करोड़) और अन्य स्थापना संबंधी		Supplies and Materials (₹15.05 crore)			
	व्यय (₹39.12 करोड़)।		and other establishment related			
	Qq ((39.12 4/(14))		expenditure (₹39.12 crore).	_	113.35	113.35
	(ख) न्यायालयी आदेशों के कारण वेतन के अंतर्गत		(b) For meeting additional expenditure under	_	113.33	113.33
	अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।		salaries arising out of court orders.		0.75	0.75
	(ग) निम्न प्रदान करने हेतु (i) सामान्य सहायता		(c) For providing (i) Grants-in-aid General	_	0.73	0.73
	अनुदान (₹206.57 करोड़) और पूंजी आस्तियों					
			(₹206.57 crore) and Grants for Creation			
	के सृजन हेतु अनुदान (₹45 करोड़), रक्षा सम्पदा संगठन के अंतर्गत छावनी बोर्ड को		of Capital Assets (₹45 crore) to			
			Cantonment Boards under Defence			
	(ii) रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान		Estates Organisations (ii) Grants-in-aid			
	को सामान्य सहायता अनुदान (₹०.८७ करोड़)		General to Institute for Defence Studies			
	और (iii) रक्षा मंत्रालय एवं सीमा सड़क		and Analysis (₹0.87 crore) and (iii)			
	संगठन का अन्य स्थापना संबंधी व्यय		Other establishment related expenditure			
	(₹154.15 करोड़)।		of Ministry of Defence and Border			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Roads Organisation (₹154.15 crore).	=	371.90	371.90
	(घ) पेंशन संबंधी प्रभारों का अतिरिक्त व्यय पूरा		(d) For meeting additional expenditure of			
	करने के लिए (₹60.81 करोड़), ब्याज घटक		Pensionary charges (₹60.81 crore),			
	(₹10 करोड़) और व्यय की अन्य मदें (₹2.49		Interest Component (₹10 crore) and			
	करोड़)।		other items of expenditure (₹2.49 crore).	-	68.95	68.95
	(ङ) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना संबंधी		(e) For meeting additional expenditure in			
	अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹579.60		respect of Ex-serviceman Contributory			
	करोड़), नेशनल कैडेट कोर (₹12.57 करोड़)		Health Scheme (₹579.60 crore),			
	और निरीक्षण (₹9.87 करोड़)।		National Cadet Corps (₹12.57 crore)			
	(च) लघु निर्माण कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त		and Inspection (₹9.87 crore).	-	304.25	304.25
	व्यय पूरा करने के लिए (₹7.91 करोड़)		(f) For meeting additional expenditur			
	और सीमा सड़क संगठन की पूंजी आस्तियों		under minor works (₹7.91 crore) and			
	के सृजन हेतु अनुदान (₹2 करोड़)।		Grants for Creation of Capital Assets			
			(₹2 crore) of Border Roads Organisation.	-	9.91	9.91
21	रक्षा पेंशन	21	Defence Pensions			
	(क) न्यायालयी आदेशों के तहत भुगतान के लिए।		(a) For payment under court orders.	-	0.36	0.36
	(ख) 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को		(b) For payment of arrears of pensions on			
	लागू करने पर पेंशन के बकाया का भुगतान		implementations of the recommendations			
	करने के लिए और वन रैंक वन पेंशन को		of the 7th Central Pay Commission,			
	लागू करने के कारण महंगाई राहत और		impact on Dearness Relief and arrears			
	बकाया का प्रभाव।		arising out of implementation of 'One			
			Rank One Pension'.	-	3,292.94	3,292.94
पूर्वी	त्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MI	NISTRY OF DEVELOPMENT AND			
•			NORTH EASTERN REGION			
24	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	24	Ministry of Development of North Eastern Region			
	(क) वेतन के कारण प्रतिबद्ध व्यय पूरा करने के		(a) For providing additional funds to meet			
	लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु।		committed expenditure on account of			
	3		salaries.	_	0.41	0.41
	(ख) निम्नलिखित प्रदान करने के लिए (i) पूर्वोत्तर		(b) For providing (i) Grants-in-aid General			
	आजीविका परियोजना स्कीम के तहत सामान्य		(₹24 crore) under the schemes North			
	सहायता अनुदान (₹24 करोड़), (ii) सामान्य		Eastern Livelihood Projects (ii) Grants-			
	सहायता अनुदान (₹38.50 करोड़) और		in-aid General (₹38.50 crore) and			
	पूर्वोत्तर परिषद स्कीम के तहत पूंजी आस्तियों		Grants for Creation of Capital Assets			
	के सृजन हेतु अनुदान (₹29.20 करोड़)।		(₹29.20 crore) under the schemes of			
	4. 2-1 0g organ (120.20 4/19)1		North East Council.	24.00		24.00
			MOTHI Last Council.	24.00	-	24.00

					ोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का	विवरण (Grant 1	No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) पूर्वोत्तर परिषद विशेष विक स्कीम के अंतर्गत पूंजी आर्ग हेतु अनुदान देने के लिए।		(c)	For providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme of North East Council - Special Development Projects,	63.49	-	63.49
वित्त मंत्रालय	V	AINIS'	TRY OF FINANCE			
36 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा वेतन के लिए अतिरिक्त व्यय पूर	विभाग 30	6 Ind	lian Audit and Accounts Department meeting additional expenditure towards	-	12.00	12.00
38 प्रत्यक्ष कर 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के कारा अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन	ग सीबीडीटी के	For of C	pay and allowances to the officers/staff CBDT on account of 7th CPC and other			
अन्य प्रतिबद्ध देनदारी के लिए। 39 अप्रत्यक्ष कर (क) सीमा शुल्क गठन के अधिकां	3 ! ဘြောင်း (कर्मनाज्ञि)	9 Ind	nmitted liability. lirect Taxes For payment of pay & allowances to the	-	215.00	215.00
को वेतन/भत्ते का भुगतान व (ख) उत्पाद शुल्क गठन के अधिका	करने के लिए। रियों/कर्मचारियों		officers/staff of Customs Formations. For payment of pay & allowances to the	-	50.00	50.00
को वेतन/भत्ते का भुगतान	करने के लिए।		officers/staff of Excise Formations.	-	230.00	230.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	N		TRY OF FOOD PROCESSING DUSTRIES			
41 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (क) वेतन के लिए अतिरिक्त व (₹0.16 करोड़) और कार्याल करोड़)।	यय पूरा करना		nistry of Food Processing Industries For meeting additional expenditure towards salaries (₹0.16 crore) and Office Expenses (₹0.18 crore).	_	0.34	0.34
(ख) अतिरिक्त राशि प्रदान कर सहायता अनुदान और व्याव (i) (₹70 करोड़) और (₹0.8 फूड पार्क स्कीम के अंतर्गत शीतलक श्रृंखला और मूल्यव के अंतर्गत (₹41.80 करोड़) उ 2. निम्नलिखित के लिए व्यय सेवाएं (₹0.10 करोड़), विइ (₹1 करोड़), अन्य प्रभार (अन्य प्रशासनिक खर्च (₹0.36 संसाधन और संस्थाएं स्की (ii) गुणवत्ता आश्वासन स्व अन्य प्रशासनिक खर्च (₹0.5	ासायिक सेवाएं 34 करोड़), मेगा 7, (ii) एकीकृत 1ईन अवसंरचना और (₹1 करोड़)। (i) व्यावसायिक 11पन और प्रचार ₹0.20 करोड़), 9 करोड़), मानव 1म के अंतर्गत	(b)	For providing additional 1. Grants-in-aid General and Professional Services (i) (₹70 crore) and (₹0.84 crore) under the scheme Mega Food Parks (ii) (₹41.80 crore) and (₹1 crore) under the scheme Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure 2. expenditure towards (i) Professional Services (₹0.10 crore), Advertisement and Publicity (₹1 crore), Other Charges (₹0.20 crore), Other Administrative Expenses (₹0.39 crore) under the scheme Human Resource and Institutions (ii) Other Administrative Expenses (₹0.13 crore) under the scheme for Quality Assurance.	83.21	-	83.21
(ग) अतिरिक्त राशि प्रदान कर मानव संसाधन और संस्थाएं र राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्या को सामान्य सहायता अनुदान (ii) (₹2.76 करोड़) और एवं संस्थाएं स्कीम के अंतर्गत प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थ सहायता अनुदान (₹0.30 व	कीम के अंतर्गत मेता और प्रबंधन (₹1.01 करोड़) मानव संसाधन भारतीय फसल ान को सामान्य	(c)	For providing additional (i) Grants-in- aid General (₹1.01 crore) to National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management under the scheme Human Resource and Institutions (ii) Grants-in-aid Salaries (₹2.76 crore) and Grants-in-aid General (₹0.30 crore) to Indian Institute of Crop Processing Technology under the scheme			
(घ) मेगा फूड पार्क स्कीम के अं सामान्य सहायता अनुदान (₹7.01 करोड़), आधुनिक बूच करोड़) एवं मानव संसाधन संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के	प्रदान करना ाङ्खाना (₹2.21 और संस्था को	(d)	Human Resource and Institutions. For providing additional Grants-in-aid General under the scheme Mega Food Parks (₹7.01 crore), Modern Abattoirs (₹2.21 crore) and Human Resource and Institutions for Promotional Activities	-	0.56	0.56
			s.amanas an emmanalizi Activides			

			ोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
(क) दिनांक 30.11.2016 के मंत्रिमंडल के निर्णय अनुसार इन्स्ट्रूमेंटेशन लि. कोटा को बंद करने के प्रस्ताव के कारण वेतन/सांविधिक देनदारी, बैंक उधार आदि के भुगतान के लिए ऋण प्रदान करने के लिए। (ख) दिनांक 30.11.2016 के मंत्रिमंडल के निर्णय अनुसार इन्स्ट्रूमेंटेशन लि. कोटा को बंद करने के प्रस्ताव के कारण वीआरएस/वीएसएस क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए ऋण प्रदान करना।	 44 Department of Heavy Industry (a) For providing loan for payment of salary/statuary dues, Bank Borrowings, etc. on account of proposed closure of Instrumentation Ltd., Kota (ILK) as per Cabinet decision dated 30.11.2016. (b) For providing loan for payment of VRS/VSS compensation on account of proposed closure of Instrumentation Ltd., Kota (ILK) as per Cabinet decision dated 30.11.2016. 	-	289.93 110.09	289.93 110.09
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
 46 गृह मंत्रालय आरजीआई के अंतर्गत राष्ट्रीय राष्ट्रीय जनसंख्या रिजस्टर, असम के उन्नयन के लिए व्यय पूरा करने हेतु। 52 उच्चतर शिक्षा विभाग कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के वेतनमान में बढ़ोत्तरी स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान 	 46 Ministry of Home Affairs For meeting expenditure for updation of National Population Register (NPR), Assam under RGI. 52 Department of Higher Education For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries under the scheme 	200.00	-	200.00
वेतन के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	Improvement in Salary Scale of College and University Teachers.	11.17	-	11.17
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
53 सूचना और प्रसारण मंत्रालय	53 Ministry of Information and Broadcasting			
(क) संचार विकास के जरिए जन सशक्तिकरण हेतु। (ख) प्रसार भारती को सहायता अनुदान वेतन (₹30.82 करोड़) और सामान्य सहायता	 (a) For People Empowerment through Development Communication. (b) For meeting additional requirement towards Grants-in-aid Salaries (₹30.82 	33.99	-	33.99
अनुदान (₹19.18 करोड़)। (ग) निम्नलिखित के लिए (i) विकास संचार के जरिए जन सशक्तिकरण डीएवीपी आयोजना स्कीम (₹6.72 करोड़) और (ii) आईआईएमसी आयोजना स्कीम, पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत नए आईआईएमसी क्षेत्रीय केन्द्र खोलना (₹1 करोड़)।	crore) and Grants-in-aid General (₹19.18 crore) to Prasar Bharti. (c) For (i) DAVPs Plan Scheme'People Empowerment through Development Communication (₹6.72 crore) and (ii) IIMC's Plan Scheme Opening up of New Regional Centre of IIMC under North Eastern Region (₹1 crore).	6.00	17.36	17.36
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND	0.00		0.00
58 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MEDIUM ENTERPRISES 58 Ministry of Micro, Small and Medium			
(क) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता हेतु सामान्य सहायता अनुदान के लिए (₹0.50 करोड़) और (ii) ऋण सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत अंशदान के लिए (₹193.58 करोड़), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास निधि हेतु आयोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र।	Enterprises (a) For meeting additional requirement (i) towards Grants-in-aid General (₹0.50 crore) for Market Promotion and Development Assistance (MPDA) for NER and (ii) under Credit Support Programme towards contribution (₹193.58 crore) Plan-NER for Credit Guarantee Trust Fund for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)	193.58		193.58
(ख) निम्नलिखित की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए 1. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास निधि हेतु कॉर्पस	Small Enterprises (CGTMSE). (b) For meeting additional requirement towards 1. Contribution (₹1,504.32 crore) under Credit Support Programme	175.58	-	173.38

			रोड़ रुपए Rupee	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	ा जोड़ Total
निधि में निधि बढ़ाने के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम के तहत अंशदान (₹1504.32 करोड़), 2. निम्नलिखित को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) ग्राम उद्योगों का विद्युत और निर्माण कार्य (₹7 करोड़) और (ii) खादी, ग्राम उद्योग एवं कॉयर को पूर्वोत्तर क्षेत्र के तहत व्यय पूरा करने के लिए (₹0.01 करोड़), 3. सामान्य सहायता अनुदान (i) बाजार संवर्धन और विकास सहायता (₹17.50 करोड़) एवं (ii) राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (₹0.19 करोड़)।	for augmentation of funds to the corpus for Credit Guarantee Trust Fund for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) 2. Grants for Creation of Capital Assets for (i) electrical and construction work of village industries (₹7 crore) and (ii) Khadi, Village Industries and Coir (S&T) to meet expenditure under NER region (₹0.01 crore) 3. Grants-in-aid General for (i) Market Promotion and Development Assistance (MPDA) (₹17.50 crore) and (ii) Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojna (RGUMY) (₹0.19 crore).	1,504.32	-	1,504.32
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
75 ग्रामीण विकास विभाग (क) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान	75 Department of Rural Development(a) For providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme			
प्रदान करने लिए। (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान	Pradhan Mantri Awas Yojna-Gramin. (b) For providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme	116.73	-	116.73
प्रदान करने लिए।	Pradhan Mantri Awas Yojna-Gramin.	782.25	-	782.25
सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
82. सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग	82 Department of Social Justice and Empowerment			
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का विकास (₹3.44 करोड़) (ii) अनुसूचित जाति हेतु मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति (₹9.99 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme (i) Development of Economically Backward Classes (₹3.44 crore) (ii) Post Matric Scholorship for SCs (₹9.99 crore).	3.44	_	3.44
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
89. जनजातीय कार्य मंत्रालय	89 Ministry of Tribal Affairs			
(क) सचिवालय के अंतर्गत वेतन हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना। (ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग स्कीम	(a) For meeting additional expenditure towards salary under Secretariat.(b) For meeting additional expenditure	1.00	-	1.00
के अंतर्गत वेतन हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	towards salary under the scheme National Commission for Scheduled Tribes.	-	0.50	0.50
संघ शासित क्षेत्र (विधानसभा रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT			
90. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (क) सैटेलाइट ट्रांसपोंडरों को किराए पर लेने के	LEGISLATURE)90 Andaman and Nicobar Islands(a) For meeting additional expenditure for			
लिए अपेक्षित अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (ख) एएनआईएमईआरएस के संबंध में सामान्य अनुदान सहायता (₹1.50 करोड़) और वेतन अनुदान सहायता (₹4.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करना और एएनआईएसएचआई के अंतर्गत आवश्यकताओं को पूरा करना (₹6 करोड़)।	hiring of satellite transponders. (b) For meeting (i) expenditure towards Grants-in-aid General (₹1.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹4.50 crore) in respect of Medical Education and Research Society (ANIMERS) and (ii) requirement under Health Insurance	54.00	-	54.00
(ग) अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण के लिए तैनात किए गए कर्मचारियों के वेतन हेतु व्यय पूरा	(ANISHI) Scheme (₹6 crore).(c) For meeting the expenditure towards Salaries for personnel deployed for Fire	12.00	-	12.00
करना।	Protection and Control.	2.15	-	2.15

		(क	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(घ) पोर्ट ब्लेयर में सर्किट कोर्ट के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को मजदूरी के भुगतान के व्यय को पूरा करना।	(d) For meeting the expenditure towar payment of wages for Circuit Court Port Blair.		_	0.51
(ड.) जिला पुलिस के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में वेतन हेतु व्यय पूरा करना।	(e) For meeting the expenditure towar Salaries in respect of emoployee	ds ·s		
(च) जिला पुलिस के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में वेतन हेतु व्यय पूरा करना।	working under District police. (f) For meeting the expenditure towar Salaries in respect of emoploye		-	1.44
(छ) प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र हेतु वेतन (₹17.13 करोड़) और मध्याह्न भोजन (₹4.50 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करना।	working under District police. (g) For meeting expenditure towards Salaries for Primary Education Sect (₹17.13 crore) and (ii) Mid Day Mea	or als	8.00	8.00
(ज) माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत वेतन हेतु व्यय पूरा करना।	(₹4.50 crore).(h) For meeting the expenditure towar Salaries under Secondary Education		-	21.63
(झ) निजी स्कूलों को सहायता के लिए अनुदान सहायता-वेतन (₹0.50 करोड़) के व्यय को पूरा करना और माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत वेतन (₹6.45 करोड़) हेतु व्यय पूरा	Sector. (i) For meeting expendiure towards of Grants-in-aid Salaries for assistance Private School (₹0.50 crore) and (Salaries under Secondary Education	11.34 (i) to ii)	-	11.34
करना। (ञ) एएनकेवीआईबी के लिए वेतन अनुदान सहायता हेतु व्यय पूरा करना।	Sector (₹6.45 crore). (j) For meeting the expenditure towar Grants-in-aid Salaries to Khadi (**)	&	6.00	6.00
(ट) विद्युत विभाग हेतु वेतन के अंतर्गत (₹8.10 करोड़) और बिजली घरों को चलाने के लिए उच्च गति डीज़ल (एचएसडी) की खरीद हेतु	Village Industries Board (ANKVIB) (k) For meeting additional requirement towards Salaries (₹8.10 crore) and (for procurement of HSD for running towards).	(i) ii) ng	-	0.18
(₹6.04 करोड़) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना। (ठ) डीजी एस एंड डी के लंबित बिलों के भुगतान के लिए अपेक्षित अतिरिक्त राशि। (ड) पीबीएमसी हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के व्यय को पूरा करना।	powerhouses (₹6.04 crore). (l) For meeting additional amount towar payment of pending DGS&D bills. (m) For meeting the expenditure towar Grants for Creation of Capital Asse	- ds	280.61	14.14 280.61
(ढ) ग्राम पंचायत को अनुदान सहायता के अंतर्गत	to Port Blair Municipal Council. (n) For making payment towards Gran	1.81	-	1.81
भुगतान करना। (ण) जिला परिषद हेतु अनुदान सहायता-वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।	in-aid to Gram Panchayat. (o) For meeting additional requireme towards Grants-in-aid Salaries to Zil		-	0.80
(त) अंतर-द्वीप समूह जहाजों के प्रचालन हेतु	Parishad. (p) For meeting additional expenditure f	0.80	-	0.80
अतिरिक्त व्यय आवश्यकता को पूरा करना। (थ) अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) यूटीसीपीसीआर के संबंध में वेतन अनुदान सहायता (₹0.05 करोड़) और सामान्य अनुदान सहायता (₹0.07 करोड़) तथा (ii) आईसीडीएस स्कीम	operation of inter-island vessels. (q) For meeting expenditure towards Grants-in-aid Salaries (₹0.05 crore) a Grants-in-aid General (₹0.07 crore) respect of UTCPCR and (ii) UT supplement	nd in	-	4.00
हेतु यूटी पूरक अनुदान (₹4.16 करोड़)। 91 चंडीगढ़ (क) सरकारी मेडीकल कॉलेज-32, सरकारी मुल्टी	to ICDS scheme (₹4.16 crore). 91 Chandigarh (a) For payment of outsourced staff	4.28 of	-	4.28
स्पेशलिटी अस्पताल-16 के आऊटसोर्स किए गए कर्मचारियों को भुगतान और सरकारी मेडिकल कॉलेज-32 के लिए एक्स-रे फिल्मों, दवाइयों, कार्यालय सामग्री की खरीद।	Government Medical College Government Multi Specialty Hospita 16 & Malaria and purchase of x-r films, medicines, office material Government Medical College-32.	al- ay	14.65	14.65
(ख) संघ शासित क्षेत्र के गेस्ट हाउस में तैनात दैनिक कामगारों की मजदूरी का भुगतान और कार्यालय सामग्री की खरीद तथा पानी	(b) For payment of wages to the daily wa workers deployed in UT Guest Hou and purchase of office material an	se	,,,,	
एवं बिजली के बिलों का भुगतान।	payment of water and electricity bill		0.50	0.50

				रोड़ रुपए Rupees	in Crore,
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grai	nt No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) उच्च न्यायालय के बिजली एवं पानी प्रभारे	,	c) For payment of electricity and water			
का भुगतान और जिला न्यायालय के स्वर्ण		charges of High Court and for celebration			
जयंती समारोह के आयोजन हेतु।		of Golder Jubilee of District Court.	-	1.00	1.00
(घ) जेल विभाग में तैनात दैनिक कामगारों की	(d) For payment of wages to the daily wage			
मजदूरी का भुगतान।		workers deployed in Jail Department.	-	0.50	0.50
(ड.) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-28 चंडीगढ़ मे	,	e) For purchase of material for affiliation			
सामग्री की खरीद और नए ट्रेड शामिल करना		of new Trades in Industrial Training			
		Institute-28, Chandigarh.	-	1.00	1.00
(च) बिजली विभाग में तैनात आऊटसोर्स किए	. (f) For payment of outsourced staff deployed			
गए कर्मचारियों को भुगतान।		in Electricity Department.	-	0.60	0.60
(छ) वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन स्कीम की दरे	(g) For increase in the rates of Old age and			
में बढ़ोतरी।		disabled pension scheme.	-	6.00	6.00
(ज) निर्माण सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी और	(h) For increase in the prices of construction			
कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी हेतु।		material and scope of work.	-	2.50	2.50
(झ) विधवा पेंशन स्कीम की दरों में बढ़ोतरी।	(i) For increase in the rates of Widow			
		pension scheme.	-	4.15	4.15
92 दादरा और नगर हवेली	92 I	Dadra and Nagar Haveli			
(क) स्वच्छ आंगन योजना के अंतर्गत शौचालय	. (a) For providing Grants-in-aid General			
ब्लॉकों के निर्माण हेतु सामान्य अनुदान		towards construction of toilet blocks			
सहायता जारी करना।		under swachh Aangan Yojana.	3.45	-	3.45
(ख) निम्नलिखित हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन	. (b) For providing Grants for Creation of			
हेतु अनुदान जारी करना 1. एकीकृत जल		Capital Assets towards 1. Integrated			
प्रबंधन योजना हेतु (i) रखोली, किलवानी,		Water Management Plan for (i) Rakholi,			
रांधा, नरोली, दादरा और समरवानी पेटलाड	ī	Kilvani, Randha, Naroli, Dadra and			
(₹24 करोड़) और (ii) चरण-। में दादर		Samarvani Patelad (₹24 crore) and (ii)			
और नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र में जल		UT of Dadra & Nagar Haveli water			
आपूर्ति व्यवस्था हेतु (₹1 करोड़) 2. कौंचा,		supply arrangement in Zone-I (₹1 crore)			
जामलपाड़ा, गुन्सा और बिलधारी पेटलाड	·	2. water supply scheme for Kauncha,			
हेतु जल आपूर्ति स्कीम (₹2 करोड़) 3.		Jamalpada, Gunsa and Bildhari Patelad			
दादरा, नरोली और दुधानी पेटलाड हेतु घर-		(₹2 crore) 3. House to House water			
घर जल आपूर्ति कनेक्शन (₹3 करोड़)।		supply connection at Dadra, Naroli and			
		Dudhani Patelad (₹3 crore).	30.00	-	30.00
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MIN	ISTRY OF WOMEN AND CHILD			
	Ι	DEVELOPMENT			
97 महिला और बाल विकास मंत्रालय		Ministry of Women and Child			
मातृत्व लाभ कार्यक्रम (₹234 करोड़) (ii) एकीकृत		Development For mosting additional expanditure towards			
मातृत्व लाम कायक्रम (₹234 कराड़) (11) एकाकृत बाल विकास सेवाएं (₹1,000 करोड़) स्कीम के		For meeting additional expenditure towards			
		Grants-in-aid General under the scheme (i)			
अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त		Maternity Benefit Programme (₹234 crore)			
व्यय पूरा करना।		ii) Integrated Child Development Services	017.10		017.10
	(ICDS) (₹1,000 crore).	217.18	-	217.18

Total Cash Outgo

कुल नकद व्यय

करोड़ रुपए हेतु तकनीकी पूरक अनुदान/विनियोग हेतु प्रस्ताव शामिल हैं, जिन्हें मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त

अनुदान की पूरक मांगों के इस बैच में ₹11,20,267.44 3. This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹11,20,267.44 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments.

8,782.03

6,004.82 14,786.85

		 आयोजना	रोड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
प्राप्तियों/वसूलियों अथवा तदनुरूपी बचतों से संतुलित किया जाना है। ये मदें निम्नानुसार हैंः	The items are as follows:			
तकनीकी पूरक अनुदान की मांगें	Technical Supplementary Demands for Grants			
कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND			
1. कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग	FARMERS WELFARE Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare			
कृषि कल्याण उपकर का कृषि कल्याण कोष में अंतरण।	For transfer of Krishi Kalyan Cess to Krishi Kalyan Kosh.	-	5,203.72	5,203.72
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4. परमाणु ऊर्जा (क) डीएई सचिवालय के सातवें वेतन आयोग के बकायों का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	4 Atomic Energy (a) For meeting additional expenditure towards payment of 7th Pay Commission		0.04	0.24
(ख) ब्याज दरों में संशोधन होने के कारण खारा जल (हैवी वाटर) पूल प्रबंधन हेतु अतिरिक्त	arrears of DAE Secretariat. (b) For meeting additional expenditure towards Heavy Water Pool Management	-	0.26	0.26
व्यय पूरा करना। (ग) अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) रेडिएशन और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (₹3.95 करोड़), खारा जल संयंत्र (₹0.56 करोड़), न्यूक्लियर रिसाईकिल बोर्ड हेतु प्रचालन संयंत्र (₹22.82 करोड़) प्रबंधन सेवा समूह (₹0.21 करोड़) के सातवें वेतन आयोग के बकायों का भुगतान और (ii) रेडिएशन और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के कार्यालय एवं प्रबंधन संबंधी व्यय (₹1.15 करोड़), न्यूक्लियर ईंधन परिसर (₹124.22 करोड़) प्रबंधन सेवा समूह (₹0.09 करोड़) तथा रेडिएशन और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (₹0.21 करोड़)। (घ) अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के कार्यालय एवं प्रबंधन	due to revision of interest rates. (c) For meeting additional expenditure towards (i) payment of 7th Pay commission arrears of Board of Radiation and Isotope Technology (₹3.95 crore), Heavy Water Plants (₹0.56 crore), Operating plants for Nuclear Recycle Board (₹22.82 crore), Management Services Group (₹0.21 crore); and (ii) O&M expenditure of Board of Radiation and Isotope Technology (₹1.15 crore), Nuclear Fuel Complex (₹124.22 crore), Management Services Group (₹0.09 crore) and Board of Radiation and Isotope Technology (₹0.21 crore). (d) For meeting additional expenditure towards (i) O&M expenditure of	-	83.60 57.29	83.60 57.29
संबंधी व्यय (₹24 करोड़), भाभा आण्विक अनुसंधान केंद्र (₹17.42 करोड़) राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (₹0.01 करोड़), वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रोन सेंटर (₹3.58 करोड़) आण्विक खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (₹1.95 करोड़) सेवा इकाई (₹7.19 करोड़) (ii) भाभा आण्विक अनुसंधान केंद्र (₹40.09 करोड़) इंदिरा गांधी आण्विक अनुसंधान केंद्र (₹27.29 करोड़) राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (₹13.89 करोड़), वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रोन सेंटर (₹0.90 करोड़) आण्विक खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (₹14.13 करोड़) सेवा इकाई (₹11.86 करोड़) और एईआरबी (₹5.15 करोड़) के सातवें वेतन आयोग के बकायों का भुगतान और (iii) स्वायत्त निकायों एवं अनुसंधान सहायता को वेतन अनुदान सहायता (₹134.79 करोड़) तथा शिक्षा सोसायटी (एईईएस) (₹7 करोड़)।	International Atomic Energy Agency (₹24 crore), Bhabha Atomic Research Centre (₹17.42 crore), Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (₹0.01 crore), Variable Energy Cyclotron Centre (₹3.58 crore), Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (₹1.95 crore), Service Unit (₹7.19 crore); (ii) payment of 7th Pay Commission arrears of Bhabha Atomic Research Centre (₹40.09 crore), Indira Gandhi Centre for Atomic Research (₹27.29 crore), Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (₹13.89 crore), Variable Energy Cyclotron Centre (₹0.90 crore), Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (₹14.13 crore), Service unit (₹11.86 crore), and AERB (₹5.15 crore); and (iii) Grant-in-aid Salary of Autonomous bodies and Research Support (₹134.79 crore) and Education Society (AEES) (₹7 crore).		157.72	157.72

		्रायोजना आयोजना	ोड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयाजना Plan	Non Plan	जाड़ Total
(ड.) अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) खारा जल उत्पादन सुविधा के सातवें वेतन आयोग के बकायों का भुगतान (₹16.41 करोड़) और (ii) फीडस्टॉक (₹1124 करोड़)।	(e) For meeting additional expenditure towards (i) payment of 7th Pay Commission arrears of Heavy Water Production Facility (₹16.41 crore); and (ii) Feedstock (₹1,124 crore).	-	1,124.00	1,124.00
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपेथी (आयुष) मंत्रालय	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI,SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
 आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय 	5 Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)			
कार्यालय भवन की खरीद हेतु व्यय पूरा करना।	For meeting expenditure on acquisition of Office Building.	5.00	-	5.00
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
6. रसायन और पेट्रोरसायन मंत्रालय इन्स्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टैक्नॉलोजी हेतु सहायता अनुदान वेतन के लिए व्यय पूरा	6 Ministry of Chemical and Petrochemicals For meeting expenditure towards Grants-in- aid Salaries to Institute of Pesticides		0.20	0.20
करना। नागर विमानन मंत्रालय	Formulation Technology (IPFT).	_	0.39	0.39
9. नागर विमानन मंत्रालय पवन हंस लिमिटेड में निवेश (₹27.94 करोड़) और एयर इंडिया में निवेश (₹21.47 करोड़) (ii) नागर विमानन महानिदेशालय हेतु प्रमुख निर्माण कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता (₹17.91 करोड़) और (iii) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो हेतु प्रमुख निर्माण कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता (₹16.54 करोड़)।	MINISTRY OF CIVIL AVIATION 9 Ministry of Civil Aviation For providing (i) investment in Pawan Hans Limited (₹27.94 crore) and in Air India (₹21.47 crore) (ii) additional requirement under Major Works for Director General of Civil Aviation (₹17.91 crore) and (iii) additional requirement under Major Works for Bureau of Civil Aviation Safety (₹16.54 crore).	69.07	-	69.07
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 11. वाणिज्य विभाग (क) आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय कार्यालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 11 Department of Commerce (a) For meeting the additional requirement			
के नए कार्यालय भवन के निर्माण और वाणिज्य विभाग के अन्य कार्यालयों के निर्माण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना।	towards construction of a new office building for Office of the Directorate General of supplies and Disposals (DGS&D) and othe offices of Department of Commerce.	1.00	_	1.00
(ख) निर्यात अवसंरचना और संबद्ध क्रियाकलापों के विकास की लंबित देयताओं हेतु राज्यों को सहायता के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना।	(b) For meeting the additional requirement under Assistance to States for Development of Export Infrastructure and Allied Activities (ASIDE) towards pending liabilities.	5.00		5.00
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND	3.00	-	3.00
सवार आर सूचना प्राधानिका मत्रालय 13. डाक विभाग डाक विभाग की लेखा मजदूरी (₹ 38.53 करोड़), पेंशन (₹77.80 करोड़) और प्रचालनिक व्यय (₹34.07 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना। 14 दूरसंचार विभाग सार्वजनिक सेवा देयता निधि हेतु अतिरिक्त	INFORMATION TECHNOLOGY 13 Department of Posts For meeting additional expenditure on account wages (₹38.53 crore), Pensions (₹77.80 crore) and operational expenditure of the Department of Posts (₹34.07 crore). 14 Department of Telecommunications For meeting (i) expenditure on additional	-	81.13	81.13

			ोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
का कार्यानव्यन (₹5040 करोड़) (ii) टेलीमेटिक्स विकास केंद्र को अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता (₹87 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करना। 15. इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रोद्योगिकी विभाग इन्हें प्रदान करने के लिए (i) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआइसी) (₹19.30 करों) और (ii) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) (₹120 करोड़)।	Fund (₹1470.79 crore), implementation of BharatNet (₹5040 crore) (ii) additional Grants-in-aid General to Centre for Development of Telematics (₹87 crore). 15 Department of Electronics and Information Technology For providing (i) Minor Works under National Informatics Center (NIC) (₹19.30 crore) and (ii) Unique Identification Authority of India (UIDAI) (₹120 crore).	1,493.95 7.50	-	1,493.95 7.50
मंत्रालय 16 उपभोक्ता मामले विभाग "मूल्य स्थिरीकरण निधि" स्कीम के अंतर्गत मूल्य	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 16 Department of Consumer Affairs For providing additional fund for operation			
संचालन प्रकोष्ठ के परिचालन के लिए अतिरिक्त निधियां मुहैया कराना। 17. खाद्य और सार्वजनिक तरण विभाग (क) चीनी के बफ़र स्टॉक के अनुरक्षण हेतु सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत मैसर्स पोन्नी	of Price Operation Cell under the scheme 'Price Stabilisation Fund'. 17 Department of Food and Public Distribution (a) For payment of arbitration award to M/s Ponni Sugars (Erode) Ltd., Tamil Nadu	2.60	-	2.60
सुगर्स (ईरोड) लिमिटेड, तमिलनाडु को मध्यस्थता पंचाट के भुगतान हेतु। (ख) खाद्य भंडारण गोदाम के निर्माण हेतु नागालैंड (₹4.25 करोड़), अरुणाचल प्रदेश (₹10 करोड़) को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदान मुहैया कराना।	under the scheme Subsidy for maintenance of Buffer Stock of sugar. (b) For providing additional Grants for Creation of Capital Assets to Nagaland (₹4.25 crore), Arunachal Pradesh (₹10 crore) for construction of food storage	-	2.32	2.32
3. 3.	godown.	14.25	-	14.25
कारपोरेट कार्य मंत्रालय 18 कारपोरेट कार्य मंत्रालय कारोबार करने की सुगमता के अंतर्गत सातवें वेतन आयोग और अन्य प्रतिबद्ध देयताओं के कारण कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों हेतु।	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS 18 Ministry of Corporate Affairs For pay and allowances to the officers/staff of Ministry of Corporate Affairs on account of the 7th CPC and other committed liability under Ease of Doing Business.	-	5.37	5.37
रक्षा मंत्रालय 20 रक्षा मंत्रालय (विविध) (क) पेंशन प्रभार (₹60.81 करोड़), ब्याज घटक (₹10 करोड़) और व्यय की अन्य मदों (₹2.49 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	MINISTRY OF DEFENCE 20 Ministry of Defence (Misc) (a) For meeting additional expenditure of Pensionary charges (₹60.81 crore), Interest Component (₹10 crore) and other items of expenditure (₹2.49 crore).	_	4.35	4.35
(ख) भूतपूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य स्कीम (₹579.60 करोड़), राष्ट्रीय कैडेट कोर (₹12.57 करोड़) और निरीक्षण (₹9.87 करोड़) के संबंध में अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(b) For meeting additional expenditure in respect of Ex-serviceman Contributory Health Scheme (₹579.60 crore), National Cadet Corps (₹12.57 crore) and Inspection (₹9.87 crore).	_	66.21	66.21
(ग) न्यायालय के आदेशों के कारण वेतन एवं भत्ते (₹0.02 करोड़), भंडार (₹0.20 करोड़) और अन्य व्यय (₹0.30 करोड़) के अंतर्गत	(c) For meeting the expenses under Pay and Allowances (₹0.20 crore), Stores (₹0.20 crore) and other expenditure (₹0.30			
व्यय को पूरा करना। (घ) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अतिरिक्त	crore) arising out of court orders. (d) For meeting the additional requirement under various heads of Defence Research	-	0.70	0.70
आवश्यकता को पूरा करना। (ड.) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा न्यायालय के आदेशों के अनुसार दावाकर्ताओं को संवर्धित मुआवजे के भुगतान हेतु।	 and Development Organisation. (e) For payment of enhanced compensation to the claimants as per court Orders by Defence Research and Development 	-	113.79	113.79
3	Organisation.	-	77.00	77.00

		<i>(क</i> आयोजना	रोड़ रुपए Rupee आयोजना-भिन	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items		Non Plan	-
22 रक्षा सेवाएं (राजस्व) (क) आमीं के वेतन एवं भत्ते (₹3570.89 करोड़) निर्माण कार्य (₹0.10 करोड़) और अन्य व्यय (₹58.20 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना। (ख) नेवी के वेतन एवं भत्ते (₹331.24 करोड़) निर्माण कार्य (₹5.88 करोड़) संयुक्त स्टाफ (₹60.97 करोड़) और अन्य व्यय (₹0.58 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना। (ग) नेवी के वेतन एवं भत्ते (₹175 करोड़) भंडार (₹895.02 करोड़) निर्माण कार्य (₹40.45	22 Defence Services (Revenue) (a) For meeting additional expenditue towards pay and allowances (₹3570. crore) for Army, Works (₹0.10 crore) and other expenditure (₹58.20 crore) (b) For meeting additional towards pay a allowances (₹331.24 crore) for Nav Works (₹5.88 crore), Joint Staff (₹60.9 crore) and other expenditure (₹0.58 crore) and other expenditure (₹0.58 crore) for meeting additional expenditue towards pay and allowances (₹1 crore) for Navy, Stores (₹895.02 crore)	89)) nd /y, 7 ore)	3,628.99 398.67	3,628.99 398.67
करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना। 23 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय न्यायालय के आदेशों के कारण वायु सेना के निर्माण कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	Works (₹448.88 crore) and oth expenditure (₹40.45 crore). 23 Capital Outlay on Defence Services For meeting additional expenditure und 'Construction Works' of Air Force arisin out of Court Orders.	er - ler	1,524.25 2.46	1,524.25 2.46
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT AN	D		
24 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर परिषद-विशेष विकास परियोजनाएं स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान मुहैया कराना।	NORTH EASTERN REGION 24 Ministry of Development of Nor Eastern Region For providing Grants for Creation of Capi Assets under the scheme of North Ea Council - Special Development Projects	th tal ast	-	5.00
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMEN FORESTS AND CLIMATE CHANGI			
27 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराने हेतु (i) पर्यावरण सुरक्षा और निगरानी (खतरनाक पदार्थ प्रबंधन) (₹16.64 करोड़) (ii) राष्ट्रीय तटीय ज़ोन प्रबंधन कार्यक्रम (₹117.70 करोड़) 2. पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) पर्यावरण सुरक्षा और निगरानी (खतरनाक पदार्थ प्रबंधन) (₹1.25 करोड़) (ii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (₹20 करोड़)।	27 Ministry of Environment, Forests and Climate Change For providing 1. Grants-in-aid General (i) Environment Protection and Monitori (Hazardous Substances Management (EA (₹16.64 crore) (ii) National Coastal Zo Management Programme (₹117.70 crore) Grants for Creation of Capital Assets Environment Protection and Monitori (Hazardous Substances Management (EA (₹1.25 crore) (ii) Central Pollution Conta Board (₹20 crore).	to ng P) ne 2. (i) ng P)	-	11.90
वित्त मंत्रालय 29. आर्थिक कार्य विभाग लोक लेखा में रखी हुई वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि की अदावाकृत राशि के अंतरण हेतु।	MINISTRY OF FINANCE 29 Department of Economic Affairs For transferring the unclaimed money			
30 वित्त सेवाएं विभाग (क) नाबार्ड की शेयर पूंजी हेतु अंशदान।	Senior Citizen Welfare Fund (SCWF) ke in the Public Account. 30 Department of Financial Services (a) For subscription to share capital	-	5,889.16	5,889.16
(ख) राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण हेतु अतिरिक्त	NABARD. (b) For additional amount of required to	or -	741.38	741.38
राशि की आवश्यकता है। 31 ब्याज भुगतान अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु (i) मुआवजा और अन्य बांड (₹173.17 करोड़) 14 दिवसीय राजकोषीय बिलों पर छूट (₹968 करोड़) ऋण प्रबंधन (₹158.05 करोड़) बाजार	transfer to National Investment Fund 31 Interest Payments For additional requirement towards compensation & other Bonds (₹173. crore), Discount on 14 days T.Bills (₹9 crore), Management of Debt (₹158.05 cror	1 (i) 17 68	2,845.00	2,845.00

						pees in Crore)		
अनुव	द्मन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	rant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भि Non Plai			
32.	स्थिरीकरण स्कीम (₹5138.65 करोड़) विदेशी ऋणों पर ब्याज (₹1095.52 करोड़) छोटी बचतों, जमाराशियों, बचत पत्रों पर ब्याज (₹8079.83 करोड़) राज्य भविष्य निधि (₹1558.96 करोड़) बीमा और पेंशन निधि (₹48.61 करोड़) अन्य देयताओं पर ब्याज (₹4.25 करोड़) और वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (₹115.26 करोड़)। राज्यों को अन्तरण राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन निधि के अन्तर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रवन्धन निधि के अन्तर्गत राष्ट्रीय आपदा से प्रभावित राज्यों को सहायता के रूप में अतिरिक्त निधियां मुहैया कराना।	32	Market Stabilisation Scheme (₹5138.65 crore), Interest on external Debts (₹1095.52 crore), Interest on Small Savings, deposits, certificates (₹8079.83 crore), State Provident Fund (₹1558.96 crore), Insurance & Pension Funds (₹48.61 crore), Interest on other obligation (₹4.25 crore) and Senior Citizens Welfare Fund (SCWF) (₹115.26 crore). Transfers to States For providing additional funds as assistance to States affected by Natural Calamities under National Disaster Response Fund	-	1,112.35	1,112.35		
33	ऋण की पुनःअदायगी (क) वापसी खरीद/स्विचिंग/बाजार निर्माण स्कीम (₹25472.49 करोड़) सामान्य बाज़ार ऋण के अंतर्गत 14 दिवसीय राजकोषीय बिलों का निपटान (₹563742 करोड़) 364 दिवसीय राजकोषीय बिलों का निपटान (₹0.47 करोड़) अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (₹383.76 करोड़) एशियाई विकास बैंक (₹3.65 करोड़) अफ्रीकी विकास निधि (₹4.03 करोड़) 9 प्रतिशत राहत बांड 1987 (₹0.41 करोड़) 10 प्रतिशत राहत बांड 1993 (₹0.04 करोड़) 9 प्रतिशत राहत बांड 1993 (₹0.27 करोड़) 10 प्रतिशत राहत बांड 1995 (₹0.37 करोड़) 9 प्रतिशत राहत बांड 1999 (₹2.84 करोड़) 8.5 प्रतिशत राहत बांड 2001 (₹11.78 करोड़) 8 प्रतिशत राहत बांड 2002 (₹2.73 करोड़) 7 प्रतिशत बचत स्कीम 2002 (₹1.15 करोड़) 6.5 प्रतिशत बचत खांड (गैर कर योग्य) 2003 (₹4.77 करोड़, 8 प्रतिशत बचत बांड (कर योग्य) 2003 (₹386.82 करोड़) एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों का मोचन (₹1736.66 करोड़) बाजार स्थिरीकरण स्कीम के अंतर्गत सीएमबी का पुनर्भुगतान (₹1011518.49 करोड़)। (ख) विदेशी ऋण के पुनर्भुगतान हेतु।	33	(NDRF). Repayment of Debt (a) For Buyback/switching/market making scheme (₹25472.49 crore), Discharge of 14 day Treasury Bills (₹563742 crore), 364 day Treasury Bills (₹0.47 crore) under normal market borrowing, international Development Agency (₹383.76 crore), Asian Development Bank (₹3.65 crore), Africal Development Fund (₹4.03 crore), 9% Relief Bonds, 1987 (₹0.41 crore), 10% Relief Bond, 1993 (0.04 crore), 9% Relief Bond, 1993 (₹0.27 crore), 10% Relief Bond, 1995 (₹0.37 crore), 9% Relief Bond, 1995 (₹0.37 crore), 8% Relief Bond, 2001(₹11.78 crore), 8% Relief Bond, 2001(₹11.78 crore), 8% Relief Bond, 2002 (₹2.73 crore), 7% Saving Scheme 2002 (₹1.15 crore), 6.5% Savings Bond 2003 (Non Taxable) (₹4.77 crore), 8% Savings Bond (Taxable), 2003 (₹386.82 crore), Redemption of Securities issued to NSSF (₹1736.66 crore), Repayment of CMBs under Market Stabilisation Scheme (MSS) (₹1011518.49 crore). (b) For repayment of External Debt.	_	3,000.00 10,84,130.27 1,307.42	3,000.00 10,84,130.27 1,307.42		
36	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग लेखा परीक्षा के अंतर्गत वेतन हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	36	Indian Audit and Accounts Department For meeting additional expenditure towards salary.	-	3.00	3.00		
	मंत्रालय राजस्व विभाग औषधि निवारक नियंत्रण पर व्यय को पूरा		NISTRY OF FINANCE Department of Revenue For meeting additional expenditure on Control		7 01	7.01		
38	करना। प्रत्यक्ष कर सातवें वेतन आयोग और अन्य प्रतिबद्ध देयताओं के कारण सीबीडीटी के अधिकारियों /कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों हेतु (₹280.17 करोड़)।	38	of Drug Abuse. Direct Taxes For pay and allowances to the officers/staff of CBDT on account of 7th CPC and other committed liability.	-	7.01 65.17	7.01 65.17		
	स्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
42	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (क) सीजीएचएस पेंशनरों की उपचार स्कीम	42	Department of Health and Family Welfare (a) For meeting additional expenditure					
	के अंतर्गत चिकित्सा उपचार हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।		towards Medical Treatment under the scheme Treatment of CGHS Pensioners.	-	50.00	50.00		

			ोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	ं जोड़ Total
	(b) For meeting additional expenditue			
अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (i) नशा	towards 1. Grants-in-aid Salaries under			
मुक्ति केंद्र, एम्स, नई दिल्ली (₹1.40	the scheme (i) Drug Deaddiction Centre			
करोड़) (ii) नशा मुक्ति केंद्र, निम्हैन्स,	at AIIMS, New Delhi (₹1.40 crore) (ii)			
बेंगलुरू (₹0.60 करोड़) 2. व्यावसायिक	Drug Deaddiction Centre at NIMHANS,			
सेवाओं के लिए मजदूरी के भुगतान हेतु	Bengaluru (₹0.60 crore) 2. Professional			
(₹18.84 करोड़) 3. स्कीम के अंतर्गत	Services for payment of Wages (₹18.84			
सामान्य अनुदान सहायता (i) राष्ट्रीय एड्स	crore) 3. Grants-in-aid General under the			
और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (₹2 करोड़)	scheme (i) National AIDS and STD			
(ii) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सोसायटी के	Control Programme (₹2 crore) (ii)			
संविदागत कर्मचारियों हेतु भविष्य निधि	Provident Fund to contractual staff of			
(₹45 करोड़) (iii) संचारी रोग जीसी हेतु	National AIDS Control Society (₹45			
फ्लैक्सीबल पूल (₹26.76 करोड़) (iv)	crore) (iii) Flexible Pool for			
भारतीय फार्माकोपिया आयोग (₹३ करोड़)	Communicable Diseases-GC (₹26.76			
(v) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक	crore) (iv) Indian Pharmacopoeia			
प्राधिकरण (₹11.75 करोड़) (vi) राष्ट्रीय	Commission (₹3 crore) (v) Food Safety			
नशा मुक्ति कार्यक्रम (₹3 करोड़) (vii)	and Standards Authority of India (₹11.75			
भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर (₹3 करोड़)	crore) (vi) National Drugs Deaddiction			
4. स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के	Programme (₹3 crore) (vii) Pasteur			
सृजन हेतु अनुदान (i) भारतीय फार्माकोपिया	Institute of India, Coonor (₹3 crore) 4.			
आयोग (₹13 करोड़) (ii) भारतीय खाद्य	Grants for Creation of Capital Assets			
सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (₹48 करोड़)	under the scheme (i) Indian			
(iii) भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर (₹10	Pharmacopoeia Commission (₹13 crore)			
करोड़)।	(ii) Food Safety and Standards Authority			
	of India (₹48 crore) (iii) Pasteur Institute	20.04		20.04
	of India, Coonor (₹10 crore).	20.84	-	20.84
(ग) राष्ट्रीय प्रतिरक्षण और पोलियो उन्मूलन	(c) For meeting additional expenditure			
कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवा अथवा संकल्प	towards Service or Commitment			
शुल्क हेतु अतिरिक्त व्यय प्रदान करना।	charges under National Programme for			
	Immunisation and Polio Eradication.	-	1,377.60	1,377.60
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND			
	PUBLIC ENTERPRISES			
44 भारी उद्योग विभाग	44 Department of Heavy Industry			
एचएमटी लिमिटेड में धारक कंपनी द्वारा ऋण	For reduction of GoI's Reedemable			
एवं अग्रिम की चुकौती करके इसकी अनुषंगी	Preference Share in HMT Ltd. by setting off			
कंपनियों को भारत सरकार के मोचन अधिमान				
	the loans and advances extended by the		622.14	(22.14
शेयरों में कटौती करने के लिए।	holding company to its subsidiaries.	-	623.14	623.14
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
46. गृह मंत्रालय	46 Ministry of Home Affairs			
आरपीआइ की विविध स्कीमों के वेतन शीर्ष (₹9	For meeting expenditure towards (i) Salary			
करोड़) और (ii) गिनने की क्रिया की व्यावसायिक	heads of various schemes of RGI (₹9 crore)			
सेवाओं (₹0.40 करोड़) के लिए व्यय करने के लिए।	and (ii) Professional Services of enumeration			
	(₹0.40 crore).	_	9.00	9.00
48 पुलिस	48 Police			
(क) निर्भया निधि में अन्तरण हेतु।	(a) For transfer to Nirbhaya Fund.	157.60	_	157.60
(ख) वेतनों (₹618.56 करोड़) और अनुसंधान	(b) For meeting additional expenditure on			
(₹2.32 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय करने	salaries (₹618.56 crore) and Research			
हेतु।	(₹2.32 crore).		620.88	620.88
हपु। (ग) इनके लिए अतिरिक्त आवश्यकता हेतु (i)		-	020.00	020.00
	(c) For additional requirement for (i)			
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (₹27 करोड़)	Border Area Development Programme			
(ii) तस्करी रोकने के लिए महिलाओं के	(₹27 crore) (ii) setting up Investigative			
विरुद्ध होने वाले अपराधों हेतु जांच इकाइया	Units for Crimes Against Women under			
स्थापित करने के लिए (₹2 करोड़) और	Anti traffking (₹2 crore) and (iii)			
	Nation-wide Emergency Response			
(iii) देश व्यापी आपदा विभाग प्रणाली (एनइआरएस) (₹157.60 करोड़)।	System (NERS) (₹157.60 crore).	186.60		186.60

			ोड़ रुपए Rupee	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन् Non Plan	न जोड़ Total
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
68 विद्युत मंत्रालय	68 Ministry of Power			
(क) सचिवालय के अंतर्गत वेतन एवं भत्तों हेतु	(a) For providing additional fund for			
अतिरिक्त निधि मुहैया कराने हेतु।	salaries and allowance under Secretariat.	_	2.59	2.59
(ख) (i) जम्मू एवं कश्मीर मूल्य संवर्धन प्रधानमंत्री	(b) For (i) Grants for Creation of Capital		2.37	2.57
पुनर्निर्माण पैकेज 2004 स्कीम के अंतर्गत	Assets under the scheme Jammu &			
ट्रांसमिशन एवं संवितरण नेटवर्क से संबंधित				
	Kashmir-price escalation Prime			
पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान	Minister's Reconstruction Package			
(₹130 करोड़) (ii) चेनाब वैली पावर	(PMRP) 2004 relating to transmission			
प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को अनुदान के	and distribution network (₹130 crore) (ii)			
रूप में जम्मू एवं कश्मीर प्रधान मंत्री	funds under the scheme Central			
विस्तार पैकेज 2015 के अंतर्गत पाकुल	Assistance for Pakul Dul HEP under			
डल एचईपी हेतु केंद्रीय सहायता स्कीम	Jammu & Kashmir-Prime Minister's			
के अंतर्गत निधियां (₹409.12 करोड़)	Development Package (PMDP) 2015 as			
(iii) भारत सरकार के पूर्णत्या शोधित	grant to Chenab Valley Power Projects			
बांड निर्गम व्यय और ब्याज हेतु निधियां	Private Limited (CVPPPL) (₹409.12			
(विद्युत वित्त निगम बांड) (₹7.20 करोड़)	crore) (iii) funds for Government of India			
(iv) केंद्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा	fully serviced bond issue expenditure and			
सॉफ्टवेयर की खरीद (₹6.86 करोड़) (v)	interest (Power Finance Corporation			
एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के अंतर्गत	Bond) (₹7.20 crore) (iv) procurement of			
पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान	software by Central Electricity Authority			
(₹132.21 करोड़) और सामान्य अनुदान	(CEA) (₹6.86 crore) (v) Grants for			
सहायता (₹1.58 करोड़) (vi) ऊर्जा दक्षता	Creation of Capital Assets (₹132.21			
ब्यूरो की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम	crore) and Grants-in-aid General (₹1.58			
सहायता परियोजना के कार्यान्वयन हेतु	crore) under the scheme Integrated			
निधियां (₹1 करोड़) ।	Power Development Scheme (IPDS) (vi)			
,	funds for implementation of United			
	Nation Development Programme			
	(UNDP) assisted project of Bureau of			
	Energy Efficiency (BEE) (₹1 crore).	577.83	_	577.83
(ग) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (₹6.86 करोड़)	(c) For providing funds to meet Salaries	311.03		311.03
और विद्युत अपीलीय अधिकरण (₹0.22	and other establishment related			
करोड़) में वेतन और अन्य स्थापना संबंधी	expenditure in Central Electricity			
•	•			
व्यय को पूरा करने के लिए निधियां	Authority (CEA) (₹6.86 crore) and			
मुहैया कराना।	Applellate Tribunal for Electricity		5 40	5 40
	(APTEL) (₹0.22 crore)	-	5.48	5.48
(घ) विद्युत वित्त निगम द्वारा बोनस शेयर जारी	(d) For additional equity investment by way			
करके अतिरिक्त इक्विटी निवेश।	of issue of Bonus shares by Power			
	Finance Corporation.	296.25	=	296.25
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION			
राष्ट्रपति का सचिवालय	PUBLIC SERVICE COMMISSION			
राष्ट्रभारा का साववासव	AND THE SECRETARIAT OF THE			
	VICE PRESIDENT			
70 लोक सभा				
	70 Lok Sabha			
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की घरेलू यात्रा संबंधी	For meeting additional expenditure towards			
व्यय हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	Domestic Travel Expenses of Speaker and		0.15	0.15
	Deputy Speaker.	-	0.15	0.15
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND			
	HIGHWAYS			
74 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	74 Ministry of Road Transport and Highways			
केंद्रीय सड़क निधि से की जाने वाले सड़कों	For transferring an amount of ₹2,041.40			
की मरम्मत और अनुरक्षण हेतु लघु निर्माण	_			
	crore to Central Board Fund and meeting			
कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने	additional expenditure under Minor Works			
के लिए ₹2,041.40 करोड़ की राशि केंद्रीय सड़क	towards repairs and maintenance of roads			
निधि को अन्तरित करने के लिए।	to be met from Central Road fund.		2,041.40	0.044 40

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND			
78 विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	TECHNOLOGY 78 Department of Scientific and Industrial			
-	Research			
राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अंतर्गत सीएसआईआर को सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना।	For providing Grants-in-aid General to CSIR under National Laboratories.	-	1.75	1.75
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
80 पोत परिवहन मंत्रालय	80 Ministry of Shipping			
(क) (i) प्रकाश स्तंभों की प्राप्तियों में वृद्धि के	(a) For providing additional (i) Reserve due			
कारण रिज़र्व (₹28 करोड़) (ii) सीमा शुल्क के भुगतान (₹0.15 करोड़) और	to increase in receipt of Light House dues (₹28 crore) (ii) expenditure under			
नए जहाजों के अनुरक्षण एवं प्रबधंन हेतु	Professional Services for Directorate			
व्यावसायिक कार्मिकों की आऊटसोर्सिंग	General of Lighthouse and Lightships to			
(₹५ करोड़) हेतु लाइटहाऊस एवं लाइटशिप	make payment of custom fee (₹0.15			
महानिदेशालय के लिए व्यावसायिक सेवाऑ	crore) and oursourcing professional			
के अंतर्गत व्यय (iii) प्रकाशन के अंतर्गत	personnel for maintenance and			
प्रमुख पत्तनों हेतु प्रशुल्क प्राधिकरण को	management of new vessels (₹5 crore)			
सामान्य अनुदान सहायता (₹1.28 करोड़)	(iii) expenditure towards Grants-in-aid			
और वेतन अनुदान सहायता (₹0.56 करोड़)	General (₹1.28 crore) and Grants-in-aid			
हेतु व्यय (iv) अंडमान और लक्षद्वीप हार्बर निर्माण कार्य हेतु लघु निर्माण कार्यों के	Salaries (₹0.56 crore) to Tariff Authority			
अंतर्गत व्यय (₹1.80 करोड़)।	for Major Ports under Publication and (iv) expenditure under Minor Works for			
SKI-KI 344 ((1.00 4/Kg))	Andaman & Lakshadweep Harbour			
	Works (₹1.80 crore).	_	30.00	30.00
(ख) प्रमुख निर्माण कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त	(b) For meeting additional expenditure			
व्यय पूरा करना (i) अंडमान और लक्षद्वीप	under Major Works (i) towards supply			
द्वारा 2 अदद टग की आपूर्ति हेतु (₹28.42	of 2 Nos. of Tugs by Andaman &			
करोड़) (ii) अंडमान और लक्षद्वीप द्वारा	Lakshadweep (₹28.42 crore) (ii) for			
सप्लायरों और एजेंसियों को वचनबद्ध	making committed payment to suppliers			
देयताओं का भुगतान करने हेतु (₹3.09 करोड़) और (iii) सागरमाला परियोजना	and agencies by Andaman &			
कराङ्) आर (III) सागरमाला पारवाजना (₹1.61 करोड़)।	Lakshadweep (₹3.09 crore) and (iii) Sagarmala Project (₹1.61 crore).	28.37	_	28.37
,	Sagarniaia Project (C1.01 croie).	26.37	-	20.37
सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
82 सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग	82 Department of Social Justice and			
	Empowerment			
(क) इस स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता	(a) For meeting additional expenditure			
अनुदान देने के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा	towards Grants-in-aid General under			
करना (i) मादक और नशीले पदार्थो (ड्रग्स)	the scheme (i) Prevention of Alcoholism			
के प्रयोग पर रोक (₹7 करोड़) और (ii) वृद्ध लोगों संबंधी स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	and Substances (Drugs) Abuse (₹7 crore) and (ii) Assistance to Voluntary			
(₹16 करोड़)।	Ogranisation for Pragramme relating to			
((10 1 4 4 4) 1	Aged (₹16 crore).	16.00	_	16.00
(ख) अनुसूचित जाति हेतु पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति	(b) For meeting additional expenditure			
स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता	towards Grants-in-aid General under			
हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	the scheme Post Matric Scholorship for			
	SCs.	1.00	-	1.00
(ग) (i) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का	(c) For meeting additional expenditure			
विकास (₹३.४४ करोड़) (ii) अनुसूचित	towards Grants-in-aid General under			
जाति हेतु पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम (₹००० क्योर) के अंतर्गत गामाना अन्तरान	the scheme (i) Development of			
(₹9.99 करोड़) के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	Economically Backward Classes (₹3.44 crore) (ii) Post Matric Scholorship for			
त्तरायता रुपु जातारता प्यय पूरा कश्ना।	SCs (₹9.99 crore).	9.99	_	9.99
	Ses (17.77 civie).	7.77	-	7.77

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
अंतरिक्ष विभाग 84 अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE 84 Department of Space			
अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (₹115.33 करोड़) (ii) तरल	For meeting expenditure towards (i) Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) (₹115.33			
नोदन प्रणाली केंद्र (₹28 करोड़) (iii) इसरो सैटेलाइट केंद्र (₹87.75 करोड़) (iv) अंतरिक्ष	crore) (ii) Liquid Propulsion Systems Centre (₹28 crore) (iii) ISRO Satellite Centre			
अनुप्रयोग केंद्र (₹62.30 करोड़) (v) जीसैट- 18 सैटेलाइट (₹3.75 करोड़) (vi) भारतीय	(₹87.75 crore) (iv) Space Application Centre (₹62.30 crore) (v) GSAT- 18 Satellite (₹3.75			
अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹2	crore) (vi) Grants for Creation of Capital Assets towards Indian Institute of Space			
करोड़)।	Science & Technology (₹2 crore).	299.13	-	299.13
इस्पात मंत्रालय 36 इस्पात मंत्रालय	MINISTRY OF STEEL 86 Ministry of Steel			
(क) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर एचएससीएल की वीआरएस देयताओं	(a) For meeting additional requirement towards VRS liabilities of HSCL on the			
हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना। (ख) बैंक ऋण के पुनर्भुगतान हेतु एचएससीएल	basis of Supreme Court Judgement.(b) For meeting additional requirement to	-	110.00	110.00
को अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना।	HSCL for repayment of Bank Loans.	-	200.00	200.00
जनजातीय कार्य मंत्रालय 39 जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS 89 Ministry of Tribal Affairs			
अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (i) विशेषरूप से असुरक्षित जनजातीय समूह विकास स्कीम	For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹75.17 crore) and			
के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹75.17 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु	Grants for Creation of Capital Assets (₹10			
अनुदान (₹10 करोड़) और (ii) अ.ज.जा.	crore) under scheme Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups			
बच्चों को शिक्षा स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹36 करोड़)	(PVTGs) and (ii) Grants-in-aid General under the scheme Education of ST Children	101 17		101.15
÷	(₹36 crore).	121.17	-	121.17
संघ शासित क्षेत्र (विधानसभा रहित) 90 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
डीजी एस एंड डी के बकाया बिलों के भुगतान	90 Andaman and Nicobar Islands For meeting additional amount towards		106.71	106.71
हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना। 91 चंडीगढ़	payment of pending DGS&D bills. 91 Chandigarh	-	196.71	196.71
सरकारी मेडीकल कॉलेज-32, सरकारी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल-16 के आऊटसोर्स किए	For payment of outsourced staff of Government Medical College-32			
गए कर्मचारियों को भुगतान और सरकारी मेडिकल कॉलेज-32 के लिए एक्स-रे फिल्मों,	Government Multi Specialty Hospital-16 & Malaria and purchase of x-ray films,			
दवाइयों, कार्यालय सामग्री की खरीद।	medicines, office material of Government Medical College-32.	-	0.06	0.06
22 दादरा और नगर हवेली (क) (i) सहायक अध्यापकों की परिवीक्षा अवधि पूरी	92 Dadra and Nagar Haveli(a) For 1. payment of (i) monthly salary and			
होने के कारण मासिक वेतन (ii) और बकायों का भुगतान (₹5.50 करोड़) 2. संविदा आधार	(ii) arrears on account of clearance of probation of Assistant Teachers (₹5.50			
पर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत (i) अनुमोदित अध्यापकों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु सामान्य	crore) 2. providing Grants-in-aid General towards (i) payment of remuneration of			
अनुदान सहायता जारी करना (₹९ करोड़) (ii) पंचायत में प्राथमिक विद्यालयों हेतु मध्याह्न	approved teachers under Sarva Shiksha Abhiyan on contract basis (₹9 crore) and			
भोजन बनाने, स्कूल बैग, स्टेशनरी सामग्री, खेलने के सामान आदि खरीदने के लिए	(ii) Mid Day Meals, for purchase of School Bags, Stationery materials,			
सामान्य अनुदान सहायता जारी करना (₹3.70 करोड़) 3. अन्य गांवों में छह कक्षाओं कमरों	playing equipments, etc. for primary			
के निर्माण हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु	schools in Panchayat (₹3.70 crore) 3. providing Grants for Creation of Capital			

		(क	रोड़ रुपए Rupees i	n Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
अनुदान जारी करना, विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों के लिए वर्षा जल संचयन संरचना मुहैया कराना, पुश्ते की दीवार सहित परिसर की दीवार का निर्माण, कक्षाओं की विशेष मरम्मत और निर्माण (₹5 करोड़)।	Assets towards construction of six class room building, providing rain water harvesting structure for various primary schools, construction of compound wall with retaining wall at primary school, special repairs and construction of school	22.20		22.20
(ख) चार निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों को सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना। (ग) स्वच्छ आंगन योजना के अंतर्गत शौचालय ब्लॉकों के निर्माण हेतु सामान्य अनुदान	 classroom in other villages (₹5 crore). (b) For providing Grants-in-aid General to four private aided schools. (c) For providing Grants-in-aid General towards construction of toilet blocks 	23.20 0.90	-	0.90
सहायता मुहैया कराना। 93 दमन और दीव दमन जिले में जल आपूर्ति के संवर्धन के लिए मशाल चौक से भीमपोर, नानी दमन तक पाइपलाइन बदलने और जल आपूर्ति से संबंधित अन्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त निधि को पूरा करना।	under Swachh Aangan Yojana. 93 Daman and Diu For meeting additional funds towards replacement of pipeline from Mashal Chowk to Bhimpore, Nani Daman for augmentation of water supply in Daman District and other water supply related works.	3.00	-	3.00
शहरी विकास मंत्रालय 95 शहरी विकास मंत्रालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशानुसार जीआईपी के संबंध में भूमि से संबंधित भुगतान करने के लिए प्रमुख निर्माण कार्यों के लिए व्यय को पूरा करना।	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 95 Ministry of Urban Development For meeting expenditure towards Major Works for making the payment related to land in respect of GIP, Santragachhi as ordered by the Hon'ble Supreme Court.	-	1.60	1.60
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय 96 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION 96 Ministry of Water Resources, River			
मंत्रालय (क) फरक्का बैराज परियोजना स्कीम के अंतर्गत मधस्थता पंचाट के भुगतान हेतु। (ख) फरक्का बैराज परियोजना स्कीम के अंतर्गत	 Development and Ganga Rejuvenation (a) For payment of arbitration awards under the scheme Farakka Barrage Project. (b) For meeting additional expenditure under 	0.40	-	0.40
अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	the scheme Farakka Barrage Project.	-	6.00	6.00

कुल तकनीकी अनुदान

4. नीचे दी गई मदों के संबंध में 1 लाख प्रत्येक का पूरक अनुदान का भी प्रस्ताव है, जिनके तहत दर्शाए गए व्यय को संगत अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी भाग, जो भी मामला हो, की बचतों के विनियोग से पूरा किया जाना है।

4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

सांकेतिक पूरक अनुदान की मांगें

कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय

1. कृषि सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग

(क) एमआईएस/पीएसएस स्कीम के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन फेडरेशन (नेफड) को सब्सिडी मुहैया कराने हेतु भारत की कन्टिजेंसी निधि से आहरित अग्रिम को पुरा करना।

Token Supplementary Demands for Grants

Total Technical

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare

(a) For recoupment of advance drawn from Contingency Fund of India for providing subsidy to National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED) under the scheme MIS/PSS.

65.69 65.69

3,358.10 11,16,909.34 11,20,267.44

	**************************************	2010 201	7 SOTT LEWIENTART DEMIANDS FOR		ोड़ रुपए Rupees	in Crore)
				आयोजना आयोजना	अयोजना-भिन्न	<u>ात एग्लम्</u> जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण		Grant	No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
(ख)	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की बकाया	(b)	For providing additional Grants-in-aid			
	देयताओं हेतु कृषि सहकारिता की समेकित		General under Integrated Scheme for			
	स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य अनुदान		Agriculture Cooperation for pending			
	सहायता मुहैया कराना (सामान्य घटक-		liabilities of National Cooperative			
	₹100 करोड़ और टीएसपी- ₹15 करोड़)।		Development Corporation (General			
			Component - ₹100 crore and TSP - ₹15 crore).	115.00	-	115.00
(ग)		(c)	For providing additional Grants-in-aid			
	सहायता मुहैया कराना (i) कृषि विपणन		General under (i) Integrated Scheme on			
	संबंधी समेकित स्कीम (₹13.65 करोड़)		Agricultural Marketing (₹13.65 crore)			
	(ii) राष्ट्रीय कृषि विपणन स्कीम (सामान्य		(ii) National Agricultural Marketing			
	घटक-₹34.10 करोड़, अनुसूचित जाति		(General Component - ₹34.10 crore,			
	हेतु विशेष घटक-₹7.30 करोड़ और		Special Component Plan for Scheduled			
	जनजातीय क्षेत्र उप आयोजना- ₹3.60		Castes - ₹7.30 crore and Tribal Area			
	करोड़)।		Sub Plan - ₹3.60 crore).	58.65	-	58.65
(ਬ)	(i) बीज और पौधारोपण सामग्रियों हेतु	(d)	For providing additional (i) Grants-in-			
	उप मिशन के अंतर्गत सामान्य अनुदान		aid General (General Component - ₹0.40			
	सहायता (सामान्य घटक-₹0.40 करोड़		crore and Special Component Plan for			
	और अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक		Scheduled Castes - ₹0.02 crore) and			
	आयोजना-₹0.02 करोड़) और पूंजी आस्तियों		Grants for Creation of Capital Assets			
	के सृजन हेतु अनुदान (₹0.08 करोड़) (ii)		(₹0.08 crore) under Sub-Mission on			
	कृषि सहकारिता हेतु समेकित स्कीम के		Seeds and Planting Materials (ii) Grants-			
	अंतर्गत जनजातीय उप आयोजना घटक		in-aid General for Tribal Sub Plan			
	(₹15 करोड़) हेतु सामान्य अनुदान सहायता।		Component (₹15 crore) under integrated			
	00		scheme for Agriculture Cooperation.	15.50	-	15.50
(ड.)	अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) राष्ट्रीय	(e)	For additiona expenditure towards (i)			
	बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के		Major Works (₹0.04 crore) under National			
	अंतर्गत प्रमुख निर्माण कार्य (₹०.०४ करोड़)		Seeds Research and Training Centre (ii)			
	(ii) कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत पौध		Motor Vehicles (₹4.50 crore) under Sub-			
	सुरक्षा और पौध करन्तीन हेतु उप आयोजना		Mission on Plant Protection and Plant	4.54		1.51
o - D	के अंतर्गत मोटर वाहन (₹4.50 करोड़)। अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2 Day	Quarantine under Krishonnati Yojna.	4.54	-	4.54
2. արա	अनुसंधान आर शिक्षा विमान		partment of Agricultural Research and ucation			
(क)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को टीएसपी		For providing additional (i) Grants-in-			
(-)	के अंतर्गत (₹40.13 करोड़) और कृषि	()	aid General to Indian Council of			
	विस्तार संस्थान स्कीम (₹1.93 करोड़)		Agricultural Research (₹40.03 crore) and			
	के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य अनुदान		under TSP (₹1.93 crore) under the			
	सहायता मुहैया कराना। (ii) भारतीय कृषि		scheme Agricultural Extension Institutes			
	अनुसंधान परिषद को कृषि विस्तार संस्थान		(ii) Grants for Creation of Capital Assets			
	स्कीम (₹47.42 करोड़) और कृषि शिक्षा		to Indian Council of Agricultural			
	संस्थान (₹60.27 करोड़) के अंतर्गत पूंजी		Research Under the scheme Agricultural			
	आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान और (iii)		Extension Institutes (₹47.42 crore) and			
	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को फसल		Agricultural Education Institutes (₹60.27			
	विज्ञान संस्थान स्कीम (₹2.28 करोड़)		crore) and (iii) Grants-in-aid Salaries to			
	और कृषि विस्तार संस्थान (₹0.17 करोड़)		Indian Coucil of Agricultural Research			
	के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता।		under the scheme Crop Science Institutes			
			(₹2.28 crore) and Agricultural Extension			
			Institutes (₹0.17 crore).	152.10	-	152.10
(ख)	विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत भारतीय कृषि	(b)	For providing additional (i) Grants-in-			
	अनुसंधान परिषद को पूंजी आस्तियों (₹8.44		aid General (₹227.78 crore), Grants for			
	करोड़) के सृजन हेतु अतिरिक्त सामान्य		Creation of Capital Assets (₹8.44 crore)			
	अनुदान सहायता (₹227.78 करोड़) और		and Grants-in-aid Salaries (₹2.39 crore)			
	वेतन अनुदान सहायता (₹2.39 करोड़)		to Indian Council of Agricultural			
	मुहैया कराना।		Research under various schemes.	-	238.61	238.61
(ग)	विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत भारतीय कृषि	(c)	For providing additional Grants-in-aid			
	अनुसंधान परिषद को पूंजी आस्तियों (₹3.80		General (₹13.34 crore), Grants for			
	करोड़) के सृजन हेतु अतिरिक्त सामान्य		Creation of Capital Assets (₹3.80 crore)			

			रोड़ रुपए Rupees	•
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
अनुदान सहायता (₹13.34 करोड़) और वेतन अनुदान सहायता (₹4.77 करोड़) मुहैया कराना। 3. पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग	and Grants-in-aid Salaries (₹4.77 crore) to Indian Council of Agricultural Research under various schemes. 3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	21.91	-	21.91
 (क) पशु स्वास्थ्य संस्थान (₹5 करोड़) और स्वदेशी नस्ल (₹4.50 करोड़) को सहायता स्कीम के अंतर्गत क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला को सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना। (ख) स्वदेशी नस्ल स्कीम (₹0.50 करोड़) और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (₹10 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना। 	(a) For providing Grants-in-aid General to Regional Disease Diagnostic Laboratories under the scheme 'Assistance to Animal Health Institutes' (₹5 crore) and 'Indigenous Breed' (₹4.50 crore). (b) For providing additional Grants-in-aid General under the scheme 'Indigenous Breed' (₹0.50 crore)and National Programme for Dairy Development (₹10 crore).	9.50 10.50	-	9.50
गरमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4 परमाणु ऊर्जा (क) भाभा आण्विक अनुसंधान केंद्र हेतु प्रमुख कार्य (₹0.55 करोड़) और मशीनरी उपकरण (₹0.94 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। (ख) (i) उन्नत ईंधन परियोजना हेतु मशीनरी उपकरण (₹6.24 करोड़) और (ii) रेडिएशन एंड आइसोटोप टैक्नोलॉजी बोर्ड के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं (₹0.05 करोड़) हेतु	 4 Atomic Energy (a) For meeting additional expenditure towards Major Work (₹0.55 crore) and Machinery Equipment (₹0.94 crore) for Bhabha Atomic Research Centre. (b) For meeting additional expenditure towards (i) Machinery Equipment (₹6.24 crore) for Advanced Fuel Project and (ii) Professional Services (₹0.05 	1.49	-	1.49
अतिरिक्त व्यय पूरा करना। (ग) अतिरिक्त व्यय पूरा करना 1. बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरी में अनुसंधान और विकास (i) प्रमुख कार्य (₹68 करोड़) (ii) मशीनरी उपकरण (₹37.27 करोड़) और (अन्य परियोजना संबंधी व्यय (₹60.07 करोड़) तथा 2. एईआरबी विस्तार परियोजना के कार्यालय एवं प्रबंधन व्यय (₹0.19 करोड़)।	crore) under Board of Radiation and Isotope Technology. (c) For meeting additional expenditure under 1. Research and Development in basic Science and Engineering towards (i) Major Work (₹68 crore), (ii) Machinery Equipment (₹37.27 crore) and (iii) other project related expenditure (₹60.07 crore) and 2. O&M expenditure of AERB Expansion Project (₹0.19 crore).	6.29	-	6.29 165.53
थागर्वेट गोग एवं एएकविक चिकित्या गुनानी सिन्ट	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND	103.33		103.33
एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय (क) सूचना, शिक्षा और संचार पर सामान्य	NATUROPATHY, UNANI SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani Siddha and Homoeopathy (AYUSH) (a) For meeting expenditure towards			
अनुदान सहायता हेतु व्यय पूरा करना। (ख) सीसीआईएम चुनाव आयोजित करने हेतु	Grants-in-aid General on Information, Education & communication.	6.62	-	6.62
अनुदान के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता। (ग) (i) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु सामान्य अनुदान सहायता (₹3 करोड़) और राष्ट्रीय आयुष मिशन स्कीम के अंतर्गत अनुदान (₹14.63 करोड़) (ii) पूर्वोत्तर के आयुर्वेद एवं होम्योपैथी, शिलांग हेतु वेतन अनुदान सहायता (₹2.05 करोड़)।	 (b) For Grants-in-aid General under Grants for conducting of CCIM Elections. (c) For (i) Grants-in-aid General (₹3 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹14.63 crore) under the scheme National AYUSH Mission (NAM) (ii) Grants-in-aid Salaries for North-Eastern of Ayurveda & Homoeopathy, 	-	0.32	0.32
•	Shillong (₹2.05 crore).	19.68	-	19.68

			गेड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	ा जोड़ Total
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
7 उर्वरक विभाग (क) (i) स्वदेशी पी एंड के सब्सिडी (₹1243.41 करोड़) और (ii) आयातित पी एंड के सब्सिडी (₹800 करोड़) के भुगतान हेतु।	 Department of Fertilisers (a) For payment of (i) Indigenous P&K-Subsidy (₹1,243.41 crore) and (ii) Imported P&K Subsidy (₹800 crore) 	-	2,043.41	2,043.41
(ख) स्वदेशी खाद सब्सिडी के भुगतान हेतु।	(b) For payment of Indigenous Urea Subsidy.	-	1,800.00	1,800.00
अभवज विभाग (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र एनआईपीईआर, गुवाहाटी स्कीम के अंतर्गत व्यय पूरा करना।	8 Department of Pharmaceuticals (a) For meeting expenditure under the scheme North Eastern Area NIPER, Guwahati.	6.77	-	6.77
(ख) प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना।	(b) For meeting additional requirement under Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojna (PMJAY).	14.75	-	14.75
नागर विमानन मंत्रालय 9 नागर विमानन मंत्रालय राष्ट्रीय एविएशन विश्वविद्यालय हेतु सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराने हेतु।	MINISTRY OF CIVIL AVIATION 9 Ministry of Civil Aviation For providing Grants-in-aid General to National Aviation University.	0.45	-	0.45
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
(क) अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना (i) चाय बोर्ड (₹6.91 करोड़) जिसमें सामान्य अनुदान सहायता के रूप में अनुसंधान एवं विकास (₹0.50 करोड़) लघु उत्पादक विकास स्कीम को सब्सिडी के रूप में (₹6 करोड़) और चाय अधिनियम के विनियामक प्रावधान के कार्यान्वयन के रूप में (₹0.41 करोड़) शामिल हैं। (ii) कॉफी बोर्ड को कॉफी बोर्ड के रिप्लांटेशन हेतु सब्सिडी के अंतर्गत (₹2.04 करोड़) (iii) खर बोर्ड को खर बोर्ड हेतु उपकर के संग्रहण के तहत भुगतान हेतु (₹2.41 करोड़) (iv) एससीएसपी के अंतर्गत मसाला	(a) For meeting the additional requirement for (i) Tea Board (₹6.91 crore) which includes Research & Development (₹0.50 crore) as Grants-in-aid General, Small Growers Development Scheme (₹6 crore) as subsidies and implementation of regulatory provision of Tea Act (₹0.41 crore) as Grants-in-aid General (ii) Coffee Board (₹2.04 crore) under subsidy for the Replantaion of Coffee Board (iii) Rubber Board (₹2.41 crore) for payment against collection of cess and (iv) Spices Board			
बोर्ड को (₹1.09 करोड़)। (ख) सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन से वेतन, बकाया, पेंशनरी लाभ के कारण वचनबद्ध देयताओं हेतु सामान्य अनुदान सहायता के रूप में चाय बोर्ड (₹2.76 करोड़), कॉफी बोर्ड (₹4.96 करोड़), खर बोर्ड (₹9.59 करोड़) और मसाला बोर्ड (₹0.91 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता	(₹1.09 crore) under SCSP. (b) For meeting additional requirement for Tea Board (₹2.76 crore), Coffee Board (₹4.96 crore), Rubber Board (₹9.59 crore) and Spices Board (₹0.91 crore) as Grants-in-aid Salary for committed liability on account of salary, arrears, pensionary benefits, implementation of	12.45	-	12.45
(१०.३) बन्ता कारास्ता जावस्ववन्ता को पूरा करना। (ग) चाय बोर्ड हेतु अनुसंधान और विकास के अंतर्गत समान्य अनुदान सहायता की अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना।	the 7th CPC (c) For meeting the additional requirement towards Grants-in-aid General under Research and Development for Tea	-	18.22	18.22
(घ) सब्सिडी के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना (i) कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (₹8.50 करोड़) और (ii) मरीन उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (₹2	Board. (d) For meeting the additional requirement towards subsidies for (i) Agricultural Products Export Development Authority (APEDA) (₹8.50 crore) and (ii) Marine	2.50	-	2.50
करोड़)।	Products Export Development Authority (MPEDA) (₹2 crore).	10.50	-	10.50

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
12 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग लुगदी कागज़ और संबद्ध उद्योग विकास परिषद संस्थान के कर्मचारियों को वेतन, डीए, सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान हेतु वेतन अनुदान सहायता।	12 Department of Industrial Policy and Promotion For Grants-in-aid Salaries towards payment of Salary, DA, retirement benefits to the employees of the Institution of Development Council for Pulp, Paper and Allied Industries (DCPPAI).	-	1.65	1.65
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
 13 डाक विभाग भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना हेतु व्यय पूरा करना। 14 दूरसंचार विभाग संवर्धित आयोजना परिव्यय के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना। 	 13 Department of Posts For meeting expenditure towards setting up of India Post Payments Bank. 14 Department of Telecommunications For meeting additional expenditure for development of North Eastern Areas due to 	300.00	-	300.00
15 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	enhanced Plan outlay. 15 Department of Electronics and Information Technology	38.10	-	38.10
(क) (i) डिजीटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत जनशक्ति विकास के संबंध में सामान्य अनुदान सहायता (₹3.70 करोड़) और (ii) स्वायत्त एवं अन्य निकायों को सहायता के अंतर्गत मीडिया लैब के संबंध में वेतन अनुदान सहायता (₹1 करोड़) मुहैया कराना।	 (a) For providing (i) Grants-in-aid General in respect of manpower Development under Digital India Programme (₹3.70 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries in respect of Media Lab Asia under Assistance to Autonomous and other bodies (₹1 crore). (b) For meeting expenditure towards 	4.70	-	4.70
पूरा करना।	Unique Indentification Authority of India (UIDAI).	30.00	-	30.00
मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 17 Department of Food and Public Distribution (a) For providing (i) additional subsidy to State Governments for decentralized procurement of foodgrains (₹338.35 crore) and (ii) subsidy for interest subvention on scheme for Extending soft loans to sugar mills 2015 (₹37.25 crore) and (iii) additional subsidy under the scheme Maintenance of Buffer Stock of sugar (₹2.68 crore). (b) For providing loans under the scheme (i) Rehabilitation/Modernization of Sugar Mills (₹10.15 crore) and (ii) Sugar Factories for bagasse based cogeneration power project (₹30 crore).	-	378.28 40.15	378.28 40.15
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
19 संस्कृति मंत्रालय (क) 1. सामान्य अनुदान सहायता (i) कला संस्कृति विकास योजना गांधी समिति और दर्शन समिति (₹2 करोड़) और सांस्कृतिक संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (₹50 करोड़) 2 संग्रहालय	19 Ministry of Culture (a) For 1. Grants-in-aid General under (i) Kala Sanskriti Vikas Yojana-Gandhi Samiti and Darshan Samiti (₹2 crore) and Cultural Institutions-Indira Gandhi National Centre for the Arts (₹50 crore)			

National Centre for the Arts (₹50 crore)

कला केंद्र (₹50 करोड़) 2. संग्रहालय

		(करोड़ रुपए Rupees		in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
विज्ञान सिटी के अंतर्गत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹15 करोड़)। (ख) 1. सामान्य अनुदान सहायता (i) संग्रहालय-विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (₹3 करोड़) और (ii) नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं लाइब्रेरी (₹2.50 करोड़) 2. स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता संग्रहालय-विक्टोरिया मेमोरियल हाल (₹0.75 करोड़) 3. सांस्कृतिक संस्थान - भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण के अंतर्गत कार्यालय	2. Grants for Creation of Assets under Museums-Science Cities (₹15 crore). (b) For 1. Granta-in-aid General under (i) Museums - Victoria Memorial Hall (₹3 crore) and (ii) Nehru Memorial Museum and Library (₹2.50 crore) 2. Grants-in-aid Salaries under Museums - Victoria Memorial Hall (₹0.75 crore) 3. Office Expenses under Cultural Institutions - Anthropological Survey of	67.00	-	67.00
व्यय (₹0.25 करोड़)। (ग) संग्रहालय के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के	India (₹0.25 crore). (c) For Grants for Creation of Capital	-	6.50	6.50
सृजन हेतु अनुदान।	Assets under Museums.	15.00	-	15.00
रक्षा मंत्रालय 20 रक्षा मंत्रालय (विविध) (क) रक्षा आयुध निर्माणी हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	MINISTRY OF DEFENCE 20 Ministry of Defence (Misc) (a) For meeting additional expenditure towards Defence Ordnance Factories.	_	68.27	68.27
(ख) भूतपूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य स्कीम (₹५ करोड़) राष्ट्रीय कैडेट कोर (₹9.85 करोड़) और गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (₹1.73 करोड़) के संबंध	(b) For meeting additional expenditure in respect of Ex-serviceman Contributory Health Scheme (₹5 crore), National Cadet Corps (₹9.85 crore) and Directorate			
में अतिरिक्त व्यय पूरा करना। (ग) रक्षा लेखा विभाग के संबंध में प्रमुख निर्माण कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय	General of quality Assurance (₹1.73 crore). (c) For meeting additional expenditure under Major Works in respect of	-	16.58	16.58
पूरा करना। (घ) सीमा सड़क संगठन द्वारा सामरिक और सीमा सड़कों के निर्माण पर अतिरिक्त	Defence Accounts Department. (d) For meeting additional expenditure on construction of strategic and border	-	3.10	3.10
व्यय पूरा करना। 23 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) आर्मी के निर्माण कार्य (₹740 करोड़) वाहन (₹7 करोड़) अन्य उपकरण (₹1944 करोड़) नेवी के नेवल डॉकयार्ड (₹999.23 करोड़), राष्ट्रीय युद्ध मेमोरियल/ संग्रहालय (₹4 करोड़), प्रोटोटाइप विकास हेतु प्रौद्योगिकी विकास (₹183.79 करोड़) आर्मी (₹154.69 करोड़) एयर फोर्स (₹29.10 करोड़) की कार्ययोजना (ii) एयर फोर्स के लिए एयरक्राफ्ट की खरीद हेतु (₹1251.45 करोड़)।	roads by Border Roads Organisation. 23 Capital Outlay on Defence Services For meeting additional expenditure (i) under Construction Works of Army (₹740 crore), Vehicles (₹7 crore), Other equipments (₹1,944 crore), Naval Dockyard of Navy (₹999.23 crore), National War Memorial/Museum (₹4 crore), Technology Development for Prototype Development (₹183.79 crore), make procedure of Army (₹154.69 crore) and Air Force (₹29.10 crore) (ii) for purchase of Aircrafts for Air Force (₹1,251.45 crore).	-	427.53 5,313.26	427.53 5,313.26
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION			
25 पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत	25 Ministry of Drinking Water and Sanitation For providing additional fund towards			
व्यावसायिक सेवाओं (₹4 करोड़) और अंतरराष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता केंद्र (₹4 करोड़) हेतु अतिरिक्त निधि मुहैया कराना।	Profession Services (₹4 crore) and International Centre for Drinking Water Quality (ICDWQ) (₹4 crore) under National Rural Drinking Water Programme.	8.00	-	8.00
पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
27 पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	27 Ministry of Environment, Forests and Climate Change For providing Greats in aid General to			
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना।	For providing Grants-in-aid General to National Tiger Conservation Authority.	1.50	-	1.50

			(कर	ोड़ रुपए Rupee	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	rant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	न जोड़ Total
विदेश मंत्रालय	MI	NISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
28 विदेश मंत्रालय	28	Ministry of External Affairs			
वीवीआईपी यात्रा हेतु एयर इंडिया के एयरक्राफ्टों		For meeting expenditure towards			
की अनुरक्षण लागत हेतु व्यय पूरा करना।		maintenance cost of Aircrafts of Air India			
		for VVIP travel.	-	40.00	40.00
वित्त मंत्रालय	MI	NISTRY OF FINANCE			
29 आर्थिक कार्य विभाग	29	Department of Economic Affairs			
(क) मर्चेंट डिस्काऊंट रेट प्रभारों की प्रतिपूर्ति		(a) For reimbursement of Merchant Discount			
हेतु।		Rate charges.	-	50.00	50.00
(ख) सामरिक महत्व की रेल लाइनों के प्रचालन		(b) For re-reimbursement of losses to			
पर रेलवे की हानि की प्रतिपूर्ति हेतु।		Railways on operating strategic Railway			
		lines.	-	2,691.96	2,691.96
(ग) अफ्रीकी विकास निधि-14 के लिए योगदान		(c) For contribution to African Development			
हेतु।		Fund -14.	-	3.00	3.00
(घ) अर्थक्षमता अंतर हेतु निधियन के तहत		(d) For additional provision on Viability Gap	2.50.00		250.00
अतिरिक्त व्यवस्था करना।		Funding.	250.00	-	250.00
(ड.) स्वर्ण प्रारक्षित निधि हेतु सर्वोत्तम स्वर्ण		(e) For transfer of difference of average			
बांड पर वर्ष की औसत उधारी दर और देय ब्याज की दर के अंतर को पूरा करने		borrowing rate for the year and the rate			
हेतु अंतरण।		of interest payable on Sovereign Gold Bond to Gold Reserve Fund.		68.00	68.00
(च) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रवासी		(f) For contribution towards expenses of	-	08.00	08.00
प्रतिनिधित्व के व्यय के तहत अंशदान		resident representative of UN Development			
हेतु।		Programme.	_	1.12	1.12
(छ) बजट प्रेस के आधुनिकीकरण के लिए		(g) For procurement of Machines for	_	1.12	1.12
मशीनों की खरीद हेतु।		modernization of Budget Press.	_	1.50	1.50
(ज) सरकारी कर्मचारियों के आवास भवन		(h) For additional requirement towards		1.50	1.50
अग्रिम हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना।		House Building Advances to Government			
		Servants.	-	50.00	50.00
30 वित्तीय सेवाएं विभाग	30	Department of Financial Services			
आधार समर्थित भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा		For contribution to Financial Inclusion Fund			
देने के लिए नाबार्ड को वित्तीय समावेशन निधि		(FIF) of NABARD to promote AADHAR			
हेतु अंशदान।		Enabled payments systems.	-	180.00	180.00
37 राजस्व विभाग	37	Department of Revenue			
(क) सीएसटी मुआवजे की दूसरी किस्त मुहैया		(a) For providing CST Compensation 2nd			
कराने हेतु।		installment.	-	1,384.58	1,384.58
(ख) स्वीकृत अनुदान के 10 प्रतिशत से		(b) For Neemuch Opium Factory (₹0.35			
अधिक हेतु (नीमच अफीम फैक्टरी (₹0.35		crore), Ghazipur Alkaloid Works (₹0.01			
करोड़), गाज़ीपुर अल्कालॉयड वर्क्स (₹0.01		crore) and Neemuch Alkaloid Work			
करोड़) और नीमच अल्कालॉयड वर्क		(₹2.14 crore) as the provision is more than			
(₹2.14 करोड़) ।		10% of voted Grant.	-	2.50	2.50
रवास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MI	NISTRY OF HEALTH AND FAMILY			
		WELFARE			
42 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	42	Department of Health and Family			
		Welfare			
(क) सूचना, शिक्षा और संचार स्कीम के		(a) For meeting additional expenditure			
अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता हेतु		towards Grants-in-aid General under			
अतिरिक्त व्यय पूरा करना।		the scheme Information, Education &	27.15		27.15
(ख) पूर्वेत्तर क्षेत्र इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य		Communication. (b) For mosting additional expanditure	27.15	=	27.15
एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता		(b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries under			
स्काम क अंतर्गत वतन अनुदान सहायता के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना।		the scheme North-Eastern Indira			
क तहत आतारक व्यय पूरा करना। (ग) (i) नए मेडीकल कॉलेज स्थापित करने		Gandhi Regional Institute of health &			
हेतु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम		Medical Sciences, Shillong.	6.58	=	6.58
हतु स्वास्थ्य एवं विकासना शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानव संसाधन (₹200 करोड़)		(c) For meeting additional expenditure	0.50	-	0.56
(ii) कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियो वस्कयुलर		towards Grants for Creation of Capital			
(॥) यरार, जायावटाण, पंगाजवा परकायुलर		towards Grants for Cication of Capital			

		आयोजना आयोजना	शेड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न	<i>ा। ७।७।८)</i> जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
रोग एवं स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (₹24.16 करोड़) स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	Assets under the scheme (i) Human resources for Health & Medical Education Programme for establishing new medical colleges (₹200 crore) (ii) National Programme for Prevention and Control fo Cancer, Diabetes, Cardio-Vascular Diseases and Stroke (₹24.16 crore).	224.16	_	224.16
(घ) अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना 1. राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के तहत मशीनरी एवं उपकरण (₹0.30 करोड़) 2. केंद्रीय मोटर वाहन अनुसंधान संस्थान, कसौली (₹0.15 करोड़) 3. (i) बीसीजी वैक्सीन लेब, गिण्डी, चेन्ने (₹1.84 करोड़) (ii) अखिल भारतीय भौतिक औषधि एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई (₹0.20 करोड़) के अंतर्गत प्रमुख निर्माण कार्य।	(d) For meeting additional expenditure towards 1. Machinery & Equipment under National Organ Transplant Programme (₹0.30 crore) 2. Motor Vehicle for Central Research Institute, Kasauli (₹0.15 crore) 3. Major Works under (i) BCG Vaccine Lab, Guindy (Chennai) (₹1.84 crore) (ii) All India Institute Physical Medicine and			2.40
(क) अतिरिक्त व्यय पूरा करना 1. स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (i) स्वास्थ्य अनुसंधान के संवर्धन और मार्गदर्शन हेतु अंतर क्षेत्रीय अभिसरण एवं सहयोग (₹2.74 करोड़) (ii) स्वास्थ्य अनुसंधान हेतु मानव संसाधन विकास (₹3 करोड़) (iii) महामारी और प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन हेतु प्रयोगशालाओं के नेटवर्क की स्थापना (₹5 करोड़) 2. स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता (i) आईसीएमआर (₹110 करोड़) (ii) कर्मचारियों को वेतन का भुगतान (₹53 करोड़)।	Rehabilitation, Mumbai (₹0.20 crore). 43 Department of Health Research (a) For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the scheme (i) Inter-Sectoral Convergence & Coordination for Promotion & Guidance on Health Research (₹2.74 crore) (ii) HRD for Health Research (₹3 crore) (iii) Establishment of Network of Laboratories for Managing Epidemics and Natural Calamities (₹5 crore) 2. Grants-in-aid Salaries under the scheme (i) ICMR (₹110 crore) (ii) Payment of salary to the staff (₹53 crore). (b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the	2.49	-	2.49 173.74
अनुदान सहायता के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	scheme Bhopal Memorial Hospital & Research Centre (BMHRC), Bhopal.	-	4.00	4.00
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय 44 भारी उद्योग विभाग भारतीय पूंजी वस्तु क्षेत्र में प्रतियोगिता संवर्धन स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधि को पूरा करने के लिए सामान्य अनुदान सहायता मुहैया	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES 44 Department of Heavy Industry For providing Grants-in-aid General to meet additional fund under Scheme for Enhancement of Competitiveness in the			
कराना। गृह मंत्रालय 46. गृह मंत्रालय (क) व्यय को पूरा करने हेतु (i) मेजर ध्यान चंद स्टेडियम में कार्यालय स्थल को किराए पर लेने हेतु (₹65 करोड़)। (ii) लघु निर्माण कार्य (₹10 करोड़) और (iii) आई टी	Indian Capital Goods Sector. MINISTRY OF HOME AFFAIRS 46 Ministry of Home Affairs (a) For meeting expenditure for (i) hiring of office space at Major Dhyan Chand Stadium (MDCNS) (₹65 crore) (ii) Minor Works (₹10 crore) and (iii) IT	12.33	-	12.33
कार्यालय व्यय (₹10 करोड़)। (ख) अन्य गैर कानूनी क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण के अंगर्गत व्यय पूरा करना।	Office Expenses (₹10 crore). (b) For meeting expenditure under Other Unlawful Activities (prevention) Tribunal.	-	85.00 0.30	85.00 0.30
(ग) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम के अंर्तगत व्यय पूरा करना।	(c) For meeting expenditure under Swantantrata Sainik Samman Pension Scheme.	-	80.00	80.00

		(क	रोड़ रुपए Rupees	in Crore,
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना S Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(घ) विधानसभा रहित संघ शासित क्षेत्रों में अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाओं पर व्यय पूरा करना।	(d) For meeting expenditure under Otl Disaster Management Projects on U without Legislature.		_	0.20
(ड) एनडीआरएफ को वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु।	(e) For payment of Pay and Allowances NDRF.		60.00	60.00
(च) जे एंड के स्कीम में विशेष उद्योग पहल हेतु।	(f) For special Industry Initiative in J& Scheme.	έΚ 50.00	-	50.00
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBA			
50 आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	POVERTY ALLEVIATION 50 Ministry of Housing and Urban Pover	·ty		
(क) एमआईजी हेतु हाल ही में शुरु की गई क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम हेतु।	Alleviation (a) For the newly launched scheme name Credit Linked Subsidy Scheme to the control of the control	or		
(ख) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत वेतन हेतु व्यय पूरा करना (₹0.46 करोड़) मेडिकल उपचार (₹0.03 करोड़) घरेलू यात्रा व्यय (₹0.05 करोड़) कार्यालय व्यय (₹0.13 करोड़) प्रकाशन (₹0.01 करोड़) अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.11 करोड़) विज्ञापन और प्रचार (₹2.12 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹0.14 करोड़)।	MIG. (b) For meeting expenditure towar National Urban Livelihoods Missi under the heads Salaries (₹0.46 cror Medical Treatment (₹0.03 cror Domestic Travel Expenses (₹0.13 cror Publication (₹0.01 crore), Oth Administrative Expenses (₹0.11 cror Advertising and Publicity (₹2.12 cro and Professional Services (₹0.14 cror	on e), e), 05 e), eer e),	-	5.00 3.05
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURC			
51 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	DEVELOPMENT 51 Department of School Education a Literacy	nd		
(क) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1) (i) माध्यमिक शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहित करने की राष्ट्रीय स्कीम (₹216.70 करोड़) (ii) सर्व शिक्षा अभियान (₹14.28 करोड़) (iii) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (1 करोड़) (iv) मध्याह्न भोजन (₹7.46 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। 2. राष्ट्रीय साधन सह मेधा स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वजीफ़ा (₹154.20 करोड़) 3. एसएसए स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.55 करोड़) 4. केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता (₹3.18 करोड़) 5. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार (₹0.49 करोड़) 6. डीएई स्कीम के अंतर्गत कार्यालय व्यय (₹0.18 करोड़) 7. डीएई के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.06 करोड़) 8.	(a) For meeting additional expenditutowards 1. Grants-in-aid General und the scheme (i) National Scheme Incentive to Girls for Seconda Education (₹216.70 crore) (ii) San Shiksha Abhiyan (SSA) (₹14.28 cro (iii) Rashtriya Madhayamik Shiksha Abhiyan (RMSA) (₹1 crore) (iv) Mathiyan (RMSA) (₹1 crore) (iv) Mathiyan (RMSA) (₹1 crore) Scholorship/Stipend under the schemational Means cum Merit Schol	der of of ory va re) ha flid 2. me nip for me nid ya 18 der		

Expenses under the scheme DAE (₹0.18

crore) 7. Other Administrative Expenses under the DAE (₹0.06 crore) 8. Wages under the scheme DAE (₹0.01 crore).

towards Other Charges under the scheme

(b) For meeting additional expenditure

National Award to Teachers.

398.11

398.11

0.40

0.40

(ख) राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभारों हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

डीएई स्कीम के अंतर्गत मजदूरी (₹0.01

करोड़)।

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) आयोजना आयोजना-भिन्न अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Plan Non Plan **Total** (ग) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय की (c) For meeting additional expenditure पूर्ति हेत् (1) (i) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों towards 1. Grants-in-aid General under का सुदृढ़ीकरण (₹25 करोड़) (ii) भाषा the scheme (i) Strengthening of शिक्षकों की नियुक्ति (₹87 करोड़) (iii) Teachers Training Institutions (₹25 नवोदय विद्यालय समिति (₹75 करोड़) crore) (ii) Appointment of Language (iv) एसएसए (₹320.65 करोड़) स्कीम Teachers (₹87 crore) (iii) Navodya के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। 2. Vidyalaya Samiti (NVS) (₹75 crore) राष्ट्रीय साधन सह मेधा स्कीम के अंतर्गत (iv) SSA (₹320.65 crore) 2. छात्रवृत्ति/वजीफ़ा (₹0.45 करोड़) 3. Scholorship/Stipend under the scheme केवीएस स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान National Means cum merit Scholorship सहायता (₹0.20 करोड़) 4. एसएसए (₹0.45 crore) 3. Grants-in-aid Salaries स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के under the shcheme KVS (₹0.20 crore) सृजन हेतु अनुदान (₹19.25 करोड़)। 4. Grants for Creation of Capital Assets 527.55 527.55 under the scheme SSA (₹19.25 crore). (घ) (i) अल्पसंख्यकों का विकासः मदरसों/ (d) For meeting additional expenditure अल्पसंख्यकों हेतु शिक्षा स्कीम (₹76.09 towards Grants-in-aid General under the करोड़) (ii) भाषा शिक्षकों की नियुक्ति scheme (i) Development of Minorities: (₹14 करोड़) (iii) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों Education Scheme for Madrasas/ का सुदृढ़ीकरण (₹84.35 करोड़) (iv) Minorities (₹76.09 crore) (ii) एसएसए (₹320.75 करोड़) स्कीम के Appointment of Language Teachers (₹14 अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता के लिए crore) (iii) Strengthening of Teachers अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करना। Training Institutions (₹84.35 crore) (iv) SSA (₹320.75 crore). 495.19 495.19 (ड.) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण (e) For meeting additional expenditure स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता towards Grants-in-aid General under the के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करना। scheme Strengthening of Teachers Training Institutions. 10.00 10.00 52 उच्चतर शिक्षा विभाग 52 Department of Higher Education (क) अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेत् (1) (i) (a) For meeting additional expenditure वैश्विक नियुक्ति हेत् पहल (₹1 करोड़) towards 1. Grants-in-aid General under (ii) वर्चुअल कक्षाऑं की स्थापना और scheme (i) Initiatives for Global व्यापक स्तर पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम (₹5 Engagement (₹1 crore) (ii) Setting up करोड़) (iii) राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान virtual classroom and massive open (₹9.50 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य online courses (MOOCs) (₹5 crore) (iii) सहायता अनुदान। 2. (i) औरोविल Rashtriya Uchcha Shiksha Abhiyan फाउंडेशन (₹10.10 करोड़) (ii) प्रधानमंत्री (RUSA) (₹9.50 crore) 2. Grants for कन्या छात्रावास (₹1 करोड़) (iii) भारतीय Creation of Capital Assets under the भाषाओं के संवर्द्धन हेतु अनुदान (₹2.50 scheme (i) Auroville Foundation करोड़) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों (₹10.10 crore) (ii) PM Girls' Hostel (₹1 के सृजन हेतु अनुदान। crore) (iii) Grants for promotion of 29.10 29.10 Indian Language (₹2.50 crore). (ख) अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु 1. (i) पीपीपी (b) For meeting additional expenditure माध्यम से आईआईटी की स्थापना (₹10 towards 1. Grants-in-aid General under करोड़) (ii) नवीन आईआईटी की स्थापना the scheme (i) Setting up IITs in PPP (₹९ करोड़) (iii) आईआईटी को सहायता Mode (₹10 crore) and of New IITs (₹9 (₹30 करोड़) (iv) आईआईएम को सहायता crore) (ii) Support to IITs (₹30 crore) (₹20 करोड़) (v) भारतीय इंजीनियरी, and to IIMs (₹20 crore) (iii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान Upgradation of Indian Institute of (आईआईईएसटी) का अपग्रेडेशन (₹3 Engineering, Science and Technology करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान (IIEST) (₹3 crore) 2. Grants for सहायता। 2. (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान Creation of Capital Assets under को सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य scheme (i) Support to Indian Institutes अनुदान सहायता (₹80 करोड़) (ii) नवीन of Technology (₹80 crore) (ii) Setting आईआईटी की स्थापना (₹3 करोड़) (iii) up of New IITs (₹3 crore and (iii) IIT आईआईटी आंध्र प्रदेश (₹15 करोड़) (iv) Andhra Pradesh (₹15 crore) (iv) भारतीय प्रबंधन संस्थान को सहायता (₹65 Support to Indian Institute of करोड़) (v) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान Management (₹65 crore (v) Support to

		(कर	(करोड़ रुपए Rupees		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total	
(एनआईटी) को सहायता (₹200 करोड़) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान 3. (i) भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय विज्ञान एवं शिक्षा अनुसंधान संस्थान को सहायता (₹4 करोड़) (ii) भारतीय प्रबंधन संस्थान को सहायता (₹15 करोड़) (iii) आईआईटी आंध्र प्रदेश (₹1 करोड़) (iv) भारतीय इंजीनियरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकत संस्थान (आईआईईएसटी) का अपग्रेडेशन (₹15 करोड़) स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता। (ग) (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता	National Institute of Technology (₹200 crore) 3. Grants-in-aid Salaries under the scheme (i) Support to Indian Institute of Science (IISc) and Indian Institute of Science and Education Research (IISER) (₹4 crore) (ii) Support to Indian Institute of Management (₹15 crore) (iii) IIT Andhra Pradesh (₹1 crore) (iv) Upgradation of Indian Institute of Engineering, Science and Technology (IIEST) (₹15 crore). (c) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General under	470.00	-	470.00	
(₹250 करोड़) (ii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को सहायता स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता (₹44 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करना।	the scheme Support to Indian Institute of Technology (₹250 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries under the scheme Support to National Institute of Technology (NITs) (₹44 crore).	_	294.00	294.00	
(घ) अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु 1. (i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को सहायता (₹160 करोड़) (ii) भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन हेतु अनुदान (₹5 करोड़) 2. (i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को सहायता (₹10 करोड़) स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता।	(d) For meeting additional expenditure towards 1. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (i) Support to National Institute of Technology (NITs) (₹160 crore) (ii) Grants for Promotion of Indian Languages (₹5 crore) 2. Grants-in-aid Salaries under the scheme Support to National Institute of Technology (NITs) (₹10 crore).	175.00		175.00	
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND	175.00		170.00	
53 सूचना और प्रसारण मंत्रालय स्वायत्त निकायों को वेतन भुगतान हेतु	BROADCASTING 53 Ministry of Information and Broadcasting For salary component of Autonomous		6.61	6.61	
श्रम और रोजगार मंत्रालय	Bodies. MINISTRY OF LABOUR AND	-	6.61	6.61	
54 श्रम और रोजगार मंत्रालय वेतन अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त देयताओं को पूरा करना (i) केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड (₹10.33 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय श्रम संस्थानों को बकायों, सेवानिवृत्ति लाभों जैसे उपदान, छुट्टी नकदीकरण आदि के भुगतान हेतु (₹0.54 करोड़)।	EMPLOYMENT 54 Ministry of Labour and Employment For meeting additional liabilities towards Grants-in-aid Salaries for (i) Central Board for Workers Education (₹10.33 crore) and (ii) National Labour Institutes towards the payment of arrears, retirement benefit such as gratuity, leave encashment, etc. (₹0.54 crore).	-	10.87	10.87	
विधि एवं न्याय मंत्रालय 56 विधि एवं न्याय (क) ई-कोर्ट चरण-॥ परियोजना के कार्यान्वयन हेतु ई-समितियों के मांगपत्र के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों की वचनबद्ध देयताओं को रिलीज़ करने हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में ई-कोर्ट चरण-॥ परियोजना के कार्यान्वयन हेतु ई-समितियों के मांगपत्र	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 56 Law and Justice (a) For meeting additional expenditure towards release of committed liabilities to various High Courts as per the requisition of the e-committees for implementing E-court Phase II project. (b) For meeting the additional expenditure towards release of committed liabilities	56.09	-	56.09	

अनुसास करा देखर सास,	2016-2017 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOI		\	(XXIX)
			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों की वचनबद्ध देयताओं को रिलीज़ करने हेतु	to various High Courts as per the requisition of the e-committees for			
अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	implementing E-court Phase II project in NER.	22.36	-	22.36
ग्रान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
9 खान मंत्रालय	59 Ministry of Mines			
(i) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ रॉक मशीन	For meeting additional requirement towards			
(एनआईआरएम) (₹ 0.44 करोड़) (ii) नेशनल	Grants-in-aid Salary to (i) National Institute			
इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ (एनआईएमएच)	of Rock Mechanics (NIRM) (₹0.44 crore)			
(₹ 0.12 करोड़) और (iii) जवाहर लाल नेहरू	(ii) National Institute of Miners' Health			
अल्युमिनियम रिसर्च डेवेलपमेंट एण्ड डिजाइन सेन्टर	(NIMH) (₹0.12 crore) and (iii) Jawaharlal			
(जेएनएआरडीडीसी) (₹ 0.40 करोड़) को सहायता-	Nehru Aluminium Research Development &		0.06	0.06
अनुदान वेतन हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	Design Centre (JNARDDC) (₹0.40 crore).	-	0.96	0.96
ल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	60 Ministry of Minority Affairs			
(i)अल्पसंख्यकों के लिए पेशेवर और तकनीकी	For meeting expenditure towards (i) Merit-			
पाठ्यक्रमों हेतु मेधा-सह-साधन छात्रवृति (₹ 60	cum-Means scholorship for Profession and			
करोड़) और (ii) अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-	Technical Courses for Minorities (₹60 crore)			
पश्च छात्रवृति के अंतर्गत राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल	and (ii) Professional Services-Development of			
का पेशेवर सेवा-विकास (₹11.29 करोड़) हेतु	National Scholorship Portal under Post-Matric	71.29		71.20
व्यय को पूरा करना।	Scholorship for Minorities (₹11.29 crore).	/1.29	-	71.29
वीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
1 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	61 Ministry of New and Renewable Energy			
1. पवन ऊर्जा (ग्रिड) के अंतर्गत सब्सिडी हेतु	For meeting additional requirement towards			
ग्रिड इंटरएक्टिव एण्ड डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल पावर	1. Grid Interactive and Distributed			
त्रिष्ठ इटरराक्टव एण्ड डिस्ट्राब्यूटड रिन्यूरबल पावर (₹123.95 करोड़) 2. सामान्य अनुदान सहायता	Renewable Power for subsidy under Wind			
अनुपालन (i) सूचना और लोक विज्ञापन	Power (Grid) (₹123.95 crore) 2. Grants-in-			
(आईएण्डपीए) कार्यक्रम (₹1 करोड़) और (ii)	aid General (i) under Information and Public			
सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत	Advertising (I&PA) Programme (₹1 crore)			
प्रशिक्षण कार्यक्रम (₹4.20 करोड़) 3. नई	and (ii) for training programmes under			
प्रौद्योगिकियों के अंतर्गत उपकरण की खरीद हेतु	Suryamitra Skill Development Programme			
पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹2.35	(₹4.20 crore) 3. Grants for Creation of			
करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	Capital Assets for purchase of equipment			
पराज़ हतु जातात्पत ज्यय पर्रा पूरा परिता	under New Technologies (₹2.35 crore).	131.50	-	131.50
ाजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
7 योजना मंत्रालय	67 Ministry of Planning			
(i) बैंक खातों के माध्यम से डिजिटल भुगतानों	For providing Grants-in-aid General towards			
को बढ़ावा देना (₹ 50 करोड़) (ii) दो स्कीमों	(i) promotion of digital payments through			
नामतः लकी ग्राहक योजना और डिजि धन व्यापार	bank accounts (₹50 crore) (ii) Out Reach			
योजना के अंतर्गत आउटरीच प्रोग्राम, ताकि	Programme under two schemes namely			
उपभोक्ताओं और कारोबारियों के बीच डिजिटल	Lucky Grahak Yojana and Digi Dhan Vyapar			
भुगतानों को बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें	Yojana to promote and incentivize digital			
प्रोत्साहित किया जा सके (₹50 करोड़), हेतु	payments among consumers and merchants			
सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराना।	(₹50 crore).	100.00	-	100.00
र्जा मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
3 ऊर्जा मंत्रालय	68 Ministry of Power			
एकीकृत ऊर्जा विकास योजना (आईपीडीएस) के	For providing additional funds as loans and			
अंतर्गत ऋण और अग्रिमों के रूप में अतिरिक्त	advances under Integrated PowerDevelopment			
निधियां उपलब्ध कराना।	Scheme (IPDS).	165.71	-	165.71

			रोड़ रुपए Rupee	<u>_</u>
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	ा जोड़ Total
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
74 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	74 Ministry of Road Transport and Highways			
(क) निम्नलिखित हेतु (i) असंगठित क्षेत्र मानव संसाधन विकास में चालकों के पुनश् प्रशिक्षण की योजना के अंतर्गत पूंजी आरि के सृजन हेतु अनुदान उपलब्ध कराना (करोड़) (ii) मानव संसाधनों को भाड़े लेने हेतु अन्य शुल्कों और नेशनल डाट नेटवर्क (₹7 करोड़) के अंतर्गत हार्ड मदों की खरीद हेतु अतिरिक्त व्यय को करना।	शोर (a) For (i) providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme of Refresher Training of Drivers in unorganised sector and Human Resource Development (₹10 crore) (ii) meeting additional expenditure under other charges for hiring of manpower	17.00	_	17.00
(ख) निम्नलिखित के अंतर्गत मुख्य निर्माण पर व्यय पूरा करने के लिए (i) सड़क के बाह्य सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए प्रि निधियन (₹ 820 करोड़) एवं (ii) रा	तर्य (b) For meeting expenditure on Major Works under (i) counterpart funding for externally aided schemes of Roads ऐय Wing (₹820 crore) and (ii) National			
राजमार्ग मूल निर्माण कार्य (₹189 करोज् विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND	1,009.00	-	1009.00
77 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (क) निम्नलिखित प्रदान करने के लिए 1. सार्य सहायता अनुदान (i) स्वायत्त संस्थान व्यवसायिक निकाय (₹ 24 करोड़) (ii) वि में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम (₹ करोड़) (iii) अनु. जाति के लिए विशेष घ आयोजना (₹ 7 करोड़) 2. पूंजी आर्रि के सृजन हेतु अनुदान (i) स्वायत्त संस् और व्यावसायिक निकाय (₹ 16 करोड़) (ii) अनुसंधान और विकास सहायता (₹ 30 करोड़) (iv) जलवायु परिवर्तन कार्य (₹ 15 करोड़) (v) राष्ट्रीय नैनो विज्ञान नैनो प्रौद्योगिकी मिशन (₹ 30 करोड़) अनु. जाति के लिए विशेष घटक आयो (₹ 10 करोड़)।	for (i) Autonomous institute and Profession Bodies (₹24 crore) (ii) Disha Programme for women in Science (₹10 crore) (iii) Special Component Plan for यों Scheduled Castes (SERB) (₹7 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets for (i) Autonomous Institute and Professional Bodies (₹16 crore) (ii) Research & Development Support (₹20 crore) (iii) Technology Development Programme (₹30 crore) (iv) Climate Change Programme (₹15 crore) (v) National Mission on Nano Science and Nano Technology (₹30 crore) (vi) Special Component Plan for Scheduled	162.00		162.00
(ख) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड हेतु सामान्य सह अनुदान प्रदान करने के लिए।	Castes (SERB) (₹10 crore). (b) For providing Grants-in-aid General for Technology Development Board.	162.00	20.00	162.00 20.00
78 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय प्रयोगश् के अंतर्गत सीएसआईआर (₹ 118.93 कर्ं (ii) सीईएल (₹ 2.25 करोड़) (iii) एनआर (₹ 0.18 करोड़ (iv) पीएसीई (₹ 1.45 करें 2. राष्ट्रीय प्रयोगशाला के अंतर्गत सीएसआई को सहायता अनुदान वेतन (₹ 30.07 करोर 3. बर्ड सीआरटीडीएच को पूंजी आस्तिय सृजन हेतु अनुदान (₹ 1.19 करोड़)।	78 Department of Scientific and Industrial Research	154.07		154.07
पोत परिवहन मंत्रालय 80 पोत परिवहन मंत्रालय (क) व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत अतिर्वित्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF SHIPPING 80 Ministry of Shipping	134.07	1.50	1.50

		<u>(कर</u>	गेड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड भूमि के 5 भूखंडों के अधिग्रहण के लिए भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए। (ग) (i) कोलकाता पत्तन न्यास को स्वच्छ क्रियाकलापों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹30 करोड़) चेन्नै पत्तन (₹3.29 करोड़) कोचीन पत्तन (₹2.61 करोड़) और मोरमुगाव पत्तन (₹2.10 करोड़) (ii) सब- वे के निर्माण के लिए कोचीन पत्तन न्यास को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान(₹	 (b) For providing Grants for Creation of Capital Assets to Inland Water Authority of India for taking over 5 parcels of land from Central Inland Water Transport Coporation Limited. (c) For providing (i) Grants-in-aid General to Kolkata Port Trust (₹30 crore), Chennai Port (₹3.29 crore), Cochin Port (₹2.61 crore) and Mormugao Port (₹2.10 crore) for Swachchta activities (ii) Grants for Creation of Capital Assests to Cochin Port Trust for construction of subway 	18.30	-	18.30
4.45 करोड़)। (घ) राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के लिए व्यावसायिक सेवाओं के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा	(₹4.45 crore).(d) For meeting additional expenditure under professional Services for National	42.45	-	42.45
करने हेतु। (ङ) सहायता अनुदान वेतन प्रदान करने के लिए (i) भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण (₹ 10 करोड़) और (ii) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम (₹ 0.30 करोड़)।	Shipping Board. (e) For providing Grants-in-aid Salaries to (i) Inland Water Authority of India (₹10 crore) and (ii) Central Inland Water Transport Corporation (₹0.30 crore).		0.10	0.10
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT			
81 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	AND ENTREPRENEURSHIP 81 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship			
अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) केन्द्रीय निधि प्राप्त संस्थानों के लिए वेतन (₹ 5 करोड़) (ii) प्रशिक्षण महानिदेशालय संबंधी लंबित बिलों के लिए प्रकाशन (₹ 33.10 करोड़) और (iii) राज्यों की लंबित देनदारियों का भुगतान करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 140 करोड़)	For meeting additional requirement towards (i) Salaries for Central Funded Institutes (₹5 crore) (ii) Publication for pending bills pertaining to Directorate General of Training (₹33.10 crore) and (iii) Grants-in-aid General for clearing the pending liabilities of States (₹140 crore).		-	178.10
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
(क) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 1. स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुवान (i) अनु. जाति के लिए रवैच्छिक संगठन को सहायता अनुवान (₹10 करोड़) (ii) अनु. जाति के लिए शीर्ष स्तरीय शिक्षा (₹10 करोड़) 2. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बालक-बालिका छात्रावास स्कीम के अंतर्गत पूंजी	82 Department of Social Justice and Empowerment (a) For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the scheme (i) Assistance to Voluntary Organisation for SCs (₹10 crore) (ii) Top Class Education for SCs (₹10 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Boys and Girls			
आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.50 करोड़)। (ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए	Hostel for OBCs. (₹0.50 crore). (b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme National Commission for	20.50	-	20.50
अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। 83 दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग	Backward Classes. 83 Department of Empowerment of Persons with Disabilities		0.10	0.10
(क) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) पी डब्ल्यू डी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (₹ 4.12 करोड़) (ii) पी डब्ल्यू डी के लिए शीर्ष स्तरीय शिक्षा (₹ 0.45 करोड़) (iii)	(a) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme (i) National Fellowship for PWDs (₹4.12 crore) (ii) Top Class Education for PWDs (₹0.45 crore) (iii)			

		आयोजना	गेड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयाजना Plan	आयाजना-ाभन्न Non Plan	जोड़ Total
मैद्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (₹ 2.50 करोड़) (iv) मैद्रिक पश्च छात्रवृत्ति (₹3.04 करोड़) (v) राष्ट्रीय न्यास के लिए बजटीय सहायता (₹ 1.80 करोड़) (vi) स्टेट स्पाइनल इन्जुरी सेंटर (₹1 करोड़) (vii) बिधर कॉलेज (₹ 0.81 करोड़) (viii) जागरूकता पैदा करना और प्रचार (₹ 0.50 करोड़) (ix) राष्ट्रीय अंघ, बिधर और मानसिक विकृति तथा अस्थि विकलांग संस्थान (₹ 17.15 करोड़) (x) सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (₹ 0.60 करोड़)।	Pre Matric Scholarship (₹2.50 crore) (iv) Post Matric Scholarship (₹3.04 crore) (v) Budgetary Support of National Trust (₹1.80 crore) (vi) Setting of State Spinal Injury Centre (₹1 crore) (vii) College of Deaf (₹0.81 crore) (viii) Awareness generation and Publicity (₹0.50 crore) (ix) National Institute for the blind, deaf, mentally retarded and the orthopedically handicapped (₹17.15 crore) (x) Establishment of Institute of Sign Language Research and Training (₹0.60 crore).	31.97		31.97
(ख) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय अंधता, बधिर मंदबुद्धि और अस्थि विकलांग संस्थान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.67 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹ 3.61 करोड़) (ii) भारतीय पुनर्वास परिषद स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.03 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹ 0.20 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹1.67 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹3.61 crore) under the scheme National Institute for the blind, deaf, mentally retarded and the orthopedically handicapped (ii) Grants-in-aid General (₹0.03 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹0.20 crore) under the scheme Rehabilitation Council of			5117,
(ग) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) दिव्यांगजन के लिए शीर्ष स्तरीय शिक्षा (₹ 0.06 करोड़) (ii) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (₹ 0.80 करोड़) (iii) मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति (₹ 0.80 करोड़) (iv) राष्ट्रीय न्यास के लिए बजटीय सहायता (₹ 0.20 करोड़) (v) राष्ट्रीय अंघता बाधिर, मंदबुद्धि और अस्थि विकलांग संस्थान में दिव्यांगजनों के लिए (₹ 2.72 करोड़)।	Indian. (c) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme (i) Top Class Education for Persons with Disabilities (PWDs)(₹0.06 crore) (ii) Pre Matric Scholarship (₹0.60 crore) (iii) Post Matric Scholarship (₹0.80 crore) (iv) Budgetary Support for National Trust (₹0.20 crore) (v) National Institute for the blind, deaf, mentally retarded and the orthopedically handicapped for the blind, deaf, mentally retarded and the orthopedically handicapped (₹2.72 crore).	4.38	5.51	5.51
भंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
 अंतिरक्ष विभाग (क) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए अनुदान सहायता वेतन प्रदान करने हेतु। (ख) मशीनरी और उपकरण प्रदान करने के लिए (i) पोलर सैटेलाइट लाँच व्हिकल (₹ 5 करोड़) (ii) इसरो सैटेलाइट केन्द्र (₹ 0.75 करोड़) (iii) जी-सैट-15 सैटेलाइट (₹ 0.60 करोड़)। 	 84 Department of Space (a) For providing Grants-in-aid Salaries towards National Atmospheric Research Laboratory. (b) For providing Machinery & Equipments towards (i) Polar Satellite Launch Vehicle (₹5 crore) (ii) ISRO Satellite Centre (₹0.75 crore) (iii) G SAT-15 Satellite (₹0.60 crore). 	6.35	1.40	1.40 6.35
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 35 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION 85 Ministry of Statistics and Programme			
भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 8 करोड़) और अनुदान सहायता वेतन (₹ 5 करोड़)।	Implementation For providing Grants-in-aid General (₹8 crore) and Grants-in-aid Salary (₹5 crore) for Indian Statistical Institute, Kolkata.	13.00	-	13.00

		<i>(क</i> र	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
87 वस्त्र मंत्रालय (क) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (i) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1 करोड़) साधारण विद्युतकरघा के स्वस्थाने उन्नयन स्कीम के तहत (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़)।	87 Ministry of Textiles (a) For meeting additional requirement towards (i) Grants for Creation of Capital Assets (₹1 crore) under the scheme In-situ Upgradation of Plain Powerloom and (ii) Grants-in-aid General (₹10 crore) under NER Textile			
(ख) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए 1. सामान्य सहायता अनुदान (i) अनुसंधान और विकास (हस्तिशिल्प) स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी और अन्य एजेंसियां (₹ 4.50 करोड़) (ii) मानव अनुसंधान विकास (हस्तिशिल्प) स्कीम के अंतर्गत (₹ 2 करोड़) 2. व्यापक हस्तिशिल्प कलस्टर विकास कार्यक्रम-हस्तिशिल्प मेगा कलस्टर स्कीम के अंतर्गत कलस्टर रकीम के अंतर्गत कलस्टर प्रबंधन और तकनीकीय एजेंसियों को व्यावसायिक सेवाएं (₹1 करोड़)।	Promotion Scheme. (b) For meeting additional requirement towards 1. Grants-in-aid General to (i) National Institute of Fashion Technology (NIFT) and other agencies under the scheme Research & Development (Handicraft) (₹4.50 crore) (ii) under the scheme Human Research Development (Handicraft) (₹2 crore) 2. Professional Services to Cluster Management and Technical Agencies under the scheme Comprehensive handicraft Cluster	11.00	-	11.00
(ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड-अनुदान स्कीम के अंतर्गत 2016-17 के दौरान वेतन एवं भत्तों, मजदूरी, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ पर प्रतिबद्ध भुगतानों के लिए सहायता अनुदान वेतन हेतु अतिरिक्त राशि पूरी करने के लिए।	Development Programme-Handicraft Mega Cluster (₹1 crore). (c) For meeting additional amount towards Grants-in-aid Salaries for payment of salaries & allowances, wages, pension and retirement benefits during 2016-17 under the scheme Central Silk Board	7.50	-	7.50
(घ) अतिरिक्त राशि पूरी करने के लिए (i) मानव संसाधन विकास स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 45 करोड़) और (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और कानपुर को जूट सहित वस्त्र स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 9.01 करोड़)।	Grants. (d) For meeting additional amount towards (i) Grants-in-aid General (₹45 crore) under the scheme Humar Resources Development and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹9.01 crore) to Indian Institutes of Technology (IIT) Delhi and Kanpur under the scheme Textile including jute.	54.01	7.50	7.50 54.01
पर्यटन मंत्रालय 88 पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन-विषय आधारित पर्यटक सर्किटों के एकीकृत विकास के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	MINISTRY OF TOURISM 88 Ministry of Tourism For providing Grants-in-aid General under Swadesh Darshan-Integrated Development of Theme-Based Tourist Circuits.	185.44	-	185.44
जनजातीय कार्य मंत्रालय 89 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS 89 Ministry of Tribal Affairs For meeting additional expenditure towards Scholorship under the scheme National Fellowship and Scholorship for Higher Education of ST Students.	30.00	_	30.00
संघ राज्य क्षेत्र (विधानसभा रहित) 90 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (क) वक्फ बोर्ड को सहायता अनुदान वेतन के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE) 90 Andaman and Nicobar Islands (a) For meeting the expenditure towards Grants-in-aid Salaries to Waqf Board.	_	0.06	0.06

					(करोड़ रुपए Rupees in		in Crore)
अनुदा	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gra	ant	No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
	(ख) अंतर द्वीप पोतों के प्रचालन के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।		(b)	For meeting additional expenditure towards operation of inter-island		10.12	
	(ग) समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को सहायता		(c)	vessels. For meeting the expenditure towards	-	10.13	10.13
	अनुदान वेतन के लिए व्यय पूरा करने हेतु।			Grants-in-aid Salaries to Social Welfare Advisory Board.	-	0.15	0.15
	(घ) अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) वन विकास के लिए वन विभाग के संबंध में भवनों का निर्माण (₹0.42 करोड़) (ii) संरक्षण (₹0.50 करोड़) और मशीनरी की खरीद (₹0.27 करोड़) वन एवं तटीय इको-प्रणाली के लिए (iii) वन उत्पाद (₹0.80 करोड़) (iv) वन्य जीव भवन (₹4 करोड़) (v) चाथम आरा मिल (₹0.15 करोड़)।		(d)	For meeting additional expenditure for (i) construction of buildings in respect of Forest Department for development of forest (₹0.42 crore) (ii) protection (₹0.50 crore) and purchase of machinery (₹0.27 crore) for forests and coastal Ecosystem (iii) forest produce (₹0.80 crore) (iv) Wild life building (₹4 crore) (v) Chatham Saw Mill (₹0.15 crore).	6.14		6.14
	(ड) आपदा प्रबंधन के लिए भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।		(e)	For meeting additional expenditure towards construction of building for			0.14
	(च) ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए अतिरिक्त		(f)	Disaster Management. For meeting additional expenditure	0.99	-	0.99
	व्यय पूरा करने हेतु। (छ) जनजातीय क्षेत्रों में जेटी के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।		(g)	towards contruction of rural roads. For meeting additional expenditure towards construction of jetties in tribal	3.00	-	3.00
	(ज) आईआरबीएन (₹2 करोड़) और पुलिस आवास (₹0.70 करोड़) के भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।		(h)	area. For meeting additional expenditure towards construction of building for IRBn (₹2 crore) and for police housing	9.00	-	9.00
	(झ) अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (i) मोटर वाहन की खरीद (₹0.14 करोड़) (ii) कॉलेज भवनों का निर्माण (₹3.28 करोड़) (iii) पोलीटेकनिक भवन (₹2.93 करोड़) और (iv) स्पोर्ट्स स्टेडियम (₹1.91 करोड़)।		(i)	(₹0.70 crore). For meeting additional expenditure towards (i) purchase of Motor Vehicles (₹0.14 crore) (ii) construction of college buildings (₹3.28 crore) (iii) Polytechnic building (₹2.93 crore) and (iv) sports	2.70	-	2.70
	(ञ) ग्रामीण विकास के लिए भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।		(j)	stadium (₹1.91 crore). For meeting additional expenditure towards construction of building for	8.26	-	8.26
	(ट) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के		(k)	Rural Development. For meeting additional expenditure towards construction of building for	1.00	-	1.00
	लिए। (ठ) समुद्री दीवार के निर्माण के लिए अतिरिक्त		(1)	Department of Science and Technology. For meeting additional expenditure	0.05	-	0.05
	व्यय पूरा करने हेतु।	0.0	_	towards construction of sea wall.	2.70	-	2.70
	दादरा और नागर हवेली (क) निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (i) दपादा, जांदा चौक और अम्बोली में बालिका छात्रावास का निर्माण (₹0.90 करोड़) (ii) मारेखाल, फलांदी, मसात, सुरंगी, खरेडी और सिंडोनी में उच्च विद्यालय भवन का निर्माण (₹0.93 करोड़) (iii) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विशेष मरम्मत (₹1.17 करोड़)। (ख) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (i) दुधानी चरण-II और चरण-III में वाटर फ्रांट विकास (₹0.75 करोड़) (ii) दादरा गार्डेन में सिग्नेचर पैदल पुल का निर्माण (₹3.25 करोड़) (iii) नक्षत्र वन गार्डेन के		(a)	dra and Nagar Haveli For meeting additional requirement towards (i) construction of Girls Hostel at Dapada, Zanda Chowk and Amboli (₹0.90 crore) (ii) construction of High School Building at Morkhal, Falandi, Masat, Surangi, Kherdi and Sindoni (₹0.93 crore) and (iii) Special repairs to higher secondary schools (₹1.17 crore). For meeting additional requirement towards (i) Development of water front at Dudhani Phase-II & Phase-III (₹0.75 crore) (ii) Construction of signature pedestrian bridge at Dadra Garden	3.00	-	3.00

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
पास दमन गंगा नदी के आर-पार वेयर का निर्माण (₹1 करोड़)।	(₹3.25 crore) (iii) Construction of weir across Daman Ganga River near Nakshatra Van Garden (₹1 crore).	5.00	-	5.00
04. लक्षद्वीप वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान की गई एचएसडी की खरीद के एवज में डीजीएस	94 Lakshadweep For payment to DGS&D against the procurement of HSD made during the		77.00	
एंड डी को भुगतान हेतु।	Financial Year 2011-12 & 2012-13.	-	55.00	55.00
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
95 शहरी विकास मंत्रालय	95 Ministry of Urban Development			
(क) व्यय पूरा करने के लिए (i) कार्यालयी खर्च (₹1.77 करोड़) (ii) किराया, दर और कर (₹14.27 करोड़) (iii) सांसद आवास का	(a) For meeting expenditure towards (i) Office Expenses (₹1.77 crore) (ii) Rent, Rate and Taxes (₹14.27 crore) (iii)			
रखरखाव और मरम्मत कार्य (₹10 करोड़)। (ख) आय कर, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	Maintenance and Repair works of MP House (₹10 crore). (b) For providing expenditure towards	-	26.04	26.04
और आईटी भवन का बान्द्रा कुर्ला परिसर, मुम्बई में निर्माण के लिए मुख्य निर्माण कार्य हेतु व्यय की व्यवस्था करना।	Major Works for construction of office building of Income Tax, Customs and Central Excise and IT Building at			
(ग) त्रिवेन्द्रम में आरवीटीआई हेतु 7 स्टाफ क्वार्टर के निर्माण हेतु मुख्य निर्माण कार्य के लिए	Bandra-Kurla Complex, Mumbai. (c) For meeting expenditure towards Major Works for construction of 7 staff quarters	-	62.00	62.00
व्यय पूरा करना। (घ) वेस्टर्न कोर्ट होस्टेल और लोक सभा आवासों	for RVTI at Trivandrum. (d) For construction of Western Court	1.00	-	1.00
के निर्माण के लिए। (ड) (i) पुणे मेट्रो इक्विटी (₹100 करोड़) (ii) नागपुर मेट्रो इक्विटी (₹60 करोड़) के लिए	Hostel and Lok Sabha Residences. (e) For providing expenditure towards (i) Pune Metro Equity (₹100 crore) and	-	25.00	25.00
व्यय की व्यवस्था करना। (च) व्यय प्रदान करने के लिए (i) चेन्नै मेट्रो (₹331 .86 करोड़) (ii) नागपुर मेट्रो (पास ध्रू सहायता) (₹36 करोड़) (iii) चेन्नै मेट्रो (उप-ऋण) (₹59.20 करोड़) (iv) नागपुर मेट्रो (उप-ऋण) (₹70 करोड़)।	 (ii) Nagpur Metro Equity (₹60 crore). (f) For providing expenditure towards (i) Chennai Metro (₹331.86 crore) (ii) Nagpur Metro (Pass Through Assistance) (₹36 crore) (iii) Chennai Metro (Sub-Debt) (₹59.20 crore) (iv) Nagpur Metro (Sub-Debt) (₹70 crore). 	160.00 497.06	_	160.00 497.06
नल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA			
	REJUVENATION			
मंत्रालय	96 Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
(क) 1. पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदान (ईएपी घटक ₹3.03 करोड़) और कार्यक्रम घटक (₹3.03 करोड़) राष्ट्रीय पन बिजली परियोजना के लिए 2. ब्याज भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (₹26.21 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को पीएमएस के वाई के लिए नाबार्ड ऋण के एवज में (₹18.79 करोड़)।	(a) For providing 1. additional Grants for Creation of Capital Assets (EAP Component - ₹3.03 crore and Programme Component - ₹3.03 crore) for National Hydrology Project 2. Grants-in-aid General towards payment of interest (i) to National Water Development Agency (₹26.21 crore) and (ii) against NABARD loan for PMSKY to National Water Development Agency (₹18.79 crore).	51.06	_	51.00
(ख) बाढ़ पूर्वानुमान स्कीम के अंतर्गत बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के संबंध में दामोदर घाटी निगम को ऋण जारी करने के लिए।	(b) For release of loans to Damodar Valley Corporation in respect of Externally Aided Project under the scheme Flood Forecasting.	9.00		9.00

		(क	(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total		
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
 97. महिला और बाल विकास मंत्रालय (क) अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) वन स्टॉप सेंटर स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹29.80 करोड़) (ii) राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन स्कीम के अंतर्गत किराया, दर और कर (₹0.85 करोड़)। (ख) एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु। 	 97 Ministry of Women and Child Development (a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme One Stop Centre (₹29.80 crore) (ii) Rent, Rate & Taxes under the scheme National Mission for Empowerment of Women (₹0.85 crore). (b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Integrated Child Development Services (ICDS). 	30.65 105.40	-	30.65		
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
98 युवा मामले और खेल मंत्रालय (क) 1. सामान्य सहायता अनुदान (i) अंतरराष्ट्रीय सहयोग (₹2.40 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय युवा कोर स्कीम (₹5 करोड़) 2. सहायता अनुदान वेतन (i) युवा केन्द्र संगठन (₹5 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (₹0.30 करोड़) 3. भारतीय खेल प्राधिकरण स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹21.90 करोड़)।	 Ministry of Youth Affairs and Sports (a) For 1. Grants-in-aid General under (i) International Co-operation (₹2.40 crore) and (ii) National Youth Corps Scheme (₹5 crore) 2. Grants-in-aid Salaries under (i) Yuva Kendra Sangthan (₹5 crore) and (ii) National Anti-Doping Agency (₹0.30 crore) 3. Grants for Creation of Capital Assets under Sports Authority of India Scheme (₹21.90 crore). (b) For (i) Grants-in-aid General (₹0.34 	34.60	_	34.60		
अनुदान (₹0.34 करोड़) और नेहरू युवा केन्द्र संगठन के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹4.41 करोड़) (ii) सहायता अनुदान वेतन (₹0.75 करोड़) और कार्यालयी खर्च (₹0.25 करोड़) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान के अंतर्गत।	crore) and Grants-in-aid Salaries (₹4.41 crore) under Nehru Yuva Kendra Sanghtan (ii) Grants-in-aid Salaries (₹0.75 crore) and Office Expenses (₹0.25 crore) under Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development.	-	5.75	5.75		
कुल सांकेतिक	Total Token	0.88	0.52	1.40		
5. आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से ₹65,69,00,000 की अग्रिम राशि स्वीकृत की गई। अनुदान की पूरक मांगों के अनुमोदित होने के बाद इसे निधि में वापस जमा कर दिया जाएगा।	5. An advance of ₹65,69,00,000 was sanction India for meeting immediate requirement. This was Supplementary Demands for Grants are approved	ill be recoup				
कुल जोड़	GRAND TOTAL	12,141.01	11,22,914.68 11,	,35,055.69		
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	8,782.03	6,004.82 1	4,786.85		

0.88

0.52 1.40

निवल नकद व्यय Net Cash Outgo तकनीकी पूरक अनुदान 3,358.10 11,16,909.34 11,20,267.44 **Technical Supplementary** सांकेतिक पूरक अनुदान **Token Supplementary**

विषय सूची CONTENTS

						((करोड़ रुपए	Rupees in	(crore
						राजस्व	पूंजी		पृष्ट
मांग	संख्या और शीर्षक			No. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
कृषि	, सहकारिता एवं		MI	NISTRY OF AGRICULTURE AND					
	कृषक कल्याण मंत्रालय			FARMERS WELFARE					
1	कृषि, सहकारिता और कृषक		1.	Department of Agriculture, Cooperation					
	कल्याण विभाग	स्वीकृत		and Farmers Welfare	Voted	5233.96	22.21	5256.17	1
2.	कृषि अनुसंधान और		2.	Department of Agricultural Research					
	शिक्षा विभाग	स्वीकृत		and Education	Voted	0.03		0.03	4
3.	पशु पालन और डेयरी कार्य		3.	Department of Animal Husbandry,					
	तथा मात्स्यिकी विभाग	स्वीकृत		Dairying and Fisheries	Voted	0.02	•••	0.02	6
आनि	वेक ऊर्जा विभाग		DE	PARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
1.	आन्विक ऊर्जा	स्वीकृत	4.	Atomic Energy	Voted	298.87	1124.03	1422.90	7
भायु	र्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्स		MI	NISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND					
Ū	यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी			NATUROPATHY, UNANI,SIDDHA					
	मंत्रालय (आयुष)			AND HOMOEOPATHY (AYUSH)					
<u>.</u>	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक		5.	Ministry of Ayurveda, Yoga and					
	चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा			Naturopathy, Unani, Siddha and					
	होम्योपैथी विभाग (आयुष)	स्वीकृत		Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.03	5.00	5.03	10
सार	पन और उर्वरक मंत्रालय	c	MI	NISTRY OF CHEMICALS AND FERTI	LIZERS				
3.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	स्वीकृत	6.	Department of Chemical and Petrochemic		0.39		0.39	11
·.	उर्वरक विभाग	स्वीकृत	7.	Department of Fertilisers	Voted	0.02		0.02	12
3.	भेषज विभाग	स्वीकृत	8.	Department of Pharmaceuticals	Voted	0.02	100.00	100.02	13
	र विमानन मंत्रालय	13-11-1		NISTRY OF CIVIL AVIATION	Voicu	0.02	100.00	100.02	13
).	नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	9.	Ministry of Civil Aviation	Voted	0.01	69.07	69.08	14
	ला मंत्रालय	रवावट्टरा		NISTRY OF COAL	Voicu	0.01	07.07	07.00	17
	कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	10.		Voted	195.36		195.36	15
	ज्य और उद्योग	रवावटूरा		NISTRY OF COMMERCE AND	Voicu	193.30	•••	193.30	13
11~1	मंत्रालय		IVIII	INDUSTRY					
4	वाणिज्य विभाग	स्तीक्ट	1.1		Voted	0.04	6.00	6.04	16
11.	औद्योगिक नीति तथा	स्वीकृत		Department of Commerce	Voted	0.04	6.00	6.04	16
۷.	संवर्धन विभाग		12.	Department of Industrial Policy and	37-4-1	0.01		0.01	10
	संविधन विमान र और सूचना प्रौद्योगिकी	स्वीकृत	MI	Promotion	Voted	0.01	•••	0.01	18
प्तचा	==		MII	NISTRY OF COMMUNICATIONS AND	,				
	मंत्रालय			INFORMATION TECHNOLOGY		2.00		2.00	
3.	डाक विभाग	भारित	13.	Department of Posts	Charged	3.08		3.08	4.0
		स्वीकृत			Voted	150.41	0.01	150.42	19
4.	दूरसंचार विभाग	भारित	14.	Department of Telecommunications	Charged	4.27	•••	4.27	
	` ` `	स्वीकृत			Voted	3440.46	0.01	3440.47	21
5.	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना	•	15.	Department of Electronics and					
	प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत		Information Technology	Voted	97.62	0.01	97.63	23
उपभ	ोक्ता मामले, खाद्य और		MI	NISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,					
	सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	I				
6.	उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	16.	Department of Consumer Affairs	Voted	3502.60	•••	3502.60	24
7.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	ा भारित	17.	Department of Food and Public Distribution	Charged	2.32		2.32	25
		स्वीकृत			Voted	14.26	0.01	14.27	
			MI	NISTRY OF CORPORATE AFFAIRS					
हार	पोरेट कार्य मंत्रालय								
	पोरेट कार्य मंत्रालय कारपोरेट कार्य मंत्रालय	स्वीकृत		Ministry of Corporate Affairs	Voted	5.37		5.37	27
18.		स्वीकृत	18.	Ministry of Corporate Affairs NISTRY OF CULTURE	Voted	5.37		5.37	27

(करोड़ रुपए Rupees in crore) जोड राजस्व पुंजी पृष्ट मांग संख्या और शीर्षक No. and Title of Demand Page Revenue Capital **Total** रक्षा मंत्रालय MINISTRY OF DEFENCE रक्षा मंत्रालय (विविध) भारित 77.00 78.45 20. 20. Ministry of Defence (Misc) 1.45 Charged स्वीकृत Voted 1052.72 0.03 1052.75 29 रक्षा पेंशन भारित 21. 21. Defence Pensions Charged 0.36 0.36 स्वीकृत Voted 3292.94 3292.94 32 रक्षा सेवाएं (राजस्व) स्वीकृत 22. Defence Services (Revenue) 5551.91 5551.91 Voted 33 ... रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय भारित Capital Outlay on Defence Services Charged 2.46 2.46 स्वीकृत Voted 0.01 0.01 34 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास MINISTRY OF DEVELOPMENT AND मंत्रालय NORTH EASTERN REGION 24. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास 24. Ministry of Development of North मंत्रालय स्वीकृत Eastern Region Voted 92.90 92.90 35 पेयजल एवं स्वच्छता MINISTRY OF DRINKING WATER मंत्रालय AND SANITATION 25. पेयजल एवं स्वच्छता 25. Ministry of Drinking Water and मंत्रालय स्वीकृत Sanitation Voted 0.01 0.01 36 पर्यावरण, वन और जलवायू MINISTRY OF ENVIRONMENT, परिवर्तन मंत्रालय FORESTS AND CLIMATE CHANGE पर्यावरण, वन और जलवायू 27. Ministry of Environment, Forests परिवर्तन मंत्रालय स्वीकृत and Climate Change Voted 11.91 11.91 37 विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS विदेश मंत्रालय 28. स्वीकृत Ministry of External Affairs Voted 0.01 0.01 38 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE आर्थिक कार्य विभाग 29. स्वीकृत Department of Economic Affairs Voted 5889.22 0.02 5889.24 39 वित्तीय सेवाएं विभाग स्वीकृत 30. Department of Financial Services 3586.38 3586.39 Voted 0.01 41 ब्याज भुगतान भारित 31. 31. Interest Payments Charged 1112.35 1112.35 42. राज्यों को अंतरण स्वीकृत 32. 32. Transfers to States Voted 3000.00 3000.00 43 विनियोग-ब्याज अदायगी भारित 33. Repayment of Debt Charged 1085437.69 1085437.69 44 भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग स्वीकृत Voted Indian Audit and Accounts Department 15.00 15.00 45 36 राजस्व विभाग स्वीकृत 0.01 37. Department of Revenue Voted 7.02 7.03 46 स्वीकृत प्रत्यक्ष कर 38. 38. Direct Taxes Voted 280.17 280.17 48 स्वीकृत अप्रत्यक्ष कर Indirect Taxes Voted 280.00 49 39. 280.00 खाद्य प्रसंस्करण MINISTRY OF FOOD PROCESSING उद्योग मंत्रालय INDUSTRIES खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वीकृत 41. Ministry of Food Processing Industries Voted 92.96 92.96 50 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग स्वीकृत 1448.48 Department of Health and Family Welfare Voted 1448.47 0.01 52. स्वीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग 43. 43. Department of Health Research Voted 0.02 0.02 54 भारी उद्योग और सरकारी उद्यम MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES मंत्रालय AND PUBLIC ENTERPRISES स्वीकृत भारी उद्योग विभाग 44. Department of Heavy Industry 400.02 1023.17 44 Voted 623.15 55 गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS गृह मंत्रालय स्वीकृत 46. Ministry of Home Affairs Voted 209.06 209.06 57 46. 48. पुलिस स्वीकृत 48. Police Voted 965.08 965.08 59 आवास और शहरी गरीबी MINISTRY OF HOUSING AND URBAN उपशमन मंत्रालय POVERTY ALLEVIATION 50. आवास और शहरी गरीबी 50. Ministry of Housing and Urban उपशमन मंत्रालय स्वीकृत Poverty Alleviation Voted 0.02 0.02 61 मानव संसाधन विकास MINISTRY OF HUMAN RESOURCE मंत्रालय DEVELOPMENT 51. स्कूली शिक्षा और 51. Department of School Education साक्षरता विभाग स्वीकृत and Literacy Voted 0.05 0.05 62 उच्चतर शिक्षा विभाग स्वीकृत 52. Department of Higher Education Voted 11.21 11.21 64

(करोड़ रुपए Rupees in crore) जोड राजस्व पुंजी पृष्ट मांग संख्या और शीर्षक No. and Title of Demand Page Revenue Capital **Total** सुचना और प्रसारण MINISTRY OF INFORMATION AND मंत्रालय BROADCASTING स्वीकृत 53. सूचना और प्रसारण मंत्रालय 53. Ministry of Information and Broadcasting Voted 57.36 57.36 66 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT श्रम एवं रोजगार मंत्रालय स्वीकृत 54. Ministry of Labour and Employment 0.01 0.01 Voted 67 विधि और न्याय मंत्रालय MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 56. विधि और न्याय स्वीकृत 56. Law and Justice Voted 0.02 0.02 68 सूक्ष्म, लघु और मध्यम MINISTRY OF MICRO, SMALL उद्यम मंत्रालय AND MEDIUM ENTERPRISES 58. सूक्ष्म, लघु और मध्यम 58. Ministry of Micro, Small and उद्यम मंत्रालय स्वीकृत Medium Enterprises 1697.90 1697.90 Voted 69 खान मंत्रालय MINISTRY OF MINES 59. खान मंत्रालय स्वीकृत 0.01 59. Ministry of Mines Voted 0.01 71 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS 60. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय स्वीकृत 0.01 60. Ministry of Minority Affairs Voted 0.01 72. नवीन तथा नवीकरणीय MINISTRY OF NEW AND ऊर्जा मंत्रालय RENEWABLE ENERGY 61. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय स्वीकृत 61. Ministry of New and Renewable Energy Voted 0.01 0.01 73 योजना मंत्रालय MINISTRY OF PLANNING 67. योजना मंत्रालय स्वीकृत 67. Ministry of Planning Voted 0.01 0.01 74 विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER 68. विद्युत मंत्रालय स्वीकृत 68. Ministry of Power Voted 585.90 296.26 882.16 75 राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION आयोग और उपराष्ट्रपति PUBLIC SERVICE COMMISSION AND का सचिवालय THE SECRETARIAT OF VICE PRESIDENT 70. लोक सभा भारित 70. Lok Sabha Charged 0.15 0.15 77 सडक परिवहन एवं राजमार्ग MINISTRY OF ROAD TRANSPORT मंत्रालय AND HIGHWAYS स्वीकृत सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय Ministry of Road Transport and Highways 2041.41 0.01 2041.42 Voted 78 ग्रामीण विकास मंत्रालय MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 75. ग्रामीण विकास विभाग स्वीकृत 75. Department of Rural Development Voted 898.98 898.98 80 विज्ञान और प्रौद्योगिकी MINISTRY OF SCIENCE AND मंत्रालय TECHNOLOGY स्वीकृत 77. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 77. Department of Science and Technology Voted 0.02 0.02 81 78. वैज्ञानिक और औद्योगिक 78. Department of Scientific and अनुसंधान विभाग स्वीकृत Industrial Research Voted 1.76 1.76 82. पोत परिवहन मंत्रालय MINISTRY OF SHIPPING 80. पोत परिवहन मंत्रालय स्वीकृत 80. Ministry of Shipping Voted 30.05 28.37 58.42 83 कौशल विकास और MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT उद्यमिता मंत्रालय AND ENTREPRENEURSHIP 81. कौशल विकास और 81. Ministry of Skill Development and उद्यमिता मंत्रालय स्वीकृत Entrepreneurship Voted 0.01 0.01 85 सामाजिक न्याय और अधिकारिता MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE मंत्रालय AND EMPOWERMENT 82. सामाजिक न्याय और 82. Department of Social Justice and अधिकारिता विभाग स्वीकृत Empowerment Voted 30.45 30.45 86 83. दिव्यांगजन सशक्तिकरण 83. Department of Empowerment of Persons विभाग स्वीकृत with Disabilities Voted 0.03 0.03 88 अंतरिक्ष विभाग DEPARTMENT OF SPACE 84. अंतरिक्ष विभाग स्वीकृत 84. Department of Space 299.15 Voted 299.14 0.01 90

(करोड़ रुपए Rupees in crore) जोड राजस्व पुंजी पृष्ट मांग संख्या और शीर्षक No. and Title of Demand Page Revenue Capital **Total** सांख्यिकी और कार्यक्रम MINISTRY OF STATISTICS AND कार्यान्वयन मंत्रालय PROGRAMME IMPLEMENTATION 85. सांख्यिकी और कार्यक्रम 85. Ministry of Statistics and Programme कार्यान्वयन मंत्रालय स्वीकृत Implementation Voted 0.01 0.01 91 इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL 86. इस्पात मंत्रालय भारित 86. Ministry of Steel 110.00 110.00 Charged स्वीकृत Voted 200.00 200.00 92 वस्त्र मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES 87. वस्त्र मंत्रालय स्वीकृत 87. Ministry of Textiles Voted 0.04 0.04 93 पर्यटन मंत्रालय MINISTRY OF TOURISM 88. पर्यटन मंत्रालय स्वीकृत 88. Ministry of Tourism Voted 0.01 0.01 95 जनजातीय कार्य मंत्रालय MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS जनजातीय कार्य मंत्रालय भारित 89. Ministry of Tribal Affairs Charged 121.17 121.17 स्वीकृत Voted 1.51 1.51 96 संघ राज्य क्षेत्र UNION TERRITORIES (विधान-मंडल रहित) (WITHOUT LEGISLATURE) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह स्वीकृत 90. 90. Andaman and Nicobar Islands Voted 620.43 0.09 620.52 98 चंडीगढ़ स्वीकृत 91. 91. Chandigarh Voted 30.96 30.96 102 दादरा एवं नगर हवेली स्वीकृत Dadra and Nagar Haveli Voted 58.10 0.02 58.12 104 92. दमन एवं दीव स्वीकृत 93. Daman and Diu Voted 3.00 3.00 106 94. लक्षद्वीप स्वीकृत Lakshadween Voted 0.01 0.01 107 शहरी विकास मंत्रालय MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT शहरी विकास विभाग भारित 95. Ministry of Urban Development 1.60 1.60 Charged स्वीकृत Voted 0.01 0.05 0.06 108 जल संसाधन, नदी विकास MINISTRY OF WATER RESOURCES, और गंगा संरक्षण RIVER DEVELOPMENT AND मंत्रालय GANGA REJUVENATION 96. जल संसाधन, नदी विकास 96. Ministry of Water Resources, River और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारित Development and Ganga Rejuvenation Charged 0.40 0.40 ... स्वीकृत Voted 6.01 0.01 6.02 110 महिला और बाल MINISTRY OF WOMEN AND CHILD विकास मंत्रालय DEVELOPMENT 97. महिला और बाल विकास मंत्रालय स्वीकृत 97. Ministry of Women and Child Development Voted 217.20 217.20 112 युवा मामले और खेल MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS मंत्रालय AND SPORTS 98. युवा मामले और खेल मंत्रालय 98. Ministry of Youth Affairs and Sports Voted 0.02 0.02 113 कुल जोड़ GRAND TOTAL 43896.29 1091159.40 1135055.69 भारित 1355.55 1085518.75 1086874.30 Charged स्वीकृत 42540.74 5640.65 48181.39 Voted ANNEXURE अनुबंध 114

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 1 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अन्दान: स्वीकृत: 35952.83 30.86 35983.69 Voted: SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: स्वीकृत: Voted: 7592.59 7592.59 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of the amount का पूरक अनुमान: now required: स्वीकृत: 5233.96 22.21 5256.17 Voted: जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 48779.38 53.07 48832.45 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-जोड़ Plan भिन्न Total Non-Plan REVENUE SECTION राजस्व भाग म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2401 - कृषि कार्य स्वीकृत: 2401 - Crop Husbandry Voted: 30.20 (**क**a) 0.01 (खb) 30.21 2416 - कृषि वित्तीय स्वीकृत: 2416 - Agricultural Financial Institutions Voted: 5203.72 (गc) 5203.72 संस्थान 2425 - सहकारिता स्वीकृत: 2425 -Co-operation Voted: 0.01 0.01 (घd) 2435 - अन्य कृषि कार्यक्रम स्वीकृत: 2435 - Other Agricultural Programmes 0.01 Voted: 0.01 (**ਭ**e) 2552 - पूर्वीत्तर क्षेत्र स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas Voted: 0.01 (चf) 0.01 जोड़ (राजस्व भाग) स्वीकृत: Total (Revenue Section) Voted: 30.23 5203.73 5233.96 CAPITAL SECTION पूंजी भाग मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD (छg) 4401 - फसल कार्य पर पूंजी स्वीकृत: 4401 - Capital Outlay on Crop Voted: 0.01 0.01 परिव्यय Husbandry 6425 - सहकारिता के लिए स्वीकृत: 6425 - Loans for Cooperation Voted: 22.20 (जh) 22.20 ऋण जोड़ (पूंजी भाग) स्वीकृत: **Total (Capital Section)** Voted: 22.21 22.21 जोड़ (पूरक) स्वीकृत: Total (Supplementary) Voted: 52.44 5203.73 5256.17 टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure. राजस्व भाग **REVENUE SECTION** 2416 - कृषि वित्तीय 2416 - Agricultural Financial Institutions (-) 5203.72 (-) 5203.72 संस्थान

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) कृषोन्नित योजना-केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत पादप िकस्म संरक्षण और किसानों के अधिकार के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 3.30 करोड़)।
 - (ii) कृषोन्नित योजना-केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 2.90 करोइ)और राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 4.30 करोड)।
 - (iii) कृषोन्नित योजना-केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत पौध संरक्षण और पादप संगरोध उप-मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 5.20 करोड़)।
 - (iv) बीज और बागवानी सामग्री उप-मिशन के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना ₹ 5.20 करोइ)।
 - (v) राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पंप मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 15 करोड़)।
 - (vi) कृषोन्नित योजना-केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (सामान्य घटक ₹ 152.30 करोड़) और अनुस्चित जाति के लिए विशेष घटक हेत् (₹ 24.30 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें ₹ 30.20 करोड़ का नकद वयय होगा।
- (ख) एमआईएस/पीएसएस स्कीम के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन परिसंघ लिमिटेड को सब्सिडी देने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति (₹ 65.69 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) कृषि कल्याण उपकर का कृषि कल्याण कोष में अंतरण (₹ 5203.72 करोड़)। कृषि कल्याण कोष से वस्लियों को देखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (घ) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की लंबित देनदारियों के लिए कृषि सहकारिता हेतु एकीकृत स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायताअनुदान प्रदान करना (सामान्य घटक ₹ 100 करोड़ और जनजाति उप-आयोजना घटक ₹ 15 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(e)

- (ङ) (i) एकीकृत कृषि विपणन स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 13.65 करोड़)।
 - (ii) राष्ट्रीय कृषि विपणन के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (सामान्य घटक ₹ 34.10 करोड़ रुपए, अनुस्चित जातियों के लिए विशेष घटक आयोजना ₹ 7.30 करोड़ और जनजाति क्षेत्र उप-आयोजना ₹ 3.60 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) providing additional Grants-in-aid General under Protection of Plant Varieties and Farmers Rights under Krishonnati Yojna-Central Sector (₹ 3.30 crore).
 - (ii) providing additional Grants-in-aid General (₹ 2.90 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 4.30 crore) under National Institute of Plant Health Management under Krishonnati Yojna-Central Sector.
 - (iii) providing additional Grants-in-aid General under Sub-Mission on Plant Protection and Plant Quarantine under Krishonnati Yojna-Central Sector (₹ 5.20 crore).
 - (iv) providing additional Grants for creation of Capital Assets under Sub-Mission on Seeds and Planting Material (₹ 5.20 crore).
 - (v) providing additional Grants in aid General under National Mission on Oil-seeds and Oil palm (₹ 15 crore).
 - (vi) providing additional Grants-in-aid General under Mission for Integrated Development of Horticulture under Krishonnati Yojna-Central Sector (General Component ₹ 152.30 crore and for Special Component Plan for Scheduled Caste ₹ 24.30 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 30.20 crore.
- (b) recoupment of advance drawn from Contingency Fund of India for providing subsidy to National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED) (₹ 65.69 crore) under the scheme Market Intervention Scheme/Price Support Scheme.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Transfer of Krishi Kalyan Cess to Krishi Kalyan Kosh (₹ 5203.72 crore).
 - Taking into account the additional recoveries from Krishi Kalyan Kosh, this will not entail any cash outgo.
 - providing additional Grants in aid General under Integrated Scheme for Agriculture Cooperation for pending liabilities of National Cooperative Development Corporation (General Component ₹ 100 crore and Tribal Sub Plan component ₹ 15 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) providing additional Grants in Aid General under Integrated Scheme on Agricultural Marketing (₹ 13.65 crore);
- (ii) providing additional Grants in aid General under National Agricultural Marketing (General Component - ₹ 34.10 crore, Special Component Plan for Scheduled Castes -₹ 7.30 crore and Tribal Area Sub Plan - ₹ 3.60 crore).

(h)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (च) (i) बीज और बागवानी सामग्री उप-िमशन के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (सामान्य घटक ₹ 0.40 करोइ और अनुस्चित जाति विशेष घटक आयोजना ₹ 0.02 करोइ) तथा पूंजी आस्तियों के सुजन हेतु अनुदान (₹ 0.08 करोइ)।
 - (ii) कृषि सहकारिता के लिए एकीकृत स्कीम के अंतर्गत जनजाति उप-आयोजना घटक हेतु अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 15 करोइ)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (छ) (i) राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय (₹ 0.04 करोड़);
 - (ii) कृषोन्नित योजना केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत पौध संरक्षण और पादप संघरोध उप-िमशन के तहत मोटर वाहनों के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 4.50 करोड)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ज) कृषोन्नित योजना-केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत भूमि विकास बैंकों को ऋण जारी करना (₹ 25 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें (₹ 22.20 करोड़) का नकद व्यय होगा।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) providing additional Grants in aid General (General Component - ₹ 0.40 crore and Special Component Plan for Scheduled Castes- ₹ 0.02 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.08 crore) under Sub-Mission on Seeds and Planting Materials.
- (ii) providing additional Grants in aid General for Tribal Sub Plan Component (₹ 15 crore) under Integrated Scheme for Agriculture Cooperation.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (g) (i) additional expenditure under Major Works (₹ 0.04 crore)under National Seeds Research and Training Centre;
 - (ii) additional expenditure for Motor Vehicles (₹ 4.50 crore) under Sub-Mission on Plant Protection and Plant Quarantine under Krishonnati Yojna-Central Sector.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

release of loans to Land Development Banks under Krishionnati Yojna - Central Sector (₹ 25 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 22.20 crore.

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये) (See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदान: स्वीकृत: 6620.00 Voted: 6620.00 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: स्वीकृत: 0.01 Voted: 0.01 इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the amount पूरक अनुमान: now required: स्वीकृत: 0.03 0.03 Voted: जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 6620.04 6620.04 II. इस पुरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना जोड आयोजना-Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** स्वीकृत: 2415 - कृषि अन् संधान और 2415 - Agricultural Research and Voted: 0.01 (कa) 0.01 (खb) 0.02 शिक्षा Education 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र स्वीकृत: 2552 - North Eastern Areas Voted: 0.01 (गc) 0.01 0.01 0.03 जोड़ (पूरक) स्वीकृत: Total (Supplementary) Voted: 0.02

(b)

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- कृषि विस्तार संस्थान स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना (₹ 40.03 करोड़)
 - (ii) कृषि विस्तार संस्थान स्कीम (₹ 47.42 करोड़) और कृषि शिक्षा संस्थान (₹ 60.27 करोड़) के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदान मुहैया कराना
 - (iii) फसल विज्ञान संस्थान (₹ 2.28 करोड़) और कृषि विस्तार संस्थान स्कीम (₹ 0.17 करोड़) के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त वेतन अनुदान सहायता मुहैया कराना।
 - (iv) कृषि विस्तार संस्थान स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को जनजातीय क्षेत्र उप आयोजना के तहत अतिरिक्त सामान्य अन्दान सहायता मृहैया कराना (₹ 1.93 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (i) फसल विज्ञान संस्थान (₹ 99.66 करोइ), बागवानी संस्थान (₹ 21.72 करोइ), कृषि उत्पाद उपस्कर नियम, 1940 के तहत उपस्कर की शुद्ध आमदनी का भुगतान (₹ 0.10 करोइ), कृषि विस्तार संस्थान (₹ 0.45 करोइ), कृषि शिक्षा संस्थान (₹ 3.78

The supplementary grants are required for:

- (i) providing additional Grants-in-Aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Extension Institutes (₹ 40.03 crore).
- (ii) providing additional Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Extension Institutes (₹ 47.42 crore), Agricultural Education Institutes (₹ 60.27 crore).
- (iii) providing additional Grants-in-Aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Crop Science Institutes (₹ 2.28 crore) and Agricultural Extension Institutes (₹ 0.17 crore).
- (iv) providing additional Grants-in-Aid General under Tribal Area Sub Plan (TSP) to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Extension Institutes (₹ 1.93 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

 (i) providing additional Grants-in-Aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Crop Science Institutes (₹ 99.66 crore), Horticulture Institutes
 (₹ 21.72 crore), payment of net proceeds under

(c)

करोड़), कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी संस्थान (₹ 4.30 करोड़), आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन (₹ 11.60 करोड़), प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान (₹ 23.45 करोड़), प्राणी विज्ञान संस्थान (₹ 46.45 करोड़), मात्स्यिकी संस्थान (₹ 16.27 करोड़) स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना।

- (ii) फसल विज्ञान संस्थान (₹ 6.37 करोड़), उद्यान संस्थान (₹ 0.12 करोड़), कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी संस्थान (₹ 0.01 करोड़), कृषि इंजीनियरी संस्थान (₹ 0.16 करोड़), आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन (₹ 0.02 करोड़), प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान (₹ 0.54 करोड़), प्राणी विज्ञान संस्थान (₹ 0.95 करोड़), मास्स्यिक संस्थान (₹ 0.27 करोड़) स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदान मुहैया कराना।
- (iii) आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त अनुदान सहायता वेतन मुहैया कराना। (₹ 2.39 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) (i) बागवानी संस्थान (₹ 0.74 करोइ), कृषि विस्तार संस्थान (₹ 8 करोइ), कृषि शिक्षा संस्थान (₹ 1.50 करोइ), जलवायु लोच शील कृषि पहल (₹ 0.50 करोइ), प्राणी विज्ञान संस्थान (₹ 2.40 करोइ), मात्स्यिकी संस्थान (₹ 0.20 करोइ) स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना।
 - (ii) कृषि शिक्षा संस्थान (₹ 3.50 करोड़), कृषि इंजीनियरी संस्थान (₹ 0.30 करोड़) स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के स्जन हेतु अतिरिक्त अनुदान मुहैया कराना।
 - (iii) फसल विज्ञान संस्थान (₹ 0.07 करोइ), कृषि विस्तार संस्थान (₹ 4.30 करोइ), पशु विज्ञान संस्थान (₹ 0.40 करोइ) स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त अनुदान सहायता वेतन मुहैया कराना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- Agricultural Produce Cess Act, 1940 (₹ 0.10 crore), Agricultural Extension Institutes (₹ 0.45 crore), Agricultural Education Institutes (₹ 3.78 crore), Agricultural Economics & Statistics Institutes (₹ 4.30 crore), ICAR Headquarter Administration (₹ 11.60 crore), Natural Resource Management Institutes (₹ 23.45 crore), Animal Science Institutes (₹ 46.45 crore), Fisheries Institutes (₹ 16.27 crore).
- (ii) providing additional Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Crop Science Institutes (₹ 6.37 crore), Horticulture Institutes (₹ 0.12 crore), Agricultural Economics & Statistics Institutes (₹ 0.01 crore), Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.16 crore), ICAR Headquarter Administration (₹ 0.02 crore), Natural Resource Management Institutes (₹ 0.54 crore), Animal Science Institutes (₹ 0.95 crore), Fisheries Institutes (₹ 0.27 crore).
- (iii) providing additional Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under the scheme ICAR Headquarter Administration (₹ 2.39 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) providing additional Grants-in-Aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Horticulture Institutes (₹ 0.74 crore), Agricultural Extension Institutes (₹ 8 crore), Agricultural Education Institutes (₹ 1.50 crore), Climate Resilient Agriculture Initiative (₹ 0.50 crore), Animal Science Institutes (₹ 2.40 crore), Fisheries Institutes (₹ 0.20 crore).
- (ii) providing additional Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Education Institutes (₹ 3.50 crore), Agricultural Engineering Institutes (₹ 0.30 crore).
- iii) providing additional Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Crop Science Institutes (₹ 0.07 crore), Agricultural Extension Institutes (₹ 4.30 crore), Animal Science Institutes (₹ 0.40 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 4 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 2 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

					((करोड़ रुपये Rupees in Cro	
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
I. मू ल अनु दान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	2395.45		36.06	2431.51
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	100.05		0.01	100.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2495.52		36.07	2531.59
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य श	ोर्षों के अंतर्ग	त दिखाया ज	ायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under	the following	ng Major	Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2403 - पशु पालन	स्वीकृत:	2403 -Animal Husbandry	Voted:	0.01	(क a)		0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(खb)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02			0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) पशु स्वास्थ्य संस्थानों को सहायता स्कीम के तहत क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं को (₹ 5 करोड़) और देसी नस्ल स्कीम में (₹ 4.50 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) देसी नस्ल स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान देना (₹ 0.50 करोड़) और राष्ट्रीय डेरी विकास कार्यक्रम (₹ 10 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing Grants-in-Aid General to Regional Disease Diagnostic Laboratories under the scheme of Assistance to Animal Health Institutes (₹ 5 crore) and under Indigenous Breed (₹ 4.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- p) providing additional Grant-in-Aid General under the scheme Indigenous Breed (₹ 0.50 crore) and National Programme for Dairy Development (₹ 10 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

परमाणु ऊर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

(Grants of Central Government for the	,			(करोड रु	पये Rupe	ees in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	1.00		0.50		1.50
	स्वीकृत:		Voted:	12650.33		6030.65		18680.98
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the						
पूरक अनुमान:		amount now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	298.87		1124.03		1422.90
जोड़ (मूल और पूरक)	- 0	Total (Original plus Supplementary)		12950.20		7155.18		20105.38
	भारित:		Charged:	1.00		0.50		1.50
	स्वीकृत:		Voted:	12949.20	,	7154.68		20103.88
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखि	•					
		II. This Supplementary Grant will be	accounted for	under the foll आयोजना	owing Ma	-		जोड़
				आयाजना Plan		आयोजना- भिन्न		जाड़ Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3451 - सचिवालय- आर्थिक	स्वीकृत:	3451 -Secretariat-Economic	Voted:			0.26	(क a)	0.26
सेवाएं	· ·	Services						
2801 - विद्युत	स्वीकृत:	2801 -Power	Voted:			83.60	(खb)	83.60
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:			57.29	(गc)	57.29
3401 - परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत:	3401 -Atomic Energy Research	Voted:			157.72	(ঘd)	157.72
अनुसंधान	Č	<u> </u>					. ,	
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:			298.87		298.87
पूंजी भाग	·	CAPITAL SECTION						
" मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
५ 4801 - विद्युत परियोजनाओं	स्वीकृत:	4801 - Capital Outlay on Power	Voted:	0.01	(ङe)			0.01
पर पूंजी परिव्यय	· ·	Projects						
् 4861 - परमाणु ऊर्जा उद्योगों	स्वीकृत:	4861 - Capital Outlay on Atomic	Voted:	0.01	(चf)	1124.00	(छg)	1124.01
पर पूंजी परिव्यय	C	Energy Industries			` ,		(0)	
ू 5401 - परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत:	5401 - Capital Outlay on Atomic	Voted:	0.01	(जh)			0.01
अनु संधान पर पूंजी परिव्यय		Energy Research			()			
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.03		1124.00		1124.03
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.03		1422.87		1422.90
		rotal (Cappionionia))		0.00				
			गए अनमानों में न <u>ि</u>	चि तर्शार्द गयी वस	ालियों को १	गमिल नहीं किया ग	या है जिन्हें	ट्यय में से
		घटाकर समायोजित किया जाता है!			,		((
		Note: The above estimates of additional re	equirements do r	not take into acc	count the i	recoveries show	n helow v	which are
		adjusted in reduction of expenditure.	ooc uU 1		- 5 a. II (110 1		201044,	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
4861 - परमाणु ऊर्जा उद्योगों		4861 - Capital Outlay on Atomic				(-)1124.00		(-)1124.00
पर पूंजी परिव्यय		Energy Industries		•••		(-)1124.00		(-)1124.00
नर रूजा नारप्यय		Liter gy muusules						

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) डीएई सचिवालय के सातवें वेतन आयोग के बकायों का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना। (₹ 2.04 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 0.26 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हु एऔर अनुदान के इसी भाग में ₹ 1.78 करोड़ की बचतों का उपयोग करने के बाद उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) ब्याज दरों में संशोधन होने के कारण खारा जल (हैवी वाटर) पूल प्रबंधन हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 85 करोड़)।

 उपर्युक्त व्यय को खारा जल (हैवी वाटर) पूल प्रबंधन के अंतर्गत ₹ 83.60 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्तियों के समतुल्य रखने और अनुदान के इसी भाग में ₹ 1.40 करोड़ की बचतों का उपयोग करने के बाद इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) अतिरिक्त व्यय को प्रा करना (i) रेडिएशन और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (₹ 3.95 करोड़), खारा जल संयंत्र (₹ 0.56 करोड़), न्यूक्लियर रिसाईिकल बोर्ड हेतु प्रचालन संयंत्र (₹ 22.82 करोड़) प्रबंधन सेवा समृह (₹ 0.21 करोड़) के सातवें वेतन आयोग के बकायों का भुगतान और (ii) रेडिएशन और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के कार्यालय एवं प्रबंधन संबंधी व्यय (₹ 1.15 करोड़), न्यूक्लियर ईंधन परिसर (₹ 124.22 करोड़) प्रबंधन सेवा समृह (₹ 0.09 करोड़) तथा रेडिएशन और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (₹ 0.21 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 57.29 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हु ए और अनुदान के इसी भाग में ₹ 95.92 करोड़ की बचतों का उपयोग करने के बाद उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

(घ) अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) अंतरराष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा एजेंसी के कार्यालय एवं प्रबंधन संबंधी व्यय (₹ 24 करोड़), भाभा आण्विक अनुसंधान केंद्र (₹ 17.42 करोड़) राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (₹ 0.01 करोड़), वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रोन सेंटर (₹ 3.58 करोड़) आण्विक खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (₹ 1.95 करोड़) सेवा इकाई (₹ 7.19 करोड़) (ii) भाभा आण्विक अनुसंधान केंद्र (₹ 40.09 करोड़) इंदिरा गांधी आण्विक अनुसंधान केंद्र (₹ 27.29 करोड़) राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (₹ 13.89 करोड़), वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रोन सेंटर (₹ 0.90 करोड़) आण्विक खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (₹ 14.13 करोड़) सेवा इकाई (₹ 11.86 करोड़) और एईआरबी (₹ 5.15 करोड़) के सातवें वेतन आयोग के बकायों का भुगतान और (iii) स्वायत्त निकायों एवं अनुसंधान सहायता को वेतन अनुदान सहायता (₹ 134.79 करोड़) तथा शिक्षा सोसायटी (एईईएस) (₹ 7 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 157.72 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के इसी भाग में ₹ 151.53 करोड़ की बचतों का उपयोग करने के बाद उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ङ) भाभा आण्विक अनुसंधान केंद्र हेतु प्रमुख निर्माण कार्यों (₹ 0.55 करोड़) और मशीनरी उपस्कर (₹ 0.94 करोड़) हेत् अतिरिक्त व्यय पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure towards payment of 7th pay commission arrears of DAE Secretariat (₹ 2.04 crore).
 - Taking into account the surrender of savings of ₹ 0.26 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 1.78 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- meeting additional expenditure towards Heavy Water Pool
 Management (₹ 85 crore) due to revision of interest rates.
 - As the above expenditure is matched by additional receipts of ₹ 83.60 crore under Heavy Water Pool Management and after utilizing the savings of ₹ 1.40 crore within the same section of the Grant, this will not entail any cash outgo.
 - meeting additional expenditure towards (i) payment of 7th pay commission arrears of Board of Radiation and Isotope Technology (₹ 3.95 crore), Heavy Water Plants (₹ 0.56 crore), Operating plants for Nuclear Recycle Board (₹ 22.82 crore), Management Services Group (₹ 0.21 crore); and (ii) O&M expenditure of Board of Radiation and Isotope Technology (₹ 1.15 crore), Nuclear Fuel Complex (₹ 124.22 crore), Management Services Group (₹ 0.09 crore) and Board of Radiation and Isotope Technology (₹ 0.21 crore).

Taking into account the surrender of savings of $\overline{*}$ 57.29 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of $\overline{*}$ 95.92 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

meeting additional expenditure towards (i) O&M expenditure of International Atomic Energy Agency (₹ 24 crore), Bhabha Atomic Research Centre (₹ 17.42 crore), Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (₹ 0.01 crore), Variable Energy Cyclotron Centre (₹ 3.58 crore), Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (₹ 1.95 crore), Service Unit (₹ 7.19 crore); (ii) payment of 7th pay commission arrears of Bhabha Atomic Research Centre (₹ 40.09 crore), Indira Gandhi Centre for Atomic Research (₹ 27.29 crore), Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (₹ 13.89 crore), Variable Energy Cyclotron Centre (₹ 0.90 crore), Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (₹ 14.13 crore), Service unit (₹ 11.86 crore), and AERB (₹ 5.15 crore); and (iii) Grant-in-aid Salary of Autonomous bodies and Research Support (₹ 134.79 crore) and Education Society (AEES) (₹ 7 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 157.72 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 151.53 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

meeting additional expenditure towards Major Work (₹ 0.55 crore) and Machinery & Equipment (₹ 0.94 crore) for Bhabha Atomic Research Centre.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (घ) (i) उन्नत ईंधन परियोजना हेतु मशीनरी उपस्कर (₹ 6.24 करोइ) तथा (ii) रेडिएशन और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं
 (₹ 0.05 करोइ) हेत् अतिरिक्त व्यय पूरा करना।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (छ) अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) खारा जल उत्पादन सुविधा के सातवें वेतन आयोग के बकायों का भुगतान (₹ 16.41 करोड़) और (ii) फीडस्टॉक (₹ 1124 करोड़)।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 16.41 करोड़ की बचतों और खारा जल

उत्पादन के अंतर्गत ₹ 1124 करोड़ की समतुल्य वस्लियों को देखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ज) अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) मौलिक विज्ञान और इंजीनियरी में अनुसंधान और विकास हेतु (क) प्रमुख कार्य (₹ 68 करोड़) (ख) मशीनरी उपस्कर (₹ 37.27 करोड़) और (ग) अन्य परियोजना संबंधी व्यय (₹ 60.07 करोड़) तथा (ii) एईआरबी विस्तार परियोजना के कार्यालय एवं प्रबंधन व्यय (₹ 0.19 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- meeting additional expenditure towards (i) Machinery & Equipment (₹ 6.24 crore) for Advanced Fuel Project; and (ii) Professional Services (₹ 0.05 crore) under Board of Radiation and Isotope Technology.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
-) meeting additional expenditure towards (i) payment of 7th pay commission arrears of Heavy Water Production Facility (₹ 16.41 crore); and (ii) Feedstock (₹ 1124 crore).
 - Taking into account the savings of ₹ 16.41 crore available in the same section of the grant and matching recoveries of ₹ 1124 crore under Heavy Water Production, this will not entail any cash outgo.
- meeting additional expenditure under (i) Research and Development in basic Science and Engineering towards (a) Major Work (₹ 68 crore), (b) Machinery & Equipment (₹ 37.27 crore) and (c) other project related expenditure (₹ 60.07 crore); and (ii) O&M expenditure of AERB Expansion Project (₹ 0.19 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी मंत्रालय

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 3 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	1323.20		3.00		1326.20
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.05				0.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03		5.00		5.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1323.28		8.00		1331.28
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	गुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिख	ाया जायेग	Τ:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	ounted for u	nder the fo	llowing N	lajor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)			0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.02		0.01		0.03
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थय		4210 - Capital Outlay on Medical and	Voted:	5.00	(घd)			5.00
	स्वीकृत:	• •	voica.	0.00	(/	•••		
पर पूंजी परिव्यय जोड़ (पूरक)	स्वाकृतः स्वीकृतः	Public Health Total (Supplementary)	Voted:	5.02	(12)	0.01		5.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) सूचना, शिक्षा और संचार के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6.62 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) सीसीआईएम चुनाव कराने के लिए अनुदान के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.32 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) (1) राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3 करोड़)
 (2) राष्ट्रीय आयुष मिशन स्कीम के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु
 अनुदान (₹ 14.63 करोड़) (3) पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्येपैथी संस्थान,
 शिलांग के लिए सहायता अनुदान वेतन (₹ 2.05 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) कार्यालय भवन की अधिप्राप्ति पर व्यय (₹ 5 करोड़)। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) Grants-in-aid General under Expenditure on Information, Education & Communication(₹ 6.62 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-aid General under Grants for conducting of CCIM Elections (₹ 0.32 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - (1) Grants-in-aid General for National AYUSH Mission(NAM) (₹ 3 crore) (2) Grants for creation of capital assets for Scheme National AYUSH Mission(NAM)(₹ 14.63 crore) (3) Grants-in-aid-salaries for North-Eastern Institute of Ayurveda & Homeopathy, Shillong(₹ 2.05 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Expenditure on Acquisition of Office Building (₹ 5 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 6 देखिये) (See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 6 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Rupees			
				राजस्व	पूंजी	जोड़		
				Revenue	Capital	Total		
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	162.01	40.03	202.04		
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	0.01	0.02		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now						
अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.39		0.39		
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		162.41	40.04	202.45		
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष	के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:				
		II. This Supplementary Grant will be accounted for	or under th	e following Ma	ajor Head:			
				आयोजना	आयोजना-	जोड़		
				Plan	भिन्न	Total		
					Non-Plan			
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:		0.39	0.39		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) के सहायता अनुदान वेतन हेतु व्यय को पूराकरना (₹ 3.15 करोड़)।

अनुदान के पूंजी विभाग में उपलब्ध ₹ 0.39 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण और अनुदान के इसी भाग में ₹ 2.76 करोड़ की बचतों का उपयोग करने के बाद कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

Meeting of expenditure for Grants-in-aid (Salaries) of Institute of Pesticides Formulation Technology (IPFT) ($\stackrel{?}{<}$ 3.15 crore).

Taking into account the surrender of savings of $\stackrel{?}{\sim} 0.39$ crore available in the Capital Section of the Grant and after utilising the savings of $\stackrel{?}{\sim} 2.76$ crore within the same section of the Grant, this will not entail any cash outgo;

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये) (See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

						ये Rupee	s in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	74138.33	1.04		74139.37
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01			0.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount now					
पूरक अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02	•••		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		74138.36	1.04		74139.40
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य ६	शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जाये	गा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for unde	er the following	Major Heads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत:	2401 -Crop Husbandry	Voted:		0.01	(कa)	0.01
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		0.02		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- क) (i) देसी पी एंड के सब्सिडी ((₹ 1243.41 करोड़) का भुगतान (ii) आयाति पी एंड के सब्सिडी का भुगतान (₹ 800 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) देसी यूरिया सब्सिडी का भुगतान ((₹ 1800 करोड़) । अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

- (i) Payment of Indigenous P&K- Subsidy (₹ 1243.41 crore)
 (ii) Payment of Imported P&K Subsidy (₹ 800 crore).
 Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Payment of Indigenous Urea Subsidy (₹ 1800 crore).Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

						(करोड़ रुपये F	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मू ल अनु दान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	211.30		0.10		211.40
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		100.00		100.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		211.32		100.10		311.42
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्र	य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be account	ted for unde	er the follow	ving Majo	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(कa)			0.01
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:	0.01	(खb)			0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.02				0.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
6857 - रसायन और भेषज	स्वीकृत:	6857 - Loans for Chemical and	Voted:			100.00	(गc)	100.00
उद्योगों के लिए ऋण		Pharmaceutical Industries						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		100.00		100.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- क) पूर्वोत्तर क्षेत्र एनआईपीईआर, गुवाहाटी स्कीम के अंतर्गत व्यय को पूरा करना (₹ 6.77 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) प्रधान मंत्री जन औषधि योजना (पीएमजेएवाई) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 14.75 करोइ)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटीक लिमिटेड पुणे, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की मजदूरी, वेतन और तात्कालिक महत्वपूर्ण खर्च के लिए व्यय पूरा करने हेतु ऋण प्रदान करना (₹100 करोड़)।

उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting expenditure under the Scheme North Eastern Area NIPER, Guwahati (₹ 6.77 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Meeting additional requirement under Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojna (PMJAY) (₹ 14.75 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - Providing loan to meet expenditure towards the wages, salaries and other critical expenses of immediate nature of the public sector undertaking Hindustan Antibiotics Limited (HAL, Pune) (₹ 100 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 4 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	810.52		1780.20	2590.72
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		861.65	861.66
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now	v				
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		69.07	69.08
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		810.54		2710.92	3521.46
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्र	य शीर्षों के अंतर्ग	ति दिखाया ज	गयेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accoun	nted for under	the following	ng Major	Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
3053 - नागर विमानन	स्वीकृत:	3053 -Civil Aviation	Voted:	0.01	(क a)		0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
5053 - नागर विमानन पर प्रंजी	स्वीकृत:	5053 - Capital Outlay on Civil Aviation	Voted:	69.07	(खb)	•••	69.07
परिव्यय							
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	69.08			69.08

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) राष्ट्रीय विमानन विश्विद्यालय को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 0.45 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) (i) पवन हंस लि. में (₹ 27.94 करोड़) और एयर इण्डिया में (₹ 21.47 करोड़) निवेश राशि उपलब्ध कराना।
 - (ii) नागर विमानन महानिदेशक के लिए मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 17.91 करोड़)।
 - (iii) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो हेतु मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 16.54 करोड़)।

राजस्व भाग से ₹.69.07 करोड़ समतुल्य अभ्यर्पित निधि को देखते हुए और उसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग करने के बाद, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary grants are required for:

- (a) providing Grants-in-aid General to National Aviation University(₹ 0.45 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) providing investment in Pawan Hans Limited (₹ 27.94 crore) and Air India (₹ 21.47 crore).
 - (ii) meeting additional requirement under Major Works for Director General of Civil Aviation (₹ 17.91 crore).
 - (iii) meeting additional requirement under Major Works for Bureau of Civil Aviation Safety (₹ 16.54 crore).

Taking into account the matching surrender of funds of ₹ 69.07 crore from Revenue Section and after utilising the savings available within the same section, this will not entail any cash outgo.

कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	361.00	1100.00	1461.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate o	f the amount now			
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	195.36		195.36
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplemen	ntary)	556.36	1100.00	1656.36
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब	। निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्ग	न दिखाया जायेगा	:	
		II. This Supplementary Gra	ant will be accounted for under	the following M	lajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2803 - कोयला और लिग्नाइट	स्वीकृत:	2803 -Coal and Lignite	Voted:	195.36		195.36
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपे	क्षित है:		The supplementary grant is	required for:		
कोयला खानों में संरक्षण स् रक्षा उ	और अवसंरच	ना विकास स्कीम के अंतर्गत	additional fund under t	he scheme	Conservation S	afety and
अतिरिक्त निधि (₹ 200 करोड़) ।			Infrastructure Development			•
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 4.6	34 करोट की	। बचन को देखने हुए इसमें	Taking into account the sa	,	,	within the
र 195.36 करोड नकद व्यय होगा।	71 -1/(1) 4/	1 1 1 1 4 4 6 K 1 6 K 1	same section of the Grant.	=		
र 100.00 महामू ज्याप व्यय हाणा।			Same Section of the Grant	tilio Will Ciltai	i a casii dulgo c	n (100.00

crore.

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 5 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये	रोड़ रुपये Rupees in Crore)		
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	0.06				0.06
	स्वीकृत:		Voted:	4262.74		100.00		4362.74
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	भारित:		Charged:	2.72				2.72
	स्वीकृत:		Voted:	89.94		110.00		199.94
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.04		6.00		6.04
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		4355.50		216.00		4571.50
	भारित:		Charged:	2.78				2.78
	स्वीकृत:		Voted:	4352.72		216.00		4568.72
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाय	ा जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be account	unted for und	der the follo	wing Ma	jor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
		DEL/ENVIE DECEMBE				Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	•	MAJOR HEAD						
2407 - पौधारोपण	स्वीकृत:	2407 -Plantations	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)			0.01
3453 - विदेशी व्यापार और	स्वीकृत:	3453 -Foreign Trade and Export	Voted:	0.01	(घd)			0.01
निर्यात संवर्द्धन	_	Promotion						
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.03		0.01		0.04
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:	1.00	(ਝe)			1.00
पूंजी परिव्यय								
5453 - विदेशी व्यापार और	स्वीकृत:	5453 - Capital Outlay on Foreign Trade	Voted:	5.00	(चf)			5.00
निर्यात संवर्धन पर पूंजी परिव्यय		and Export Promotion						
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	6.00				6.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	6.03		0.01		6.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) चाय बोर्ड हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (₹ 6.91 करोड़) जिनमें सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अनुसंधान एवं विकास (₹ 0.50 करोड़), सब्सिडी के रूप में लघु उत्पादक विकास स्कीम (₹ 6 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान के रूप में चाय अधिनियम (₹ 0.41 करोड़) विनियामक प्रावधान का कार्यान्वयन शामिल है।

The supplementary grants are required for:

(a) (i) Meeting the additional requirement for Tea Board (₹ 6.91 crore) (₹ 0.50 crore) as Grants-in-aid General, Small Growers Development Scheme (₹ 6 crore) as Subsidies and implementation of regulatory provision of Tea Act (₹ 0.41 crore) as Grants-in-aid General .

(b)

(d)

- (ii) कॉफी बोर्ड के पुनर्रोपन हेतु सब्सिडी के अंतर्गत कॉफी बोर्ड हेतु अतिरिक्त आवश्यकता प्रीकरना (₹ 2.04 करोड़)।
- (iii) रबर बोर्ड हेतु उपकर के संग्रहण के लिए भुगतान हेतु रबर बोर्ड की अतिरिक्त आवश्यकता प्रीकरना (₹ 2.41 करोड़)।
- (iv) मसाला बोर्ड हेतु एससीएसपी के अंतर्गत मसाला बोर्ड की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 1.09 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) (i) सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण वेतन, बकाया, पेंशनरी लाभ के कारण प्रतिबद्ध दायिता हेतु वेतन सहायता अनुदान के रूप में चाय बोर्ड हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 2.76 करोड़)।
 - (ii) सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण वेतन, बकाया, पेंशनरी लाभ के कारण प्रतिबद्ध दायिता हेतु वेतन सहायता अनुदान के रूप में कॉफी बोर्ड हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 4.96 करोड)।
 - (iii) सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण वेतन, बकाया, पेंशनरी लाभ के कारण प्रतिबद्ध दायिता हेतु वेतन सहायता अनुदान के रूप में रबर बोर्ड हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 9.59 करोड़)।
 - (iv) सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण वेतन, बकाया, पेंशनरी लाभ के कारण प्रतिबद्ध दायिता हेतु वेतन सहायता अनुदान के रूप में मसाला बोर्ड हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 0.91 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) चाय बोर्ड हेतु अनुसंधान एवं विकास के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 2.50 करोइ)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) (i) कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 8.50 करोइ)।
 - (ii) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 2 करोड़) (सब्सिडी)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ङ) महानिदेशक आपूर्ति और निपटान (डीजीएस एंड डी) के कार्यालय हेतु नए कार्यालय भवन तथा वाणिज्य विभाग के अन्य कार्यालयों के निर्माण हेतु मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 1 करोइ)।
 - चूंकि इसी अनुदान के स्वीकृत राजस्व भाग के अंतर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है। उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- लंबित दायिताओं हेतु निर्यात अवसंरचना और संबद्ध गतिविधियों के विकास हेतु राज्यों को सहायता के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता प्री करना (₹ 5 करोड़)।

चूंकि इसी अनुदान के स्वीकृत राजस्व भाग के अंतर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है। उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ii) Meeting the additional requirement for Coffee Board(₹ 2.04 crore) under subsidy for the Replantation of Coffee Board.
- (iii) Meeting the additional requirement for Rubber Board (₹ 2.41 crore) as Grants-in-aid General for payment against collection of cess for Rubber Board.
- (iv) Meeting the additional requirement for Spices Board (₹ 1.09 crore) as Grants-in-aid General under SCSP for Spices Board.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- Meeting the additional requirement for Tea Board (₹ 2.76 crore) as Grants-in-aid salary for committed liability on account of salary, arrears, pensionary benefits, implementation of 7th CPC.
- (ii) Meeting the additional requirement for Coffee Board (₹ 4.96 crore) Grants-in-aid salary for committed liability on account of salary, arrears, pensionary benefits, implementation of 7th CPC.
- (iii) Meeting the additional requirement for Rubber Board (₹ 9.59 crore) Grants-in-aid salary for committed liability on account of salary, arrears, pensionary benefits, implementation of 7th CPC.
- (iv) Meeting the additional requirement for Spices Board (₹ 0.91 crore) Grants-in-aid salary for committed liability on account of salary, arrears, pensionary benefits, implementation of 7th CPC.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) Meeting the additional requirement (₹ 2.50 crore) as Grants-inaid General under Research and Development for Tea Board. Taking into account the savings available in the same section of

Taking into account the savings available in the same section o the Grant, a token supplementary is sought.

- Meeting the additional requirement (₹ 8.50 crore) (subsidies) for Agricultural Products Export Development Authority (APEDA).
- (ii) Meeting the additional requirement (₹ 2 crore) (subsidies) for Marine Products Export Development Authority (MPEDA).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (e) Meeting the additional requirement (₹ 1 crore) under Major Works for construction of a new office building for office of Directorate General of Supplies and Disposals (DGS&D) and other offices of Department of Commerce.
 - As savings are available under Voted Revenue Section of the same grant, a technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.
 - Meeting the additional requirement (₹ 5 crore) under 'Assistance to States for Development of Export Infrastructure and Allied Activities (ASIDE)' towards pending liabilities.

As savings are available under Voted Revenue Section of the same grant, a technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 10 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 7 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	3016.94	9.61	3026.55
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRAN	IT:			
	स्वीकृत:		Voted:	11.16		11.16
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of	the amount now			
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplement	itary)	3028.11	9.61	3037.72
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब	निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा	:	
		II. This Supplementary Gran	nt will be accounted for under t	he following M	lajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:		0.01	0.01
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अ	नेक्षित है:		The supplementary grant is r	equired for:		
लुगदी, कागज और संबद्घ उद्योग विव	नस परिषद् वे	के लिए संस्था के कर्मचारियों को	Meeting the expenditure (₹	1.65 crore) un	der the object Hea	ad "Grants-
वेतन, महंगाई भत्ते, सेवानिवृत्ति ला	भ का भुगत	ान करने के लिए प्रयोजन शीर्ष	in-Aid Salaries" for "Develo	pment Counc	il for Pulp, Paper	and Allied
सहायता अनुदान वेतन के अंतर्गत व्यय	पूराकरना (₹ 1.65 करोड़)।	Industries (DCPPAI)" for page	yment of Sala	ry, DA, retirement	benefits to
			the employees of the Institut	on.		

Taking into account the savings available in the same section of the

Grant, a token supplementary is sought.

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा

जाता है।

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये) (See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 11 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

Demands for Grants for the	ne year zo	710-2017)				(करोड रुप	ये Runee	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	чтирос	जोड़ जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मू ल अनु दान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	0.60				0.60
	स्वीकृत:		Voted:	23122.00		406.26		23528.26
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
-	स्वीकृत:		Voted:			150.00		150.00
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	भारित:		Charged:	3.08				3.08
	स्वीकृत:		Voted:	150.41		0.01		150.42
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		23276.09		556.27		23832.36
	भारित:		Charged:	3.68				3.68
	स्वीकृत:		Voted:	23272.41		556.27		23828.68
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्न	ातिखित मुख्य	शीर्षों के अंतर्गत	ा दिखाया	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant/Appropriati	on will be acc	counted for u	nder the	following Ma	jor Head	ds:
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	0	MAJOR HEAD						
3201 - डाक सेवाएं	भारित:	3201 - Postal Services	Charged:			3.08	(क a)	3.08
	स्वीकृत:		Voted:			150.40	(खb)	150.40
3465 - सामान्य वित्तीय और	स्वीकृत:	3465 -General Financial and Trading	Voted:	0.01	(गc)			0.01
व्यापारिक संस् था न		Institutions						
जोड़ (राजस्व भाग)		Total (Revenue Section)		0.01		153.48		153.49
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
5465 - सामान्य वित्तीय और	स्वीकृत:	5465 - Investments in General	Voted:	0.01	(घd)			0.01
व्यापारिक संस्थानों में निवेश		Financial and Trading Institutions						
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.02		153.48		153.50
	भारित:		Charged:			3.08		3.08
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		150.40		150.42
		टिप्पणी: अतिरिक्त्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए	अनुमानों में नीचे	दर्शाई गयी वसूलि	यों को शावि	मेल नहीं किया ग	या है जिन्हें	व्यय में से
		घटाकर समायोजित किया जाता है !						
		Note: The above estimates of additional requir	ements do not	take into accou	int the red	coveries showr	n below, v	which are
		adjusted in reduction of expenditure.						
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
3201 - डाक सेवाएं		3201 - Postal Services				(-) 81.13		(-) 81.13

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation are required for:

 ⁽क) न्यायालयों के निर्णयों के कारण ₹ 3.08 करोड़ का भुगतान इसमें नकद व्यय होगा ।

payment of ₹ 3.08 crore arising out of Court Judgements. This will entail cash outgo;

- (ख) डाक विभाग की मजदूरी (₹ 38.53 करोड़), पेंशन (₹ 77.80 करोड़) और प्रचालन (₹ 34.07 करोड़) व्यय के कारण ₹ 150.40 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। ₹ 81.13 करोड़ अतिरिक्त वसूली को देखते हुए इस पूरक अनुदान में ₹ 69.27 करोड़ नकद व्यय होगा।
- (ग) भारतीय डाक भुगतान बैंकों की स्थापना हेतु (₹ 25 करोड़) अनुदान के इसीभाग में उपलब्ध बचतों के देखते हु एसांकेतिक पूराक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) भारतीय डाक भुगतान बैंकों की स्थापना हेतु (₹ 275 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- meeting additional expenditure of ₹ 150.40 crore on account of wages (₹ 38.53 crore), Pensions(₹ 77.80 crore) and operational expenditure of the Department of the Posts (₹ 34.07 crore). Taking into account the additional recovery of ₹ 81.13 crore, this Supplementary entails net cash outgo of ₹ 69.27 crore.;
- towards setting up of India Post Payments Bank (₹ 25 crore).

 Taking into account the savings available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought;
- towards setting up of India Post Payments Bank (₹ 275 crore).

 Taking into account the savings available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 8 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड Revenue Capital Total I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदान: स्वीकृत: Voted: 18355.96 2858.70 21214.66 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: स्वीकृत: Voted: 6007.64 500.00 6507.64 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of the amount का पूरक अनुमान: now required: भारित: Charged: 4.27 4.27 स्वीकृत: Voted: 3440.46 0.01 3440.47 27808.33 31167.04 जोड़ (मूल और पूरक) 3358.71 Total (Original plus Supplementary) भारित: Charged: 4.27 4.27 स्वीकृत: Voted: 27804.06 3358.71 31162.77 II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads: भागोजना जोड आयोजना-भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3451 - सचिवालय- आर्थिक भारित: 3451 - Secretariat-Economic Services Charged: 4.27 (**क**a) 4.27 सेवाएं स्वीकृत: Voted: 56.81 (खb) 56.81 2071 - पेंशन और अन्य स्वीकृत: (गc) 2071 -Pensions and other Retirement Voted: 357.28 357.28 सेवानिवृत्ति Benefits 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र स्वीकृत: 449.08 2552 -North Eastern Areas Voted: 449.08 (घd) 3275 - अन्य संचार सेवाएं स्वीकृत: 3275 -Other Communication Services Voted: 2577.29 (ङe) 2577.29 जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 3026.37 418.36 3444.73 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 4552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर 4552 - Capital Outlay on North Eastern स्वीकृत: Voted: 0.01 (**च**f) 0.01 पूंजी परिवयय Areas जोड़ (पूरक) 3026.38 3444.74 Total (Supplementary) 418.36 भारित: Charged: 4.27 4.27 स्वीकृत: Voted: 3026.38 414.09 3440.47 टिप्पणी: अतिरिक्त्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure. राजस्व भाग **REVENUE SECTION**

(-)1470.79

(-)1470.79

3275 - Other Communication Services

3275 - अनय संचार सेवाएं

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) न्यायालय आदेशों के कारण उत्पन्न ₹ 4.27 करोड़ के भुगतान हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) दूरसंचार विभाग के सचिवालय के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 56.81 करोड़)। इसमें नकद वयय होगा।
- (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड में समाहित किए गए कर्मचारियों को पेंशन भुगतान के कारण ₹ 357.28 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। इसमें नकद व्यय होगा।
- (घ) सी-डॉट (₹ 8 करोड़), भारत नेट (₹ 278.50 करोड़)को सामान्य अनुदान सहायता के अतर्गत परिव्यय में बढ़ोतरी के कारण पूर्वीत्तर क्षेत्र के विकास हेतु निधि निर्धारित करने हेतु और सार्वजनिक सेवा दायिता निधि से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को देय मुआवजे हेतु (₹ 162.58 करोड़)। इसमें नकद वयय होगा।
- (ङ) सार्वजिनक सेवा दायिता निधि को अतिरिक्त अंतरण पर व्यय को पूरा करना (₹ 1470.79 करोड़), भारतनेट का कार्यान्वयन (₹ 5040 करोड़), टेलीमेटिक्स विकास केंद्र को अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराने हेतु (₹ 87 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों, पूंजी भाग के अंतर्गत ₹ 23.16 करोड़ की बचतों और अतिरिक्त वसूलियों (₹ 1470.79 करोड़) को देखते हुए, इसमें ₹ 1083.34 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (च) संवर्धित आयोजना परिव्यय के कारण पूर्वोत्त्रर क्षेत्र के विकास हेतु (f) अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 38.10 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- meeting payment of ₹ 4.27 crore arising out of court orders. This will entail cash outgo;
- meeting additional expenditure of Secretariat of Department of Telecommunications (₹ 56.81 crore). This will entail cash outgo;
- meeting additional expenditure of ₹ 357.28 crore on account of pension payment to the employees absorbed in Bharat Sanchar Nigam Limited. This will entail cash outgo;
 - towards earmarking funds for development of North Eastern Region due to increase in outlays under Grants in Aid General to C-DoT (₹ 8 crore), BharatNet (₹ 278.50 crore) and compensation payable to telecom service providers from Universal Service Obligation Fund (₹ 162.58 crore). This will entail cash outgo:
- meeting expenditure on additional transfer to Universal Service
 Obligation Fund (₹ 1470.79 crore), implementation of BharatNet
 (₹ 5040 crore), providing additional Grants in Aid General to
 Centre for Development of Telematics (₹ 87 crore). Taking into
 the savings available in the same section of the Grant, savings
 of ₹ 23.16 crore under capital section and additional recoveries
 (₹ 1470.79 crore), this will entail cash outgo of ₹ 1083.34 crore;
 - meeting additional expenditure for development of North Eastern Areas due to enhanced Plan outlay (₹ 38.10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought;

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौदयोगिकी विभाग

DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 9 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

					es in Crore)		
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	3089.71		239.11	3328.82
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	182.44		110.00	292.44
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनु मान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	97.62		0.01	97.63
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3369.77		349.12	3718.89
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	इय शीर्षों के अंत	नर्गत दिखाया	जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accou	nted for und	er the follow	wing Major	Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
				Plan		भिन्न Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		Plan			Total
मुख्य शीर्ष	-	MAJOR HEAD	Wata da		()		
मुख्य शीर्ष 3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 3451 -Secretariat-Economic Services	Voted:	97.61	(क a)		97.61
मुख्य शीर्ष 3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं 2852 - उद्योग	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 3451 -Secretariat-Economic Services 2852 -Industries	Voted:	97.61 0.01	(कa) (खb)	Non-Plan	97.61 0.01
मुख्य शीर्ष 3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं 2852 - उद्योग जोड़ (राजस्व भाग)		MAJOR HEAD 3451 -Secretariat-Economic Services		97.61	. ,	Non-Plan	97.61
मुख्य शीर्ष 3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं 2852 - उद्योग	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 3451 -Secretariat-Economic Services 2852 -Industries	Voted:	97.61 0.01	. ,	Non-Plan 	97.61 0.01
मुख्य शीर्ष 3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं 2852 - उद्योग जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 3451 -Secretariat-Economic Services 2852 -Industries Total (Revenue Section)	Voted:	97.61 0.01	. ,	Non-Plan 	97.61 0.01
मुख्य शीर्ष 3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं 2852 - उद्योग जोड़ (राजस्व भाग) पूंजी भाग	स्वीकृत:	MAJOR HEAD 3451 -Secretariat-Economic Services 2852 -Industries Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION	Voted:	97.61 0.01	. ,	Non-Plan 	97.61 0.01
मुख्य शीर्ष 3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं 2852 - उद्योग जोड़ (राजस्व भाग) पूंजी भाग मुख्य शीर्ष	स्वीकृत: स्वीकृत:	MAJOR HEAD 3451 -Secretariat-Economic Services 2852 -Industries Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD	Voted:	97.61 0.01 97.62	(खb)	Non-Plan 	97.61 0.01 97.62

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य के लिए (₹ 19.30 करोड़)। और (ii) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (₹ 120 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 41.69 करोड़ बचत और अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 7.50 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हु ए इसमें ₹ 90.11 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (ख) (i)डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत जनशक्ति विकास संबंधी सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.70 करोड़) और (ii) स्वायत्तशासी और अन्य निकायों को सहायता के अंतर्गत मीडिया लैब एशिया संबंधी सहायता अनुदान वेतन (₹ 1 करोड़) प्रदान करना।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के लिए व्यय पूरा करना (₹ 30 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary grants are required for:

- (a) providing (i) Minor Works under National Informatics Center (NIC) (₹ 19.30 crore) and (ii) Unique Identification Authority of India (UIDAI) (₹ 120 crore).
 - Taking into account the savings of ₹ 41.69 crore available in the same section of the Grant and surrender of savings of ₹ 7.50 crore available in the capital section of the grant, this will entail a cash outgo of ₹ 90.11 crore.
- providing (i) Grants in Aid General in respect of manpower Development under Digital India Programme (₹ 3.70 crore) and (ii) Grants in aid Salaries in respect of Media Lab Asia under Assistance to Autonomous and other bodies (₹ 1 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting expenditure towards Unique Identification Authority of India (UIDAI) (₹ 30 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 10 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

					es in Crore)	
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1239.81	17.30	1257.11
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	2568.41	•••	2568.41
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनु मान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	3502.60		3502.60
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		7310.82	17.30	7328.12
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष	के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted for	or under th	ne following Ma	ajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3456 - नागरिक आपूर्ति	स्वीकृत:	3456 -Civil Supplies	Voted:	3502.60		3502.60

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मूल्य स्थिरीकरण निधि स्कीम के अंतर्गत मूल्य प्रचालन प्रकोष्ठ के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान देना (₹ 3502.60 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 2.60 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हु ए उपर्युक्त व्यय में ₹ 3500 करोड़ नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

providing additional Grants-in-aid General for Price Operation Cell under the scheme of Price Stabilization Fund (₹ 3502.60 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 2.60 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 3500 crore.

खादय और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 15 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 11 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	142102.51	10601.60	152704.11
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	277.57	40550.00	40827.57
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the				
पूरक अनुमान:		amount now required:				
	भारित:		Charged:	2.32		2.32
	स्वीकृत:		Voted:	14.26	0.01	14.27
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		142396.66	51151.61	193548.27
	भारित:		Charged:	2.32		2.32
	स्वीकृत:		Voted:	142394.34	51151.61	193545.95

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

आयोजन आयोजन	आय			
Plan भिन्न	Р			
Non-Pla				
NUE SECTION		REVENUE SECTION		राजस्व भाग
R HEAD		MAJOR HEAD		मुख्य शीर्ष
Food Storage and Charged: 2.		2408 - Food Storage and	भारित:	2408 - खाद्य भंडारण और
ousing		Warehousing		भाण्डागारण
Voted: 0.			स्वीकृत:	
North Eastern Areas Voted: 14.25 (ਗc)		2552 -North Eastern Areas	स्वीकृत:	2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र
Revenue Section) 14.25 2		Total (Revenue Section)		जोड़ (राजस्व भाग)
TAL SECTION		CAPITAL SECTION		पूंजी भाग
R HEAD		MAJOR HEAD		मुख्य शीर्ष
Loans for Consumer Voted: 0.		6860 - Loans for Consumer	स्वीकृत:	6860 - उपभोक्ता उद्योगों के
ries		Industries		लिए ऋण
Supplementary) 14.25 2		Total (Supplementary)		जोड़ (पूरक)
Charged: 2.			भारित:	
Voted: 14.25 0.			स्वीकृत:	
Food Storage and Charged: 2.		2408 - Food Storage and Warehousing 2552 -North Eastern Areas Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 6860 - Loans for Consumer Industries Total (Supplementary)	स्वीकृतः स्वीकृतः स्वीकृतः	2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र जोड़ (राजस्व भाग) पूंजी भाग मुख्य शीर्ष 6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) चीनी के बफर स्टॉक के अनुरक्षण हेतु सब्सिडी की योजना के अंतर्गत मैसर्स पोन्नी सुगर (इरोड) लिमिटेड, तिमलनाडु को मध्यस्थता पंचाट को भुगतान (₹ 2.32 करोड़)।

अनुदान के राजस्व/भारित खंड में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हु ए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) (i) खाद्यानों की विकेन्द्रीकृत खरीद के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए (₹ 338.35 करोड़)

The supplementary grant/appropriation are required for:

(a) payment of arbitration award to M/s Ponni Sugars (Erode) Ltd., Tamil Nadu under the scheme of Subsidy for Maintenance of Buffer Stock of Sugar (₹ 2.32 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

 (i) providing additional subsidy to State Governments for decentralized procurement of foodgrains (₹ 338.35 crore).

(d)

- (ii) चीनी मीलों 2015 को उदार शर्तों वाले ऋणों पर ब्याज माफी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए (₹ 37.25 करोड़)
- (iii) चीनी के बफर स्टाक के रखरखाव हेतु इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त सब्सिडी जारी करना (₹ 2.68 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

- (ग) खाद्यान्न भण्डारण गोदाम का निर्माण करने के लिए नागालैण्ड (₹ 4.25 करोड़), अरुणाचल प्रदेश एवं (₹ 10 करोड़) खाद्य भण्डारण गोदाम का निर्माण करने के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नगद व्यय नहीं होगा।
- (घ) (i) चीनी मीलों के पुनर्वास आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने के लिए (₹ 10.15 करोड़)
 - (ii) खोई आधारित कोजेनरेशन पावर प्रोजेक्ट के लिए चीनी मीलों से संबंधित योजनाओं के अंर्तगत ऋण प्रदान करने के लिए (₹ 30 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

- (ii) providing subsidy for interest subvention on Scheme for Extending Soft Loan to Sugar Mills, 2015 (₹ 37.25 crore).
- release of additional subsidy under the scheme for Maintenance of Buffer Stock of Sugar (₹ 2.68 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

providing additional Grants for creation of Capital Assets to Nagaland (₹ 4.25 crore) and Arunachal Pradesh (₹ 10 crore) for construction of food storage godown.

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (i) providing loans under the scheme of Rehabilitation/ Modernization of Sugar Mills (₹ 10.15 crore).
- (ii) providing loans under the scheme of Sugar Factories for bagasse based cogeneration power project (₹ 30 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 17 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 12 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

					s in Crore)	
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	314.43	30.00	344.43
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	70.14		70.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनु मान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	5.37		5.37
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		389.94	30.00	419.94
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्ष के अंतर्गत (दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be account	ed for under th	e following Ma	ajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत:	3451 -Secretariat-Economic Services	Voted:		5.37	5.37

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

व्यावसाय करना आसान बनाने के अंतर्गत 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग और अन्य वचनबद्ध देनदारियों के कारण कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते (₹ 5.37 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary grant is required for:

pay and allowances to the officers/staff of Ministry of Corporate Affairs on account of 7th CPC and other committed liability under Ease of Doing Business (₹ 5.37 crore)

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 18 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 13 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

,					(करोड़ रुप	ाये Rupees	s in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	2430.00	70.00)	2500.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.04	0.01		0.05
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.03			0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2430.07	70.0°	1	2500.08
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	इय शीर्षों के अं	तर्गत दिखाया	ा जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be account	inted for und	der the follow	wing Major Heads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत:	2205 -Art and Culture	Voted:	0.01	(क a) 0.01	(खb)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)	-	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	0.0	l	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) कला संस्कृति विकास योजना-गांधी समिति और दर्शन समिति (₹ 2 करोड़) और (ii) सांस्कृतिक संस्थाएं-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (₹ 50 करोड़) 2. संग्रहालय विज्ञान शहर के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 15 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) 1. निम्न के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) संग्रहालय-विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (₹ 3 करोड़) (ii) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय ((₹ 2.50 करोड़) 2. संग्रहालय-विकटोरिया मेमोरियल हाल के तहत सहायता अनुदान वेतन (₹ 0.75 करोड़) 3. सांस्कृतिक संस्थाएं-भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के तहत कार्यालयी खर्च (₹ 0.25 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचता का देखत हुए साकातक पूर्व अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) संग्रहालय के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 15 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

- (a) 1.Grants-in-Aid General under (i) Kala Sanskriti Vikas Yojana-Gandhi Samiti and Darshan Samiti(₹ 2 crore) and (ii) Cultural Institutions-Indira Gandhi National Centre for the Arts(₹ 50 crore) 2.Grants for creation of Capital Assests under Museums-Science Cities (₹ 15 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) 1. Grants-in-Aid General under (i) Museums Victoria Memorial Hall (₹ 3 crore) and (ii) Nehru Memorial Museum and Library (₹ 2.50 crore), 2.GIA Salaries under Museums – Victoria Memorial Hall(₹ 0.75 crore), 3. Office Expense under Cultural Institutions-Anthropological Survey of India (₹ 0.25 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grant for Creation of Capital Assets under Museums (₹ 15 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

रक्षा मंत्रालय (विविध)

MINISTRY OF DEFENCE (MISC)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 19 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 14 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Rupees in G		
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	15.24	45.00		60.24
	स्वीकृत:		Voted:	56449.44	12027.95		68477.39
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	3512.01	1000.00		4512.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
	भारित:		Charged:	1.45	77.00		78.45
	स्वीकृत:		Voted:	1052.72	0.03		1052.75
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		61030.86	13149.98		74180.84
	भारित:		Charged:	16.69	122.00		138.69
	स्वीकृत:		Voted:	61014.17	13027.98		74042.15
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नित	रेखित मुख्य शीष	र्षों के अंतर्गत दिख	ाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant/Appropriation	will be accou	inted for under	the following Ma	ajor Hea	ds:
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				<i>(</i>	
2037 - सीमा शुल्क	स्वीकृत:	2037 - Customs	Voted:		113.35	(कa)	113.35
2052 - सचिवालय-सामान्य	भारित:	2052 - Secretariat-General Services	Charged:		0.75	(खb)	0.75
सेवाएं					07.4.00	<i>()</i>	07.00
	स्वीकृत:		Voted:		371.90	(गc)	371.90
2075 - विविध सामान्य सेवाएं	स्वीकृत:	2075 -Miscellaneous General Services	Voted:		73.30	(घd)	73.30
2076 - रक्षा सेवाएं-थल सेना	स्वीकृत:	2076 -Defence Services - Army	Voted:		370.46	(ਭ e)	370.46
2079 - रक्षा सेवाएंआयुध	स्वीकृत:	2079 - Defence Services - Ordnance	Voted:		0.01	(चf)	0.01
कारखाने		Factories					
2080 - रक्षा सेवाएं- अनुसंधान	भारित:	2080 - Defence Services - Research and	Charged:		0.70	(छg)	0.70
और विकास		Development					
	स्वीकृत:		Voted:		113.79	(जh)	113.79
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत:	3054 -Roads and Bridges	Voted:		9.91	(झi)	9.91
जोड़ (राजस्व भाग)		Total (Revenue Section)		•••	1054.17		1054.17
	भारित:		Charged:		1.45		1.45
	स्वीकृत:		Voted:		1052.72		1052.72
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजी	भारित:	4076 - Capital Outlay on Defence	Charged:		77.00	(커j)	77.00
परिव्यय		Services					
	स्वीकृत:		Voted:		0.01	(ਟk)	0.01

Voted:

0.01

(정)

0.01

4216 - आवास पर पूंजी परिव्यय स्वीकृतः 4216 - Capital Outlay on Housing

5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी	स्वीकृत:	5054 - Capital Outlay on Roads and	Voted:		0.01	(ਤm)	0.01
परिव्यय		Bridges					
जोड़ (पूंजी भाग)		Total (Capital Section)		•••	77.03		77.03
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			1131.20		1131.20
	भारित:		Charged:		78.45		78.45
	स्वीकृत:		Voted:		1052.75		1052.75

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) वेतन (₹ 59.18 करोड़), आपूर्ति और सामग्री (₹ 15.05 करोड़) और स्थापना संबंधी अन्य व्यय (₹ 39.12 करोड़) को पूरा करना। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) न्यायालय के निर्णयों के कारण वेतन (₹ 0.75 करोड़ रुपए) के अंतर्गतअतिरिक्त व्यय पूराकरना। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ग) रक्षा संपदा संगठन के अंतर्गत छावनी बोर्डों के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 206.57 करोड़), आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 45 करोड़), रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान हेतु सामान्य अनुदान सहायता (₹ 0.87 करोड़) और रक्षा मंत्रालय तथा सीमा सड़क संगठन के स्थापना संबंधी अन्य व्यय हेतु (₹ 154.15 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (₹ 34.69 करोड़) को देखते हुए शेष राशि के लिए पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें नकद व्यय होगा।
- (घ) पेंशन प्रभार (₹ 60.81 करोड़), ब्याज घटक (₹ 10 करोड़) और व्यय की अन्य मदों (₹ 2.49 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। ₹ 4.35 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्तियों को देखते हुए इसमें ₹ 68.95 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ङ) भूतपूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य स्कीम (₹ 579.60 करोड़), राष्ट्रीय कैडेट (e) कोर (₹ 12.57 करोड़) और निरीक्षण (₹ 9.87 करोड़) के संबंध में अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। ₹ 231.58 करोड़ की बचत और ₹ 66.21 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्राप्तियों को देखते हुए इसमें ₹ 304.25 करोड़ का नकद वयय होगा।
- (च) रक्षा आयुध निर्माणी हेतु ₹ 68.27 करोइ का अतिरिक्त व्यय पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतों को देखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (छ) न्यायालय आदेश के कारण वेतन एवं भत्ते (₹ 0.20 करोड़), भंडार (₹ 0.20 करोड़) और अन्य व्यय (₹ 0.30 करोड़) के अंतर्गत व्यय को पूरा करना। इस अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए तकनीकी पूरक मांगा जाता है। इसमें नकद वयय नहीं होगा।
- (ज) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 113.79 करोड़)। अतिरिक्त प्राप्तियों को देखते हु ए, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।
- (झ) सीमा सड़क संगठन के लघु निर्माण कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने (₹ 7.91 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 2 करोड़) हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) meeting additional expenditure on account of salaries (₹ 59.18 crore) supplies and materials (₹ 15.05 crore) and other establishment related expenditure (₹ 39.12 crore). This will entail cash outgo;
- (b) meeting additional expenditure under salaries (₹ 0.75 crore) arising out of court orders. This will entail cash outgo;
 - for providing Grants-in-Aid General (₹ 206.57 crore), Grants for creation of capital assets (₹ 45 crore) to Cantonment Boards under Defence Estates Organisations, Grants-in-Aid General for Institute for Defence Studies and Analysis (₹ 0.87 crore) and other establishment related expenditure of Ministry of Defence and Border Roads Organisation (₹ 154.15 crore). Taking into account the savings (₹ 34.69 crore) available in the same section, Supplementary for the balance amount is sought. This will entail cash outgo;
 - meeting additional expenditure of Pensionary charges (₹ 60.81 crore), Interest component (₹ 10 crore) and other items of expenditure (₹ 2.49 crore). Taking into account the additional receipts of ₹ 4.35 crore, this will entail cash outgo of ₹ 68.95 crore;
 - meeting additional expenditure in respect of Ex-servicemen Contributory Health Scheme (₹ 579.60 crore), National Cadet Corps (₹ 12.57 crore) and Inspection (₹ 9.87 crore). Taking into account saving of ₹ 231.58 crore and additional receipts of ₹ 66.21 crore, this Supplementary will entail cash outgo of ₹ 304.25 crore;
- (f) meeting additional expenditure of ₹ 68.27 crore for Defence Ordnance Factories. Taking into account the equivalent savings available in the same section of the Grant, a token Supplementary is sought;
 - meeting the expenses under Pay and Allowances (₹ 0.20 crore), Stores (₹ 0.20 crore) and other expenditure (₹ 0.30 crore) arising out of Court orders. Taking into account the savings available in Capital section of this Grant, technical Supplementary is sought;
 - meeting the additional requirement under various heads of Defence Research and Development Organisation (₹ 113.79 crore). Taking into account additional receipts, this will not entail cash outgo;
 - meeting additional expenditure under minor works (₹ 7.91 crore) and grants for creation of Capital assets (₹ 2 crore) of Border Roads Organisation. This will entail cash outgo;

(I)

- (ञ) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा न्यायालय के निर्णयों के अनुसार (j) दावाकर्ताओं को बढ़े हु ए मुआवजे के भुगतान हेतु (₹ 77 करोड़)। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।
- (ट) भूतपूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य स्कीम (₹ 5 करोड़), राष्ट्रीय कैडेट कोर (k) (₹ 9.85 करोड़) और गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (₹ 1.73 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ठ) रक्षा लेखा विभाग के संबंध में प्रमुख निर्माण कार्य शीर्ष के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 3.10 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ड) सीमा सड़क संगठन द्वारा सामरिक और सीमा सड़कों के निर्माण पर ₹ 427.53 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- payment of enhanced compensation to the claimants as per Court Orders by Defence Research and Development Organisation (₹ 77 crore). Taking into account the savings available in the voted section of the Grant, this will not entail cash outgo;
- meeting additional expenditure for Ex-servicemen Contributory
 Health Scheme (₹ 5 crore), National Cadet Corps (₹ 9.85 crore)
 and Directorate General of Quality Assurance (₹ 1.73 crore).
 Considering the matching savings available in the same section
 of the Grant, a token Supplementary is sought;
- meeting additional expenditure under the head 'Major Works'
 (₹ 3.10 crore) in respect of Defence Accounts Department.

 Taking into account the savings within the same section, a token supplementary is sought; and
- (m) meeting additional expenditure of ₹ 427.53 crore on construction of strategic and border roads by Border Roads organisation. Taking into account the savings available in the same section, a token supplementary is sought.

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)

(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

				राजस्व	<i>(करोड़ रुप</i> पूंजी	ये Rupee	es in Crore) जोड
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
" 3	भारित:		Charged:	1.00			1.00
	स्वीकृत:		Voted:	82331.66			82331.66
इस समय आवश्यक रकम का	· ·	Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
· ·	भारित:		Charged:	0.36			0.36
	स्वीकृत:		Voted:	3292.94			3292.94
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		85625.96			85625.96
	भारित:		Charged:	1.36			1.36
	स्वीकृत:		Voted:	85624.60			85624.60
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्न	लिखित मुख्य शी	ार्ष के अंतर्गत दिख	व्राया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant/Appropriation	on will be acco	unted for under	the following N	lajor He	ad:
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2071 - पेंशन और अन्य	भारित:	2071 - Pensions and other Retirement	Charged:		0.36	(कa)	0.36
सेवानिवृत्ति		Benefits					
	स्वीकृत:		Voted:	•••	3292.94	(खb)	3292.94

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) न्यायलयी आदेश के तहत ₹ 0.36 करोड़ भुगतान करने के लिए। इसमें नकदव्यय होगा।
- (ख) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर पेंशन के बकाया का भुगतान करने के लिए, वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के कारण महंगाई राहत और बकाया के प्रभाव का भुगतान करने के लिए (₹ 3292.94 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- for payment of ₹ 0.36 crore under court orders. This will entail cash outgo;
- (b) towards payment of arrears of pensions on implementations of the recommendations of the 7th Central Pay Commission, impact of Dearness Relief and arrears arising out of implementation of One Rank One Pension (₹ 3292.94 crore). This will entail cash outgo.

रक्षा सेवाएं (राजस्व)

DEFENCE SERVICES (REVENUE)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिये) (See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 15 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

					(करोड़ रु	नये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मू ल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	91.71	•••		91.71
	स्वीकृत:		Voted:	148407.14	•••		148407.14
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	1000.00			1000.00
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	5551.91			5551.91
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		155050.76			155050.76
	भारित:		Charged:	91.71			91.71
	स्वीकृत:		Voted:	154959.05	•••		154959.05
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जायेग	T:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for unde	er the following N	lajor Heads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2076 - रक्षा सेवाएं-थल सेना	स्वीकृत:	2076 -Defence Services - Army	Voted:		3628.99	(कa)	3628.99
2077 - रक्षा सेवाएं-नौ सेना	स्वीकृत:	2077 -Defence Services - Navy	Voted:		398.67	(खb)	398.67
2078 - रक्षा सेवाएं-वायु सेना	स्वीकृत:	2078 -Defence Services - Air Force	Voted:		1524.25	(गc)	1524.25
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		5551.91		5551.91

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) थल सेना निर्माण कार्यों के लिए (₹ 3570.89 करोड़) वेतन और भत्तों का अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.10 करोड़) और अन्य व्यय (₹ 58.20 करोड़)। रक्षा सेवा के पूंजी अनुदान और इस अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु एइसमें नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) नौ सेना के लिए वेतन और भत्ते के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 331.24 करोइ), निर्माण कार्य (₹ 5.88 करोइ), संयुक्त स्टाफ (₹ 60.97 करोइ) और अन्य व्यय (₹ 0.58 करोइ). रक्षा सेवा के पूंजी अनुदान में उपलब्ध बचतों को देखते हु एइसमें नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) नौ सेना के लिए वेतन और भत्ते के कारण अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 175 करोड़), स्टोर (₹ 895.02 करोड़), निर्माण कार्य (₹ 448.88 करोड़) और अन्य व्यय (₹ 40.45 करोड़)। रक्षा सेवा के पूंजी अनुदान और इस अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों और अतिरिक्त प्राप्तियों को देखते ह एइसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure of pay and allowances (₹ 3570.89 crore) for Army, works (₹ 0.10 crore), and other expenditure amounting (₹ 58.20 crore). Considering the savings available in the same section of the grant and Capital Grant of Defence Services,this will not entail cash outgo;
- neeting additional expenditure on account of pay and allowances (₹ 331.24 crore) for Navy, works (₹ 5.88 crore), Joint Staff (₹ 60.97 crore) and other expenditure (₹ 0.58 crore). Considering the savings available in the Capital Grant of Defence Services,this will not entail cash outgo; and
- meeting additional expenditure on account of pay and allowances (₹ 175 crore) for Navy, Stores (₹ 895.02 crore), Works (₹ 448.88 crore) and other expenditure (₹ 40.45 crore). Considering the savings available in the same section of the grant, Capital Grant of Defence Services and additional receipts, this will not entail cash outgo.

रक्षा सेवा पर पूंजी परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

	•	,		(करोड़ रुप	ये Rupee.	s in Crore)
			राजस्व	पूंजी		जोड़
			Revenue	Capital		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
भारित:		Charged:		87.12		87.12
स्वीकृत:		Voted:		78499.56		78499.56
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:	now required:					
भारित:		Charged:		2.46		2.46
स्वीकृत:		Voted:		0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			78589.15		78589.15
भारित:		Charged:	•••	89.58		89.58
स्वीकृत:		Voted:		78499.57		78499.57
	॥. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्न	निखित मुख्य शीष	र्ष के अंतर्गत दिख	ाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant/Appropriati	on will be accou	inted for under	the following M	lajor Hea	ad:
			आयोजना	आयोजना-		जोड़
			Plan	भिन्न		Total
				Non-Plan		
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजी <i>भारित:</i>	4076 - Capital Outlay on Defence	Charged:	•••	2.46	(कa)	2.46
परिव्यय	Services					
स्वीकृत:		Voted:		0.01	(खb)	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) न्यायलयी आदेश के कारण वायु सेना के निर्माण कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 2.46 करोड़)। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु एइसमें नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) थल सेना के निर्माण कार्यों के तहत ₹ 740 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करना, ₹ 7 करोड़ वाहन के तहत, ₹ 1944 करोड़ अन्य उपकरणों के तहत, ₹ 999.23 करोड़, नौसेना के नेवल गोदी के तहत, ₹ 4 करोड़ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक/ म्यूजियम हेतु, ₹ 1251.45 करोड़ वायु सेना के लिए वायुयान खरीदने के लिए, ₹ 183.79 करोड़ थल सेना हेतु मेक प्रोसीजर के तहत प्रोटोटाइप विकास हेतु विकास के तहत (₹ 154.69 करोड़) और वायु सेना (₹ 29.10 करोड़), अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (a) meeting additional expenditure of ₹ 2.46 crore under 'Construction Works' of Air Force arising out of Court Orders. Taking into account the savings available in the voted section of the grant, this will not entail cash outgo; and
 - meeting additional expenditure of ₹ 740 crore under 'Construction Works' of Army, ₹ 7 crore under Vehicles, ₹ 1944 crore under other equipments, ₹ 999.23 crore under Naval Dockyard of Navy, ₹ 4 crore for 'National War Memorial/Museum', ₹ 1251.45 crore for purchase of Aircrafts for Air Force, ₹ 183.79 crore under technology development for Prototype Development under make procedure for Army (₹ 154.69 crore) and Air Force (₹ 29.10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये) (See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 16 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

,		,				(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	1951.01		649.00		2600.01
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	भारित:		Charged:	6.50				6.50
	स्वीकृत:		Voted:	0.01				0.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
प्रक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	92.90				92.90
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2050.42		649.00		2699.42
	भारित:		Charged:	6.50				6.50
	स्वीकृत:		Voted:	2043.92		649.00		2692.92
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित म्	ए ख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखायाः	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acco				r Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष -		MAJOR HEAD						
2052 - सचिवालय-सामान्य	स्वीकृत:	2052 -Secretariat-General Services	Voted:			0.41	(कa)	0.41
सेवाएं								
2552 - पूर्वीत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	24.00	(खb)			24.00
3601 - राज्य सरकारों को	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	68.49	(गc)			68.49
सहायता	•	Governments						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	92.49		0.41		92.90

(b)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

 क) वेतन के कारण प्रतिबद्ध व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 0.41 करोड़ की अतिरिक्त निधि मुहैया कराना।
 उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

- (ख) (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र आजीविका परियोजना स्कीम के अंतर्गत ₹ 24.00 करोड़ की सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना।
 - (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र पिरषद की स्कीमों के अंतर्गत 38.50 करोड़ रुपए की सामान्य अनुदान सहायता और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए ₹ 29.20 करोड़ की अनुदान सहायता मुहैया कराना (इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि की खरीद हेतु ₹ 7.20 करोड़ का भुगतान शामिल है)।
 - चूंकि अनुदान के इसी भाग में ₹ 67.70 करोड़ की बचतें उपलब्ध हैं,इसमें ₹ 24 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।
- (ग) 'पूर्वीत्तर क्षेत्र परिषद की स्कीमें-विशेष विकास परियोजनाएं' के अंतर्गत
 ₹ 68.49 करोड़ की पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान सहायता
 मुहैया कराना।

 अनुदान के पूंजी भाग से ₹ 5 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण का उपयोग करने

के बाद, इसमें ₹ 63.49 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- providing additional funds of ₹ 0.41 crore to meet committed expenditure on account of salaries.
 - The above expenditure will entail a cash outgo;
 - (i) providing Grants-in-aid General of ₹ 24.00 crore under the scheme North Eastern Livelihood Project.
 - (ii) providing Grants-in-aid General amounting to ₹ 38.50 crore and Grants-in-aid for Creation of Capital Assets amounting to ₹ 29.20 crore (inclusive of payment of ₹ 7.20 crore to Delhi Development Authority for purchase of land) under the Schemes of North East Council.
 - As the savings of ₹ 67.70 crore is available in the same section of the Grant, this will entail a net cash outgo of ₹ 24 crore.
 - providing Grants-in-aid for creation of Capital Assets amounting to ₹ 68.49 crore under the "Schemes of North East Council Special Development Projects".
 - After utilising the surrender of savings amounting to \ref{total} 5 crore from Capital Section of the Grant, it will entail cash outgo of \ref{total} 63.49 crore.

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिये) (See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 17 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Rupees in Crore		
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
l. मू ल अनु दान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	22509.70		22509.70	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	4000.00		4000.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		26509.71		26509.71	
		II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी	र्ष के अंतर्गत	न दिखाया जायेगाः			
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under	the following M	ajor Head:		
				आयोजना	आयोजना-	जोड़	
				Plan	भिन्न	Total	
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2215 - जलापूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत:	2215 -Water Supply and Sanitation	Voted:	0.01		0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत व्यवसायिक सेवाओं (₹ 4 करोड़)और अंतरराष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता केन्द्र (₹ 4 करोड़) के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करना

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

providing additional fund for Professional Services (\mathfrak{T} 4 crore) and International Centre for Drinking Water Quality (ICDWQ)(\mathfrak{T} 4 crore) under National Rural Drinking Water Programme.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिये) (See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 20 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Rupee	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	3451.09		55.25	3506.34
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.03			0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	11.91			11.91
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3463.03		55.25	3518.28
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	ीर्षों के अंतर	र्गत दिखाया उ	नायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	d for unde	r the followi	ng Major	Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2406 - वानिकी और वन्य जीवन	स्वीकृत:	2406 -Forestry and Wild Life	Voted:	0.01	(कa)		0.01
3435 - पारिस्थितिकी और	स्वीकृत:	3435 -Ecology and Environment	Voted:	11.90	(खb)		11.90
पर्यावरण							
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	11.91			11.91

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 1.50 करोइ)
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) 1. सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (i) पर्यावरण संरक्षण और मोनिटरिंग (खतरनाक द्रव्य प्रबंधन) (₹ 16.64 करोइ) (ii) राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (₹ 117.70 करोइ) 2. पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान पर्यावरण संरक्षण और मोनिटरिंग (खतरनाक द्रव्य प्रबंधन) (₹ 1.25 करोइ) (ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (₹ 20 करोइ)

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹11.90 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के इसी भाग में ₹143.69 करोड़ का उपयोग करने के बाद उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary grants are required for:

- a) providing Grants-in-aid General to National Tiger Conservation Authority (₹ 1.50 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - Providing 1. Grants-in-aid General to (i) Environment Protection and Monitoring (Hazardous Substances Management) (EAP) (₹ 16.64 crore) (ii) National Coastal Zone Management Programme (₹ 117.70 crore) 2. Grants for creation of Capital Assets (i) Environment Protection and Monitoring (Hazardous Substances Management) (EAP) (₹ 1.25 crore) (ii) Central Pollution Control Board (₹ 20 crore).

Taking into account the surrender of savings of $\ref{thmodel}$ 11.90 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of $\ref{thmodel}$ 143.69 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 20 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 21 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Rup ∸≏	
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.03		0.03
	स्वीकृत:		Voted:	11679.63	2983.00	14662.63
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	600.02		600.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount	t now			
अनुमान:		required:				
3	स्वीकृत:	- 1	Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	,	Total (Original plus Supplementary)		12279.69	2983.00	15262.69
(भारित:	, cam (c. g p. c. c. pp. c, ,	Charged:	0.03		0.03
	स्वीकृत:		Voted:	12279.66	2983.00	15262.66
	र पाकृता.	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित			2303.00	13202.00
		. •	•		San I I and	
		II. This Supplementary Grant will be ac	counted for under tr	ne following ivia आयोजना	•	
				आयाजना Plan	आयोजना- भिन्न	जोड़ Total
				Plan	।अन्न Non-Plan	lotai
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			Non-Plan	
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2061 - विदेशी मामले	स्वीकृत:	2061 -External Affairs	Voted:		0.01	0.01
	\@_, ≱.	The our	oplementary grant is	required for		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वी.वी.आई.पी. यात्रा के लिए एयर इंडिया के वायुयानों की रखरखाव लागत के लिए व्यय पूरा करना (₹ 40 करोइ)।

अनुदान के इसी भाग मं उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary grant is required for:

meeting expenditure towards maintenance cost of Aircrafts of Air India for VVIP travel ($\stackrel{?}{\checkmark}$ 40 crore).

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30-31 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)

(See page 30-31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 21 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 22 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

,				राजस्व Revenue	<i>(करोड़ रु^ए</i> पूंजी Capital	ाये Rupe	es in Crore) जोड़ Total
I. मू ल अनु दान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	12335.39	8470.70		20806.09
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	80.06	1672.20		1752.26
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
प्रक अनुमान:	•	now required:					
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	स्वीकृत:		Voted:	5889.22	0.02		5889.24
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	o 0-x' → 2	18304.67	10142.92		28447.59
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख					
		II. This Supplementary Grant will be account	ntea for un	aer the follov आयोजना	wing iviajor Heads: आयोजना-		जोड
				Plan	आयाजना- भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2075 - विविध सामान्य सेवाएं	स्वीकृत:	2075 -Miscellaneous General Services	Voted:		0.01	(कa)	0.01
2250 - अन्य सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत:	2250 -Other Social Services	Voted:		5889.16	(खb)	5889.16
3075 - अन्य परिवहन सेवाएं	स्वीकृत:	3075 -Other Transport Services	Voted:		0.01	(गc)	0.01
3466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय	स्वीकृत:	3466 -International Financial Institutions	Voted:		0.01	(घd)	0.01
संस्थाएं							
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक	स्वीकृत:	3475 -Other General Economic Services	Voted:	0.01	(še) 0.01	(चf)	0.02
सेवाएं							
3605 - अन्य देशों के साथ	स्वीकृत:	3605 -Technical and Economic Co-	Voted:		0.01	(छg)	0.01
तकनीकी और आर्थिक सहयोग		operation with Other Countries					
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.01	5889.21		5889.22
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4058 - लेखन सामग्री और छपाई	स्वीकृत:	4058 - Capital Outlay on Stationery and	Voted:		0.01	(जh)	0.01
पर पूंजी परिव्यय		Printing					
7610 - सरकारी कर्मचारियों	स्वीकृत:	7610 - Loans to Government Servants,	Voted:		0.01	(झां)	0.01
आदि को ऋण		etc.					
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:		0.02		0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	5889.23		5889.24

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) एमडीआर प्रभारों की प्रतिपूर्ति हेतु (₹ 50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) लोक लेखा में रखी अदावाकृत राशि का वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में अंतरण (₹ 5889.16 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

- (a) reimbursement of MDR charges (₹ 50 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - transferring the unclaimed money to Senior Citizen Welfare Fund (SCWF) kept in the Public Account (₹ 5889.16 crore).

- भारत की संचित निधि में जमा की गई अदावाकृत राशि की प्राप्तियों को देखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) सामिरक रेल लाइनों के प्रचालन पर रेलवे की हानियों की पुन:प्रतिपूर्ति हेतु सब्सिडी (₹ 2691.96 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) एएफडीएफ-14 में अंशदान (₹ 3 करोड़)।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक
 अनुदान मांगा जाता है।
- (ङ) अर्थक्षमता में कमी को पूरा करने हेतु वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त प्रावधान (₹ 250 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (च) स्वर्ण प्रारक्षित निधि में सर्वोत्तम स्वर्ण बांड पर वर्ष की औसरत उधारी दर और देय ब्याज की दर के अंतर को पूरा करने के लिए ₹ 68 करोड़ का अंतरण।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक प्रक
- अनुदान मांगा जाता है। (छ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रवासी प्रतिनिधि के व्यय हेतु अंशदान (₹ 1.12 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक
- (ज) बजट प्रैस के आधु निकीकरण हेतु मशीनों की खरीद (₹ 1.50 करोड़)।

अनुदान मांगा जाता है।

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (झ) सरकारी कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम हेतु ऋण के लिए ₹ 50 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- Taking into account the receipts of unclaimed money deposited in Consolidated Fund of India, this will not entail cash outgo.
- subsidies towards re-reimbursement of losses to Railways on operating strategic Railway lines (₹ 2691.96 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) contribution to AfDF-14 (₹ 3 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- e) additional provision on Viability Gap Funding (₹ 250 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- transfer of ₹ 68 crore as difference of average borrowing rate for the year and the rate of interest payable on Sovereign Gold Bond to Gold Reserve Fund.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (g) contribution towards expenses of resident representative of UNDevelopment Programme (₹ 1.12 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (h) procurement of Machines for modernization of Budget Press(₹ 1.50 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - additional requirement of ₹ 50 crore for House Building Advances for loans to Government Servants.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

विततीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिये) (See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 24 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

					(4/(1) (14 Hupec	33 111 01010)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	4135.52	29620.00		33755.52
पूरक अनुदान:	-	SUPPLEMENTARY GRANT:					
. 3	स्वीकृत:		Voted:	0.03	•••		0.03
इस समय आवश्यक रकम का	Č	Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
" 3	स्वीकृत:	·	Voted:	0.01	3586.38		3586.39
जोड़ (मूल और पूरक)	· ·	Total (Original plus Supplementary)		4135.56	33206.38		37341.94
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जार	ोगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	ed for unde	er the following	Major Heads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2416 - कृषि वित्तीय संस्थान	स्वीकृत:	2416 -Agricultural Financial Institutions	Voted:		0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुंख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4416 - कृषि वित्तीय संस्थानों में	स्वीकृत:	4416 - Investments in Agricultural Financial	Voted:		741.38	(खb)	741.38
निवेश		Institutions					
5465 - सामान्य वित्तीय और	स्वीकृत:	5465 - Investments in General Financial	Voted:		2845.00	(गc)	2845.00
व्यापारिक संस्थानों में निवेश		and Trading Institutions					
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:		3586.38		3586.38
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:		3586.39		3586.39
		टिप्पणी: अतिरिक्त्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुम	ानों में नीचे दश	र्शाई गयी वसूलियों व	को शामिल नहीं किया	ागया है जि	न्हें व्यय में से
		घटाकर समायोजित किया जाता है !					
		Note: The above estimates of additional requirement	nts do not ta	ike into account t	ne recoveries sho	wn below	, which are
<u></u> -		adjusted in reduction of expenditure.					
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					

5465 - Investments in General Financial

and Trading Institutions

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

5465 - सामान्य वित्तीय और

व्यापारिक संस्थानों में निवेश

- (क) ₹ 180 करोड़ के आधार आधारित भुगतान प्रणालियों को प्रोत्साहन देने के लिए नाबार्ड के वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) को अंशदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ख) नाबार्ड के शेयर पूँजी में अंशदान (₹ 900 करोड़)। अनुदान के राजस्व खण्ड में उपलब्ध ₹ 241.38 करोड़ के बचत के अभ्यर्पण और ₹ 500 करोड़ तक वसूली अवशिष्ट को देखते हु ए अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं। उपर्युक्त व्यय के लिए किसी नकद व्यय की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ग) राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरित करने के लिए ₹ 3345 करोड़ की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 500 करोड़ की बचत और ₹ 2845 करोड़ की वसुलियों को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय के लिए किसी अतिरिक्त नकद व्यय की आवश्यकता नहीं होगी।

The supplementary grants are required for:

a) contribution to Financial Inclusion Fund (FIF) of NABARD to promote AADHAR Enabled payments systems of ₹ 180 crore. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(-) 3345.00

(-)3345.00

- (b) subscription to share capital to NABARD (₹ 900 crore). Taking into account the surrender of savings of ₹ 241.38 crore available in the Revenue Section of the Grant and recoveries of ₹ 500 crore & residual savings are available within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any cash outgo.
- additional amount of ₹ 3345 crore is required for transfer to National Investment Fund.
 - Taking into account savings of ₹ 500 crore is available within the same Section of the Grant and recoveries of ₹ 2845 crore, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

संख्या NO. 31 (विनियोग)(APPROPRIATION) ब्याज अदायगियां

INTEREST PAYMENTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Ru _l	pees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I.विनियोग:		I. ORIGINAL APPROPRIATION:				
	भारित:		Charged:	507669.95		507669.95
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount				
अनुमान:		now required:				
	भारित:		Charged:	1112.35		1112.35
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		508782.30		508782.30
		II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्ष के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Appropriation will be	e accounted for	under the follow	ving Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2049 - ब्याज भुगतान	भारित:	2049 - Interest Payments	Charged:		1112.35	1112.35

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

क्षतिपूर्ति और अन्य बांडों के लिए ₹ 173.17 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता, 14 दिवसीय राजकोषीय हुं डियों पर छूट के लिए ₹ 968 करोड़, ऋण प्रबंधन के लिए ₹ 158.05 करोड़, बाजार स्थिरीकरण स्कीम के लिए ₹ 5138.65 करोड़, विदेशी ऋणों पर ब्याज ₹ 1095.52 करोड़, अल्प बचत जमा प्रमाण पत्रों पर ब्याज ₹ 8079.83 करोड़, राज्य भविष्य निधि के लिए ₹ 1558.96 करोड़, बीमा, पेंशन निधि के लिए ₹ 48.61 करोड़ और अन्य देनदारियों पर ब्याज ₹ 4.25 करोड़ और विरष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ) हेतु ₹ 115.26 करोड़।

विनियोग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए और प्रोदभूत ब्याज के कारण अतिरिक्त प्राप्तियां और प्रीमियम को देखते हुए इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary appropriation is required for:

additional requirement of ₹ 173.17 crore for Compensation & other Bonds, ₹ 968 crore for Discount on 14 days T. Bills, ₹ 158.05 crore Management of Debt, ₹ 5138.65 crore for Market Stabilisation Scheme, ₹ 1095.52 crore for Interest on External Debts, ₹ 8079.83 crore for Interest on Small Savings, deposits, certificates, ₹ 1558.96 crore for State Provident Fund, ₹ 48.61 crore for Insurance & Pension Funds, ₹ 4.25 crore for Interest on other obligations and ₹ 115.26 crore for Senior Citizens Welfare Fund (SCWF).

Taking into account savings available within the Appropriation and additional receipts on account of accrued interest and premium, this supplementary will not entail any cash outgo.

राज्यों को अंतरण

TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 22 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 25 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	100646.36	12600.00	113246.36	
	स्वीकृत:		Voted:	25250.00		25250.00	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	भारित:		Charged:		5500.00	5500.00	
	स्वीकृत:		Voted:	4651.00		4651.00	
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	3000.00		3000.00	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		133547.36	18100.00	151647.36	
	भारित:		Charged:	100646.36	18100.00	118746.36	
	स्वीकृत:		Voted:	32901.00		32901.00	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्ष के अंतर्गत	ा दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be according	unted for under	the following Ma	jor Head:		
				आयोजना	आयोजना-	जोड़	
				Plan	भिन्न	Total	
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2245 - प्राकृतिक आपदा राहत	स्वीकृत:	2245 -Relief on account of Natural	Voted:		3000.00	3000.00	
		Calamities					

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (एनडीआरएफ) (₹ 3000 करोड़) के अंतर्गत ओले, आंधी, बेमौसम वर्षा, सूखा, बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को सहायता के रूप में अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना।

अनुदान के राजस्व (भारित) खंड में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा। The supplementary grant is required for:

providing additional funds as assistance to States affected by Natural Calamities like, hailstorm, unseasonal rain, drought, flood etc., under National Disaster Response Fund (NDRF) (₹ 3000 crore)

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue (Charged) Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

संख्या NO. 33 (विनियोग)(APPROPRIATION)

ऋण की वापसी अदायगी

REPAYMENT OF DEBT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये) (See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 26 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			(INTO THE TRAPESO III OF			
			राजस्व	पूंजी		जोड़
			Revenue	Capital		Total
l.विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:					
भारित.		Charged:		4406431.08		4406431.08
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
भारित		Charged:		0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:	now required:					
" अ	•	Charged:		1085437.69		1085437.69
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			5491868.78		5491868.78
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित	म्ख्य शीर्षों के अंत	नर्गत दिखाया ज	गयेगा:		
	II. This Supplementary Appropriation wil	be accounted f	or under the	following Major H	leads:	
			आयोजना	आयोजना-		जोड़
			Plan	भिन्न		Total
				Non-Plan		
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
6001 - केन्द्र सरकार का <i>भारित</i> .	6001 - Internal Debt of Central	Charged:		1084130.27	(कa)	1084130.27
आन्तरिक ऋण	Government	J			. ,	
6002 - विदेशी ऋण भारित	6002 - External Debt	Charged:		1307.42	(खb)	1307.42
जोड़ (पूरक) भारितः	Total (Supplementary)	Charged:	•••	1085437.69		1085437.69

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) वापसी खरीद/स्वीचिंग/मार्केट मेकिंग स्कीम (₹ 25472.49 करोइ), सामान्य बाजार उधार के अंतर्गत 14 दिवसीय राजकोषीय हुं डियों की बिक्री (₹ 563742 करोइ), 364 दिवसीय राजकोषीय हुं डियों (0.47 करोइ), अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (₹ 383.76 करोइ), एशियाई विकास बैंक (₹ 3.65 करोइ), अफ्रीकी विकास निधि (₹ 4.03 करोइ), 9 प्रतिशत राहत बांड, 1987 (₹ 0.41 करोइ रुपए), 10 प्रतिशत राहत बांड, 1993 (₹ 0.04 करोइ), 9 प्रतिशत राहत बांड, 1993 (₹ 0.27 करोइ), 10 प्रतिशत राहत बांड, 1995 (₹ 0.37 करोइ), 9 प्रतिशत राहत बांड, 1999 (₹ 2.84 करोइ), 8.5 प्रतिशत राहत बांड 2001 (₹ 11.78 करोइ), 8 प्रतिशत राहत बांड 2002 (₹ 2.73 करोइ), 7 प्रतिशत बचत योजना 2002 (₹ 1.15 करोइ), 6.5 प्रतिशत बचत बांड, 2003 (अकरादेय) (₹ 4.77 करोइ), 8 प्रतिशत बचत बांड (करादेय), 2003 (₹ 386.82 करोइ), एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों का मोचन (₹ 1736.66 करोइ), बाजार स्थिरीकरण स्कीमों के अंतर्गत सीएमबी की अदायगी (₹ 1011518.49 करोइ)

विनियोग में उपलब्ध ₹ 519142.46 करोड़ की बचत को देखते हुए शेष ₹ 1084130.27 करोड़ की राशि के लिए पूरक विनियोग मांगा जाता है। अत: उपर्युक्त पुनर्अदयागी में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि पुनर्अदायगी के समतुल्य राशि की प्राप्ति होगी।

(ख) विदेशी ऋण की पुनर्अदायगी (₹ 1307.42 करोड़) अतिरिक्त पुनर्अदायगी के समतुल्य प्राप्ति होगी। अत: इसको देखते हु ए उपर्युक्त पुनर्अदायगी में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriations are required for:

Buyback/switching/market making Scheme (₹ 25472.49 crore), Discharge of 14 day Treasury Bills (₹ 563742 crore), 364 day Treasury Bills (₹ 0.47 crore) under normal market borrowing, International Development Agency (₹ 383.76 crore), Asian Development Bank (₹ 3.65 crore), African Development Fund (₹ 4.03 crore), 9% Relief Bonds, 1987 (₹ 0.41 crore), 10% Relief Bond, 1993 (₹ 0.04 crore), 9% Relief Bond, 1993 (₹ 0.27 crore), 10% Relief Bond, 1995 (₹ 0.37 crore), 9% Relief Bond, 1999 (₹ 2.84 crore), 8.5% Relief Bond, 2001 (₹ 11.78 crore), 8% Relief Bond, 2002 (₹ 2.73 crore), 7% Saving Scheme 2002 (₹ 1.15 crore), 6.5% Savings Bond 2003 (Non Taxable) (₹ 4.77 crore), 8% Savings Bond (Taxable), 2003 (₹ 386.82 crore), Redemption of Securities issued to NSSF (₹ 1736.66 crore), Repayment of CMBs under Market Stabilisation Scheme (MSS) (₹ 1011518.49 crore)

Taking into account estimated savings of ₹ 519142.46 crore is available with the Appropriation, Supplementary for the balance amount of ₹ 1084130.27 crore is sought. the supplementary will not entail any additional cash outgo, as the repayments will be matched by receipts.

(b) Repayment of External Debt (₹ 1307.42 crore).

Taking into account the additional repayments will be matched by receipts. The supplementary will not entail any additional cash outgo;

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये) (See page 38 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 29 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

				(करोड़ रुपये Rupees in Cror				
			राजस्व	पूंजी	जोड़			
			Revenue	Capital	Total			
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:	Charged:	129.63		129.63			
	स्वीकृत:	Voted:	3793.14	11.50	3804.64			
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	भारित:	Charged:	6.05		6.05			
	स्वीकृत:	Voted:	112.49	2.69	115.18			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now						
अनुमान:		required:						
	स्वीकृत:	Voted:	15.00		15.00			
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	4056.31	14.19	4070.50			
	भारित:	Charged:	135.68		135.68			
	स्वीकृत:	Voted:	3920.63	14.19	3934.82			
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत 1	देखाया जायेगा:					
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the	e following Ma	ajor Head:				
			आयोजना	आयोजना-	जोड़			
			Plan	भिन्न	Total			
				Non-Plan				
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2016 - लेखा परीक्षा	स्वीकृत:	2016 -Audit Voted:		15.00	15.00			

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

लेखा परीक्षा के अंतर्गत वेतन के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 15 करोड़)। अनुदान के राजस्व भाग में बचत के अभ्यर्पण और अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 1.50 करोड़ को देखते हु एइसमें ₹ 12 करोड़ नकद व्यय होगा। The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure towards 'salary' under Audit (₹ 15 crore). Taking into account the surrender of saving of ₹ 1.50 crore in the Revenue (Charged) Section of the grant and ₹ 1.50 crore available in the capital section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 12 crore.

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 30 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

(करोड रुपये Rupees in Crore)

					(कराड़ रु	чч кире	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.02			0.02
	स्वीकृत:		Voted:	11868.99	56.00		11924.99
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
, 3	स्वीकृत:		Voted:	38.01			38.01
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of the amount					
का पूरक अनुमान:		now required:					
in Kr in Olegeneri	स्वीकृत:	now required.	Voted:	7.02	0.01		7.03
जोड़ (मूल और पूरक)	रपाकृता.	Total (Original plus Supplementary)	voteu.	11914.04	56.01		11970.05
مان (دلار) مار لار، ا	भारित:	rotal (original plus supplementary)	Charged:	0.02			0.02
	स्वीकृत:		Voted:	11914.02	 56.01		11970.03
	स्पाकृत.	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्			30.01		11970.03
					San I I and a		
		II. This Supplementary Grant will be accoun	itea for under	ine following ivia आयोजना			जोड़
				आयाजना Plan	आयोजना- भिन्न		জাড় Total
				Fiaii	Non-Plan		Iotai
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
3 2070 - अन्य प्रशासनिक	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:		7.01	(क a)	7.01
सेवाएं	, -11 E./	2070 Ontol Manimionality Col Vices	votou.		7.01	(1.4)	7.01
3601 - राज्य सरकारों को	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:		0.01	(खb)	0.01
सहायता	रपाकृता.	Governments	voteu.		0.01	(Gb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:		7.02		7.02
पूं <i>जी</i> भाग	स्वाकृतः	,	voteu.	•••	7.02		7.02
मुख्य शीर्ष		CAPITAL SECTION					
•		MAJOR HEAD				<i>(</i>)	
4875 - अन्य उद्योगों पर	स्वीकृत:	4875 - Capital Outlay on Other Industries	Voted:		0.01	(गc)	0.01
पूंजी परिव्यय							
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	•••	7.03		7.03
			* * • > • • •				
		टिप्पणी: अतिरिक्त्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनु	मानों में नीचे दशाई	गर्यी वसूलियों को शा	मिल नहीं किया गया	है जिन्हें व्य	य में से
		घटाकर समायोजित किया जाता है!	anta da nat taka	into account the re	anavarian ahaum l	بنطيب بيناما	ah ara
		Note: The above estimates of additional requiremadjusted in reduction of expenditure.	enis uo noi iake	into account the fe	SCOVENES SHOWN I	JEIUW, WITH	on alt
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
2070 - अन्य प्रशासनिक		2070 - Other Administrative Services			(-) 7.01		(-) 7.01
८०१० - अर्ज्य असास्राजक		2010 - Other Administrative Services			(-) 1.01		(-) 1.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सेवाएं

(क) औषधि दुरुपयोग नियंत्रण पर अतिरिक्त व्यय (₹ 7.01 करोड़)। इस व्यय को ध्यान में रखते हु ए इसे राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग के नियंत्रण हेतु निधि (प्रारक्षित निधि) से पूरा किया जाएगा, इस पूरक में कोई नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary grants are required for:

(a) additional expenditure on Control of Drug Abuse (₹ 7.01 crore). Taking into account the expenditure will be met from National Fund for Control of Drug Abuse (Reserve Fund), the supplementary will not entail any cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2016-2017 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- (ख) ₹ 1384.58 करोड़ रुपए की राशि की दूसरी किस्त पर सीएसटी मुआवजा (b) देना।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) नीमच अफीम कारखाना हेतु अधिक प्रावधान (₹ 0.35 करोड़) गाजीपुर (c)
 एल्केलॉयड वकर्स (₹ 0.01 करोड़) और नीमच एल्केलॉयड वकर्स
 (₹ 2.14 करोड़) चूंकि, यह प्रावधान स्वीकृत अनुदान का 10% से अधिक है।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

-) providing CST Compensation 2nd installment of an amount of ₹ 1384.58 crore.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - higher provision for Neemuch Opium Factory (₹ 0.35 crore), Ghazipur Alkaloid Works (₹ 0.01 crore) and Neemuch Alkaloid Works (₹ 2.14 crore) as the provision is more than 10% of voted Grant.

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 25 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 31 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	,	Voted:	5187.00	202.00	5389.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	•	Voted:	100.00	0.02	100.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:	•	Voted:	280.17		280.17
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		5567.17	202.02	5769.19
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted for	under th	e following M	ajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2020 - आय और व्यय पर करों का	स्वीकृत:	2020 -Collection of Taxes on Income and	Voted:		280.17	280.17
संग्रहण		Expenditure				

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग और अन्य प्रतिबद्ध देयताओं के कारण सीबीडीटी के अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते (₹ 280.17 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 215 करोड़ का नकद व्यय होगा। The supplementary grant is required for:

pay and allowances to the officers/staff of CBDT on account of 7th CPC and other committed liability (₹ 280.17 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant (₹ 65.17 crore), this will entail a cash outgo of ₹ 215 crore.

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 32 देखिये) (See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 32 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व	पूंजी		जोड़
				Revenue	Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.50			0.50
	स्वीकृत:		Voted:	5140.00	200.00		5340.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	210.00	0.02		210.02
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount	t				
पूरक अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	280.00			280.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		5630.50	200.02		5830.52
	भारित:		Charged:	0.50			0.50
	स्वीकृत:		Voted:	5630.00	200.02		5830.02
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	ा दिखाया जायेग	π:		
		II. This Supplementary Grant will be ac	counted for under t	he following N	/lajor Heads:		
				आयोजना	आयोजना-		जोड़
				Plan	भिन्न		Total
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2037 - सीमा शुल्क	स्वीकृत:	2037 -Customs	Voted:		50.00	(कa)	50.00
2038 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	स्वीकृत:	2038 -Union Excise Duties	Voted:		230.00	(खb)	230.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	•••	280.00		280.00
	- 2- 1	The second			l f =		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) सीमा शुल्क फोरमेशन के अधिकारियों/स्टाफ को वेतन और भत्ते का भुगतान (₹ 50 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (ख) उत्पाद शुल्क फोरमेशन के अधिकारियों/स्टाफ को वेतन और भत्ते का (b) भुगतान (₹ 230 करोड़)।
 - उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

(a) payment of pay & allowances to the officers/staff of Customs Formations (₹ 50 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

) payment of pay & allowances to the officers/staff of Excise Formations (₹ 230 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

खादय प्रसंस्करण उदयोग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिये) (See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 33 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

						(करोड़ रुपये F	Rupees i	n Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मू ल अनु दान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	636.02				636.02
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	92.96				92.96
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		729.00				729.00
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्र	य शीर्षों के अंत	ार्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be account	nted for unde	er the follow	wing Majo	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत:	3451 -Secretariat-Economic Services	Voted:			0.34	(क a)	0.34
2408 - खाद्य भंडारण और	स्वीकृत:	2408 -Food Storage and Warehousing	Voted:	83.21	(खb)	0.56	(गc)	83.77
भाण्डागारण								
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	8.85	(घd)			8.85
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	92.06		0.90		92.96

(b)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) वेतन के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.16 करोड़ रुपए) और कार्यालयी खर्च (₹ 0.18 करोड़ रुपए)।

उपर्युक्त व्यय में ₹ 0.34 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

- (ख) (i) मेगा फूड पार्क स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 70 करोड़ रुपए) एवं व्यावयासिक सेवाएं (₹ 0.84 करोड़)।
 - (ii) एकीकृत शीतल शृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 41.80 करोड़) एवं व्यावसायिक सेवाएं (₹ 1.00 करोड़)।
 - (iii) मानव संसाधन और संस्था स्कीम के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.10 करोइ), विज्ञापन और प्रचार (₹ 1.00 करोइ), अन्य प्रभार (₹ 0.20 करोइ) एवं अन्य प्रशासनिक खर्च (₹ 0.39 करोड)।
 - (iv) गुणवत्ता आश्वासन स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक खर्च के तहत अतिरिक्त व्यय प्राकरना (₹ 0.13 करोइ)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए इसमें ₹ 83.21 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा। The supplementary grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards Salaries (₹ 0.16 crore) and Office Expenses (₹ 0.18 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 0.34 crore.

- (i) providing additional Grants-in-aid General (₹ 70 crore) and Professional Services (₹ 0.84 crore) under the scheme Mega Food Parks.
- (ii) providing additional Grants-in-aid General (₹ 41.80 crore) and Professional Services (₹ 1 crore) under the scheme Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure.
- (iii) meeting additional expenditure for Professional Services (₹ 0.10 crore), Advertisement and Publicity (₹ 1 crore), Other Charges (₹ 0.20 crore) and Other Administrative Expenses (₹ 0.39 crore) under the scheme Human Resource and Institutions.
- (iv) meeting additional expenditure under Other Administrative Expenses (₹ 0.13 crore) under the scheme of Quality Assurance.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹83.21 crore.

(d)

- (ग) (i) मानव संसाधन और संस्था स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 1.01 करोड़)।
 - (ii) मानव संसाधन और संस्था स्कीम के अंतर्गत भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान को अतिरिक्त सहायता अनुदान वेतन (₹ 2.76 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.30 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए इसमें ₹ 0.56 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

(घ) मेगा फूड पार्क स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 7.01 करोड़), आधुनिक ब्चडखाना (₹ 2.21 करोड़) और मानव संसाधन एवं संवर्धनात्मक क्रियाकलाप संस्थाओं को (₹ 14.21 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए इसमें ₹ 8.85 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

- (i) providing additional Grants-in-aid General to National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management under the Scheme for Human Resource and Institutions (₹ 1.01 crore).
- (ii) providing additional Grants-in-aid Salaries (₹ 2.76 crore) and Grant-in-aid General (₹ 0.30 crore) to Indian Institute of Crop Processing Technology under the Scheme for Human Resource and Institutions.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of \ref{thm} 0.56 crore.

providing additional Grants-in-aid General under the Scheme for Mega Food Parks (₹ 7.01 crore), Modern Abattoirs (₹ 2.21 crore) and Human Resource and Institutions for Promotional Activities (₹ 14.21 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of \mathfrak{F} 8.85 crore.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 26 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 34 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदान: स्वीकृत: Voted: 38899.71 1757.86 40657.57 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: स्वीकृत: Voted: 1364.87 0.03 1364.90 इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the पूरक अनुमान: amount now required: स्वीकृत: Voted: 1448.47 0.01 1448.48 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 41713.05 1757.90 43470.95 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-जोड Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2071 - पेंशन और अन्य 2071 -Pensions and other Retirement 50.00 स्वीकृत: 50.00 (कa) Voted: सेवानिवृत्ति **Benefits** 2210 - चिकित्सा और जन 2210 -Medical and Public Health 20.84 स्वीकृत: Voted: 20.84 (खb) स्वास्थ्य 2211 - परिवार कल्याण स्वीकृत: 0.01 2211 -Family Welfare Voted: 0.01 (गc) 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas Voted: 0.01 (घd) 0.01 . . . 3601 - राज्य सरकारों को स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Voted: (**ਭ**e) 0.01 0.01 सहायता Governments 3606 - सहायता सामग्री और स्वीकृत: 3606 -Aid Materials and Equipment Voted: 1377.60 (चf) 1377.60 उपसकर 20.87 जोड़ (राजस्व भाग) स्वीकृत: Total (Revenue Section) Voted: 1427 60 1448.47 **CAPITAL SECTION** पूंजी भाग मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4210 - चिकित्सा और जन 4210 - Capital Outlay on Medical and 0.01 स्वीकृत: Voted: 0.01 (छg) स्वास्थय पर पूंजी परिव्यय Public Health जोड़ (पूरक) स्वीकृत: Total (Supplementary) Voted: 20.88 1427.60 1448.48 टिप्पणी: अतिरिक्त्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure. राजस्व भाग **REVENUE SECTION** 3606 - सहायता सामग्री और 3606 - Aid Materials and Equipment (-)1377.60(-)1377.60

(a)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

उपस्कर

The supplementary grants are required for:

Meeting additional expenditure towards Medical Treatment under the scheme Treatment of CGHS Pensioners (₹ 50 crore).

⁽क) सीजीएचएस पेंशनरों के उपचार संबंधी स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (50 करोड़ रुपए)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

(ख) अतिरिक्त व्यय पूरा करना 1. स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता (i) नशा मुक्ति केंद्र, एम्स, नई दिल्ली (1.40 करोड़ रुपए) (ii) नशा मुक्ति केंद्र, एम्स, नई दिल्ली (1.40 करोड़ रुपए) (ii) नशा मुक्ति केंद्र, निम्हैन्स, बेंगलुरू (0.60 करोड़ रुपए) 2. मजदूरी के भुगतान हेतु व्यावसायिक सेवाएं (18.84 करोड़ रुपए) 3. स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (i) राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (2 करोड़ रुपए) (ii) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सोसायटी के संविदागत कर्मचारियों हेतु भविष्य निधि (45 करोड़ रुपए) (iii) संचारी रोगों-जीसी हेतु फ्लैक्सीबल पूल (26.76 करोड़ रुपए) (iv) भारतीय फार्माकोपिया आयोग (3 करोड़ रुपए) (vi) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (11.75 करोड़ रुपए) (vi) राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्यक्रम (3 करोड़ रुपए) (vii) भारतीय पाश्चर संस्थान, कोनोर (3 करोड़ रुपए) 4. स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के स्जन हेतु अनुदान (i) भारतीय फार्माकोपिया आयोग (13 करोड़ रुपए) (iii) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (48 करोड़ रुपए) (iii) भारतीय पाशचर संस्थान, कोनोर (10 करोड़ रुपए)

पूंजी भाग में उपलब्ध 20.84 करोड़ रुपए की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के इसी भाग में बचतों का उपयोग करने के बाद, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ग) (ग) सूचना, शिक्षा और संचार स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता हेत् अतिरिक्त व्यय पूरा करना (27.15 करोड़ रुपए)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (6.58 करोड़ रुपए)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (इ.) पूंजी आस्तियों के मृजन हेतु अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम हेतु मानव संसाधन स्कीम (200 करोड़ रुपए)
 (ii) कैंसर, मधुमेह, कार्डियो-वस्कुलर रोग एवं स्ट्रोक का निवारण एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम स्कीम (24.16 करोड़ रुपए)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (च) राष्ट्रीय टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम (₹ 1377.60 करोड़) के अंतर्गत "सेवा अथवा प्रतिबद्धता प्रभारों, प्राप्त पुरस्कारों का नोश्नल वैल्यू" प्रयोजन शीर्ष हेत् अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
 - अनुदान में वसुलियों के मिलान को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (छ) अतिरिक्त व्यय पूरा करना 1. राषट्टीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत मशीनरी एवं उपकरण (0.30 करोड़ रुपए) 2. केंद्रीय मोटर वाहन अनुसंधान संस्थान, कसौली (0.15 करोड़ रुपए) 3. (i) बीसीजी वैक्सीन लैब, गुइंडी (चेन्नै) (1.84 करोड़ रुपए) (ii) अखिल भारतीय भौतिक औषधि एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई (0.20 करोड़ रुपए) के अंतर्गत प्रमुख निर्माण कार्य।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- Meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid Salaries under the scheme (i) Drug Deaddiction Centre at AIIMS, New Delhi (₹ 1.40 crore) (ii) Drug Deaddiction Centre at NIMHANS, Bengaluru (₹ 0.60 crore) 2. Professional Services for payment of Wages (₹ 18.84 crore) 3. Grants-in-aid General under the scheme (i) National AIDS and STD Control Programme (₹ 2 crore) (ii) Provident Fund to contractual staff of National AIDS Control Society (₹ 45 crore) (iii) Flexible Pool for Communicable Diseases-GC (₹ 26.76 crore) (iv) Indian Pharmacopoeia Commission (₹ 3 crore) (v) Food Safety and Standards Authority of India (₹ 11.75 crore) (vi) National Drugs Deaddiction Programme (₹ 3 crore) (vii) Pasteur Institute of India, Coonor (₹ 3 crore) 4. Grants for creation of Capital Assets under the scheme (i) Indian Pharmacopoeia Commission (₹ 13 crore) (ii) Food Safety and Standards Authority of India (₹ 48 crore) (iii) Pasteur Institute of India, Coonor (₹ 10 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 20.84 crore available in the Capital Section, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- c) Meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Information, Education & Communication (₹ 27.15 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries under the scheme North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong (₹ 6.58 crore).
 Taking into account the savings available in the same section of
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Meeting additional expenditure towards Grants for creation of Capital Assets under the scheme (i) Human resources for Health & Medical Education Programme for establishing new medical colleges (₹ 200 crore) (ii) National programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardio-Vascular Diseases and Stroke (₹ 24.16 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Meeting additional expenditure towards Object Head "Service or commitment charges, notional value of gifts received" under National Programme for Immunisation and Polio Eradication (₹ 1377.60 crore).
 - Taking into account the matching recoveries in the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- Meeting additional expenditure towards 1. Machinery & Equipment under National Organ Transplant Programme (₹ 0.30 crore) 2. Motor Vehicle for Central Research Institute, Kasauli (₹ 0.15 crore) 3. Major Works under (i) BCG Vaccine Lab, Guindy (Chennai) (₹ 1.84 crore) (ii) All India Institute Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai (₹ 0.20 crore).

(g)

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 45 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिये) (See page 45 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 37 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मू ल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	1144.80				1144.80
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	200.01				200.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1344.83				1344.83
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्ष के अंत	ार्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	nted for und	ler the follo	wing Majo	or Head:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत:	2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) अतिरिक्त व्यय पूरा करना 1. स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (i) स्वास्थ्य अनुसंधान के संवर्धन और मार्गदर्शन हेतु अंतर क्षेत्रीय अभिसरण एवं सहयोग (₹ 2.74 करोइ) (ii) स्वास्थ्य अनुसंधान हेतु मानव संसाधन विकास (₹ 3 करोइ) (iii) महामारी और प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन हेतु प्रयोगशालाओं के नेटवर्क की स्थापना (₹ 5 करोइ) 2. स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता (i) आईसीएमआर (₹ 110 करोइ) (ii) कर्मचारियों को वेतन का भुगतान (₹ 53 करोइ)। इसी
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, भोपाल स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 4 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

- (a) Meeting additional expenditure towards 1. Grant-in-aid General under the scheme (i) Inter-Sectoral Convergence & Coordination for Promotion & Guidance on Health Research (₹ 2.74 crore) (ii) HRD for Health Research (₹ 3 crore) (iii) Establishment of Network of Laboratories for Managing Epidemics and Natural Calamities (₹ 5 crore) 2. Grant-in-aid Salaries under the scheme (i) ICMR (₹ 110 crore) (ii) Payment of salary to the staff (₹ 53 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Meeting additional expenditure towards Grant-in-aid General under the scheme Bhopal Memorial Hospital & Research Centre (BMHRC), Bhopal (₹ 4 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

भारी उदयोग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिये)

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 38 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	392.87		907.13		1300.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	5086.00		967.27		6053.27
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	623.15		400.02		1023.17
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		6102.02		2274.42		8376.44
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	ड्य शीर्षों के 3	अंतर्गत दिखाः	या जायेगाः	:		
		II. This Supplementary Grant will be accou	inted for ur		owing Ma	ajor Heads:		
				आयोजना 		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न Non-Plan		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				Non-Plan		
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2852 - उदयोग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:	0.01	(कa)	623.14	(खb)	623.15
पूंजी भाग	स्पाकृता.	CAPITAL SECTION	voteu.	0.01	(4 <i>1</i> a)	023.14	(GD)	023.13
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
6854 - सीमेंट और अधातविक	स्वीकृत:	6854 - Loans for Cement and Non-	Voted:			289.93	(गc)	289.93
खनिज उदयोगों के लिए ऋण	रवाकृता.	Metallic Mineral Industries	votea.			203.33	(910)	203.33
6858 - अभियात्रिक उदयोगों के	म्बीक्चः		Voted:			110.09	(ETd)	110.09
0000 - जामयात्रिक उद्यांगा क लिए ऋण	स्वीकृत:	6858 - Loans for Engineering Industries	voted.	•••		110.09	(ਬd)	110.09
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:			400.02		400.02
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)	Voted:	0.01		1023.16		1023.17
and (4,1)	स्वीकृत:	i otal (oupplementaly)	voted:	0.01		1020.10		1020.17

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) भारतीय पूंजी वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि स्कीम के अन्तर्गत अतिरिक्त निधियों (₹ 12.33 करोड़) को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना।
 - इस अनुदान के इस भाग में उपलब्ध नकद को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल सिमिति के दिनांक 6 जनवरी, 2016 के निर्णय के अनुसार धारित कंपनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनियों नामक, एचएमटी वाचेज लि. एचएमटी चिनार वाचेज लि. और एचएमटी बीयरिंग लि. को दिए गए ऋणों और अग्रिमों को निर्धारत करके एचएमटी लि. (धारक कंपनी) में भारत सरकार के मोचन योग्य अधिमानी शेयर (₹ 623.14 करोड़) की कमी।
 - यह बही समायोजन के लिए ही है और इसमें कोई नकद व्यय शामिल नहीं है। एक तकनीकी पूरक मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

- a) Providing Grants-in-aid General to meet additional fund (₹ 12.33 crore) under Scheme for Enhancement of Competitiveness in the Indian Capital Goods Sector.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Reduction of Gol's Redeemable Preference Share (₹ 623.14 cr.) in HMT Ltd. (holding company) by setting off of Loans and Advances extended by the holding company to its subsidiaries namely, HMT Watches Ltd., HMT Chinar Watches Ltd. and HMT Bearings Ltd. as per the CCEA decision dated 6th January, 2016.

This is only for book adjustment and no cash outgo is involved. A Technical Supplementary is sought.

- (ग) मंत्रिमंडल के दिनांक 30.11.2016 के निर्णय के अनुसार इन्स्डूमेंटल लि. कोटा को बन्द करने के प्रस्ताव के कारण वेतन,सानिधिक देय, बैंक उधारों, टीडीएस, एलआईसी देय, इडीएलआई बिक्रीकर, सेवाकर, वैट आदि (₹ 290 करोड़) के भ्रगतान के लिए ब्याज मुक्त आयोजन भिन्न ऋण मुहैया कराना।
 - अनुदान के इस भाग में उपलब्ध ₹ 0.07 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हु ए ₹ 289.93 करोड़ की शेष राशि पर नकद व्यय होगा।
- (घ) मंत्रिमंडल के दिनांक 30.11.2016 के निर्णय के अनुसार इन्स्इमेंटल लि. कोटा (आईएलके) के समापन के प्रस्ताव में आश्य वीआरएस वीएसएस मुआवजे (₹ 110.09 करोड़) के भुगतान के लिए ब्याज मुक्त आयोजना-भिन्न ऋण मुहैया कराना। उपरोक्त व्यय पर नकद व्यय होगा।
- Providing interest free Non-Plan loan for payment of salary/statuary dues, Bank Borrowings, TDS, LIC dues, EDLI, Sales Tax, Service Tax, VAT etc. (₹ 290 crore) on account of proposed closure of Instrumentation Ltd. Kota (ILK) as per Cabinet decision dated 30.11.2016.
 - Taking into account the savings of \ref{thm} 0.07 crore available within the same section of the grant, the remaining amount of \ref{thm} 289.93 crore will entail cash outgo.
- Providing interest free Non-Plan loan for payment of VRS/VSS compensation (₹ 110.09 crore) on account of proposed closure of Instrumentation Ltd., Kota (ILK) as per Cabinet decision dated 30.11.2016.

The above expenditure will entail a cash outgo.

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिये) (See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 40 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	0.03				0.03
	स्वीकृत:		Voted:	4330.51		300.36		4630.87
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	300.02				300.02
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	209.06				209.06
जोड़ (मूल और पूरक)	C	Total (Original plus Supplementary)		4839.62		300.36		5139.98
	भारित:		Charged:	0.03				0.03
	स्वीकृत:		Voted:	4839.59		300.36		5139.95
	ŭ	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर	ज्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखायाः	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou				or Heads:		
		•		आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2052 - सचिवालय-सामान्य	स्वीकृत:	2052 -Secretariat-General Services	Voted:			0.01	(कa)	0.01
सेवाएं								
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted:			0.01	(खb)	0.01
2235 - सामाजिक सुरक्षा और	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:			0.01	(गc)	0.01
कल्याण								
2245 - प्राकृतिक आपदा राहत	स्वीकृत:	2245 -Relief on account of Natural	Voted:	0.01	(घd)	0.01	(ਝe)	0.02
		Calamities						
2250 - अन्य सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत:	2250 -Other Social Services	Voted:	0.01	(चf)			0.01
3454 - जनगणना सर्वेक्षण और	स्वीकृत:	3454 -Census Surveys and Statistics	Voted:	200.00	(<u>छ</u> g)	9.00	(जh)	209.00
सांख्यिकी	-							

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) (i) मेजर ध्यानचंद स्टेडियम (एमडीसीएनएस) में कार्यालय उपयोग हेतु भाड़े में लेना (₹ 65 करोड़), (ii) लघु कार्य (₹ 10 करोड़) और (iii) आईटी कार्यालयी व्यय (₹ 10 करोड़) हेतु व्यय को पूराकरना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- ख) अन्य गैर कानूनी क्रिया कलाप(निवारण) न्यायाधिकरण ₹ 0.30 करोड़ के अंतर्गत व्यय को पूराकरना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम के तहत व्यय को पूरा करना (₹ 80.00 करोड़)।
- (a) meeting expenditure for (i) hiring of office space at Major Dhyan
 Chand Stadium (MDCNS) (₹ 65 crore), (ii) Minor Work
 (₹ 10 crore) and (iii) IT-Office Expenses (₹ 10 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure under Other Unlawful Activities(prevention)
 Tribunal (₹ 0.30 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - meeting expenditure under Swantantrata Sainik Samman Pension Scheme (₹ 80.00 crore).

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) अन्य आपदा प्रबंधन परियोजना व्यय के अंतर्गत ₹ 0.20 करोड़ का विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र पर व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ङ) ₹ 60.00 करोड़ का एन्डीआरएफ को वेतन और भत्ता का भुगतान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (च) ₹ 50.00 करोड़ का जम्मू व कश्मीर स्कीम में विशेष उद्योग पहल। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (छ) आरजीआई के अंतर्गत एनपीआर, असम के अद्यतन हेतु व्यय को पूरा करना ₹ 265.00 करोड़ । अनुदान के इसी खंड के तहत ₹ 65 करोड़ के बचत को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में ₹ 200 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ज) (i) ₹ 9 करोड़ का आरजीआई की विभिन्न स्कीमों के वेतन शीर्षों (ii) ₹ 0.40 करोड़ का पेशेवर सेवा गणना हेत् व्यय को पूरा करना।

अनुदान में पूंजी खंड में उपलब्ध ₹ 9 करोड़ के बचत अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के इसी खंड में बचत के उपयोग के पश्चात् उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- meeting expenditure under Other Disaster Management Projects
 Expenditure on UT wihtout legislature (₹ 0.20 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) payment of Pay and Allowance to NDRF (₹ 60.00 crore).Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (f) Special Industry Initiative in J&K Scheme (₹ 50.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (g) meeting expenditure for updation of National Population Register(NPR), Assam under RGI (₹ 265.00 crore).
 - Taking into account savings of $\ref{thmodel}$ 65 crore under same section of grant, the above expenditure will entail a cash outgo of $\ref{thmodel}$ 200 crore.
- h) meeting expenditure towards (i) Salary heads of various schemes of RGI (₹ 9 crore) (ii) professional services of enumeration (₹ 0.40 crore).
 - Taking into account the surrender of savings of \mathfrak{F} 9 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

पुलिस

POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 30 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 42 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				राजस्व		पूंजी	,	जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:	7.44		6.66		14.10
	स्वीकृत:		Voted:	61674.97		9035.51		70710.48
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	भारित:		Charged:			12.00		12.00
	स्वीकृत:		Voted:	2288.43		842.99		3131.42
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of the amount						
का पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	965.08				965.08
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		64935.92		9897.16		74833.08
	भारित:		Charged:	7.44		18.66		26.10
	स्वीकृत:		Voted:	64928.48		9878.50		74806.98
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के अंत	र्मात दिखाया ज	गयेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for und	er the followi	ng Major H	leads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2055 - पुलिस	स्वीकृत:	2055 -Police	Voted:	157.60	(कa)	620.88	(खb)	778.48
3601 - राज्य सरकारों को	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	186.60	(गc)			186.60
सहायता		Governments						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	344.20		620.88		965.08
			सनमानों में नीचे ट	र्शार्द गयी तम्मिर	में को शामिल	नहीं किया गया है	: जिन्हें ट्यय	ा में मे घटाकर
		समायोजित किया जाता है!		(114 -1 -1 -1 (1/1/1)	ii iii Xiii•iXi	10111111	, 1010 (, 0 4 4	TOTAL SECTION
		Note: The above estimates of additional require	ements do not ta	ake into accour	nt the recove	eries shown be	low, which	n are
		adjusted in reduction of expenditure.						
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
3601 - राज्य सरकारों को		3601 - Grants-in-aid to State		(-) 157.60				(-) 157.60
सहायता		Governments						

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) निर्भया निधि में अंतरण (₹ 157.60 करोड़)।
 - अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) वेतन पर अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 618.56 करोड़) और अनुसंधान (₹ 2.32 करोड़)।
 अनदान के पंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के महेनजर उपरोक्त
 - अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- a) Transfer to Nirbhaya Fund (₹ 157.60 crore)
 - Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- To meet additional expenditure on salaries (₹ 618.56 crore) and Research (₹ 2.32 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

 (ग) अतिरिक्त आवश्यकता (i) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए ₹ 27 करोड़। (c)
 (ii) अवैध व्यापार रोधी के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध अपराध हेतु जांच यूनिटों की स्थापना के लिए ₹ 2.00 करोड़। (iii) राष्ट्रव्यापी आपदा अनुक्रिया प्रणाली के लिए ₹ 157.60 करोड़।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 29 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हु ए और निर्भया निधि से ₹ 157.60 करोड़ पूरा किया गया, उपर्युक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

Additional requirement for (i) Border Area Development programme (₹ 27 crore) (ii) setting up Investigative Units for Crimes Against Women under Anti trafficking (₹ 2.00 crore) and (iii) Nation-wide Emergency Response System(NERS) (₹ 157.60 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 29 crore available in the Capital Section of the Grant, and ₹ 157.60 crore met from Nirbhaya Fund, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 45 देखिये)

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 31 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 45 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Revenue Capital Total I. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Voted: 5411.00 5411.00 पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: स्वीकृत: Voted: 0.03 0.03 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: स्वीकृत: Voted: 0.02 0.02 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 5411.05 5411.05 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-जोड Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2216 - आवास 0.01 स्वीकृत: 2216 -Housing Voted: 0.01 (**क**a) 3475 - अन्य सामान्य आर्थिक स्वीकृत: 3475 -Other General Economic Services Voted: 0.01 (खb) 0.01 सेवाएं जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 0.02 0.02 स्वीकृत: Voted:

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) एमआईजी के लिए ऋण सहबद्ध सब्सिडी स्कीम जैसी नई शुरु की गई स्कीम के लिए सब्सिडी (₹ 5 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के निम्निलिखित शीर्षों हेतु मुहैया कराए गए (i) वेतन (₹ 0.46 करोड़), (ii) चिकित्सा उपचार (₹ 0.03 करोड़) (iii) घरेलू यात्रा व्यय (₹ 0.05 करोड़) (iv) कार्यालय व्यय (₹ 0.13 करोड़) (v) प्रकाशन (₹ 0.01 करोड़) (vi) अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 0.11 करोड़) (vii) विज्ञापन एवं प्रचार (₹ 2.12 करोड़) (viii) व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.14 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary grants are required for:

- (a) Subsidy for the newly launched scheme namely Credit Linked Subsidy Scheme for MIG (₹ 5 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) National Urban Livelihoods Mission under the heads (i) Salaries (₹ 0.46 crore), (ii) Medical Treatment(₹ 0.03 crore) (iii) Domestic Travel Expenses (₹ 0.05 crore) (iv) Office Expenses (₹ 0.13 crore) (v) Publication (₹ 0.01 crore) (vi) Other Administrative Expenses(₹ 0.11 crore) (vii) Advertising and Publicity (₹ 2.12 crore) (viii) Professional Services (₹ 0.14 crore)

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 32 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 32 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 46 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

2016-2017)								
						(करोड़ रुप	ये Rupee	s in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	63826.65				63826.65
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	342.08				342.08
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the						
अनुमान:		amount now required:						
•	स्वीकृत:	*	Voted:	0.05				0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	· ·	Total (Original plus Supplementary)		64168.78				64168.78
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षी व	के अंतर्गत दिख	ाया जायेग	π:		
		II. This Supplementary Grant will be acc	ounted for	under the fo	llowing N	/lajor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:	0.01	(क a)	0.01	(खb)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)			0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	0.01	(घd)			0.01
	· ·	Governments						
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory	Voted:	0.01	(롱e)			0.01
को सहायता अनुदान		Governments						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.04		0.01		0.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

क) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1) (i) माध्यमिक शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहित करने की राष्ट्रीय स्कीम (216.70 करोड़ रुपए) (ii) सर्व शिक्षा अभियान (14.28 करोड़ रुपए) (iii) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (1 करोड़ रुपए) (iv) मध्याहन भोजन (7.46 करोड़ रुपए) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। 2. राष्ट्रीय साधन सह योग्यता स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वजीफ़ा (154.20 करोड़ रुपए) 3. एसएसए स्कीम के अंतर्गत एंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (0.55 करोड़ रुपए) 4. केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता (3.18 करोड़ रुपए) 5. डीएई स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार (0.49 करोड़ रुपए) 6. डीएई स्कीम के अंतर्गत क्यय (0.18 करोड़ रुपए) 7. डीएई के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक व्यय (0.06 करोड़ रुपए) 8. डीएई स्कीम के अंतर्गत मजदूरी (0.01 करोड़ रुपए)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary grants are required for:

Meeting additional expenditure towards 1. Grant-in-aid General under the scheme (i) National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education (₹ 216.70 crore) (iii) Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) (₹ 14.28 crore) (iii) Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) (₹ 1 crore) (iv) Mid Day Meal (MDM) (₹ 7.46 crore) 2. Scholarship/Stipend under the scheme National Means cum Merit Scholarship Scheme (₹ 154.20 crore) 3. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme SSA (₹ 0.55 crore) 4. Grant-in-aid Salaries under the scheme Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) (₹ 3.18 crore) 5. Advertising and Publicity under Directorate of Adult Education (DAE) (₹ 0.49 crore) 6. Office Expenses under DAE (₹ 0.18 crore) 7. Other Administrative Expenses under DAE (₹ 0.06 crore) 8. Wages under DAE (₹ 0.01 crore).

(d)

- (ख) राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभारों हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.40 करोड़ रुपए)
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1) (i) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृद्धीकरण (25 करोड़ रुपए) (ii) भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (87 करोड़ रुपए) (iii) नवोदय विद्यालय समिति (75 करोड़ रुपए) (iv) एसएसए (320.65 करोड़ रुपए) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। 2. राष्ट्रीय साधन सह योग्यता स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वजीफ़ा (0.45 करोड़ रुपए) 3. केवीएस स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता (0.20 करोड़ रुपए) 4. एसएसए स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (19.25 करोड़ रुपए)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (घ) (i) अल्पसंख्यकों का विकासः मदरसों/अल्पसंख्यकों हेतु शिक्षा स्कीम (76.09 करोड़ रुपए) (ii) भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (14 करोड़ रुपए) (iii) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण (84.35 करोड़ रुपए) (iv) एसएसए (320.75 करोड़ रुपए) स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्तिकरना।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ङ) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण (10 करोड़ रुपए) स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करना।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- Meeting additional expenditure towards Other Charges under the scheme National Award to Teachers (₹ 0.40 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - Meeting additional expenditure towards 1. Grant-in-aid General under the scheme (i) Strengthening of Teachers Training Institutions (₹ 25 crore) (ii) Appointment of Language Teachers (₹ 87 crore) (iii) Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) (₹ 75 crore) (iv) SSA (₹ 320.65 crore) 2. Scholarship/Stipend under the scheme National Means cum merit Scholarship (₹ 0.45 crore) 3. Grant-in-aid Salaries under the scheme KVS (₹ 0.20 crore) 4. Grants for creation of Capital Assets under the scheme SSA (₹ 19.25 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- Meeting additional expenditure towards Grant-in-aid General under the scheme (i) Development of Minorities:Education Scheme for Madrasas/Minorities (₹ 76.09 crore) (ii) Appointment of Language Teachers (₹ 14 crore) (iii) Strengthening of Teachers Training Institutions (₹ 84.35 crore) (iv) SSA (₹ 320.75 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Meeting additional expenditure towards Grant-in-aid General under the scheme Strengthening of Teachers Training Institutions (₹ 10 crore).

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 33 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 47 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

2010 2011)						(क्रारोट उप	T Runga	s in Crore)
				राजस्व		पूंजी	ч парес	जोड जोड
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अन्दान:		I. ORIGINAL GRANT:						
, 3	स्वीकृत:		Voted:	28840.00				28840.00
पूरक अनुदान:	Č	SUPPLEMENTARY GRANT:						
" "	स्वीकृत:		Voted:	863.22				863.22
इस समय आवश्यक रकम का	Č	Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
. •	स्वीकृत:		Voted:	11.21				11.21
जोड़ (मूल और पूरक)	-	Total (Original plus Supplementary)		29714.43				29714.43
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर	ज्य शीर्षों के 3	नंतर्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	inted for un	der the follow	wing Maj	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:	0.01	(कa)			0.01
2203 - तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत:	2203 -Technical Education	Voted:	0.01	(खb)	0.01	(गc)	0.02
2552 - पूर्वीत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(घd)			0.01
3601 - राज्य सरकारों को	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	11.17	(ङe)			11.17
सहायता		Governments						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	11.20		0.01		11.21

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) निम्निलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1) (i) वैश्विक नियुक्ति हेतु पहल (₹ 1 करोड़) (ii) वर्चुअल कक्षाओं की स्थापना और व्यापक स्तर पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (₹ 5 करोड़) (iii) राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (₹ 9.50 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। 2. (i) औरोविल फाउंडेशन (₹ 10.10 करोड़) (ii) प्रधानमंत्री कन्या छात्रावास (₹ 1.00 करोड़) (iii) भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन हेतु अनुदान (₹ 2.50 करोड़) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु 1. (i) पीपीपी माध्यम से आईआईटी की स्थापना (₹ 10 करोड़) (ii) नवीन आईआईटी की स्थापना (₹ 9 करोड़) (iii) आईआईटी को सहायता (₹ 30 करोड़) (iv) आईआईएम को सहायता (₹ 20 करोड़) (v) भारतीय इंजीनियरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी) का अपग्रेडेशन (₹ 3 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता। 2. (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 80 करोड़) (ii)

The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting additional expenditure towards 1. Grant-in-aid General under the scheme (i) Initiatives for Global Engagement (₹ 1 crore) (ii) Setting up virtual classroom and massive open online courses (MOOCs) (₹ 5 crore) (iii) Rashtriya Uchcha Shiksha Abhiyan (RUSA) (₹ 9.50 crore) 2. Grants for creation of capital assets under the scheme (i) Auroville Foundation (₹ 10.10 crore) (iii PM Girls' Hostel (₹ 1 crore) (iii) Grants for promotion of Indian Languages (₹ 2.50 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Meeting additional expenditure towards 1. Grant-in-aid General under the scheme (i) Setting up IITs in PPP Mode (₹ 10 crore) (ii) Setting up of New IITs (₹ 9 crore) (iii) Support to IITs (₹ 30 crore) (iv) Support to IIMs (₹ 20 crore) (v) Upgradation of Indian Institute of Engineering, Science and Technology (IIEST) (₹ 3 crore) 2. Grants for creation of capital assets under the scheme (i) Support to Indian Institutes of Technology

नवीन आईआईटी की स्थापना (₹ 3 करोड़) (iii) आईआईटी आंध्र प्रदेश (₹ 15 करोड़) (iv) भारतीय प्रबंधन संस्थान को सहायता (₹ 65 करोड़) (v) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को सहायता (₹ 200 करोड़) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान 3. (i) भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय विज्ञान एवं शिक्षा अनु संधान संस्थान को सहायता (₹ 4 करोड़) (ii) भारतीय प्रबंधन संस्थान को सहायता (₹ 15 करोड़) (iii) आईआईटी आंध्र प्रदेश (₹ 1 करोड़) (iv) भारतीय इंजीनियरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी) का अपग्रेडेशन (₹ 15 करोड़) स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) 1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (250 करोड़ रुपए) 2. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को सहायता स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता (44 करोड़ रुपए) के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्तिकरना।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु 1. (i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को सहायता (₹ 160 करोड़) (ii) भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन हेतु अनुदान (₹ 5 करोड़) 2. (i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को सहायता (₹ 10 करोड़) स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ङ) महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान में सुधार लाने संबंधी स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त व्यय को पूराकरना (₹ 12.03 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए, इसमें ₹11.17 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(₹ 80 crore) (ii) Setting up of New IITs (₹ 3 crore) (iii) IIT Andhra Pradesh (₹ 15 crore) (iv) Support to Indian Institute of Management (₹ 65 crore) (v) Support to National Institute of Technology (₹ 200 crore) 3. Grant-in-aid Salaries under the scheme (i) Support to Indian Institute of Science (IISc) and Indian Institute of Science and Education Research (IISER) (₹ 4 crore) (ii) Support to Indian Institute Management (₹ 15 crore) (iii) IIT Andhra Pradesh (₹ 1 crore) (iv) Upgradation of Indian Institute of Engineering, Science and Technology (IIEST) (₹ 15 crore).

- (c) Meeting additional expenditure towards 1. Grant-in-aid General under the scheme Support to Indian Institute of Technology (₹ 250 Crore) 2. Grant-in-aid Salaries under the scheme Support to National Institute of Technology (NITs) (₹ 44 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - Meeting additional expenditure towards 1. Grants for creation of capital assets under the scheme (i) Support to National Institute of Technology (NITs) (₹ 160 crore) (ii) Grants for promotion of Indian Languages (₹ 5 crore) 2. Grant-in-aid Salaries under the scheme (i) Support to National Institute of Technology (NITs) (₹ 10 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- e) Meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries under the scheme Improvement in Salary Scale of College and University Teachers (₹ 12.03 crore).
 - Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 11.17 crore.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिये) (See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 49 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	4036.06		47.57		4083.63
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	20.00		0.01		20.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount	t					
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	57.36				57.36
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		4113.42		47.58		4161.00
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित	मुख्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाय	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be ac	counted for und	der the follo	wing Maj	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2220 - सूचना और प्रचार	स्वीकृत:	2220 -Information and Publicity	Voted:	33.99	(कa)	0.01	(खb)	34.00
2221 - प्रसारण	स्वीकृत:	2221 -Broadcasting	Voted:			17.36	(गc)	17.36
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	6.00	(घd)			6.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	39.99		17.37		57.36
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित ।	हेत अपेक्षित है:	The s	supplementary	grants are r	eauired f	or:		
(क) विकास संचार के जरिए	•		(i) People En	-	•		nt Comm	unication
		(4)	(₹ 37.36 crore	•	ougi	. zerelopinoi	0011111	

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (₹ 3.37 करोड़) को देखते हु ए, इसमें ₹ 33.99 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- प्रसार भारती के अलावा स्वायत्त निकायों का वेतन घटक (₹ 6.61 करोड़) (ख)
 - अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हू ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) वेतन (सहायता अनुदान ₹ 30.82 करोड़) और प्रसार भारती के वेतन से संबंधित व्यय (सामान्य सहायता अनुदान ₹ 19.18 करोड़) के तहत ₹ 50 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (₹ 32.64 करोड़) को देखते हुए, इसमें ₹ 17.36 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (i) विकास संचार के जरिए लोक सशक्तिकरण डीएवीपी आयोजना स्कीम (ঘ) (₹ 6.72 करोड़) (ii) आईआईएमसी की आयोजना स्कीम – पूर्वीत्तर क्षेत्र के अंतर्गत आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केन्द्र खोलना (₹ 1 करोड़)
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (₹ 1.72 करोड़) को देखते हुए, इसमें ₹ 6 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (₹ 37.36 crore).
 - Taking into account the savings available within the same section of the Grant (₹ 3.37 crore) this will entail a cash outgo ₹ 33.99 crore.
- Salary Component of Autonomous Bodies other than Prasar Bharati(₹ 6.61 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Meeting additional requirement of ₹ 50 crore under Salary(GIA Salaries- ₹ 30.82 crore) and Salary related Expenditure(GIA General- ₹ 19.18 crore) of Prasar Bharati.
 - Taking into account the savings available within the same section of the Grant (₹ 32.64 crore) this will entail a cash outgo (₹ 17.36 crore).
 - (i) DAVPs Plan Scheme 'People Empowerment through Development Communication (₹ 6.72 crore)(ii) IIMC's Plan Scheme Opening up of New Regional Centre of IIMC under North Eastern Region (₹ 1 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant (₹ 1.72 crore) this will entail a cash outgo (₹ 6 crore).

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 35 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 50 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	6432.83	21.15	6453.98
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.02	1.10	1.12
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount no	w			
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		6432.86	22.25	6455.11
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2230 - श्रम और रोजगार	स्वीकृत:	2230 -Labour and Employment	Voted:		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) सहायता अनुदान वेतनों के रूप में राष्ट्रीय कामगार शिक्षा संस्था स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त दायित्वों को पूरा करने के लिए (₹ 10.33 करोड़)(ii) बकायों, उपदान जैसे सेवानिवृति लाभ, पेंशन और अवकाश नकदीकरण आदि की संराशि का भुगतान करने के लिए सहायता अनुदान वेतनों के रूप में राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्कीम के अन्तर्गत अतिरिक्त दायित्वों को पूरा करने के लिए (₹ 0.54 करोड़)।

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary grant is required for:

(i) To meet additional liabilities under the scheme of Central Board for Workers Education as Grants-in aid Salaries (₹ 10.33 crore). (ii) To meet additional liabilities under the scheme of National Labour Institutes as Grants-in aid Salaries (₹ 0.54 crore) towards the payment of arrears, retirement benefits such as gratuity, commuted value of pension and leave encashment etc.

विधि और न्याय

LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

				राजस्व	(करोड़ रुपये Rupe	,
				राजस्य		पूंजी	जोड
				Revenue		Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				·	
	स्वीकृत:		Voted:	5011.99		88.01	5100.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount n	ow				
अनु मान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.02			0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		5012.01		88.01	5100.02
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया उ	नायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for unde	r the followi	ng Major	Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2014 - न्याय प्रशासन	स्वीकृत:	2014 -Administration of Justice	Voted:	0.01	(कa)		0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(खb)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02			0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) ई-न्यायालय चरण- II परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए ई- समिति की अपेक्षानुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों को वचनबद्ध देनदारियां जारी करने हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 56.09 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) ई-न्यायालय चरण- ॥ पिरयोजना को क्रियान्वित करने के लिए ई- समिति की अपेक्षानुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों को वचनबद्ध देनदारियां जारी करने हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 22.36 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary grants are required for:

(a) meeting the additional expenditure towards release of committed liabilities to various High Courts as per the requisition of the e-committees for implementing E-court Phase II project (₹ 56.09 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

o) meeting the additional expenditure towards release of committed liabilities to various High Courts as per the requisition of the e-committees for implementing E-court Phase II project (₹ 22.36 crore)

सुक्ष्म, लघु और मध्यम उदयम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 36 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 36 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 53 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

						(करोड़ रुपये Rupee	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	3454.22		10.55	3464.77
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.04		6.00	6.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	1697.90			1697.90
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		5152.16		16.55	5168.71
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शि	ार्षों के अंतर्ग	त दिखाया ज	ायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under	the following	ng Major	Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	193.58	(कa)		193.58
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत:	2851 -Village and Small Industries	Voted:	1504.32	(खb)		1504.32
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	1697.90			1697.90

(a)

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) पिछले तीन वर्षों की स्पिनिंग मजद्री देयताओं और बकाया देयताओं का निपटारा करने के लिए सामान्य अनुदान सहायता-पूर्वोत्त्रर क्षेत्र शीर्ष के अंतर्गत बाजार संवर्धन और विकास सहायता (₹ 0.50 करोड़) हेत् अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए।
 - (ii) सूक्ष्म और लघु उद्योग हेतु ऋण गारंटी न्यास निधि के लिए कोष हेतु निधियों के संवर्धन के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र- अंशदान प्रयोजन शीर्ष के अंतर्गत ऋण सहायता कार्यक्रम (₹ 193.58 करोड़ रुपए) के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में ₹ 193.58 करोड़ का नक्द व्यय होगा।

(ख) (i) सूक्ष्म और लघु उद्योग हेतु ऋण गारंटी न्यास निधि के लिए कोष हेतु निधियों के संवर्धन के लिए "अंशदान" शीर्ष के अंतर्गत ऋण सहायता कार्यक्रम (₹ 1504.32 करोड़) (एससीएसपी के तहत ₹ 227.10 करोड़ और टीएसपी के तहत ₹ 153.68 करोड़) के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए।

The supplementary grants are required for:

- (i) Meeting the additional requirement for Market Promotion and Development Assistance (MPDA) (₹ 0.50 crore) under the object head "Grants in Aid General" for NER to meet the spinning wages liability and to clear the unmet liabilities of last three years.
- (ii) Meeting the additional requirement under Credit Support Programme (₹ 193.58 crore) under the object head "Contribution" Plan-NER for augmentation of funds to the corpus for Credit Guarantee Trust Fund for Micro and Small Enterprises (CGTMSE).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 193.58 crore

(i) Meeting the additional requirement under Credit Support Programme (₹ 1504.32 crore) (including ₹ 227.10 crore under SCSP and ₹ 153.68 crore TSP) under the object head "Contribution" for augmentation of funds to the corpus for Credit Guarantee Trust Fund for Micro and Small Enterprises (CGTMSE).

- (ii) बिजली और निर्माण कार्यों हेतु "पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान" प्रयोजन शीर्ष के अंतर्गत ग्राम उद्योगों (₹ 7 करोड़) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति करना।
- (iii) पिछले तीन वर्षों की स्पिनिंग मजदूरी देयताओं और पूरा ना किए गए देयताओं का निपटारा करने के लिए "सामान्य अनुदान सहायता" आयोजना -अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रयोजन शीर्ष के अंतर्गत बाजार संवर्धन और विकास सहायता (₹ 17.50 करोड़) हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए।
- (iv) कार्यात्मक शीर्ष का गठन करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत खर्चों को पूरा करने के लिए "पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान" आयोजना पूर्वोत्तर-भिन्न प्रयोजन शीर्ष के अंतर्गत खादी, ग्रामोद्योग और कॉयर (₹ 0.01 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
- (v) इस स्कीम के अंतर्गत लंबित दावों का निपटान करने के लिए "सामान्य सहायता अनुदान" प्रयोजन शीर्ष के तहत राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (₹ 0.19 करोड़ रुपए)हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 300 करोड़ बचतों को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में ₹1504.32 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (ii) Meeting the additional requirement for Village Industries (₹ 7 crore) under the object head "Grants for Creation of Capital Assets" Plan for electrical and construction work.
- (iii) Meeting the additional requirement for Market Promotion and Development Assistance (MPDA) (₹ 17.50 crore) under the object head "Grants in Aid General" Plan-ONER to meet the spinning wages liability and to clear the unmet liabilities of last three years.
- (iv) Meeting the additional requirement for Khadi, VI and Coir (S&T) (₹ 0.01 crore) under the object head "Grant for Creation of Capital Assets" Plan Non-NER to create the functional head and to meet expenditure under NER region.
- (v) Meeting the additional requirement for Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojna (RGUMY) (₹ 0.19 crore) under the object head "Grants in Aid General" to clear the pending claims under the scheme.

Taking into account the savings of ₹ 300 crore available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 1504.32 crore.

खान मंत्रालय

MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 55 देखिये) (See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 55 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

,		,			(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मू ल अनु दान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.07		0.07
	स्वीकृत:		Voted:	1055.03	158.39	1213.42
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT	:			
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of t	he amount now			
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ary)	1055.12	158.39	1213.51
	भारित:		Charged:	0.07		0.07
	स्वीकृत:		Voted:	1055.05	158.39	1213.44
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब नि	नेम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant	t will be accounted for under the	e following Maj	or Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	•	MAJOR HEAD				
2853 - अलौह खनन और धातुकर्म	स्वीकृत:	2853 -Non-Ferrous Mining ar	nd Metallurgical Voted:		0.01	0.01
उद्योग		Industries				
	n}⊚− ≱ .		The augustomentary great is r	aguired for		
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु 3		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	The supplementary grant is r	•	overde Overde in	Atal Oalam
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मेकेनि		_	Meeting the additional re-	•		•
करोड़) हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूर्र			(₹ 0.44 crore) for National Ir		•	, ,
के लिए (₹ 0.12 करोड़) जवाहरला		न्युमानयम । रसच डवलपमट एड	crore) for National Institute o			•
डिजाइन सेन्टर के लिए (₹ 0.40 करोड़	5)1		for Jawaharlal Nehru Alum		cn Development	& Design
			Centre (JNARDDC) respective	/ely.		

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा Taking into account the savings available in the same section of the

Grant, a token supplementary is sought.

जाता है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)

(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 37 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 56 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

				(करोड़ रुपये Rupees in Cr			
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
₹	म्वीकृत:		Voted:	3687.25	140.00	3827.25	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
₹	म्बीकृत:		Voted:	0.02		0.02	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
₹	म्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		3687.28	140.00	3827.28	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी	र्ष के अंतर्गत	ा दिखाया जायेग	T:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under	the following I	Major Head:		
				आयोजना	आयोजना-	जोड़	
				Plan	भिन्न	Total	
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित स	म्वीकृत:	2225 -Welfare of Scheduled Castes,	Voted:	0.01		0.01	
जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और		Scheduled Tribes, Other Backward Classes					
अल्पसंख़्यकों का कल्याण		and Minorities					

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) अल्पसंख्यकों के लिए व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति (₹ 60 करोड़) (ii) अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति के तहत व्यवसायिक सेवाएं- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल विकास (₹ 11.29 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary grant is required for:

For meeting expenditure for (i) Merit-cum-Means scholarship for Professional and Technical Courses for Minorities (₹ 60 crore) & (ii) Professional Services-Development of National Scholarship Portal under Post-Matric Scholarship for Minorities (₹ 11.29 crore).

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)

(See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 38 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 57 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	9882.79	100.00	9982.79
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	15.00	15.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		9882.81	115.00	9997.81
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	। शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा	:	
		II. This Supplementary Grant will be account	ted for under th	ne following M	lajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	स्वीकृत:	2810 -New and Renewable Energy	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(i) पनचक्की (ग्रिड) के अन्तर्गत सब्सिडी हेतु ग्रिड इंटरैक्टिव और संवितरित नवीकारणीय ऊर्जा(₹ 123.95 करोड़); (ii) सूचना और सार्वजनिक विज्ञापन (आर एवं पीए) के अंतर्गत राज्य की के. न्द्रष्ट्जेंसियों की लंबित देयताओं के निपटान हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़); (iii)नई प्रौद्योगिकियों के अन्तर्गत उपस्करों की खरीद हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 2.35 करोड़) और (iv) सूर्यामित्र कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.20 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary grant is required for:

meeting additional requirement under (i) Grid Interactive and Distributed Renewable Power for subsidy under Wind Power (Grid) (₹ 123.95 crore); (ii) Grants-in-aid General for clearing pending liabilities of State Nodal Agencies (SNAs) under Information and Public Advertising (I&PA) programme (₹ 1 crore); (iii)Grants for Creation of Capital Assets for purchase of equipment under New Technologies (₹ 2.35 crore) and (iv) Grants-in-aid General for training programmes under Suryamitra Skill Development Programme (₹ 4.20 crore).

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 देखिये)

(See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

				(करोड़ रुपये Rupees in Ci			
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत:		Voted:	292.64	0.50	293.14	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:		required:					
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		292.65	0.50	293.15	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष :	के अंतर्गत '	दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accounted fo	r under th	e following M	ajor Head:		
				आयोजना	आयोजना-	जोड़	
				Plan	भिन्न	Total	
					Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत:	3475 -Other General Economic Services	Voted:	0.01	•••	0.01	

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

निम्नितिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (i) बैंक खातों के जिए डिजीटल भुगतान को बढ़ावा देना (₹ 50 करोड़) (ii) दो स्कीमों अर्थात लक्की ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापार योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं और व्यापारियों के बीच डिजीटल भुगतान को बढ़ावा एवं प्रोत्साहन देने के लिए आउटरीच कार्यक्रम (₹ 50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary grant is required for:

providing Grants-in-aid General towards (i) promotion of digital payments through bank accounts (₹ 50 crore) (ii) Out Reach Programme under two schemes namely Lucky Grahak Yojana and Digi Dhan Vyapar Yojana to promote and incentivize digital payments among consumers and merchants (₹ 50 crore).

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 62 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

				राजस्व Revenue		(करोड़ रुपः पूंजी Capital	ये Rupee	es in Crore) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	10817.17		3721.82		14538.99
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	476.27		1493.59		1969.86
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	585.90		296.26		882.16
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		11879.34		5511.67		17391.01
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मु	ख्य शीर्षीं के	अंतर्गत दिखाः	या जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be according	unted for u	ınder the foll	owing Maj	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
		DEVENUE OF OTTOM				Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	•	MAJOR HEAD						
3451 - सचिवालय- आर्थिक 、 ः	स्वीकृत:	3451 -Secretariat-Economic Services	Voted:	•••		2.59	(कa)	2.59
सेवाएं	•							
2801 - विद्युत	स्वीकृत:	2801 -Power	Voted:	577.83	(खb)	5.48	(गc)	583.31
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	577.83		8.07		585.90
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4801 - विद्युत परियोजनाओं पर	स्वीकृत:	4801 - Capital Outlay on Power Projects	Voted:	296.25	(घd)			296.25
पूंजी परिव्यय								
6552 - पूर्वीत्तर क्षेत्रों के लिए	स्वीकृत:	6552 - Loans for North Eastern Areas	Voted:	0.01	(ਭ e)			0.01
ऋण								
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	296.26				296.26
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	874.09		8.07		882.16

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

क) सचिवालय के अंतर्गत वेतन एवं भत्तों के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करना (₹ 2.59 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हु ए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) (i) पारेषण और वितरण नेटवर्क (₹ 130.00 करोड़) से संबंधित जम्मू व कश्मीर मूल्य बढ़ोतरी प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण पैकेज 2004 स्कीम के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (ii) जम्मू व कश्मीर-प्रधानमंत्री वेकास पैकेज 2015 के अंतर्गत पाकुलडुल एचईपी के लिए केन्द्रीय सहायता स्कीम के अंतर्गत निधि चेनल घाटी विद्युत परियोजना प्रा.लि. को अनुदान के रुप में (₹ 409.12 करोड़)(iii)भारत सरकार द्वारा पूर्णतया शोधित बांड निर्गम The supplementary grants are required for:

- (a) providing additional fund for salaries and allowance under Secretariat (₹ 2.59 crore)
 - Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
 - providing (i) Grants for creation of Capital Assets under the scheme 'Jammu & Kashmir-price escalation Prime Minister's Reconstruction Package (PMRP) 2004 relating to transmission and distribution network' (₹ 130.00 crore); (ii) funds under the scheme 'Central Assistance for Pakul Dul HEP under Jammu & Kashmir- Prime Minister's Development Package (PMDP) 2015

(d)

व्यय और ब्याज(विद्युत वित्त निगम बांड के लिए निधि (₹ 7.20 करोड़); (iv)केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सॉफ्टवेयर की खरीद (₹ 6.86 करोड़)(v)एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के स्जन हेतु अनुदान)(₹ 132.21 करोड़) (vi)एकीकृत विदयुत विकास स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 1.58 करोड़) और (vii) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निधियां (₹ 1 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 577.83 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के इसी भाग में ₹ 110.14 करोड़ की बचतों का उपयोग करने के बाद उपर्युक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (ग) केन्द्रीय विदयुत प्राधिकरण (₹ 6.86 करोइ) और विद्युत अपीलीय अधिकरण (₹ 0.22 करोइ) में वेतन और अन्य स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने हेतु निधियां मुहैया कराना।
 अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 5.48 करोड़ की बचतों के अभयर्पण को देखते हुए और अनुदान के इसी भाग में ₹ 1.60 करोड़ की बचतों का उपयोग करने के बाद उपर्युक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (घ) विद्युत वित्त निगम द्वारा बोनस शेयर जारी करके ₹ 296.25 करोड़ का अतिरिक्त इक्विटी निवेश। इस व्यय के समतुल्य पूंजी प्राप्ति होगी और कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ङ) एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के अंतर्गत ऋण और अग्रिमों के रूप में ₹ 165.71 करोड़ की निधि। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

as grant to Chenab Valley Power Projects Private Limited (CVPPPL)' (₹ 409.12 crore); (iii) funds for 'Government of India fully serviced bond issue expenditure and interest (Power Finance Corporation Bond)' (₹ 7.20 crore); (iv) procurement of software by Central Electricity Authority (CEA) (₹ 6.86 crore);(v)Grants for creation of Capital Assets under the Scheme Integrated Power Development Scheme (IPDS)(₹ 132.21 crore); (vi) Grants-in-aid General under the Scheme Integrated Power Development Scheme (IPDS)(₹ 1.58 crore); and (vii) funds for implementation of United Nation Development Programme (UNDP) assisted project of Bureau of Energy Efficiency (BEE) (₹ 1 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 577.83 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 110.14 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any cash outgo.

- providing funds to meet Salaries and other establishment related expenditure in Central Electricity Authority (CEA) (₹ 6.86 crore) and Appellate Tribunal for Electricity (APTEL) (₹ 0.22 crore).
- Taking into account the surrender of savings of $\ref{thmodel}$ 5.48 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of $\ref{thmodel}$ 1.60 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any cash outgo.
- additional equity investment of ₹ 296.25 crore by way of issue of Bonus shares by Power Finance Corporation.
 - This expenditure will be matched by capital receipts and shall not entail any cash outgo.
- additional funds amounting to ₹ 165.71 crore as loans and advances under Integrated Power Development Scheme (IPDS). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

लोक सभा

LOK SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 72 देखिये)

(See page 72 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

				(करोड़ रुपये Rupees	in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	1.00		1.00
	स्वीकृत:		Voted:	623.29	•••	623.29
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	भारित:		Charged:	0.15		0.15
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		624.44		624.44
	भारित:		Charged:	1.15	•••	1.15
	स्वीकृत:		Voted:	623.29	•••	623.29
		II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्ष के अंतर्गत	न दिखाया जायेग	π:	
		II. This Supplementary Appropriation will be ad	counted for	under the foll	owing Major Head	l:
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के	भारित:	2011 - Parliament/State/Union Territory	Charged:		0.15	0.15
विधान मंडल		Legislatures				

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

प्रभारित भाग के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के घरेल् यात्रा खर्च हेतु अतिरिक्त व्यय पूराकरना (₹ 0.15 करोड़)।

अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for:

meeting the additional expenditure for Domestic Travel Expenses of Speaker and Deputy Speaker under Charged Section (₹ 0.15 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 42-43 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिये)

(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 42-43 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 67 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित:		Charged:			10.00		10.00
	स्वीकृत:		Voted:	52859.00		54707.00		107566.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03		31972.69		31972.72
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of the						
का पूरक अनु मान:		amount now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	2041.41		0.01		2041.42
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		54900.44		86689.70		141590.14
	भारित:		Charged:			10.00		10.00
	स्वीकृत:		Voted:	54900.44		86679.70		141580.14
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित व	मुख्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखायाः	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acc	ounted for und	der the follow	ing Major	Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत:	3054 -Roads and Bridges	Voted:			2041.40	(कa)	2041.40
3055 - सड़क परिवहन	स्वीकृत:	3055 -Road Transport	Voted:	0.01	(खb)			0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.01		2041.40		2041.41
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
5054 - सड़क और पुलों पर	स्वीकृत:	5054 - Capital Outlay on Roads and	Voted:	0.01	(गc)			0.01
पूंजी परिव्यय		Bridges						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		2041.40		2041.42
		टिप्पणी: अतिरिक्त्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए	अनुमानों में नीचे व	दर्शाई गयी वसूलि	यों को शामि	ल नहीं किया गया ह	है जिन्हें व्य	य में से घटाकर
		ममारोजित किया जाता है ।						

समायोजित किया जाता है!

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

(a)

राजस्व भाग **REVENUE SECTION**

3054 - सड़क और पुल 3054 - Roads and Bridges

The supplementary grants are required for:

- यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: केन्द्रीय सड़क निधि को निधियों का अन्तर खाता अंतरण (i) (₹ 2041.40 करोड़)।
 - (क) केंद्रीय सड़क निधि से सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए लघ् निर्माण कार्यों के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 2041.40 करोड़)। व्यय के समतुल्य केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्ति हु ईहै।
- (i) inter account transfer of funds to Central Road Fund (₹ 2041.40 crore).

(-) 2041.40

(-) 2041.40

meeting additional expenditure under Minor Works for repairs and maintenance of roads to be met from Central Road Fund (₹ 2041.40 crore). The expenditure is matched by recoveries from Central Road Fund.

(c)

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हु ए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) (i) असंगठित क्षेत्र में वाहन चालकों हेतु पुनश्चर्या प्रशिक्षण स्कीम और मानव संसाधन विकास के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान मुहैया कराना (₹ 10 करोड़)।
 - (ii) राष्ट्रीय डाटाबेस नेटवर्क के अंतर्गत जनशक्ति संसाधनों को किराए पर रखने हेतु अन्य प्रभारों और हार्डवेयर मदों की खरीद हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 7 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) (i) सड़क प्रभाग की बाहय सहायता प्राप्त स्कीमों हेतु प्रतिरूप निधि के अंतर्गत प्रमुख निर्माण कार्यों पर व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 820 करोड)।
 - (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य के अंतर्गत प्रमुख निर्माण कार्यों पर व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 189 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, this will not entail any additional cash outgo.

- providing Grants for creation of Capital Assets under the scheme of Refresher Training of Drivers in unorganised sector and Human Resource Development (₹ 10 crore).
- (ii) meeting additional expenditure under Other Charges for hiring of manpower resources and procurement of hardware items under National Database Network (₹ 7 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) meeting additional expenditure under Major Works for counterpart funding in respect of externally aided schemes of Roads Wing (₹ 820 crore).
- (ii) meeting expenditure on Major Works under National Highways Original Works (₹ 189 crore).

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 68 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 44 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 68 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:					
१९२० जानु पाना.	स्वीकृत:	CONTELMENTALLY CIVILITY.	Voted:	18004.25		1.00	18005.25
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount					
पूरक अनुमान:		now required:					
« 5	स्वीकृत:		Voted:	898.98			898.98
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		157443.03		1.00	157444.03
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्र	ग्रशीर्षों के अं	तर्गत दिखाया ज	गयेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accoun	ted for und	der the following	ng Major	Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	116.73	(क a)		116.73
3601 - राज्य सरकारों को	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	782.25	(खb)		782.25
सहायता							

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- क) प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान देना (₹ 216.73 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 100 करोड़ की बचत को देखते हु ए, इसमें ₹116.73 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।
- (ख) प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत प्रंजीगत आस्तियों के स्जन हेतु अनुदान देना (₹ 783.27 करोइ)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹1.02 करोइ की बचत को देखते हु ए, इसमें ₹ 782.25 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing Grants for creation of Capital Assets under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna-Gramin (₹ 216.73 crore)
- (b) providing Grants for creation of Capital Assets under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna-Gramin (₹ 783.27 crore)
 - Taking into account the savings of ₹ 1.02 crore available within the same section of the Grant, it will entail a net cash outgo of ₹ 782.25 crore.

विज्ञान और प्रौदयोगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये) (See page 79 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 46 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये	Rupees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.02		0.02
	स्वीकृत:		Voted:	4481.83	14.47	4496.30
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01	•••	0.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:		now required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		4481.88	14.47	4496.35
	भारित:		Charged:	0.02		0.02
	स्वीकृत:		Voted:	4481.86	14.47	4496.33
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित ग	मुख्य शीर्ष के अंत	र्गत दिखाया उ	गयेगा:	
		II. This Supplementary Grant will be acc	ounted for unde	er the follow	ing Major Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3425 - अन्य वैज्ञानिक	स्वीकृत:	3425 -Other Scientific Research	Voted:	0.01	(कa) 0.01	(खb) 0.02
अनुसंधान						

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) 1.सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराने हेतु (i) स्वायत्त संस्थान और व्यावसायिक निकाय (₹ 24 करोइ) (ii) विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम (₹ 10 करोइ) (iii) अनुस्चित जातियों हेतु विशेष घटक आयोजना (₹ 7 करोइ)। 2. पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) स्वायत्त संस्थान और व्यावसायिक निकाय (₹ 16 करोइ) (ii) अनुसंधान और विकास सहायता (₹ 20 करोइ) (iii) प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (₹ 30 करोइ) (iv) जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम (₹ 15 करोइ) (v) राष्ट्रीय नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी मिशन (₹ 30 करोइ) (vi) अनुस्चित जातियों हेतु विशेष घटक आयोजना (₹ 10 करोइ)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 162 करोड़ की बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड हेतु सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना (₹ 20 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary grant is required for:

- (a) 1. providing Grants-in-aid General for (i) Autonomous Institute and Professional Bodies (₹ 24 crore) (ii) Disha Programme for women in Science (₹ 10 crore) (iii) Special Component Plan for Scheduled Castes (SERB) (₹ 7 crore) 2. Grants for creation of capital assets for (i) Autonomous Institute and Professional Bodies (₹ 16 crore) (ii) Research & Development Support (₹ 20 crore) (iii) Technology Development Programme (₹ 30 crore) (iv) Climate Change Programme (₹ 15 crore) (v) National Mission on Nano Science and Nano Technology (₹ 30 crore) (vi) Special Component Plan for Scheduled Castes (SERB) (₹ 10 crore) Taking into account the savings of ₹ 162 crore available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 (b) providing Grants-in-aid General for Technology Development
-) providng Grants-in-aid General for Technology Development Board (₹ 20 crore)

वैज्ञानिक और औदयोगिक अनु संधान विभाग

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 देखिये)

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	4056.25		6.55		4062.80
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	1.76				1.76
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		4058.01		6.55		4064.56
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख	व्य शीर्ष के अं	तर्गत दिखाया	ा जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accou	nted for un	der the follo	wing Major	Head:		
				आयोजना	3	आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
					1	Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत:	3425 -Other Scientific Research	Voted:	0.01	(कa)	1.75	(खb)	1.76

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for:

- (क) निम्न के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (i) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अन्तर्गत सीएसआरआर(₹ 118.93 करोइ) (ii) सीइएल (₹ 2.25 करोइ), (iii) एनआरडीएस (₹ 0.18 करोइ) (iv) पीएसीइ (₹ 1.45 करोइ) 2. राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अन्तर्गत सीएसआईआर का सामान्य सहायता अनुदान (₹ 30.07 करोइ) और 3. बीआईआरडी-सीआरटीडीएच के लिए पूंजीगत आस्तियां सृजितकरने के लिए अनुदान (₹ 1.19 करोइ) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अन्तर्गत सीएसआईआर के लिए सहायता अनुदान मुहैया कराना (₹ 2.86 करोड़)।
 इस अनुदान के इसी भाग में ₹ 1.11 करोड़ बचत और इस अनुदान के पूंजीगत आस्तियों के उपलब्ध ₹ 1.75 करोड़ की बचत के अभ्यपर्ण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय पर कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (a) providing 1. Grants-in-aid General to (i) CSIR under National Laboratories (₹ 118.93 crore) (ii) CEL (₹ 2.25 crore), (iii) NRDC (₹ 0.18 crore) (iv) PACE (₹ 1.45 crore) 2. Grants-in-aid Salaries to CSIR under National Laboratories (₹ 30.07 crore) and 3. Grants for creation of Capital Assets to BIRD- CRTDH (₹ 1.19 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- providing Grants-in-aid General to CSIR under National Laboratories (₹ 2.86 crore).
 - Taking into account the savings of ₹ 1.11 crore in the same section of the Grant and the surrender of savings of ₹ 1.75 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 71 देखिये) (See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 71 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

						(करोड़ रुपये Rupees in Crore				
				राजस्व		पूंजी		जोड़		
				Revenue		Capital		Total		
l. मू ल अनु दान:		I. ORIGINAL GRANT:								
	स्वीकृत:		Voted:	1479.15		361.35		1840.50		
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:								
	स्वीकृत:		Voted:	0.04		56.24		56.28		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount								
अनुमान:		now required:								
	स्वीकृत:		Voted:	30.05		28.37		58.42		
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1509.24		445.96		1955.20		
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:							
		II. This Supplementary Grant will be accou	unted for u	nder the fol	lowing Ma	ajor Heads:				
				आयोजना		आयोजना-		जोड़		
				Plan		भिन्न		Total		
						Non-Plan				
राजस्व भाग		REVENUE SECTION								
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD								
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत:	3451 -Secretariat-Economic Services	Voted:			0.01	(कa)	0.01		
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(खb)			0.01		
3051 - पत्तन और प्रकाश स्तम्भ	स्वीकृत:	3051 -Ports and Light Houses	Voted:	0.01	(गc)	30.00	(घd)	30.01		
3052 - नौवहन	स्वीकृत:	3052 -Shipping	Voted:			0.01	(ਭ e)	0.01		
3056 - अंतर्देशीय जल परिवहन	स्वीकृत:	3056 -Inland Water Transport	Voted:			0.01	(चf)	0.01		
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.02		30.03		30.05		
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION								
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD								
5051 - बंदरगाह और प्रकाश गृहों	स्वीकृत:	5051 - Capital Outlay on Ports and Light	Voted:	28.37	(छg)			28.37		
पर पूंजी परिव्यय		Houses								
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	28.39		30.03		58.42		

(c)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 1.50 करोड़)
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) केंद्रीय अंतरदेशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड से भूमि के 5 पार्सलों हेतु भारतीय अंतरदेशीय जल प्राधिकरण को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान मुहैया कराना (₹ 18.30 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) (i) स्वच्छता संबंधी कार्यकलापों के लिए (क) कोलकाता पत्तन न्यास
 (₹ 30 करोइ) (ख) चेन्नई पत्तन न्यास (₹ 3.29 करोइ)
 (ग) कोचीन पत्तन न्यास (₹ 2.61 करोइ) और (घ) मुरमुगाव पत्तन न्यास (₹ 2.10 करोइ) के लिए सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure under Professional Services(₹ 1.50 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing Grant for creation of Capital Assets to Inland Water Authority of India for taking over 5 parcels of land from Central Inland Water Transport Corporation Limited (₹ 18.30 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - (i) providing Grants-in-aid General to (a) Kolkata Port Trust
 (₹ 30 crore), (b) Chennai Port Trust (₹ 3.29 crore),
 (c) Cochin Port Trust (₹ 2.61 crore) and (d) Mormugao
 Port Trust (₹ 2.10 crore) for swachchta activities.

(d)

(g)

 (ii) भूमिगत पैदल पार पथ के निर्माण के लिए कोचीन पत्तन न्यास को प्ंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान मुहैया कराना (₹ 4.45 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (घ) (i) बिजली संबंधी बकायों की प्राप्ति में बढ़ोतरी के कारण अतिरिक्त प्रारक्षित मृहैया कराना (₹ 28 करोड़)।
 - (ii) लाइटहाऊस एवं लाइटिशिप महानिदेशालय को सीमा शुल्क का भुगतान (₹ 0.15 करोइ) करने और नए जलयानों के अनुरक्षण एवं प्रबंधन हेतु व्यावसायिक कार्मिकों की आऊटसोर्सिंग (₹ 5 करोइ) के लिए व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत अतिरिकृत व्यय पूराकरना।
 - (iii) प्रमुख पत्तनों हेतु प्रशुल्क प्राधिकरण को प्रकाशन (₹ 1.28 करोड़) और वेतन अनुदान सहायता (₹ 0.56 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना।
 - (iv) अंडमान एवं लक्षद्वीप हार्बर निर्माण कार्यों हेतु लघु निर्माण कार्यों के
 अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (1.80 करोड़ रुपए)

बिजली संबंधी बकायों की संवर्द्धित प्राप्तियों को देखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग करने के बाद उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ङ) राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड हेतु व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय
 पूरा करना (₹ 0.10 करोड़)
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (च) (i) भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण को वेतन अनुदान सहायता मुहैया कराना (₹ 10 करोड़)
 - (ii) केंद्रीय अंतरदेशीय जलमार्ग परिवहन निगम को वेतन अनुदान सहायता मृहैया कराना (₹ 0.30 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (छ) (i) अंडमान और लक्षद्वीप हार्बर निर्माण कार्यों द्वारा 2 टग की आपूर्ति हेतु प्रमुख निर्माण कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 28.42 करोड़)
 - (ii) अंडमान और लक्षद्वीप हार्बर निर्माण कार्यों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं
 और एजेंसियों को वचनबद्ध भुगतान करने हेतु प्रमुख निर्माण कार्यों
 के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 3.09 करोड़)
 - (iii) सागरमाला परियोजना हेतु प्रमुख निर्माण कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय प्राकरना (₹ 1.61 करोड़)

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के इसी भाग में बचतों का उपयोग करने के बाद उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। (ii) providing Grants for creation of Capital Assets to Cochin Port Trust for construction of subway (₹ 4.45 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) providing additional Reserve due to increase in receipt of Lighthouse dues (₹ 28 crore).
- (ii) meeting additional expenditure under Professional Services for Directorate General of Lighthouses and Lightships to make payment of custom fee (₹ 0.15 crore) and outsourcing professional personnel for maintenance and management of new vessels (₹ 5 crore).
- (iii) providing Grants-in-aid-General to Tariff Authority for Major Ports for meeting additional expenditure under Publication (₹ 1.28 crore) and Grant-in-aid-Salaries (₹ 0.56 crore).
- (iv) meeting additional expenditure under Minor Works for Andaman & Lakshadweep Harbour Works (₹ 1.80 crore).

Taking into account the increased receipts of Lighthouse dues and after utilising the savings available within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

meeting additional expenditure under Professional Services for National Shipping Board (₹ 0.10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) providing Grants-in-aid-Salaries to Inland Water Authority of India (₹ 10 crore).
- (ii) providing Grant-in-aid-Salaries to Central Inland Water Transport Corporation (₹ 0.30 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) meeting additional expenditure under Major Works towards supply of 2 Tugs by Andaman & Lakshwadweep Harbour Works (₹ 28.42 crore).
- (ii) meeting additional expenditure under Major Works for making committed payment to suppliers and agencies by Andaman & Lakshwadweep Harbour Works (₹ 3.09 crore).
- (iii) meeting additional expenditure under Major Works for Sagarmala Project (₹ 1.61 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

कौशल विकास और उदयमिता मंत्रालय

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 72 देखिये)

(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 72 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Rupees in Crore)				
				राजस्व	पूंजी	जोड़			
				Revenue	Capital	Total			
I. मू ल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:							
	स्वीकृत:		Voted:	1770.55	33.73	1804.28			
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:							
	स्वीकृत:		Voted:	368.74		368.74			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	-	Supplementary Estimate of the amount n	ow						
अनु मान:		required:							
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01			
जोड़ (मूल और पूरक)	-	Total (Original plus Supplementary)		2139.30	33.73	2173.03			
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:							
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:							
				आयोजना	आयोजना-	जोड़			
				Plan	भिन्न	Total			
					Non-Plan				
राजस्व भाग		REVENUE SECTION							
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD							
2230 - श्रम और रोजगार	स्वीकृत:	2230 -Labour and Employment	Voted:	0.01		0.01			

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

केन्द्रीय निधि पोषित संस्थानों के लिए वेतन के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 5 करोड़) प्रशिक्षण महानिदेशालय से संबंधित प्रकाशन हेतु लंबित बिलों के लिए (₹ 33.10 करोड़; कौशल विकास पहल की उप-स्कीम के तहत राज्यों की लंबित देनदारियों के निपटान के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 140 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary grant is required for:

Meeting additional requirement (₹ 5 crore) towards Salaries for Central Funded Institutes; (₹ 33.10 crore) towards publication for pending bills pertaining to Directorate General of Training and (₹ 140 crore) towards Grants-in-Aid General for clearing the pending liabilities of States under the sub scheme of Skill Development Initiatives.

सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 48 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 73 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 48 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 73 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

			(करोड़ रुपये Rupees in C					in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	6226.95		339.00		6565.95
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.05				0.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount						
अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	30.45				30.45
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		6257.45		339.00		6596.45
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुर		मंतर्गत दिखार	या जायेगा	:		
		II. This Supplementary Grant will be accou	unted for ur	der the follo	owing M	ajor Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित	स्वीकृत:	2225 -Welfare of Scheduled Castes,	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02
जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और		Scheduled Tribes, Other Backward						
अल्पसंख़्यकों का कल्याण		Classes and Minorities						
2235 - सामाजिक सुरक्षा और	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:	16.00	(गc)			16.00
कल्याण								
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	1.00	(घd)			1.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State	Voted:	13.43	(ਭ e)			13.43
		Governments						
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	30.44		0.01		30.45
		टिप्पणी: अतिरिक्त्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अ	नुमानों में नीचे	दर्शाई गयी वस्	(लियों को १	शामिल नहीं किय	ा गया है जि	ान्हें व्यय में
		से घटाकर समायोजित किया जाता है !						
		Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which						
		are adjusted in reduction of expenditure.						
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
2235 - सामाजिक सुरक्षा और		2235 - Social Security and Welfare		(-)16.00				(-)16.00

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

अपेक्षित है।

कल्याण

क) (क) व्ययं को पूरा करने हेतु 1. स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (i) अनुसूचित जाति हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (₹ 10 करोड़) (ii) अनुसूचित जाति हेतु सर्वोच्च स्तरीय शिक्षा (₹ 10 करोड़) 2. अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों और छात्राओं हेतु छात्रावास स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.50 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक

The supplementary grants are required for:

(a) Meeting additional expenditure towards 1. Grant-in-aid General under the scheme (i) Assistance to Voluntary Organisation for SCs (₹ 10 crore) (ii) Top Class Education for SCs (₹ 10 crore) 2. Grants for creation of Capital Assets under the scheme Boys and Girls Hostel for OBCs (₹ 0.50 crore).

(d)

- (ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता हेत् अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.10 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) निम्न योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) मद्य और द्रव्य (औषिध) दुरुपयोग निवारण (₹ 7 करोइ) (ii) बुजुर्गों से संबंधित कार्यक्रम हेतु स्वैच्छिक संगठन को सहायता (₹ 16 करोइ)।
 अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों और विरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि
 - अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों और वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि से पूरा किए गए ₹ 16 करोड़, को देखते हुएइसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।
- (घ) अनुस्चित जाति हेतु मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 1 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 1 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ङ) स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा (e)
 करना (i) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का विकास (₹ 3.44 करोड़)
 (ii) अनुस्चितजाति हेतु मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति (₹ 9.99 करोड़)।
 - अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 9.99 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हु एइसमें ₹ 3.44 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- Meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme National Commission for Backward Classes (₹ 0.10 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- c) Meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme (i)Prevention of Alcoholism and Substances (Drugs) Abuse (₹ 7 crore)and (ii) Assistance to Voluntary Organisation for Programme relating to aged (₹ 16 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, and ₹ 16 crore met from Senior Citizen Welfare Fund, this will not entail any additional cash outgo.
 - Meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Post Matric Scholoarship for SCs (₹ 1 crore).

 Taking into account the surrender of savings of ₹ 1 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- Meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme (i) Development of Economically Backward Classes (₹ 3.44 crore) (ii) Post Matric Scholoarship for SCs (₹ 9.99 crore).
 - Taking into account the surrender of savings of \mathfrak{F} 9.99 crore available within the Capital section of the Grant this will entail a cash outgo of \mathfrak{F} 3.44 crore.

दिव्यांगजन सशक्तीतरण विभाग

DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 74 देखिये) (See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 74 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

						(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	753.56		30.00		783.56
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.01				0.01
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.03				0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		753.60		30.00		783.60
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्	य शीर्षों के अंत	ार्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accour	nted for unde	er the follow	ving Maj	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2235 - सामाजिक सुरक्षा और	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:	0.01	(क a)	0.01	(खb)	0.02
कल्याण								
2552 - पूर्वीत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(गc)			0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02		0.01		0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) दिव्यांगजनों हेतु राष्ट्रीय फैलोशिप (₹ 4.12 करोड़) (ii) दिव्यांगजनों हेतु उच्च स्तरीय शिक्षा (0.45 करोड़) (iii) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (₹ 2.50 करोड़) (iv) मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति (₹ 3.04 करोड़) (v) राष्ट्रीय न्यास को बजटीय सहायता (₹ 1.80 करोड़) (vi) स्टेट स्पाइनल इन्जुरी सेंटर की स्थापना (₹ 1 करोड़) (vii) बिधर महाविद्यालय (₹ 0.81 करोड़) (viii) जागरूकता अभियान और प्रचार (₹ 0.50 करोड़) (ix) राष्ट्रीय अंध, बिधर, मानसिक रूप से विक्षिप्त और दिव्यांगजन संस्थान (₹ 17.15 करोड़) (x) संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (₹ 0.60 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) अतिरिक्त व्यय पूरा करना 1. स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (i) राष्ट्रीय अंध, बिधर, मानसिक रूप से विक्षिप्त और दिव्यांगजन संस्थान (₹ 1.67 करोड़) (ii) भारतीय पुनर्वास परिषद (₹ 0.03 करोड़) 2. स्कीम के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता (i) राष्ट्रीय अंध, बिधर, मानसिक रूप से विक्षिप्त और दिव्यांगजन संस्थान (₹ 3.61 करोड़) (ii) भारतीय पुनर्वास परिषद (₹ 0.20 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

Meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme (i) National Fellowship for PWDs (₹ 4.12 crore) (ii) Top Class Education for PWDs (₹ 0.45 crore) (iii) Pre Matric Scholarship (₹ 2.50 crore) (iv) Post Matric Scholarship (₹ 3.04 crore) (v) Budgetary Support of National Trust (₹ 1.80 crore) (vi) Setting up of State Spinal Injuries Centre (₹ 1 crore) (vii) College for Deaf (₹ 0.81 crore) (viii) Awareness generation and Publicity (₹ 0.50 crore) (ix) National Institute for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and the Orthopedically Handicapped (₹ 17.15 crore) (x) Establishment of Institute of Sign Language Research and Training (₹ 0.60 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the scheme (i) National Institute for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and the Orthopedically Handicapped (₹ 1.67 crore) (ii) Rehabilitation Council of India (₹ 0.03 crore) 2. Grants-in-aid Salaries under the scheme (i) National Institute for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and the Orthopedically Handicapped (₹ 3.61 crore) (ii) Rehabilitation Council of India (₹ 0.20 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) दिव्यांगजनों हेतु उच्च स्तरीय शिक्षा (₹ 0.06 करोड़) (ii) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (₹ 0.60 करोड़) (iii) मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति (₹ 0.80 करोड़) (iv) राष्ट्रीय न्यास को बजटीय सहायता (₹ 0.20 करोड़) (v) राष्ट्रीय अंध, बिधर, मानसिक रूप से विक्षिप्त और दिव्यांगजन संस्थान (₹ 2.72 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme (i) Top Class Education for PWDs (₹ 0.06 crore) (ii) Pre Matric Scholarship (₹ 0.60 crore) (iii) Post Matric Scholarship (₹ 0.80 crore) (iv) Budgetary Support for National Trust(₹ 0.20 crore) (v) National Institute for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and the Orthopedically Handicapped (₹ 2.72 crore).

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 75 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 49 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 75 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

,						(करोड़ रुपये	(करोड़ रुपये Rupees in Crore)				
				राजस्व		पूंजी		जोड़			
				Revenue		Capital		Total			
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:									
	भारित:		Charged:	0.60		0.40		1.00			
	स्वीकृत:		Voted:	4155.38		3352.76		7508.14			
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:									
	स्वीकृत:		Voted:	1.14		535.00		536.14			
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount									
पूरक अनुमान:		now required:									
	स्वीकृत:		Voted:	299.14		0.01		299.15			
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		4456.26		3888.17		8344.43			
	भारित:		Charged:	0.60		0.40		1.00			
	स्वीकृत:		Voted:	4455.66		3887.77		8343.43			
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:									
		II. This Supplementary Grant will be acco	unted for unde	er the follow	<i>i</i> ng Majo	or Heads:					
				आयोजना		आयोजना-		जोड़			
				Plan		भिन्न		Total			
						Non-Plan					
राजस्व भाग		REVENUE SECTION									
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD									
3402 - अंतरिक्ष अनुसंधान	स्वीकृत:	3402 -Space Research	Voted:	299.13	(कa)	0.01	(खb)	299.14			
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION									
मुख्य शीर्ष	_	MAJOR HEAD									
5402 - अंतरिक्ष अनुसंधान पर	स्वीकृत:	5402 - Capital Outlay on Space	Voted:	0.01	(गc)			0.01			
पूंजी परिव्यय	_	Research									
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	299.14		0.01		299.15			

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

- (क) (क) व्यय को पूरा करने हेतु (i) विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (115.33 करोड़ रुपए) (ii) तरल नोदन प्रणाली केंद्र (28 करोड़ रुपए) (iii) इसरो सैटेलाइट केंद्र (87.75 करोड़ रुपए) (iv) अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (62.30 करोड़ रुपए) (v) जीसैट-18 सैटेलाइट (3.75 करोड़ रुपए) (vi) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (2 करोड़ रुपए)।
 - अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।
- (ख) (ख) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला हेतु वेतन अनुदान सहायता मुहैया कराना (1.40 करोड़ रुपए) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक
- (ग) मशीनरी और उपस्कर मुहैया कराने हेतु (i) पोलर सैटैलाइट लांच व्हीकल (5 करोड़ रुपए) (ii) इसरो सैटेलाइट केंद्र (0.75 करोड़ रुपए)
 (iii) जीसैट-15 सैटेलाइट (0.60 करोड़ रुपए)
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (a) meeting expenditure towards (i) Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) (₹ 115.33 crore) (ii) Liquid Propulsion Systems Centre (₹ 28 crore) (iii) ISRO Satellite Centre (₹ 87.75 crore) (iv) Space Application Centre (₹ 62.30 crore) (v) GSAT-18 Satellite (₹ 3.75 crore) (vi) Grants for creation of capital assets towards Indian Institute of Space Science & Technology (₹ 2 crore)
 - Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (b) providing Grants-in-aid Salaries towards National Atmospheric Research Laboratory (₹ 1.40 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) providing Machinery & Equipments towards (i) Polar Satellite
 Launch Vehicle (₹ 5 crore) (ii) ISRO Satellite Centre (₹ 0.75
 crore) (iii) G-SAT-15 Satellite (₹ 0.60 crore)
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 50 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 50 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 77 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

						es in Crore)				
					राजस्व	पूंजी	जोड़			
					Revenue	Capital	Total			
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:								
	स्वीकृत:			Voted:	4724.83	28.00	4752.83			
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRAN	IT:							
	स्वीकृत:			Voted:	7.00		7.00			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of	the amount now							
अनुमान:		required:								
	स्वीकृत:			Voted:	0.01		0.01			
जोड़ (मूल और पूरक)	-	Total (Original plus Supplemen	itary)		4731.84	28.00	4759.84			
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:								
		II. This Supplementary Gra	nt will be accounte	ed for under th	ne following M	ajor Head:				
					आयोजना	आयोजना-	जोड़			
					Plan	भिन्न	Total			
						Non-Plan				
राजस्व भाग		REVENUE SECTION								
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD								
3454 - जनगणना सर्वेक्षण और	स्वीकृत:	3454 -Census Surveys and	Statistics	Voted:	0.01	•••	0.01			
सांख्यिकी										
	पेक्षित है:		The supplement	tary grant is re	equired for:					
भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 8 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹ 5 करोड़)।			providing Grant	s-in-aid Gene	eral (₹ 8 cror	e) and Grants-in	-aid Salarv			
			providing Grants-in-aid General (₹ 8 crore) and Grants-in-aid Salary (₹ 5 crore) for Indian Statistical Institute, Kolkata.							
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 13 करोड़ की बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक			,			crore available ir	the same			
अनुदान मांगा जाता है।			section of the G		•					
3					- applotition tally	.c coag.it.				

इस्पात मंत्रालय

MINISTRY OF STEEL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 78 देखिये) (See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 78 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड Capital Revenue Total I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदान: स्वीकृत: 85.62 85.62 Voted: SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: भारित: 110.00 110.00 Charged: स्वीकृत: 242.53 Voted: 42.53 200.00 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: भारित: 110.00 110.00 Charged: स्वीकृत: 200.00 200.00 Voted: जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 438.15 310.00 748.15 भारित: Charged: 110.00 110.00 220.00 स्वीकृत: Voted: 328.15 200.00 528.15 II. इस पूरक अन्दान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न		जोड़ Total
				riali	Non-Plan		Iotai
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2852 - उद्योग	भारित:	2852 - Industries	Charged:		110.00	(कa)	110.00
	स्वीकृत:		Voted:		200.00	(खb)	200.00
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			310.00		310.00
	भारित:		Charged:		110.00		110.00
	स्वीकृत:		Voted:		200.00		200.00

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर एचएससीएल की वीआरएस दायित्वों हेतु अनुदान के रूप में राजस्व भाग के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करना (₹ 110 करोड़)। पूंजी भाग में बचत उपलब्ध है।
- (ख) बैंक ऋण के पुनर्भुगतान हेतु एचएससीएल को अनुदान के रूप में राजस्व भाग के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 200 करोड़)। पूंजी भाग में बचत उपलब्ध है।
 - अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 310 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हु ए, उपर्युक्त व्यय में अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (a) Meeting the additional requirement under revenue section (₹ 110 crore) as grant for VRS liabilities of HSCL on the basis of Supreme Court judgement. The savings is available in capital section.
- (b) Meeting the additional requirement under revenue section (₹ 200 crore) as grant to HSCL for repayment of Bank Loans. The savings is available in Capital Section.
 - Taking into account the surrender of savings of ₹ 310 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

कपडा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 51 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 79 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 51 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 79 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

,						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
₹	स्वीकृत:		Voted:	4574.30		20.52		4594.82
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
₹	स्वीकृत:		Voted:	2021.32		168.10		2189.42
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
₹	स्वीकृत:		Voted:	0.04				0.04
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		6595.66		188.62		6784.28
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्र	य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be accoun	nted for und	ler the follow	wing Maj	or Heads:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01	(कa)	•••		0.01
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग र	स्वीकृत:	2851 -Village and Small Industries	Voted:	0.01	(खb)	0.01	(गc)	0.02
2852 - उद्योग	स्वीकृत:	2852 -Industries	Voted:	0.01	(घd)			0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.03		0.01		0.04

(b)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सरल विद्युतकरघा का इनसीटू उन्नयन स्कीम के अंतर्गत लंबित दावों के निपटान हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु (₹ 1 करोड़) और पूर्वीत्तर क्षेत्र कपड़ा संवर्धन स्कीम के अंतर्गत लंबित दावों के निपटान हेतु सामान्य सहायता अनुदान के लिए (₹ 10 करोड़) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) अनुसंधान एवं विकास (हस्तिशिल्प) स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) की लंबित दायिताओं को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु (₹ 4.50 करोड़); मानव संसाधन विकास (हस्तिशिल्प) स्कीम के अंतर्गत लंबित प्रतिपूर्ति के निपटान हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़) और व्यापक हस्तिशिल्प कलस्टर विकास कार्यक्रम – हस्तिशिल्प मेगा कलस्टर स्कीम के अंतर्गत कलस्टर प्रबंधन और तकनीकी एजेंसियों के लंबित दावों के निपटान के लिए व्यावसायिक सेवाओं के लिए (₹ 1 करोड़) अतिरिक्त धनराशि।

The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting additional requirement (₹ 1 crore) towards Grants for Creation of Capital Assets for settlement of pending claims under the scheme In-situ Upgradation of Plain Powerloom and (₹ 10 crore) towards Grants in Aid General for settlement of pending claims under the scheme NER Textile Promotion Scheme.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - Meeting additional amount of (₹ 4.50 crore) towards Grants-in-Aid General for meeting the pending liabilities of National Institute of Fashion Technology (NIFT) and other agencies under the scheme Research & Development (Handicraft); (₹ 2 crore) towards Grants-in-Aid General for settlement of pending reimbursement under the scheme Human Research Development (Handicraft) and (₹ 1 crore) towards Professional Services for settlement of pending claims of Cluster Management and Technical Agencies under the scheme Comprehensive handicraft Cluster Development programme Handicraft Mega Cluster.

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) रेशम उद्योगों के विकास हेतु केंद्रीय रेशम बोर्ड स्कीम के अंतर्गत वेतन एवं भत्तों, मजद्री, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों पर प्रतिबद्ध खर्चों के भुगतान के लिए सहायता अनुदान वेतन के लिए (₹ 7.50 करोड़) अतिरिक्त धनराशि की पूर्ति करना।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) मानव संसाधन विकास स्कीम के अंतर्गत प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए सहायता अनुदान हेतु (₹ 45 करोड़) और जूट सिहत तकनीकी कपड़ा स्कीम के अंतर्गत भारतीय प्रौदयोगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली एवं कानपुर के फोकस इनक्यूबेशन सेंटर (एफआईसी) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए (₹ 9.01 करोड़) अतिरिक्त धनराशि।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Meeting additional amount of (₹ 7.50 crore) towards Grants-in-Aid Salaries for payment of salaries & allowances, wages, pension and retirement benefits under the scheme Central Silk Board-Grants towards Development of Silk Industries.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - Meeting additional amount of (₹ 45 crore) towards Grants-in-Aid General for setting up of the committed liabilities under the scheme Human Resource Development and (₹ 9.01 crore) towards Grants for Creation of Capital Assets under Focus Incubation Centre (FIC) to Indian Institutes of Technology (IIT) Delhi and Kanpur under the scheme Technical Textile including Jute.

पर्यटन मंत्रालय

MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 81 देखिये) (See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 81 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

					es in Crore)	
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मू <i>ल अनुदान</i> :		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	1589.27	1.05	1590.32
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	80.61		80.61
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1669.89	1.05	1670.94
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष	के अंतर्गत '	दिखाया जायेगा	:	
		II. This Supplementary Grant will be accounted for	or under th	ne following M	lajor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3452 - पर्यटन	स्वीकृत:	3452 -Tourism	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

स्वदेश दर्शन-विषय आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 185.44 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary grant is required for:

providing Grants-in-aid General under Swadesh Darshan -Integrated Development of Theme-Based Tourist Circuits (₹ 185.44 crore).

जनजातीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 53 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 82 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 53 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 82 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Revenue Capital Total I. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: भारित: 3988.36 3988.36 Charged: स्वीकृत: 838.14 Voted: 768.14 70.00 पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: भारित: Charged: 3.21 3.21 स्वीकृत: Voted: 0.52 0.52 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount अनुमान: now required: भारित: Charged: 121.17 121.17 स्वीकृत: Voted: 1.51 1.51 जोड़ (मूल और पूरक) 4952 91 Total (Original plus Supplementary) 4882.91 70.00 भारित: Charged: 4112.74 4112.74 770.17 स्वीकृत: Voted: 70.00 840.17 II. इस पूरक अन्दान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित म् ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना जोड आयोजना-Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2251 - सचिवालय-सामाजिक 2251 -Secretariat-Social Services Voted: (**क**a) 1.00 स्वीकृत: 1.00 सेवाएं 2225 - अन् सूचित जाति, स्वीकृत: 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Voted: 0.01 (खb) 0.50 (गc) 0.51 अन् सू चित जनजाति, अन्य पिछड़े Scheduled Tribes, Other Backward वर्गों और अल्पसंख़्यकों का कल्याण Classes and Minorities भारित: 3601 - राज्य सरकारों को सहायता 3601 - Grants-in-aid to State Charged: 121.17 (घd) 121.17 Governments जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 122.18 0.50 122.68 भारित: Charged: 121.17 121.17 स्वीकृत: 1 01 0.50 1.51 Voted:

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सचिवालय के अंतर्गत वेतन हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 1 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

(ख) अनुस्चित जनजाति के छात्रों हेतु उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप और छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 30 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary grant/appropriation are required for:

(a) Meeting additional expenditure towards salary under Secretariat(₹ 1 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

(b) Meeting additional expenditure towards Scholarship under the scheme National Fellowship and Scholarship for Higher Education of ST Students (₹ 30 crore).

- (ग) राष्ट्रीय अनुस्चित जनजाति आयोग स्कीम के अंतर्गत वेतन हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.50 करोड़) ।
 उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (घ) अतिरिक्त व्यय पूरा करना 1. विशेषरूप से संवेदनशील जनजातीय समृह्रों के विकास संबंधी स्कीम (₹ 75.17 करोड़) अनुस्चित जनजाति के बच्चों की शिक्षा हेतु अमृब्रैला स्कीम (₹ 36 करोड़) के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता। 2. विशेषरूप से संवेदनशील जनजातीय समृहों के विकास संबंधी स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 10 करोड़)।
 - अनुदान के राजस्व पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- Meeting additional expenditure towards salary under the scheme National Commission for Scheduled Tribes (₹ 0.50 crore). The above expenditure will entail a cash outgo.
- Meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the scheme Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) (₹ 75.17 crore) Umbrella scheme for Education of ST Children (₹ 36 crore) 2. Grants for creation of capital assets under the scheme Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) (₹ 10 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अंडमान और निकोबार दवीप समूह

ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 92 और वर्ष 2016-2017 की अन्दानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 83 देखिये) (See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 83 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदान: भारित: Charged: 0.01 0.01 स्वीकृत: Voted: 3460.43 683.58 4144.01 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: 0.01 स्वीकृत: Voted: 0.01 इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the पूरक अनुमान: amount now required: स्वीकृत: 620.43 0.09 620.52 Voted: 4764.55 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 4080.87 683.68 भारित: Charged: 0.01 0.01 स्वीकृत: 4080.86 Voted: 683.68 4764.54 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म् ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-जोड़ भिन्न Plan Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** संचार और सूचना प्रौदयोगिकी Ministry of Communications and Information मंत्रालय Technology 3225 - संचार सेवाएं स्वीकृत: 3225 -Telecommunication Services Voted: 54.00 (**क**a) 54.00 सवास्थ्य एवं परिवार कल्याण Ministry of Health and Family Welfare मंत्रालय 2210 - चिकित्सा और जन स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health Voted: 12.00 (खb) 12.00 स्वास्थ्य गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs 2052 - सचिवालय-सामान्य स्वीकृत: 2052 -Secretariat-General Services Voted: 0.01 (गc) 0.01 सेवाएं 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं स्वीकृत: 2070 -Other Administrative Services Voted: 2.15 (घd) 2.15 2014 - न्याय प्रशासन स्वीकृत: 2014 -Administration of Justice Voted: 0.51 (ङe) 0.51 2055 - पुलिस स्वीकृत: 2055 -Police Voted: (चf) 8 00 (छg) 1.44 9 44 विदयालयी शिक्षा और साक्षरता Department of School Education and विभाग Literacv 2202 - सामान्य शिक्षा 2202 -General Education स्वीकृत: Voted: 21.63 (जh) 21.63 उच्चतर शिक्षा विभाग Department of Higher Education 2202 - सामान्य शिक्षा स्वीकृत: 2202 -General Education Voted: 11.34 (झi) 6.00 (퍼j) 17.34 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयम Ministry of Micro, Small and Medium मंत्रालय **Enterprises** 2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries 0.18 Voted: 0.18 (군k) विद्युत मंत्रालय Ministry of Power स्वीकृत:

Voted:

14.14

(정)

477.32

(로m)

491.46

2801 - विदयुत

2801 -Power

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		Ministry of Road Transport and Highways						
अर्थ - सड़क और पुल	स्वीकृत:	3054 -Roads and Bridges	Voted:	1.81	(ढn)			1.81
ग्रामीण विकास मंत्रालय	સ્વાफૃત.	Ministry of Rural Development	voteu.	1.01	(611)	•••		1.01
2215 - जलापूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत:	2215 -Water Supply and Sanitation	Voted:	0.80	(णо)			0.80
2515 - अन्य ग्रामीण विकास	स्वीकृत:	2515 -Other Rural Development	Voted:	0.80	` ,	•••		0.80
2010 - जन्य ग्रामाण विकास कार्यक्रम	स्पाकृत.	'	voteu.	0.60	(तp)	•••		0.60
नौवहन मंत्रालय		Programmes Ministry of Chinains						
नावहन मंत्रालय 3052 - नौवहन	- 1	Ministry of Shipping	\/atad:	4.00	(9Ta)	0.01	(T r)	4.01
3032 - नावहन महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत:	3052 -Shipping	Voted:	4.00	(थ q)	0.01	(दr)	4.01
•	-	Ministry of Women and Child Development	\/a4a.d.	4.00	/PT=\	0.04	(-1 1)	4.00
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted:	4.28	(법s)	0.01	(नt)	4.29
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	129.08		491.35		620.43
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन		Ministry of Environment, Forests and						
मंत्रालय		Climate Change						
4406 - वानिकी और वन्य जीवन	स्वीकृत:	4406 - Capital Outlay on Forestry and	Voted:	0.01	(पu)			0.01
पर पूंजी परिव्यय		Wild Life						
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs						
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर	स्वीकृत:	4250 - Capital Outlay on other Social	Voted:	0.01	(फv)			0.01
पूंजी परिव्यय		Services						
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		Ministry of Road Transport and Highways						
5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी	स्वीकृत:	5054 - Capital Outlay on Roads and	Voted:	0.01	(ब w)			0.01
परिव्यय		Bridges						
नौवहन मंत्रालय		Ministry of Shipping						
5051 - बंदरगाह और प्रकाश गृहों	स्वीकृत:	5051 - Capital Outlay on Ports and	Voted:	0.01	(₩x)			0.01
पर पूंजी परिव्यय		Light Houses						
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development						
4055 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	4055 - Capital Outlay on Police	Voted:	0.01	(म y)			0.01
4202 - शिक्षा, खेल, कला और	स्वीकृत:	4202 - Capital Outlay on Education,	Voted:	0.01	(यz)			0.01
संस्कृति पर पूंजी परिव्यय		Sports, Art and Culture						
4515 - अन्य ग्रामीण विकास	स्वीकृत:	4515 - Capital Outlay on Other Rural	Voted:	0.01	(ककaa)			0.01
कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय		Development Programmes						
5425 - अन्य वैज्ञानिक और	स्वीकृत:	5425 - Capital Outlay on Other	Voted:	0.01	(कखab)			0.01
पर्यावरण अनु संधान पर पूंजी		Scientific and Environmental						
परिव्यय		Research						
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा		Ministry of Water Resources, River						
संरक्षण मंत्रालय		Development and Ganga Rejuvenation						
4711 - बाढ़ नियंत्रण	स्वीकृत:	4711 - Capital Outlay on Flood Control	Voted:	0.01	(कगac)			0.01
परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय		Projects						
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.09				0.09
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	129.17		491.35		620.52
	-							

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

 (क) सेंटेलाइट ट्रांसपोंडरों को किराए पर लेने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 54 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

- (ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान सोसायटी (एएनआईएमईआरएस) के संबंध में सामान्य अनुदान सहायता (₹ 1.50 करोड़ रुपए) और वेतन अनुदान सहायता (₹ 4.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करना और स्वास्थ्य बीमा हेतु अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्कीम (एएनआईएसएचआई) के अंतर्गत आवश्यकताओं को पूरा करना (₹ 6 करोड़)।
 - उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (ग) वक्फ बोर्ड के लिए अनुदान सहायता-वेतन हेतु व्यय पूरा करना (₹ 0.06 (c) करोड़)।

The supplementary grants are required for:

- Meeting additional expenditure required for hiring of satellite transponders (₹ 54 crore).
 - The above expenditure will entail a cash outgo;
 - Meeting expenditure towards Grant-in- Aid General (₹ 1.50 crore) and Grant-in-Aid Salaries (4.50 crore) in respect of Andaman & Nicobar Islands Medical Education and Research Society (ANIMERS) and for meeting requirement under Andaman & Nicobar Islands Scheme for Health Insurance (ANISHI) (₹ 6 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

Meeting the expenditure towards Grant-in-Aid - Salaries to Waqf Board (₹ 0.06 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

 अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण के लिए तैनात किए गए कर्मचारियों के वेतन हेत् व्यय पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि (₹ 2.25 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 0.10 करोड़ की बचतों को देखते हुए, इसमें ₹ 2.15 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

(ङ) पोर्ट ब्लेयर में सर्किट कोर्ट के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को मजद्री के भ्गतान के व्यय को पूरा करना (₹ 0.51 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

(च) जिला पुलिस के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में वेतन हेतु व्यय
पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि (₹ 2.22 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 0.78 करोड़ की बचतों को देखते हुए, इसमें ₹ 1.44 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

- (छ) जिला पुलिस के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में वेतन हेतु व्यय (पूरा करना (₹ 8 करोड़)। उपर्य्कृत व्यय में नकद व्यय होगा।
- (ज) प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र हेतु वेतन (₹ 17.13 करोड़) और मध्याहन भोजन के व्यय (₹ 4.50 करोड़) को पूराकरना।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

- (झ) माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत वेतन हेतु व्यय पूरा करना (₹ 11.34 करोड़)।
 - उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (ञ) निजी स्कूलों को सहायता के लिए अनुदान सहायता-वेतन (₹ 0.50 करोड़) के व्यय को पूरा करने और माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत वेतन (₹ 6.45 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 0.95 करोड़ की बचतों को देखते हुए इसमें ₹ 6 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

(ट) अंडमान और निकोबार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लिए अनुदान सहायता-वेतन के वयय को पूरा करना (₹ 0.18 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

- (ठ) विदयुत विभाग हेतु वेतन के अंतर्गत (₹ 8.10 करोड़) और बिजली घरों को चलाने के लिए उच्च गति डीज़ल (एचएसडी) की खरीद हेतु (₹ 6.04 करोड़) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना। उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (ड) डीजी एस एंड डी के लंबित बिलों के भुगतान के लिए अपेक्षित अतिरिक्त राशि (₹ 505.04 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए ₹ 196.71 करोड़ का तकनीकी पूरक अनुदान और ₹ 280.61 करोड़ का नकद पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ढ) पोर्ट ब्लेयर नगर निगम परिषद हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के व्यय को पूरा करना (₹ 1.81 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (ण) ग्राम पंचायत को अनुदान सहायता के अंतर्गत भुगतान करना (₹ 0.80 करोड़)। उपर्यकत वयय में नकद वयय होगा।
- (त) जिला परिषद हेतु अनुदान सहायता-वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त (p) आवश्यकता को पूराकरना (₹ 0.80 करोड़)। उपर्य्कत वयय में नकद वयय होगा।
- (थ) अंतर-द्वीप समूह जहाजों के प्रचालन हेतु अतिरिक्त व्यय आवश्यकता (q) को पूरा करना (₹ 4 करोड़)। उपर्य्कृत व्यय में नकद व्यय होगा।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

 Additional amount required for meeting the expenditure towards Salaries for personnel deployed for Fire Protection & Control (₹ 2.25 crore).

Taking into account the savings of ₹ 0.10 crore available with the same section of the grant, this will entail a Net cash outgo of ₹ 2.15 crore:

Meeting the expenditure towards payment of wages to employees working under Circuit court at Port Blair (₹ 0.51 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

Additional amount required for meeting the expenditure towards Salaries in respect of employees working under District Police (₹ 2.22 crore).

Taking into account the savings of \ref{thm} 0.78 crore available in the same section of the grant, this will entail a net cash outgo of \ref{thm} 1.44 crore:

Meeting the expenditure towards Salaries in respect of employees working under District Police (₹ 8 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

Meeting expenditure towards salaries for Primary Education Sector (₹ 17.13 crore) and expenditure towards 'Mid Day Meals' (₹ 4.50 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

Meeting the expenditure towards Salaries under Secondary Education Sector (₹ 11.34 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

Additional amount required for meeting expenditure for Grantin Aid-Salaries towards assistance to private school (₹ 0.50 crore) and to meet expenditure on salaries under Secondary Education Sector (₹ 6.45 crore).

Taking into account the savings of \ref{thm} 0.95 crore available in same section of the grant, this will entail a net cash outgo of \ref{thm} 6 crore:

Meeting the expenditure towards Grant-in-Aid - Salaries for Andaman & Nicobar Khadi and Village Industries Board (₹ 0.18 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

Meeting additional requirement under salaries for Power department (₹ 8.10 crore) and for procurement of High Speed Diesel (HSD) for running powerhouses (₹ 6.04 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

(m)

(n)

(o)

Additional amount required for payment of pending DGS&D bills (₹ 505.04 Crore).

Taking into account the savings available in the Capital Section of the Grant, a Technical Supplementary of ₹ 196.71 core and Cash Supplementary of ₹ 280.61 crore is sought.

Meeting the expenditure towards Grants for creation of capital assets to Port Blair Municipal Council (₹ 1.81 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

Making payment under Grant-in-Aid to Gram Panchayat (₹ 0.80 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo:

Meeting additional requirement under Grant-in-Aid- Salaries for Zilla Parishad (₹ 0.80 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

Meeting additional expenditure required for operation of interisland vessels(₹ 4 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

- (द) अंतर-द्वीप समूह जहाजों (एमवी कोरल क्वीन की चार्टिंग के लिए) के (r) प्रचालन हेतु अतिरिक्त व्यय आवश्यकता को पूरा करना (₹ 10.13 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ध) संघ शासित क्षेत्र बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के संबंध में व्यय को पूरा करना अर्थात अनुदान सहायता वेतन (₹ 0.05 करोड़) और सामान्य अनुदान सहायता (₹ 0.07 करोड़) और आईसीडीएस स्कीम हेतु संघ शासित क्षेत्र पूरक अनुदान (₹ 4.16 करोड़)। उपर्युकृत व्यय में नकद व्यय होगा।
- (न) समाज कल्याण परामर्श बोर्ड के लिए अनुदान सहायता-वेतन के व्यय को पूरा करना (₹ 0.15 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (प) (i) वन विकास हेतु वन विभाग के संबंध में भवनों के निर्माण हेतु (₹ 0.42 करोड़), वन एवं तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली की सुरक्षा हेतु (₹ 0.50 करोड़), वन उत्पादन हेतु (₹ 0.80 करोड़) और वन्य जीव भवन (₹ 4 करोड़) (ii) वन एवं तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली की सुरक्षा हेतु मशीनरी की खरीद हेतु (₹ 0.27 करोड़) और (iii) चथम आरा मिल हेतु (₹ 0.15 करोड़) की अतिरिक्त व्यय आवश्यकता को पूरा करना।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (फ) आपदा प्रबंधन के लिए भवन के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा (v) करना (₹ 0.99 करोड़)।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ब) ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 3 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (भ) जनजातीय क्षेत्र में घाटों के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 9 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (म) भारतीय आरक्षित बटालियन (₹ 2 करोड़) और पुलिस आवास (₹ 0.70 करोड़) हेतु भवनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय पूराकरना।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (य) मोटर वाहनों की खरीद (₹ 0.14 करोड़), महाविद्यालय के भवन (₹ 3.28 करोड़), पॉलीटेक्नीक भवन (₹ 2.93 करोड़) और खेलकूद स्टेडियम (₹ 1.91 करोड़) के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (कक) ग्रामीण विकास विभाग के लिए भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा (aa) करना (₹ 1 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (कख) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.05 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (कग) समुद्री दीवार के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय पूराकरना (₹ 2.70 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- Meeting additional expenditure required for operation of inter-island vessels (for chartering of MV Coral Queen) (₹ 10.13 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Meeting expenditure in respect of Union Territory Commission for Protection of Child Rights i.e. under Grant-in-Aid-Salaries (₹ 0.05 core) and Grnat-in-Aid- General (₹ 0.07 core) and for UT supplement to ICDS scheme (₹ 4.16 core).
 - The above expenditure will entail a cash outgo;
- Meeting the expenditure towards Grant-in-Aid Salaries to Social Welfare Advisory Board (₹ 0.15 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Meeting additional expenditure required (i) for construction of buildings in respect of Forest Department for development of Forest (₹ 0.42 crore), for protection of forests and coastal Eco-system (₹ 0.50 crore), for forest produce (₹ 0.80 crore) and for wild life building (₹ 4 crore); (ii) for purchase of machinery for protection of forests & coastal Eco-system (₹ 0.27 crore) and (iii) for Chatham Saw Mill (₹ 0.15 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Meeting additional expenditure for construction of building for Disaster Management (₹ 0.99 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (w) Meeting additional expenditure for construction of rural roads (₹ 3 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - Meeting additional expenditure for construction of jetties in tribal area (₹ 9 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - Meeting additional expenditure for construction of building for India Reserve Battalion (₹ 2 crore) and for Police Housing (₹ 0.70 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (z) Meeting additional expenditure for purchase of Motor Vehicles (₹ 0.14 crore), construction of college buildings (₹ 3.28 crore), Polytechnic building (₹ 2.93 crore) and sports stadium (₹ 1.91 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - Meeting additional expenditure for construction of building for Department of Rural Development (₹ 1 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (ab) Meeting additional expenditure for construction of building for Department of Science & Technology (₹ 0.05 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (ac) Meeting additional expenditure for construction of sea wall (₹ 2.70 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

चंडीगढ

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 100 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 84 देखिये) (See page 100 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 84 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Revenue Capital Total I. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: भारित: Charged: 34.05 50.00 84.05 स्वीकृत: Voted: 3459.03 394.71 3853.74 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: भारित: 200.00 200.00 Charged: स्वीकृत: Voted: 100.00 0.06 100.06 इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the amount पूरक अनुमान: now required: स्वीकृत: 30.96 Voted: 30.96 जोड़ (मूल और पूरक) 3624.04 4268.81 Total (Original plus Supplementary) 644.77 भारित: Charged: 34.05 250.00 284.05 स्वीकृत: Voted: 3589.99 394.77 3984.76 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-जोड़ भिन्न Plan Total Non-Plan REVENUE SECTION राजस्व भाग MAJOR HEAD म्ख्य शीर्ष Ministry of Health and Family Welfare स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय स्वीकृत: 2210 - चिकित्सा और जन 2210 -Medical and Public Health Voted: 14.71 (कa) 14.71 स्वास्थ्य Ministry of Home Affairs गृह मंत्रालय 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं स्वीकृत: 0.50 2070 -Other Administrative Services Voted: 0.50 (खb) 2014 - न्याय प्रशासन स्वीकृत: 2014 -Administration of Justice Voted: 1.00 (गc) 1.00 2056 -Jails 2056 - जेल स्वीकृत: Voted: 0.50 (घd) 0.50 श्रम और रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour and Employment 2230 - श्रम और रोजगार स्वीकृत: 2230 -Labour and Employment Voted: 1.00 (ङe) 1.00 विद्युत मंत्रालय Ministry of Power 2801 - विदय्त स्वीकृत: 2801 -Power Voted: 0.60 (चf) 0.60 सामाजिक न्याय और अधिकारिता Ministry of Social Justice and Empowerment मंत्रालय 2235 - सामाजिक स्रक्षा और स्वीकृत: Voted: (छg) 6.00 2235 -Social Security and Welfare 6.00 कल्याण शहरी विकास मंत्रालय Ministry of Urban Development 2059 - लोक निर्माण कार्य स्वीकृत: 2059 - Public Works Voted: 2.50 (जh) 2.50 महिला और बाल विकास मंत्रालय Ministry of Women and Child Development 2235 - सामाजिक स्रक्षा और स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare Voted: 4.15 (झi) 4.15 कल्याण स्वीकृत: Voted: जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 30.96 30.96

(d)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) सरकारी मेडीकल कॉलेज-32, सरकारी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल-16 के आऊटसोर्स किए गए कर्मचारियों को भुगतान और सरकारी मेडिकल कॉलेज-32 के लिए एक्स-रे फिल्मों, दवाइयों, कार्यालय सामग्री की खरीद (₹ 14.71 करोड़)।
 - अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 0.06 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, इसमें ₹14.65 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ख) संघ शासित क्षेत्र के गेस्ट हाउस में तैनात दैनिक कामगारों की मजदूरी का भुगतान और कार्यालय सामग्री की खरीद तथा पानी एवं बिजली के बिलों का भुगतान (₹ 0.50 करोड़ रुपए)। उक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (ग) उच्च न्यायालय के बिजली एवं पानी प्रभारों का भुगतान और जिला न्यायालय के स्वर्ण जयंती समारोह के आयोजन हेतु (₹ 1 करोड़)। उक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (घ) जेल विभाग में तैनात दैनिक कामगारों की मजद्री का भुगतान (₹ 0.50 करोड़)
 उक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (ङ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-28 चंडीगढ़ में सामग्री की खरीद और नए ट्रेड शामिल करना (₹ 1 करोड़)। उकत वयय में नकद व्यय होगा।
- (च) बिजली विभाग में तैनात आऊटसोर्स किए गए कर्मचारियों को भुगतान
 (₹ 0.60 करोड़)।
 उक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (छ) वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन स्कीम की दरों में बढ़ोतरी (₹ 6 करोड़)।

उक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

- (ज) निर्माण सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी और कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी हेतु
 (₹ 2.50 करोड़)।
 उकत वयय में नकद व्यय होगा।
- (झ) विधवा पेंशन स्कीम की दरों में बढ़ोतरी (₹ 4.15 करोड़)। उकत वयय में नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) Payment of outsourced staff of Govt. Medical College-32 Govt. Multi Specialty Hospital- 16 & Malaria and purchase of x-ray films, medicines, office material of Govt. Medical College-32 (₹ 14.71 crore).
 - Taking into account surrender of savings of $\ref{thmodel}$ 0.06 crore available in the capital section of the Grant, this will entail a net cash outgo of $\ref{thmodel}$ 14.65 crore.
- (b) Payment of wages to the daily wagers deployed in UT Guest House and purchase of office material and payment of water and electricity bill (₹ 0.50 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

(c) Payment of electricity and water charges of High Court and for celebration of Golden Jubilee of District Court (₹ 1 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

Payment of wages to the daily wagers deployed in Jail Department (₹ 0.50 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

(e) For purchase of material for affiliation of new Trades in Industrial Training Institute-28, Chandigarh (₹ 1 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

f) Payment of outsourced staff deployed in Electricity Department (₹ 0.60 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

(g) Increase in the rates of Old age and disabled pension Scheme (₹ 6 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

- Increase in the prices of construction material and increase in the scope of work ($\stackrel{?}{\stackrel{\checkmark}}$ 2.50 crore).
- The above expenditure will entail a cash outgo;
- Increase in the rates of Widow pension Scheme (₹ 4.15 crore).
 The above expenditure will entail a cash outgo;

दादर और नागर हवेली

DADRA AND NAGAR HAVELI

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 देखिये)

(See page 107 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017)

					(8	करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व		पूंजी	जोड़
				Revenue		Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:		Charged:	0.01			0.01
	स्वीकृत:		Voted:	687.26		384.47	1071.73
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount					
अनुमान:		now required:					
	स्वीकृत:		Voted:	58.10		0.02	58.12
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		745.37		384.49	1129.86
	भारित:		Charged:	0.01			0.01
	स्वीकृत:		Voted:	745.36		384.49	1129.85
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्र	य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया ज	ायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be account	ted for under	the followir	ıg Major	Heads:	
				आयोजना		आयोजना-	जोड़
				Plan		भिन्न	Total
						Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	_	Department of School Education and Literacy					
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:	23.20	(कa)		23.20
उच्चतर शिक्षा विभाग		Department of Higher Education					
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:	0.90	(खb)		0.90
ग्रामीण विकास मंत्रालय		Ministry of Rural Development					
2515 - अन्य ग्रामीण विकास	स्वीकृत:	2515 -Other Rural Development	Voted:	4.00	(गc)		4.00
कार्यक्रम		Programmes					
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा		Ministry of Water Resources, River Development					
संरक्षण मंत्रालय	_	and Ganga Rejuvenation					
2215 - जलापूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत:	2215 -Water Supply and Sanitation	Voted:	30.00	(घd)		30.00
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	58.10			58.10
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
उच्चतर शिक्षा विभाग		Department of Higher Education					
4202 - शिक्षा, खेल, कला और	स्वीकृत:	4202 - Capital Outlay on Education,	Voted:	0.01	(ਭ e)		0.01
संस्कृति पर पूंजी परिव्यय		Sports, Art and Culture					
पर्यटन मंत्रालय		Ministry of Tourism					
5452 - पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	5452 - Capital Outlay on Tourism	Voted:	0.01	(चf)		0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत:	Total (Capital Section)	Voted:	0.02			0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	58.12			58.12

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

क) (i) सहायक अध्यापकों की पिरवीक्षा अविध पूरी होने के कारण मासिक वेतन का भुगतान और बकायों का भुगतान (₹ 5.50 करोड़) (ii) संविदा आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुमोदित अध्यापकों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु सामान्य अनुदान सहायता जारी करना (₹ 9 करोड़) (iii) पंचायत में प्राथमिक विद्यालयों हेतु मध्याहन भोजन बनाने, स्कूल बैग, स्टेशनरी सामग्री, खेलने के सामान, स्वैटर, जूते, जुराबें, ट्रैकसूट, खेलक्द The supplementary grants are required for:

(i) Payment of Monthly salary and for payment of arrears on account of clearance of probation of Assistant teachers (₹ 5.50 crore), (ii) Releasing Grant-in-aid General for payment of remuneration of approved teachers under Sarva Shiksha Abhiyan on contract basis (₹ 9 crore), (iii) Releasing Grant-in-aid General for Mid Day Meals, for purchase of School Bags,

(d)

सामग्री, रिकॉर्ड प्रबंधन आदि खरीदने के लिए सामान्य अनुदान सहायता जारी करना (₹ 3.70 करोड़) (iv) मसत पेटीलाड में मसत पदरीपाडा में कक्षाओं हेतु छह कमरों के निर्माण हेतु पूंजीगत आस्तियों के स्जन हेतु अनुदान जारी करना, समरवानी, नरोली, दुधानी, मंडोनी, अंबोली, गलोंडा, किलवानी, दपादा, रखोली, रंधा, दादरा पेटलाड में विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों के लिए वर्षा जल संचयन संरचना मुहैया कराना, किलवानी, गलोंडा पेटलाड में पुश्ते की दीवार सहित परिसर की दीवार का निर्माण, अन्य गांवों में विद्यालयों की कक्षाओं की विशेष मरममत और निर्माण (₹ 5 करोड)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उक्त वयय में कोई अतिरिकत नकद वयय नहीं होगा।

- (ख) चार निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए सामान्य अनुदान सहायता जारी करना (₹ 0.90 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उक्त वयय में कोई अतिरिकत नकद वयय नहीं होगा।
- (ग) स्वच्छ आंगन योजना के अंतर्गत शौचालय ब्लॉकों के निर्माण हेतु सामान्य अनुदान सहायता जारी करना।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (₹ 11 करोड़) और तकनीकी पूरक (अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 0.55 करोड़ की बचत) को देखते हुए ₹ 3.45 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (घ) निम्नलिखित हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी करना (i) रखोली, दपादा, किलवानी, रांधा, नरोली, दादरा और समरवानी पेटलाड हेतु एकीकृत जल प्रबंधन योजना (₹ 24 करोड़),(ii) कौंचा, जामलपाड़ा, गुन्सा और बिलधारी पेटलाड हेतु जल आपूर्ति स्कीम मृहैया कराना (₹ 2 करोड़), (iii) दादरा, नरोली और दुधानी पेटलाड हेतु घर-घर जल आपूर्ति कनेक्शन देना (₹ 3 करोड़) (iv) चरण-। में संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली जल आपूर्ति व्यवस्था हेतु एकीकृत जल प्रबंधन (भूजल संग्रहण जलाशय) (₹ 1 करोड़)।

उक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

- (ङ) (i) दपादा, जंडा चौक एवं अंबोली में कन्या छात्रावास के निर्माण (₹ 0.90 करोड़)(ii) मोरखाल, फालंदी, मसत, सुरंगी, खेरडी एवं सिंदोनी में हाई स्कूल भवन के निर्माण (₹ 0.93 करोड़) और (iii) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की विशेष मरम्मत हेत् अतिरिक्त राशि (₹ 1.17 करोड़) की आवश्यकता है।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (च) (i) दुधानी चरण-।। एवं चरण-।।। में वाटर फ्रन्ट के विकास (₹ 0.75 करोड़) (ii) दादरा गार्डन में सिग्नेचर पैदल पुल के निर्माण (₹ 3.25 करोड़) और (iii) नक्षत्र वन गार्डन के निकट दमन गंगा नदी पर बांध के निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि (₹ 1 करोड़) की आवश्यकता है।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। Stationery materials, playing equipments, sweaters, shoes, socks, tracksuits, sports materials, Record Management etc. for primary schools in Panchayat (₹ 3.70 crore) and (iv) Releasing Grants for Creation of Capital Assets for construction of six class room building at Masat Padripada in Masat Patelad, Providing rain water harvesting structure for various primary school in Samarvani, Naroli, Dudhani, Mandoni, Amboli, Galonda, Kilvani, Dapada, Rakholi, Randha, Dadra Patelad, Construction of compound wall with retaining wall at primary school Kilvani, Galonda Patelad, Special repairs and construction of school classroom in other villages (₹ 5 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

- (b) Releasing Grant-in-aid General to four private aided schools (₹ 0.90 crore).
 - Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (c) Releasing Grant-in-aid General for construction of toilet blocks under Swachh Aangan Yojana.
 - Taking into account the savings (₹ 11 crore) available within the same section of the Grant & Technical supplementary (savings of ₹ 0.55 crore available in the capital section of the Grant), this will entail a cash outgo of ₹ 3.45 crore.
 - Releasing Grants for Creation of Capital Assets for (i) Integrated Water Management Plan for Rakholi, Dapada, Kilvani, Randha, Naroli, Dadra, and Samarvani Patelad (₹ 24 crore), (ii) Providing water supply scheme for Kauncha, Jamalpada, Gunsa, and Bildhari patelad (₹ 2 crore), (iii) House to House water supply connection for Dadra, Naroli and Dudhani Patelad (₹ 3 crore) (iv) Integrated water management plan for UT of Dadra & Nagar Haveli water supply arrangement in Zone-I (Under Ground Water Storage Reservoir) (₹ 1 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

- Additional amount required for (i) construction of Girls Hostel at Dapada, Zanda Chowk and Amboli (₹ 0.90 crore)
 (ii) construction of High School Building at Morkhal, Falandi, Masat, Surangi, Kherdi and Sindoni (₹ 0.93 crore) (iii) special repairs to higher secondary schools (₹ 1.17 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Additional amount required for (i) Development of water front at Dudhani Phase-II & Phase-III (₹ 0.75 crore) (ii) Construction of signature pedestrian bridge at Dadra Garden (₹ 3.25 crore) (iii) Construction of weir across Daman Ganga River near Nakshtra Van Garden (₹ 1 crore).

दमन और दीव

DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 54 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 54 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 86 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

					(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:	0.02	•••	0.02
	स्वीकृत:		Voted:	1387.50	277.80	1665.30
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:		Voted:	0.02	0.04	0.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:		required:				
	स्वीकृत:		Voted:		3.00	3.00
जोड़ (मूल और पूरक)	-	Total (Original plus Supplementary)		1387.54	280.84	1668.38
	भारित:		Charged:	0.02	•••	0.02
	स्वीकृत:		Voted:	1387.52	280.84	1668.36
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीष	र्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेग	Γ:	
		II. This Supplementary Grant will be accounted	for under t	he following N	Лаjor Head:	
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development				
4215 - जलापूर्ति और स्वच्छता पर	स्वीकृत:	4215 - Capital Outlay on Water Supply and	Voted:	3.00	•••	3.00
पूंजी परिव्यय		Sanitation				

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

दमन जिले में जलापूर्ति बढ़ाने के लिए मशाल चौक से भीमपुर नैनी दमन पाइप लाइन बदलने और अन्य जलापूर्ति संबंधी निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता (₹ 3 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हु ए, उपर्युक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary grant is required for:

Additional funds required for replacement of pipeline from Mashal Chowk to Bhimpore, Nani Daman for augmentation of water supply in Daman District and other water supply related works (₹ 3 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

लक्षद्वीप

LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 119 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 87 देखिये)

(See page 119 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 56 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 87 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

				(करोड़ रुपये Rupe	es in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted:	1089.34	165.50	1254.84
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged:		17.00	17.00
	स्वीकृत:	Voted:	0.03	0.12	0.15
इस समय आवश्यक रकम का पूरक		Supplementary Estimate of the amount now			
अनु मान:		required:			
	स्वीकृत:	Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1089.38	182.62	1272.00
	भारित:	Charged:		17.00	17.00
	स्वीकृत:	Voted:	1089.38	165.62	1255.00
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the	e following Ma	ijor Head:	
			आयोजना	आयोजना-	जोड़
			Plan	भिन्न	Total
				Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power			
2801 - विद्युत	स्वीकृत:	2801 -Power Voted:		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वित्त वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान एचएसडी की खरीद के लिए डीजी एस एंड डी को लंबित भुगतान का निपटान करने के लिए (₹ 55 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary grant is required for:

Clearing the long-pending payment to DGS&D against the procurement of HSD made during the Financial year 2011-12 & 2012-13 (₹ 55 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 126-127 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 90 देखिये)

(See page 126-127 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 57 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 90 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड़ Revenue Capital Total I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदान: भारित: Charged: 83.77 97.00 180.77 स्वीकृत: 15502.67 26908.09 Voted: 11405.42 पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: स्वीकृत: Voted: 2621.04 5820.01 8441.05 इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the पूरक अनुमान: amount now required: भारित: Charged: 1.60 1.60 स्वीकृत: Voted: 0.05 0.06 0.01 17324.08 जोड़ (मूल और पूरक) 18207.49 35531.57 Total (Original plus Supplementary) भारित: Charged: 83.77 98.60 182.37

II. इस पूरक अन्दान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

Voted:

18123.72

17225.48

35349.20

		II. This Supplementary Grant/Appropriat	ion will be ac	counted for	under th	e following Ma	jor Head	s:
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2216 - आवास	स्वीकृत:	2216 -Housing	Voted:	•••		0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
4058 - लेखन सामग्री और	भारित:	4058 - Capital Outlay on Stationery	Charged:	•••		1.60	(खb)	1.60
छपाई पर पूंजी परिव्यय		and Printing						
4059 - लोक निर्माण कार्यो पर	स्वीकृत:	4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:			0.01	(गc)	0.01
पूंजी परिव्यय								
4216 - आवास पर पूंजी	स्वीकृत:	4216 - Capital Outlay on Housing	Voted:	0.01	(घd)	0.01	(ਝe)	0.02
परिव्यय								
4217 - शहरी विकास पर पूंजी	स्वीकृत:	4217 - Capital Outlay on Urban	Voted:	0.01	(चf)			0.01
परिव्यय		Development						
6217 - शहरी विकास के लिए	स्वीकृत:	6217 - Loans for Urban Development	Voted:	0.01	(छg)			0.01
ऋण								
जोड़ (पूंजी भाग)		Total (Capital Section)		0.03		1.62		1.65
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.03		1.63		1.66
	भारित:		Charged:	•••		1.60		1.60
	स्वीकृत:		Voted:	0.03		0.03		0.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

र 1.77 करोड़) (ii) किराया, दर एवं कर (₹ 14.27 (a) Meeting expenditure of (i) Office Exp

 (क) (i) कार्यालय व्यय (₹ 1.77 करोड़) (ii) िकराया, दर एवं कर (₹ 14.27 करोड़) (iii) रखरखाव एवं मरम्मत संबंधी निर्माण कार्यों (₹ 10 करोड़) हेतु खर्चों को पूरा करना।

स्वीकृत:

Meeting expenditure of (i) Office Expenses (₹ 1.77 crore) (ii) Rent, Rate and Taxes (₹ 14.27 crore) (iii) Maintenance and Repair works of MP House (₹ 10 crore)

The supplementary grant/appropriation are required for:

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार जीआईपी, संतरागाछी के संबंध में भूमि पर प्रमुख निर्माण कार्य से संबंधित भुगतान (₹ 1.60 करोड़) करने के लिए।
 - अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) बांद्रा कुर्ला परिसर, मुंबई में आय कर, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क के कार्यालय भवनों और आईटी बिल्डिंग के निर्माण हेतु प्रमुख कार्यों के लिए (₹ 62 करोड़)। अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक

अन्दान मांगा जाता है।

- (घ) त्रिवेंद्रम में आरवीटीआई के लिए 7 स्टाफ क्वाटरों के निर्माण के प्रमुख कार्यों को पूरा करने के लिए (₹ 1 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ङ) पश्चिमी न्यायालय छात्रावास और लोक सभा आवास के निर्माण के लिए मुहैया कराए गए(₹ 25 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (च) (i) पुणे मेट्रो इक्विटी (₹ 100 करोड़) और (ii) नागपुर मेट्रो इक्विटी (₹ 60 करोड़) के लिए मुहैया कराए गए।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (छ) (i) चेन्नै मेट्रो (पीटीए) (₹ 331.86 करोड़), (ii) नागपुर मेट्रो (पीटीए) (₹ 36 करोड़) (iii) चेन्नै मेट्रो (उप-ऋण) (₹ 59.20 करोड़) (iv) नागपुर मेट्रो (उप-ऋण) (₹ 70 करोड़) के लिए मुहैया कराए गए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Major Works making the payment related to land in respect GIP, Santragachhi as ordered by the Hon'ble Supreme Court (₹ 1.60 crore)
 - Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- Major Works for construction of office building of Income Tax, Customs and Central Excise and IT Building at Bandra –Kurla Complex, Mumbai. (₹ 62 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Major Works for construction of 7 staff quarters for RVTI at Trivandrum (₹ 1 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- e) Construction of Western Court Hostel and Lok Sabha Residences (₹ 25 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (f) (i) Pune Metro Equity (₹ 100 crore) and (ii) Nagpur Metro Equity(₹ 60 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (g) (i) Chennai Metro (PTA) (₹ 331.86 crore), (ii) Nagpur Metro
 (PTA) (₹ 36 crore) (iii) Chennai Metro (Sub-Debt) (₹ 59.20 crore)
 (iv) Nagpur Metro (Sub-Debt) (₹ 70 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 128 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिये) (See page 128 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 59 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

Demands for Grants for the	ycai zoi	0 2011)				
					(करोड़ रुपये Ru _l	pees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:		Charged:		4.00	4.00
	स्वीकृत:		Voted:	8357.60	402.71	8760.31
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित:		Charged:	1.80		1.80
	स्वीकृत:		Voted:	18.00	25.00	43.00
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount	:			
पूरक अनुमान:		now required:				
	भारित:		Charged:	0.40		0.40
	स्वीकृत:		Voted:	6.01	0.01	6.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		8383.81	431.72	8815.53
	भारित:		Charged:	2.20	4.00	6.20
	स्वीकृत:		Voted:	8381.61	427.72	8809.33
		II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निग	निलिखित मुख्य	शीर्षों के अंतर्गत रि	देखाया जायेगाः	
		II. This Supplementary Grant/Appropria	ation will be acc	ounted for und	er the following Major	Heads:
				आयोजना	आयोजना-	जोड़
				Plan	भिन्न	Total
					Non-Plan	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2701 - वहत और मध्यम सिंचार्ड	स्वीकतः	2701 -Major and Medium Irrigation	Voted:	0.01 (3	Б а)	0.01

				आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan		जोड़ Total
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD				NoiPrian		
2701 - क्हत और मध्यम सिंचाई	स्वीकृत:	2701 -Major and Medium Irrigation	Voted:	0.01	(कa)			0.01
3075 - अन्य परिवहन सेवाएं	भारित:	3075 - Other Transport Services	Charged:	0.40	(खb)			0.40
	स्वीकृत:		Voted:			6.00	(गc)	6.00
जोड़ (राजस्व भाग) <i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष		Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD		0.41		6.00		6.41
4701 - क्हत और मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	4701 - Capital Outlay on Major and Medium Irrigation Total (Supplementary)	Voted:	0.01 0.42	(घd)	6.00		0.01 6.42
·	भारित:		Charged:	0.40				0.40
	स्वीकृत:		Voted:	0.02		6.00		6.02

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) राष्ट्रीय हाइड़ोलॉजी पिरयोजना के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना (ईएपी घटक- ₹ 3.03 करोड़ और कार्यक्रम घटक ₹ 3.03 करोड़)
 - (ii) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को ब्याज भुगतान हेतु सामान्य सहायता अन्दान जारी करना (₹ 26.21 करोड़)
 - (iii) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को पीएमएसकेवाई के लिए नाबार्ड से लिए गए ऋण हेतु ब्याज भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹ 18.79 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) (i) providing additional Grants for creation of Capital Assets (EAP Component ₹ 3.03 crore and Programme Component ₹ 3.03 crore) for National Hydrology Project.
 - (ii) release of Grants-in-aid General for payment of interest to National Water Development Agency (₹ 26.21 crore).
 - (iii) release of Grants-in-aid General for payment of interest against NABARD loan for PMSKY to National Water Development Agency (₹ 18.79 crore).

- (ख) फरक्का बांध परियोजना स्कीम के अंतर्गत 'अन्य प्रभाग' के तहत मध्यस्थता पंचाट का भुगतान (₹ 0.40 करोइ रुपए) अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) फरक्का बांध पिरयोजना स्कीम के अंतर्गत 'व्यावसायिक सेवाओं' के तहत अतिरिक्त व्यय पूराकरना (₹ 6 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (घ) 'बाढ़ पूर्वानुमान स्कीम के अंतर्गत विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में दामोदर घानी निगम को ऋण जारी करना (₹ 9 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- payment of arbitration awards under 'Other Charges' under the scheme of Farakka Barrage Project (₹ 0.40 crore).
 - Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
-) meeting additional expenditure under 'Professional Services' under the scheme of Farakka Barrage Project (₹ 6 crore).
 - Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- release of loans to Damodar Valley Corporation in respect of Externally Aided Project under the scheme of 'Flood Forecasting' (₹ 9 crore).

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 130 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 60 देखिये और वर्ष 2016-2017 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 93 देखिये)

(See page 130 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 60 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017 and page 93 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड Capital Total Revenue I. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत: Voted: 17878.12 30.00 17908.12 पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: स्वीकृत: Voted: 200.05 200.05 इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the amount पूरक अनुमान: now required: स्वीकृत: Voted: 217.20 217.20 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 18295.37 30.00 18325.37 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-जोड Plan भिन्न Total Non-Plan राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2235 - सामाजिक सुरक्षा और स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare Voted: 0.01 (**क**a) 0.01 कल्याण 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र स्वीकृत: 2552 - North Eastern Areas Voted: 0.01 (खb) 0.01 3601 - राज्य सरकारों को सहायता स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments Voted: 217.18 (गc) 217.18 जोड़ (पूरक) स्वीकृत: Total (Supplementary) 217.20 217.20 Voted:

(b)

(c)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) अतिरिक्त व्यय पूरा करना 1. वन स्टॉप सेंटर स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 29.80 करोड़) 2. राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन स्कीम के अंतर्गत किराया दर और कर (₹ 0.85 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) एकीकृत बाल विकास सेवा सेवा स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूराकरना (₹ 105.40 करोड़)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) मातृत्व लाभ कार्यक्रम (₹ 234 करोइ) (ii) एकीकृत बाल विकास सेवा (₹ 1000 करोइ)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, इसमें ₹ 217.18 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- The supplementary grants are required for:
- (a) Meeting additional expenditure towards 1. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme One Stop Centre (₹ 29.80 crore) 2. Rent Rate & Taxes under the scheme National Mission for Empowerment of Women (₹ 0.85 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - Meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Integrated Child Development Services (ICDS) (₹ 105.40 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - Meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme (i) Maternity Benefit Programme (₹ 234 crore) (ii) Integrated Child Development Services (ICDS) (₹ 1000 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 217.18 crore.

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 131 और वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये) (See page 131 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2016-2017 and page 62 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2016-2017)

						(करोड़ रुपये	Rupees	in Crore)
				राजस्व		पूंजी		जोड़
				Revenue		Capital		Total
I. मू ल अनु दान:		I. ORIGINAL GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	1542.00		50.00		1592.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	स्वीकृत:		Voted:	214.85				214.85
इस समय आवश्यक रकम का		Supplementary Estimate of the amount						
पूरक अनुमान:		now required:						
	स्वीकृत:		Voted:	0.02				0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1756.87		50.00		1806.87
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित व	नुख्य शीर्ष के अंत	ार्गत दिखाया	जायेगा:			
		II. This Supplementary Grant will be acc	ounted for und	ler the follow	wing Majo	r Head:		
				आयोजना		आयोजना-		जोड़
				Plan		भिन्न		Total
						Non-Plan		
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2204 - खेल और युवा मामले	स्वीकृत:	2204 -Sports and Youth Services	Voted:	0.01	(कa)	0.01	(खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्निलिखित के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) अंतरराष्ट्रीय सहयोग (₹ 2.40 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय युवा कोर स्कीम (₹ 5 करोड़) 2. निम्न के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (i) युवा केन्द्र संगठन (₹ 5 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (₹ 0.30 करोड़) 3. भारतीय खेल प्राधिकरण स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान (₹ 21.90 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) नेहरू युवा केन्द्र संगठन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.34 करोड़) 2. वेतन सामान्य सहायता अनुदान (i) नेहरू युवा केंद्र संगठन (₹ 4.41 करोड़) (ii) राष्ट्रीय गांधी युवा विकास संस्थान (₹ 0.75 करोड़) 3. राष्ट्रीय राजीव गांधी युवा विकास संस्थान के तहत कार्यालयी खर्च (₹ 0.25 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary grant is required for:

(a) 1.GIA General under (i) International Co-operation (₹ 2.40 crore) and (ii) National Youth Corps scheme(₹ 5 crore), 2.GIA Salaries under (i)Yuva Kendra Sanghtan (₹ 5 crore)and (ii) National Anti-Doping Agency (₹ 0.30 crore), 3.Grants for Creation of Capital Assets under Sports Authority of India Scheme (₹ 21.90 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

1.GIA General under Nehru Yuva Kendra Sanghtan (₹ 0.34 crore), 2.GIA Salaries under (i) Nehru Yuva Kendra Sanghtan (₹ 4.41 crore) and (ii) Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (RGNIYD) (₹ 0.75 crore) 3.Office Expenses under Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (RGNIYD) (₹ 0.25 crore).

अनुबंध

वर्ष 2016-17 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है।

(करोड़ रुपए)

			(करा	ङ रुपए)	
क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	योजना	बजट अनुमान	पुनर्विनियोग की राशि	टिप्पणियां
<u> </u>	2	3	4	5	6
1.	पशुपालन, डेयरिंग और मत्स्यपालन विभाग	मुख्य शीर्-1 3601 अंतर्देशीय मात्स्यिकी	200.37	88.52	विभिन्न राज्य सरकारों की मांग पूरी करना
	मत्स्यपालन विभाग	मुख्य शीर्-ा 3601 अंतर्देशीय मात्स्यिकी	29.00	25.00	एससीएसपी घटक के तहत विभिन्न राज्य सरकारों की मांग पूरी करना
2.	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	2251.00.090.01.00.01 (वेतन) आयोजना-भिन्न	4.72	3.70	सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण वृद्धि किए जाने की वजह से वेतन की अतिरिक्त आवश्यकताएं पूरी करने हेतु
		2552.00.129.15.01.31 (सामान्य सहायता अनुदान) आयोजना राजस्व स्कीम ''राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान'' के अंतर्गत प्रयोजन शीर्ष	81.50	70.00	पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में आवर्ती अनुदानों का व्यय पूरा करने के लिए
		2552.00.796.89.01.31(सामान्य सहायता अनुदान) आयोजना राजस्व स्कीम ''राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान'' के अंतर्गत प्रयोजन शीर्ष	18.00	10.00	पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में आवर्ती अनुदानों का व्यय पूरा करने के लिए
		3601.02.180.02.01.31(सामान्य सहायता अनुदान) आयोजना राजस्व स्कीम ''राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान'' के अंतर्गत प्रयोजन शीर्ष	810.20	300.00	पूर्वोत्तर राज्यों में आवर्ती अनुदानों का व्यय पूरा करने के लिए
		3601.02.789.66.01.31(सामान्य सहायता अनुदान) आयोजना राजस्व स्कीम ''राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान'' के अंतर्गत प्रयोजन शीर्ष	238.00	150.00	पूर्वोत्तर राज्यों में आवर्ती अनुदानों का व्यय पूरा करने के लिए
		3601.02.796.68.01.31(सामान्य सहायता अनुदान) आयोजना राजस्व स्कीम ''राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान'' के अंतर्गत प्रयोजन शीर्ष	145.00	50.00	पूर्वोत्तर राज्यों में आवर्ती अनुदानों का व्यय पूरा करने के लिए
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क. गृह मंत्रालय	एम एच 2055-पुलिस 0.109.13-जिला पुलिस की स्थापना	116.44	7.99	रिक्तियों को भरने और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के कारण वेतन के लिए व्यय पूरा करना

ANNEXURE

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2016-17.

		(Rupees in Crore)					
Sl. No.	3	Scheme	Budget Estimates	Amount of Re-appro- priation	Remarks		
1	2	3	4	5	6		
1.	Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries	MH 3601 Inland Fishery	200.37	88.52	To meet the demand of different State Governments		
		MH 3601 (SCSP) Inland Fishery	29.00	25.00	To meet the demand of different State Governments under SCSP component		
2.	Department of School Education and Literacy	2251.00.090.01.00.01 (Salaries) Non-Plan	4.72	3.70	For meeting requirements of Salary on account of increase effected due to implementation of recommendations of 7th CPC.		
		2252.00.129.15.01.31 (Grants- in-Aid General) object head under Plan revenue scheme "National Education Mission-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan"	81.50	70.00	To meet expenditure of recurring grants in North-Eastern States and Sikkim.		
		2552.00.796.89.01.31 (Grants- in-Aid General) object head under Plan revenue scheme "National Education Mission-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan"	18.00	10.00	To meet expenditure of recurring grants in North-Eastern States and Sikkim.		
		3601.02.180.02.01.31 (Grants- in-Aid General) object head under Plan revenue scheme "National Education Mission-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan"	810.20	300.00	To meet expenditure of recurring grants in Non NER States.		
		3601.02.789.66.01.31 (Grants- in-Aid General) object head under Plan revenue scheme "National Education Mission-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan"	238.00	150.00	To meet expenditure of recurring grants in Non NER States.		
		3601.02.796.68.01.31 (Grants- in-Aid General) object head under Plan revenue scheme "National Education Mission-Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan"	145.00	50.00	To meet expenditure of recurring grants in Non NER States.		
3.	Andaman and Nicobar Islands						
	A. Ministry of Home Affairs	MH 2055- Police 00.109.13-District Police Establishment	116.44	7.99	To meet the expenditure for salaries due to filling up of vaccancies and 7th CPC.		

		(करोड़ रुपए)					
1 2	3	4	5	6			
डी-विद्युत मंत्रालय	मु.शी2801-विद्युत 04.103.01 विद्युत संयंत्र और अनुषंगी निर्माण कार्य	320.70	511.08	एचएसडी/स्नेहक तेल की खरीद के लिए डीजीएसएंडडी के लंबित बिलों का भुगतान करने पर व्यय पूरा करना			
एफ-पर्यावरण और व मंत्रालय	न मु.शी. 2406-वानिकी और वन्य जीव 01.101.01 वन विकास	65.60	6.00	सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के कारण वेतन और मजदूरी पर व्यय पूरा करना			
आई-स्वास्थ्य और पि कल्याण मंत्रालय	9		6.29	वेतन और अनिशी स्कीम के अंतर्गत व्यय पूरा करना			
आई-स्वास्थ्य और पि कल्याण मंत्रालय	9	नेक 75.00	6.00	अनिमर्स के संबंध में व्यय पूरा करना			
जे-स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	मु.शी. 2202-सामान्य शिक्षा 01.101.02-प्रारंभिक शिक्षा	221.08	18.60	रिक्तियों को भरने और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के कारण वेतन के लिए व्यय पूरा करना			
के-उच्चतर शिक्षा विभ	गाग मु.शी. 2202-सामान्य शिक्षा 02.109.03-माध्यमिक विद्यालय	117.59	17.79	रिक्तियों को भरने और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के कारण वेतन के लिए व्यय पूरा करना			
एस-पोत परिवहन मंत्र	गलय मु.शी. 3052- पोत परिवहन 02.103.04-अंतर द्वीपीय पोतों का कार्यचालन प्रभार	170.66	14.13	अंतर द्वीपीय पोतों और पोतों की चार्टरिंग लागत का कार्यचालन व्यय पूरा करना			
एक्स-शहरी विकास ग	मंत्रालय मु.शी. 4216-आवास पर पूंजी परिव्यन 01.796.01-भवन	य 3.48	19.74	मध्यस्थता पंचाट, लागत बढ़ोतरी और कानूनी तथा न्यायालयी मामलों में उपस्थित होने के लिए यात्रा खर्च एवं सीपीडब्ल्यूडी के संबंध में मध्यस्थता मामले पर व्यय पूरा करना।			
एए-संचार और सूचन प्रौद्योगिकी मंत्रात		91.50	54.00	बीएसएनएल के जरिए उपग्रह ट्रांसपोंडर को किराए पर लेने हेतु व्यय पूरा करना			
4. विज्ञान और प्रौद्योगिव विभाग	ही प्रदर्शनी और मेला	0.50	3.25	उप-शीर्ष (3425.60.600.02) प्रदर्शनी और मेला के अंतर्गत भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।			

(Rupees in Crore)

	s in Crore)			
1 2	3	4	5	6
D-Ministry of Power	MH 2801-Power 04.103.01 Power Plant and Ancilliary Works	320.70	511.08	To meet the expenditure on clearin pending bills of DGS&D for purchase of HSD/Lub oil.
F-Ministry of Environment and Forests	MH 2406-Forestry and Wild Life 01.101.01-Forest Development	65.60	6.00	To meet the expenditure on salarie and wages of the employees due to 7th CPC.
I-Ministry of Health and Family Welfare	MH-2210-Medical and Public Health 01.001.06-Directorate of Health	25.64	6.29	To meet the expenditure unde
	Services			salaries and the ANISHI scheme.
I-Ministry of Health and Family Welfare	MH-2210-Medical and Public Health 05.105.52-Andaman & Nicobar	75.00	6.00	To meet the expenditure in respec
	Islands Medical Education and Research Society	75.00	0.00	of ANIMERS
J-Department of School Education and Literacy	MH-2202-General Education 01.101.02-Primary Education	221.08	18.60	To meet the expenditure for salarie due to filling up of vaccancies and 7th CPC.
K-Department of Higher Education	MH-2202-General Education 02.109.03-Secondary Schools	117.59	17.79	To meet the expenditure for salarie due to filling up of vaccancies and 7th CPC.
S-Ministry of Shipping	MH-3052 Shipping 02.103.04 Operational Charges of Inter-Islands Vessels	170.66	14.13	To meet the operational expenditure of inter island vessel and chartering cost of vessels.
X-Ministry of Urban	MH-4216-Capital outlay on			
Development	Housing 01.796.01-Building	3.48	19.74	To meet the expenditure of arbitration award, cost escalation and legal and travel expenses to attend court cases and arbitration cases in respect of CPWD
AA-Ministry of Communications	MH-3225-Telecommunication Services			
and Information Technology	60.101.01-Hiring of Satellite Transponder	91.50	54.00	To meet the expenditure for hiring of satellite transponders through BSNL.
Department of Science and Technology	Exhibition & Fairs	0.50	3.25	To meet the additional expenditur for participating in Indi International Science Congres under sub head (3425.60.600.02 Exhibition & Fairs.